

राज्य वित्त 2023-24



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth In Public Interest

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
2025

राज्य वित्त 2023-24

दशकीय विश्लेषण

विषयसूची

	कार्यकारी सारांश	1
1.	परिचयात्मक	7
2.	राज्यों की प्राप्ति	11
	राज्यों के प्राप्ति के स्रोत	13
	राज्यों की राजस्व प्राप्ति	15
	राज्यों का स्व-कर राजस्व एवं राज्यों का गैर-कर राजस्व	16
	राज्यों का स्व-कर राजस्व	18
	राज्यों के स्व-कर राजस्व के घटक	19
	राज्य वस्तु एवं सेवा कर	20
	राज्य उत्पाद शुल्क	20
	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	21
	स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	21
	मोटर वाहनों पर कर	21
	वस्तु एवं सेवा कर-पूर्व एवं वस्तु एवं सेवा कर-पश्चात अवधि में राज्यों के स्व-कर राजस्व की वृद्धि	21
	राज्यों के स्व-कर राजस्व की उत्पादकता	23
	राज्यों का गैर-कर राजस्व	25
	संघ करों एवं शुल्कों में राज्यों की हिस्सेदारी	27
	राज्यों को केंद्रीय अनुदान और सहायता	28
	वित्त आयोग अनुदान	29
	राज्यों की राजस्व प्राप्ति में अनुदानों एवं केंद्रीय सहायता की हिस्सेदारी	32
	राज्यों की पूंजीगत प्राप्ति	33
	राज्यों की ऋणगत प्राप्ति	34
	निष्कर्ष	35
3.	राज्यों का व्यय	37
	राज्यों द्वारा व्यय का विहंगावलोकन	39
	क्षेत्रवार व्यय	40
	पूंजीगत व्यय	42
	राजस्व व्यय: संरचना एवं प्रकृति	43
	राजस्व और पूंजीगत व्यय के बीच गलत वर्गीकरण	44
	व्यय की पूर्णता को प्रभावित करने वाले कुछ कारक	45
	व्यक्तिगत जमा खाते	45
	संक्षिप्त आकस्मिक बिल	46
	प्रतिबद्ध व्यय, सब्सिडी पर व्यय एवं सहायता अनुदान वेतन	47
	प्रमुख कार्यों के अनुसार सब्सिडी पर व्यय	52
	राज्यों के राजस्व व्यय में अनुदान सहायता की राशि	53
	प्रतिबद्ध व्यय, सहायता अनुदान, सब्सिडी एवं राजस्व प्राप्ति	54
	कार्यात्मक श्रेणी के अनुसार व्यय	55
	निष्कर्ष	56

4.	राज्यों के व्यय का टैक्सोनोंमिक वर्गीकरण	59
	व्यय का टैक्सोनोंमिक वर्गीकरण	61
	राज्यों का आर्थिक श्रेणियों के अनुसार व्यय	61
	आर्थिक श्रेणियों के अनुसार व्यय का टैक्सोनोंमिक वर्गीकरण	62
	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा टैक्सोनोंमिक वर्गीकरण सम्बंधित हाल ही में की गयी पहल	63
	राज्यों का पृथक आर्थिक श्रेणीवार व्यय	63
	निष्कर्ष	70
5.	लोक ऋण एवं लोक लेखा देयताएं	71
	लोक ऋण और लोक लेखा देयताएं	73
	लोक ऋण	74
	लोक ऋण एवं राजस्व तथा गैर-ऋण प्राप्ति	76
	पूँजीगत व्यय और लोक ऋण से निवल प्राप्ति	77
	ऋण प्राप्ति, पुनर्भुगतान और निवल उधार	80
	राज्यों द्वारा लिए गए अर्थोपाय अग्रिम-नकद प्रबंधन	81
	लोक लेखा देयता	82
	राज्यों की कुल देयता	84
	निष्कर्ष	84
6.	राज्यों के राजकोषीय उत्तरदायित्व संकेतक	85
	राजस्व एवं राजकोषीय घाटा	87
	राजस्व घाटा/ राजस्व अधिशेष	87
	राजकोषीय घाटा	88
	कुल देयताएं	89
	प्रतिभूतियाँ	91
	गारंटी मोचन निधि	93
	निष्कर्ष	93
अनुलग्नक		
अनुलग्नक 1.1	राज्यों की राजस्व प्राप्ति	97
अनुलग्नक 1.2	राज्यों की गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्ति	98
अनुलग्नक 2.1	राज्यों की घटक-वार राजस्व प्राप्ति	99
अनुलग्नक 2.2	एसओटीआर के राज्य-वार घटक	106
अनुलग्नक 3	घटक-वार पूँजीगत खर्च की प्राप्ति	113
अनुलग्नक 4	वित्त आयोग अनुदान	117
अनुलग्नक 5	राज्यों का राजस्व और पूँजीगत व्यय	125
अनुलग्नक 6	राज्यों का क्षेत्रीय राजस्व व्यय	127
अनुलग्नक 7	राज्यों का क्षेत्रीय पूँजीगत व्यय	132
अनुलग्नक 8	सभी राज्यों का कुल क्षेत्रीय व्यय	137
अनुलग्नक 9	व्यक्तिगत जमा खाता	143
अनुलग्नक 10	संक्षिप्त आकस्मिक बिल	147
अनुलग्नक 11	राज्यों का प्रतिबद्ध व्यय	148
अनुलग्नक 12	सहायता अनुदान-वेतन	153
अनुलग्नक 13	वर्ष 2023-24 के लिए सब्सिडी पर व्यय	155
अनुलग्नक 14	राज्यों के प्रकारानुसार राजस्व व्यय (प्रमुख प्रकार)	159
अनुलग्नक 15	राज्यों के प्रकारानुसार पूँजीगत व्यय (प्रमुख प्रकार)	179
अनुलग्नक 16	आर्थिक श्रेणियों के अनुसार राज्यों का व्यय (प्रमुख व्यय उद्देश्य शीर्ष)	196
अनुलग्नक 17	लोक ऋण देयता एवं लोक लेखा देयता	197
अनुलग्नक 18	राज्यों के अर्थोपाय अग्रिम	201
अनुलग्नक 19	राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन मापदंड	207
अनुलग्नक 20	विनियोग की प्राथमिक इकाई/उद्देश्य शीर्षों के सामंजस्य एवं युक्तिकरण पर कार्यालय ज्ञापन	212
	संक्षिप्ताक्षरों की सूची	222

प्राक्कथन

प्राक्कथन



लोक वित्तीय प्रबंधन संरचना में मुख्यतः बजट तैयार करना, लेखांकन, लेखापरीक्षा एवं विधानमंडल को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सम्मिलित है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का हमारे देश के संघीय एवं लोक वित्तीय प्रबंधन संरचना में एक विशिष्ट स्थान है, जिन्हें संघ एवं राज्य सरकारों की लेखापरीक्षा का कार्य सौंपा गया है, साथ ही वे अधिकांश राज्य सरकारों के लेखाओं के संकलन हेतु उत्तरदायी हैं।

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रत्येक राज्य सरकार के लेखे तैयार व संकलित करते हैं एवं इस प्रक्रिया में वे व्यापक राजकोषीय और लेखांकन संबंधी जानकारी से अवगत रहते हैं। यह

आँकड़े/ सूचनाएँ प्राथमिक स्वरूप की होती हैं एवं राज्यों की लेखा प्रणाली/ अभिलेखों से उपलब्ध होती हैं। संघीय व्यवस्था में, इतनी व्यापक मात्रा में राजकोषीय सूचना की उपलब्धता का उपयोग नीति निर्माताओं, लोक वित्तीय प्रबंधकों, शिक्षाविदों एवं शोधकर्ताओं के साथ-साथ राज्य वित्त में रुचि रखने वाले विश्वविद्यालयों एवं क्षमता निर्माण संस्थानों के लाभ के लिए होना चाहिए।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा संकलित वित्त एवं विनियोग लेखे, राज्य वित्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तथा संयुक्त वित्त एवं राजस्व लेखे एक वित्त वर्ष के लिए होते हैं। राज्य वित्त 2023-24 का यह प्रकाशन सभी 28 राज्यों का एक एकल एवं समेकित राजकोषीय विहंगवलोकन करने सहित लेखापरीक्षा पश्चात राज्य-स्तरीय राजकोषीय आँकड़े प्रदान करता है, जो 2014-15 से 2023-24 तक की दस वर्षों की अवधि में अंतर-राज्यीय और अंतरकालिक विश्लेषण करने में सक्षम बनाता है। राज्य वित्त 2022-23 के प्रथम संस्करण पर प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर, इस संस्करण में राज्यों के अनेक राजकोषीय मापदंडों का और अधिक विस्तृत विश्लेषण सम्मिलित किया गया है।

उद्देश्य शीर्ष वार व्यय के पृथक आकड़ों के तुलनात्मक राजकोषीय विश्लेषण में, राज्यों द्वारा अपनाई जा रही भिन्न-भिन्न उद्देश्य शीर्ष वार व्यय पद्धतियां तथा एकरूपता की कमी लगातार बाधा बनती रहीं हैं। इस प्रणालीगत मुद्दे के समाधान हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा संघ तथा राज्यों के स्तर पर उद्देश्य शीर्ष के युक्तिकरण एवं सुसंगतिकरण हेतु परामर्श दिया गया है जिसे वित्त वर्ष 2027-28 तक अंगीकार किया जाना है। यह परामर्श, ऐसे मुद्दों जो अनेक हितधारकों का ध्यान आकर्षित करते रहे हैं, का समाधान कर लोक व्यय संरचना में एक महत्वपूर्ण सुधार लाएगा।

राज्य वित्त 2023-24 प्रकाशन का उद्देश्य राजकोषीय पारदर्शिता को और अधिक सुदृढ़ करना, राज्यों में साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण का समर्थन करना तथा देश में सार्वजनिक वित्त विमर्श को सशक्त बनाना है।

मैं राज्य वित्त 2023-24 के प्रकाशन की तैयारी में किये गये श्रमसाध्य कार्य हेतु नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय के सरकारी लेखा विंग तथा कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), राजस्थान की सराहना करता हूँ।

(के. संजय मूर्ति)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

दिनांक: 25 दिसम्बर, 2025

स्थान: नई दिल्ली

प्रस्तावना

प्रस्तावना



राज्य वित्त 2023-24 प्रकाशन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी की गई वार्षिक शृंखला का द्वितीय संस्करण है जो सभी 28 राज्यों के वित्त का समेकित एवं लेखापरीक्षित विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है। प्रकाशन का पहला संस्करण, राज्य वित्त 2022-23 का विमोचन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा सितंबर 2025 में किया गया और इसने हितधारकों में विशेष रुचि पैदा की। अन्य संस्थानों के अलावा, प्रमुख लोक वित्त अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों और प्रबंधन विद्यालयों से उत्साहजनक प्रतिक्रियाएँ प्राप्त हुईं।

प्राप्त प्रतिक्रियाओं ने इस प्रकाशन में समेकित और तुलनात्मक रूप में शुलभ लेखापरीक्षित राज्य स्तरीय राजकोषीय आंकड़ों के साथ राज्यों का एक अंतर-कालिक राजकोषीय विहंगावलोकन प्रदान

करने के महत्व को रेखांकित किया है तथा इस प्रकार यह लोक वित्त आंकड़ों का लोकतंत्रीकरण करता है और देश में लोक वित्त के क्षेत्र में गहन शोध एवं विश्लेषण को सक्षम बनाता है।

इन प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए, राज्य वित्त 2023-24 का प्रकाशन वित्त वर्ष 2023-24 हेतु राज्यों की राजकोषीय स्थिति का विहंगावलोकन प्रदान करने के साथ-साथ 2014-15 से 2023-24 तक की 10 वर्षों की अवधि का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। राजस्व, व्यय, लोक ऋण, लोक लेखा देयताएँ, घाटे एवं प्रतिभूतियों से संबंधित व्यापक राजकोषीय योगों के अतिरिक्त, यह संस्करण विस्तृत स्तर के राजकोषीय आंकड़ें प्रदान करता है। इस संस्करण में राज्यों के स्व-कर राजस्व और उनके घटकों, सब्सिडी, प्रतिबद्ध व्यय, व्यक्तिगत जमा खाता, संक्षिप्त आकस्मिक बिल एवं राज्यों के अर्थोपाय अग्रिम की स्थिति के विस्तृत विश्लेषण जोड़े गए हैं।

इस प्रकाशन को छह अध्यायों में संयोजित किया गया है जिसमें- प्राप्तियाँ, व्यय, व्यय का टैक्सोनामिक वर्गीकरण, लोक ऋण एवं लोक लेखा देयताएँ तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व संकेतक शामिल हैं जो मुख्य राजकोषीय मापदंडों पर 10 वर्षीय राज्यवार आँकड़ें प्रस्तुत करने वाले अनुलग्नकों के एक विस्तृत संग्रह द्वारा समर्थित है।

राज्य वित्त 2023-24 प्रकाशन की तैयारी में, मैं विशेष रूप से सुश्री शोफाली श्रीवास्तव अंदलीब, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय के सरकारी लेखा विंग में महानिदेशक सहित श्री जितेंद्र तिवारी एवं श्री किशोर रेड्डी पोलु सरकारी लेखा विंग के दोनों निदेशकों की सराहना करता हूँ। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय के सरकारी लेखा विंग के अन्य टीम सदस्य में श्री अशोक कुमार शाह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (सेवानिवृत्त)/परामर्शदाता, सुश्री आर रेणुका, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं श्री भवनीत सिंह मिनहास, सहायक प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, श्री प्रवीन्द्र यादव, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) राजस्थान के पर्यवेक्षण में प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), राजस्थान के अधिकारियों ने इस प्रकाशन के आंकड़ों की विस्तृत जांच एवं तैयारी में सहायता प्रदान की।

राज्य वित्त 2023-24 प्रकाशन, इंटरैक्टिव डाटा विजुअलाइजेशन एवं डैशबोर्ड सहित, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस प्रकाशन को और अधिक सुदृढ़ करने एवं नीति निर्माताओं और अन्य हितधारकों की आवश्यकताओं की पूर्ति की दृष्टि से हम सभी हितधारकों से प्रतिक्रिया की अपेक्षा करते हैं।

(जयंत सिन्हा)

उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

(सरकारी लेखा)

तथा अध्यक्ष स.ले.मा.स.बो.

दिनांक: 25 दिसम्बर, 2025

स्थान: नई दिल्ली

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

परिचयात्मक

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी), संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत, राज्य सरकार के लेखे को वार्षिक रूप से तैयार करते हैं, जो एक वित्त वर्ष के दौरान राज्य सरकार के सभी वित्तीय लेन-देन के आधिकारिक, लेखापरीक्षित अभिलेख है। ये लेखे राज्य की प्राप्तियों, व्यय, परिसंपत्तियों, देयताओं और नकद शेष राशि को निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करते हैं। लेखे, राजस्व और पूंजी, कर एवं गैर-कर प्राप्तियों सहित, संघ सरकार से अनुदान, लोक ऋण, ऋण एवं अग्रिम, और विभिन्न क्षेत्र, योजनाओं और कार्यक्रमों पर व्यय को शामिल करते हैं। इन्हें एक मानकीकृत प्रारूप में संरचित किया गया है ताकि सम्पूर्ण राज्यों में एकरूपता और तुलनीयता सुनिश्चित की जा सके।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित राज्य के लेखे, विधान मण्डल के समक्ष रखे जाने के पश्चात, संबंधित राज्यों के साथ-साथ वित्त आयोग, आरबीआई, संघ सरकार, एवं अनुसंधान संस्थानों जैसे हितधारकों के लिए राजकोषीय सूचना के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। इन लेखापरीक्षित आंकड़ों का बजट विश्लेषण, सरकारी बैंकिंग संचालन, राष्ट्रीय आय अनुमान, जीएसटी क्षतिपूर्ति और हस्तांतरण, राज्य विभाजन के पश्चात आवंटन, योजना व्यय एवं अनुदान का प्रमाणीकरण एवं बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं हेतु व्यापक रूप में प्रयोग किए जाते हैं।

राज्य वित्त 2023-24 प्रकाशन का दूसरा संस्करण लेखापरीक्षित लेखे का प्रयोग कर सभी 28 राज्यों की राजकोषीय स्थिति का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करता है। यह वित्त वर्ष 2023-24 हेतु व्यापक स्तर एवं सूक्ष्म राजकोषीय आंकड़ों के साथ वर्ष 2014-15 से 2023-24 हेतु 10 वर्ष की अवधि के रुझान का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

राज्यों की प्राप्तियाँ

राज्य सरकारों की राजकोषीय क्षमता, अर्थात् संसाधनों को बढ़ाने की उनकी क्षमता, राज्यों के स्व-कर राजस्व (एसओटीआर) एवं गैर-कर राजस्व (एसएनटीआर) संसाधनों से प्राप्त लाभ द्वारा नियंत्रित होती है। संवैधानिक संघीय वित्तीय ढाँचे के अंतर्गत, राज्यों की राजस्व प्राप्तियों का एक महत्वपूर्ण अंश संघ सरकार से संघीय करों एवं शुल्कों के साझा करने योग्य पूल से हस्तांतरण के रूप में, केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) हेतु अनुदान, वित्त आयोग अनुदान एवं केंद्रीय सहायता से प्राप्त होता है।

वित्त वर्ष 2023-24 में, 28 राज्यों की कुल राजस्व प्राप्तियाँ ₹37.93 लाख करोड़ थीं, जिनमें से राज्यों के स्व-कर राजस्व (एसओटीआर) की हिस्सेदारी लगभग 50 प्रतिशत थी; संघीय करों एवं शुल्क की 30 प्रतिशत हिस्सेदारी; सहायता अनुदान लगभग 12 प्रतिशत और राज्यों का गैर-कर राजस्व (एसएनटीआर) लगभग 8 प्रतिशत था। 2014-15 और 2023-24 के दशक के दौरान, राज्यों का संयुक्त एसओटीआर औसतन उनकी कुल राजस्व प्राप्तियों का लगभग 47 प्रतिशत था; संघ करों एवं शुल्क का लगभग 28 प्रतिशत; सहायता अनुदान का लगभग 17 प्रतिशत और एसएनटीआर का लगभग 8 प्रतिशत था।

राज्यों का स्व-कर राजस्व

वित्त वर्ष 2023-24 में राज्यों का संयुक्त स्व-कर राजस्व (एसओटीआर) जीएसडीपी का 6.49 प्रतिशत रहा तथा इसकी उत्प्लावकता अनुपात 0.92 दर्ज की गई। राज्यों के राजकोषीय क्षमता की अंतर सह तुलना के दौरान राज्यों के मध्य विविध छवि परिलक्षित हुई, क्योंकि कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की तुलना में एसओटीआर एवं एसएनटीआर का बड़ा आधार है।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, शीर्ष छह राज्य जिनके एसओटीआर राजस्व प्राप्ति का 60 प्रतिशत तक योगदान देने वाले हैं- हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु और गुजरात। दूसरी ओर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्य में उनकी कुल राजस्व प्राप्ति का 20 प्रतिशत से कम एसओटीआर था। जीएसटी लागू होने से पहले तीन साल की अवधि में, वर्ष 2013-14 से 2016-17 की अवधि के दौरान सभी राज्यों के संयुक्त एसओटीआर की औसत वार्षिक वृद्धि 10.47 प्रतिशत थी, जो 2018-19 से 2023-24 की अवधि के दौरान बढ़कर 11.70 प्रतिशत हो गया।

राज्यों का गैर-कर राजस्व

राज्यों के एसओटीआर में विविधता के समान, एसएनटीआर की विविधता राज्यों के गैर-कर राजस्व के बढ़ने की क्षमता का निर्धारण करते हैं। ऐसे राज्य, जो खनिज समृद्ध हैं और रॉयल्टी एवं उससे संबंधित राजस्व प्राप्त करते हैं और जिनमें लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) हैं, दूसरे राज्यों की तुलना में अधिक एसएनटीआर (उदाहरण के लिए, लाभांश, ब्याज, आदि) अर्जित करते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में, सभी राज्यों के एसएनटीआर का हिस्सा उनकी कुल राजस्व प्राप्ति का 8.22 प्रतिशत और संयुक्त जीएसडीपी का 1.08 प्रतिशत था। वर्ष 2014-15 से 2023-24 की 10 वर्षों की अवधि के दौरान, संयुक्त राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में सभी राज्यों का संयुक्त एसएनटीआर की हिस्सेदारी में वित्त वर्ष 2020-21 में न्यूनतम 6.81 प्रतिशत से वित्त वर्ष 2019-20 में उच्चतम 9.90 प्रतिशत के बीच रही। कोविड के बाद, एसएनटीआर से प्राप्ति में वृद्धि का रुझान देखा गया जो वित्त वर्ष 2023-24 में संयुक्त राजस्व प्राप्ति के 8.22 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया।

संघ करों और शुल्कों में हिस्सा

वित्त वर्ष 2023-24 में, संघ करों और शुल्कों का हिस्सा राज्यों के संयुक्त राजस्व प्राप्ति का 29.77 प्रतिशत और उनके संयुक्त जीएसडीपी का 3.90 प्रतिशत था। वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक 10 वर्षों की अवधि के दौरान संघ करों और शुल्कों से राज्यों के हिस्सेदारी के हस्तांतरण में महत्वपूर्ण वृद्धि रही है। कर एवं शुल्क के हस्तांतरण में राज्यों की हिस्सेदारी, कुल संयुक्त राजस्व प्राप्ति के रूप में, वित्त वर्ष 2014-15 में 21.34 प्रतिशत से वित्त वर्ष 2023-24 में 29.77 प्रतिशत तक वृद्धि हुई।

पूंजीगत प्राप्ति

पूंजीगत प्राप्ति के अन्तर्गत, लोक ऋण प्राप्ति राज्यों के कुल पूंजीगत प्राप्ति का एक बड़ा हिस्सा है। वित्त वर्ष 2023-24 में, सभी संयुक्त राज्यों का कुल लोक ऋण प्राप्ति ₹17.87 लाख करोड़ थी, जो कुल पूंजीगत प्राप्ति का 98.72 प्रतिशत थी एवं संयुक्त जीएसडीपी का 6.17 प्रतिशत थी। 2014-15 से 2023-24 के दशक में, लोक ऋण प्राप्ति, कुल ऋण और गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में, 94 से 99 प्रतिशत के बीच रही।

राज्यों का व्यय

संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची, और जहां लागू हो, समवर्ती सूची के अंतर्गत सौंपे गए कार्यों हेतु राज्य उत्तरदायी हैं। इन उत्तरदायित्वों की पूर्ति हेतु शासन एवं सार्वजनिक वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करने की सुपुर्दगी के लिए महत्वपूर्ण बजटीय व्यय की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, राज्य संघ द्वारा डिजाइन की गई केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं को लागू करते हैं, जो संघ और राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित होती है। इन योजनाओं के लिए लागत-साझाकरण प्रारूप राज्य की श्रेणियों के आधार पर भिन्न होते हैं, जैसे कि सामान्य श्रेणी के राज्य और वे राज्य जिनकी विशेष आवश्यकताएं होती हैं, जैसे कि सीमा या पहाड़ी क्षेत्रों वाले राज्यों में। वित्त वर्ष 2023-24 में, सभी राज्यों का संयुक्त कुल बजटीय व्यय ₹46.81 लाख करोड़ था, जो उनके संयुक्त जीएसडीपी का 16.15 प्रतिशत दर्शाता है। वित्त वर्ष 2023-24 में, राजस्व व्यय कुल व्यय का 83.25 प्रतिशत और संयुक्त जीएसडीपी का 13.45 प्रतिशत था। उसी वर्ष के दौरान, संघ और

राज्य द्वारा संयुक्त बजटीय व्यय ₹95.33 लाख करोड़ रुपये था, जो एक साथ मिलकर राष्ट्रीय जीडीपी का 31.30 प्रतिशत था। 2014-15 से 2023-24 तक दशकीय प्रवृत्ति के विश्लेषण से पता चलता है कि राज्यों का बजटीय व्यय कुल संयुक्त जीएसडीपी के 16.15 प्रतिशत से 17.49 प्रतिशत के बीच रहा है। वर्ष 2014-15 से 2023-24 के 10 वर्ष की अवधि के दौरान राज्यों द्वारा किया गया राजस्व व्यय कुल व्यय का 80-87 प्रतिशत था एवं संयुक्त जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में, यह लगभग 13-15 प्रतिशत था।

क्षेत्रवार व्यय

वित्त वर्ष 2023-24 में, ₹46.81 लाख करोड़ के कुल व्यय में से सामान्य क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र और आर्थिक क्षेत्र पर क्षेत्रीय व्यय क्रमशः 29.83 प्रतिशत, 37.86 प्रतिशत और 29.81 प्रतिशत रहा। क्षेत्रवार व्यय की संरचना से स्पष्ट होता है कि पूंजीगत परिव्यय, सामान्य क्षेत्र में कुल खर्च का 5.44 प्रतिशत, सामाजिक क्षेत्र में 31.54 प्रतिशत और आर्थिक क्षेत्र में 62.62 प्रतिशत रहा। यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि आर्थिक क्षेत्र- जिसमें अवसंरचना, उद्योग और व्यापार जैसे क्षेत्र शामिल हैं- पूंजी निवेश का बड़ा हिस्सा लगाया गया, जबकि सामान्य क्षेत्र, जिसमें प्रशासनिक और राजकोषीय कार्य शामिल हैं, मुख्यतः राजस्व-उन्मुख प्रकृति का है। वर्ष 2014-15 से 2023-24 की 10 वर्षीय अवधि में सभी राज्यों का सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों पर व्यय 66.21 प्रतिशत से 70.52 प्रतिशत तक की सीमा के अंदर रहा।

पूंजीगत व्यय

वित्त वर्ष 2023-24 में, सभी राज्यों का पूंजीगत व्यय ₹7.84 लाख करोड़ रहा, जो कुल व्यय का 16.75 प्रतिशत था, शेष 83.25 प्रतिशत राजस्व व्यय था। 10 वर्षीय अवधि के दौरान, वित्त वर्ष 2015-16 और 2016-17 में पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गयी। इन दो वित्त वर्षों में पूंजीगत व्यय में वृद्धि मुख्य रूप से राज्यों द्वारा विद्युत क्षेत्र के राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की इक्विटी में निवेश और बिजली उपयोगिताओं के लिये ऋण प्रदान करना था, जो 14 राज्य सरकारों द्वारा उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (यूडीएवाई) के अंतर्गत राज्य स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कंपनियों के 75 प्रतिशत ऋण के अधिग्रहण के पश्चात परिलक्षित हुई।

2014-15 से 2023-24 की 10 वर्षीय अवधि के दौरान, राज्यों का पूंजीगत व्यय कुल बजटीय व्यय का औसतन 13 से 20 प्रतिशत के बीच रहा जो कि वित्त वर्ष 2016-17 में सबसे अधिक 19.68 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2020-21 सबसे कम 13.27 प्रतिशत रहा।

प्रतिबद्ध व्यय, सब्सिडी एवं सहायता अनुदान वेतन

वित्त वर्ष 2023-24 में, राजस्व व्यय कुल व्यय का 83.25 प्रतिशत और संयुक्त राज्य घरेलु उत्पाद (जीएसडीपी) का 13.45 प्रतिशत था। राजस्व व्यय का एक बड़ा हिस्सा प्रतिबद्ध व्यय है। वेतन, पेंशन तथा लोक ऋण और दायित्वों पर ब्याज भुगतान को 'प्रतिबद्ध व्यय' माना जाता है। वित्त वर्ष 2023-24 में राज्यों का प्रतिबद्ध व्यय की सीमा, कुल राजस्व व्यय का सबसे अधिक 73 प्रतिशत नागालैंड में, से लेकर सबसे कम 31 प्रतिशत महाराष्ट्र में, तक रही। वित्त वर्ष 2023-24 में, प्रतिबद्ध व्यय राजस्व व्यय का 43.28 प्रतिशत था, जबकि सब्सिडी 8.48 प्रतिशत थी। दोनों मिलकर, यह राशि लगभग ₹20.17 लाख करोड़ थी, जो कुल राजस्व व्यय ₹38.97 लाख करोड़ की लगभग 51.76 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त, राज्यों ने स्वायत्त निकायों और अन्य अनुदानग्राहियों को कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु अनुदान और सहायता प्रदान की, जिन्हें सहायता अनुदान वेतन के रूप में वर्गीकृत किया गया, जिसकी प्रकृति प्रतिबद्ध व्यय के समान है। इसके परिणामस्वरूप, सहायता अनुदान वेतन से भुगतान करने वाले कई राज्यों में, वेतन संबंधी प्रतिबद्धताओं में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। इस शीर्ष के अंतर्गत व्यय लगभग ₹3.17 लाख करोड़ जो राजस्व व्यय का 8.14 प्रतिशत रहा।

परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 2023-24 में प्रतिबद्ध व्यय, सब्सिडी और सहायता अनुदान वेतन पर कुल व्यय ₹ 23.34 लाख करोड़ पहुँच गया, जो सभी राज्यों के संयुक्त राजस्व व्यय का 59.90 प्रतिशत रहा।

सब्सिडी

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, ₹3.30 लाख करोड़ की सब्सिडी पर व्यय कई राज्यों में राजस्व व्यय का एक अन्य प्रमुख घटक रहा। सब्सिडी भुगतान के प्रमुख लाभार्थी ऊर्जा उपयोगिताएँ तथा कृषि से संबंधित गतिविधियाँ हैं। ऊर्जा तथा कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को मिलाकर, राज्यों द्वारा वितरित सब्सिडी कुल सब्सिडी का लगभग 73 प्रतिशत थी। वित्त वर्ष 2023-24 में ऊर्जा क्षेत्र को दी गई सब्सिडी राज्यों में सबसे बड़ी एकल घटक थी, जो कुल ₹1.45 लाख करोड़ थी। 2014-15 से 2023-24 तक 10 वर्षों की प्रवृत्ति दर्शाती है कि अधिकांश वर्षों में सब्सिडी पर किए गए व्यय का हिस्सा, सभी राज्यों के संयुक्त कुल राजस्व व्यय का लगभग 8 प्रतिशत रहा।

सहायता अनुदान

वर्ष 2014-15 से 2023-24 की 10 वर्षीय अवधि के दौरान, सहायता अनुदान, राजस्व व्यय का 30 से 32 प्रतिशत रहा। जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में, कुल सहायता अनुदान (वेतन, सामान्य एवं पूंजीगत) वित्त वर्ष 2023-24 में सभी राज्यों के संयुक्त जीएसडीपी का 4.22 प्रतिशत थी, जबकि वित्त वर्ष 2014-15 में यह 4.32 प्रतिशत था। 10 वर्ष की अवधि के दौरान, कुल सहायता अनुदान का हिस्सा जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में प्रत्येक वित्त वर्ष में निरंतर 4 प्रतिशत से अधिक रहा।

कार्यात्मक श्रेणी के अनुसार व्यय

यदि कुल व्यय (राजस्व एवं पूंजीगत) की प्रकृति का कार्यात्मक वर्गीकरण के आधार पर विश्लेषण किया जाए, तो यह देखने में आया है कि वित्त वर्ष 2023-24 में नौ प्रमुख कार्यों— शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति; स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण; कृषि एवं संबंध गतिविधियाँ; ऊर्जा; आवास एवं शहरी विकास; परिवहन; ग्रामीण विकास; पुलिस; तथा सामाजिक कल्याण एवं पोषण द्वारा कुल व्यय का 58 प्रतिशत हिस्सा वहन किया गया। इन कार्यों में कुल राजस्व व्यय का 58 प्रतिशत तथा पूंजीगत व्यय का 59 प्रतिशत सम्मिलित रहा। इसके अतिरिक्त, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण तथा जल आपूर्ति एवं स्वच्छता पर पूंजीगत व्यय क्रमशः 17 प्रतिशत और 11 प्रतिशत था और इन ग्यारह कार्यों में कुल पूंजीगत व्यय का 87 प्रतिशत हिस्सा वहन किया।

आर्थिक श्रेणियों के अनुसार व्यय

व्यय की एक अधिक विस्तृत तस्वीर विनियोग की प्राथमिक इकाई, अर्थात् उद्देश्य शीर्ष स्तर पर देखने को मिलती है। वित्त वर्ष 2023-24 में, आठ उद्देश्य शीर्षों के तहत व्यय कुल मिलाकर ₹36.93 लाख करोड़ रहा, जिनमें तीन प्रकार के सहायता अनुदान (सामान्य, वेतन और पूंजी सृजन), वेतन, पेंशन लाभ, ब्याज, सब्सिडी और मुख्य कार्य सम्मिलित हैं। यह राशि कुल व्यय का 78.90 प्रतिशत और जीएसडीपी का 12.74 प्रतिशत थी।

दिसंबर 2022 में, संघ सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 से प्रभावी संशोधित उद्देश्य शीर्ष की सूची अधिसूचित की। राज्यों में अपनाया जा रहा उद्देश्य शीर्ष वर्गीकरण संघ सरकार के वर्गीकरण से भिन्न है। राज्य वित्त 2023-24 प्रकाशन में, उद्देश्य शीर्ष के अंतर्गत व्यय को संघ सरकार द्वारा अधिसूचित नये उद्देश्य वर्गों के आधार पर व्यापक रूप से संरेखित किया गया है। इसके अतिरिक्त, संघ और राज्यों के स्तर पर उद्देश्य शीर्ष स्तर के वर्गीकरण में सामंजस्य स्थापित करने के लिए, संविधान के अनुच्छेद 150 के अंतर्गत प्रदत्त दायित्व के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने संघ सरकार और राज्य सरकारों द्वारा संशोधित सामान्य उद्देश्य शीर्ष की सूची को अपनाने की सलाह दी है, जिसे वित्त वर्ष 2027-28 से लागू किया जाना है। यह न केवल राष्ट्रीय सार्वजनिक व्यय संरचना में महत्वपूर्ण सुधार लाएगा बल्कि व्यय के उद्देश्य या उद्देश्य के

विघटित स्तर पर पूरे देश में सार्वजनिक धन के व्यय की प्रक्रिया पर तुलनात्मक चित्र प्रस्तुत करने में बड़ी सहायता करेगा।

उद्देश्य शीर्ष स्तर पर व्यय को राज्य वित्त 2023-24 प्रकाशन में अंतर-राज्य तुलनात्मक प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है। यह देखने में आया है कि वित्त वर्ष 2023-24 में राज्यों के बीच व्यय के स्वरूप में व्यापक भिन्नता थी। 13 राज्यों में वेतन मद पर व्यय कुल बजटीय व्यय का 20 प्रतिशत से अधिक रहा, जबकि चार राज्यों में यह 10 प्रतिशत से भी कम रहा। पेंशन दायित्व पर व्यय महत्वपूर्ण रहे, सात राज्यों ने कुल व्यय का 15 प्रतिशत या उससे अधिक पेंशन पर खर्च किया, जबकि अन्य 10 राज्यों में यह 10-15 प्रतिशत के बीच रहा। सब्सिडी पर व्यय कुछ ही राज्यों में केंद्रित रहा- पाँच राज्यों ने 10 प्रतिशत से अधिक (जिसमें पंजाब में सबसे अधिक था) व्यय किया, जबकि नौ राज्यों ने 2 प्रतिशत से भी कम व्यय किया। सहायता अनुदान (सामान्य एवं वेतन) व्यय का एक बड़ा हिस्सा रहा, जो छह राज्यों में कुल व्यय का 31-40 प्रतिशत और अन्य आठ राज्यों में 20-30 प्रतिशत के बीच रहा।

अर्थोपाय अग्रिम

राज्य सरकारें अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) प्राप्त कर सकती हैं, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी जाने वाली अस्थायी अग्रिम राशि होती है, ताकि प्राप्तियों और भुगतानों के बीच अल्पकालिक असंतुलन का प्रबंधन किया जा सके। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, 16 राज्यों ने ₹5.66 लाख करोड़ (ओवरड्राफ्ट सहित) के अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) का उपयोग किया। इनमें से तीन राज्य- राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने कुल अर्थोपाय अग्रिम (ओवरड्राफ्ट सहित) का 62 प्रतिशत उपयोग किया। अर्थोपाय अग्रिम/ ओवरड्राफ्ट के उपयोग की अवधि तेलंगाना में 349 दिन, आंध्र प्रदेश में 335 दिन, राजस्थान में 329 दिन और पंजाब में 323 दिन रही, जो पूरे वर्ष लगभग निरंतर निर्भरता को दर्शाती है। वित्त वर्ष 2023-24 में 12 राज्यों ने किसी भी अर्थोपाय अग्रिम का उपयोग नहीं किया।

राजस्व और राजकोषीय घाटा

बजट संतुलन संकेतक राज्यों की राजकोषीय स्थिति के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में 16 राज्यों में राजस्व अधिशेष था, जबकि 12 राज्य राजस्व घाटे में थे। पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित जीएसडीपी के 3 प्रतिशत के संकेतक मानक के विरुद्ध, वित्त वर्ष 2023-24 में 18 राज्यों का राजकोषीय घाटा 3 प्रतिशत की सीमा से अधिक रहा। राज्यों के घाटे के मानकों का दशकीय विश्लेषण (2014-15 से 2023-24) दर्शाता है कि राज्यों का समग्र रूप से राजस्व और राजकोषीय घाटा बना रहा। कोविड-19 महामारी से प्रभावित वित्त वर्ष 2020-21 में राजस्व घाटे में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। वित्त वर्ष 2020-21, वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटे में भी उल्लेखनीय वृद्धि रही। वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में 2023-24 में जिन राज्यों में राजकोषीय घाटे में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, वे छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश थे।

लोक ऋण और कुल देयताएँ

31 मार्च 2024 तक, कुल बकाया लोक ऋण ₹67.87 लाख करोड़ था, जो कुल राजस्व प्राप्तियों का लगभग 179 प्रतिशत था और कुल गैर-ऋण प्राप्तियों का लगभग 178 प्रतिशत था। लोक ऋण में ₹61.09 लाख करोड़ का आंतरिक ऋण तथा संघ सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम के रूप में ₹6.78 लाख करोड़ शामिल थे। वित्त वर्ष 2023-24 में, सभी राज्यों के संयुक्त लोक ऋण, संयुक्त जीएसडीपी का 23.42 प्रतिशत और कुल देयताएँ, लोक लेखे समेत, 28.28 प्रतिशत था। वित्त वर्ष 2023-24 में, 31 मार्च 2024 तक, आठ राज्यों में लोक ऋण देयता उनकी जीएसडीपी के 30 प्रतिशत से अधिक थी; छह राज्यों की लोक ऋण देयता उनके जीएसडीपी के 20 प्रतिशत से कम थी और शेष 14 राज्यों की लोक ऋण देयता उनकी संबंधित जीएसडीपी के 20 से 30 प्रतिशत के बीच थी। जीएसडीपी के 33.1 प्रतिशत की संकेतात्मक ऋण सीमा लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जो पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा, वित्त वर्ष 2023-24 तक राज्यों के राजकोषीय समेकन पथ हेतु निर्धारित है, 13 राज्यों की देयता इस सीमा से अधिक थी। 31 मार्च 2024 तक, राज्यों की कुल देयताएँ भिन्न थी, जो ओडिशा के मामले

में सबसे कम उसके जीएसडीपी के 16.66 प्रतिशत से लेकर अरुणाचल प्रदेश के मामले में अधिकतम 50.85 प्रतिशत तक थीं।

प्रतिभूतियाँ

2014-15 से 2023-24 की अवधि के दौरान, बकाया प्रतिभूति 31 मार्च 2015 के ₹4.2 लाख करोड़ (वित्त वर्ष 2014-15 में जीएसडीपी का 3.66 प्रतिशत) से बढ़कर 31 मार्च 2024 को ₹11.5 लाख करोड़ (वित्त वर्ष 2023-24 में जीएसडीपी का 3.96 प्रतिशत) हो गई। बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल और पंजाब—इन पाँच राज्यों को छोड़कर अधिकांश राज्यों में गारंटी मोचन निधि की स्थापना की गई है।

निष्कर्ष

संक्षिप्त में, वित्त वर्ष 2023-24 में राज्यों की राजकोषीय स्थिति एक मिश्रित चित्र प्रस्तुत करती है। राज्यों का स्व-कर राजस्व (एसओटीआर) राजस्व प्राप्ति का सबसे बड़ा घटक रहा, जो उल्लेखनीय रूप से काफी बढ़ा और इसकी हिस्सेदारी लगभग 47 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 50 प्रतिशत हो गई, यद्यपि वित्त वर्ष 2023-24 में इसकी उत्प्लावकता कमजोर रही। संघ करों में राज्यों की हिस्सेदारी में स्पष्ट रूप से वृद्धि हुई, जो चौदहवें और पंद्रहवें वित्त आयोगों के अंतर्गत अधिक कर हस्तांतरण को दर्शाती है, जबकि सहायता अनुदान और केंद्रीय सहायता पर निर्भरता में कमी आई। गैर-कर राजस्व परिमाण के रूप में बढ़ा, किंतु कुल प्राप्ति में इसका योगदान सीमित ही रहा। पूंजीगत राजस्व के संदर्भ में, लोक ऋण प्राप्ति इस अवधि के दौरान तीव्रता से बढ़ी और वित्त वर्ष 2023-24 में राज्यों की लगभग समस्त पूंजीगत प्राप्ति लोक ऋण से प्राप्त हुई।

2014-15 से 2023-24 के बीच, राज्यों का समग्र व्यय 146 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि दर्शाता है, जो मोटे तौर पर आर्थिक वृद्धि के अनुरूप रहा। राजस्व व्यय बजट में प्रमुख बना रहा और औसतन कुल व्यय का 83 प्रतिशत से अधिक रहा, जबकि पूंजीगत व्यय परिमाण में बढ़ा, परंतु इसका हिस्सा तुलनात्मक रूप से छोटा रहा। सामाजिक और आर्थिक सेवाओं ने मिलकर कुल व्यय का लगभग दो-तिहाई हिस्से का व्यय किया, जो कल्याण और विकास पर राज्यों के एकाग्रता/प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रतिबद्ध व्यय और सब्सिडी ने निरंतर राजस्व व्यय का आधे से अधिक व्यय किया और वित्त वर्ष 2023-24 में यह 51.76 प्रतिशत तक पहुँच गया, जिसमें सब्सिडी में विशेष रूप से तीव्र वृद्धि हुई। सहायता अनुदान में भी उल्लेखनीय विस्तार हुआ और राजस्व व्यय के लगभग एक-तिहाई अंश का व्यय हुआ। विभाजित स्तर पर, राज्यों का व्यय आठ प्रमुख उद्देश्य श्रेणियों—जिनमें सहायता अनुदान, वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान, सब्सिडी और प्रमुख कार्य शामिल रहें, जो कुल व्यय का लगभग 79 प्रतिशत और संयुक्त जीएसडीपी का लगभग 12.7 प्रतिशत था। यह राज्य बजट में प्रतिबद्ध और अनिवार्य व्ययों के निरंतर प्रभुत्व को दर्शाता है।

2014-15 से 2023-24 की अवधि में, कुल व्यय में पर्याप्त वृद्धि के बावजूद, व्यय संरचना मुख्यतः अपरिवर्तित रही; वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान, सब्सिडी और अनुदान मिलकर व्यय के एक बड़े हिस्से की भागीदारी रही, जो राजकोषीय दृढ़ता को दर्शाता है।

31 मार्च 2024 को राज्यों की कुल देनदारियाँ भिन्न थी, जो ओडिशा के मामले में जीएसडीपी के 16.66 प्रतिशत से लेकर अरुणाचल प्रदेश के मामले में 50.85 प्रतिशत तक रहीं। 2014-15 से 2023-24 के दौरान, सभी राज्यों की संयुक्त कुल देनदारियाँ ₹26.78 लाख करोड़ से बढ़कर ₹81.94 लाख करोड़ हो गईं; जो जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में 10 वर्षों में 23.06 प्रतिशत से बढ़कर 28.28 प्रतिशत हो गई। घाटा संकेतकों के संदर्भ में, वित्त वर्ष 2023-24 में सभी राज्य अपनी जीएसडीपी के 0.80 प्रतिशत से 5.92 प्रतिशत के बीच राजकोषीय घाटे में थे। दूसरी ओर, 16 राज्यों में राजस्व अधिशेष था, जबकि 12 राज्य राजस्व घाटे में थे।

अध्याय 1

परिचयात्मक

परिचयात्मक

- 1.1** भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) महोदय द्वारा प्रकाशित राज्य वित्त 2023-24 से संबंधित यह प्रकाशन राज्यों से जुड़े महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक राजकोषीय मानकों पर दीर्घ स्तर के साथ-साथ विभिन्न समुच्चयों से संबंधित सूक्ष्म स्तर की जानकारी, आंकड़े, विश्लेषण और प्रवृत्तियाँ प्रस्तुत करता है। इसमें वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राज्यों की राजकोषीय स्थिति तथा उससे संबंधित मानकों का विश्लेषण और अंतर्दृष्टि प्रस्तुत की गई है, साथ ही वित्त वर्ष 2014-15 से 2023-24 की 10-वर्षीय अवधि का प्रवृत्ति विश्लेषण भी शामिल है। आंकड़ों की समग्रता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, इस प्रकाशन में राज्यों के लेखा-परीक्षित लेखों के आधार पर देश के सभी 28 राज्यों को सम्मिलित किया गया है।
- 1.2** राज्यों के लेखे, जिन्हें संबंधित विधानमंडलों में प्रस्तुत किया जाता है, न केवल विधायी अनुपालन एवं समीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, बल्कि वित्त आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, संघ सरकार तथा शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों जैसे विभिन्न हितधारकों के लिए आधारभूत एवं प्रमुख राजकोषीय सूचना भी उपलब्ध कराते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक इन लेखा संबंधी सूचनाओं का उपयोग बजटों के वार्षिक विश्लेषण के लिए तथा राज्यों के साथ सरकारी बैंकिंग से संबंधित विषयों-जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक जमा से जुड़े प्रकरण भी सम्मिलित हैं, के निपटान हेतु करता है। राज्य सरकारें एवं संघ सरकार लेखा-परीक्षित लेखांकन आंकड़ों का उपयोग राष्ट्रीय आय के अनुमानों की तैयारी, राज्यों के विभाजन पर आवंटन के मुद्दे से निपटने, वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित क्षतिपूर्ति तथा/अथवा हस्तांतरण के प्रमाणीकरण, राज्य वित्त संबंधी सूचनाओं आदि के लिए करती हैं, साथ ही योजनाओं के अंतर्गत किए गए व्यय एवं अनुदानों से संबंधित प्रमाण-पत्रों से जुड़े मामलों में भी इन आंकड़ों का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त, लेखा-परीक्षित लेखांकन आंकड़े बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अंतर्गत राज्यों द्वारा किए गए व्यय के प्रमाणीकरण के लिए भी प्रयुक्त होते हैं।
- 1.3** यह भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक महोदय द्वारा प्रकाशित “राज्य वित्त” पर आधारित प्रकाशन का द्वितीय संस्करण है, जिसमें सभी राज्यों के राज्य वित्त से संबंधित एक समेकित अवलोकन को एक ही स्थान पर प्रस्तुत किया गया है। इसमें समष्टि-राजकोषीय सूचना-जिसमें क्षेत्रवार, कार्यात्मक तथा कार्यक्रमवार विवरण शामिल हैं, के साथ-साथ विसमूहित/सूक्ष्म स्तर की सूचना (जैसे आर्थिक श्रेणियाँ, योजनाएँ) भी प्रस्तुत की गई है।
- 1.4** इस प्रकाशन में प्रस्तुत विश्लेषण एवं राजकोषीय रुझान नीति-निर्माताओं, लोक वित्त प्रबंधकों, बजट निर्माण से जुड़े अधिकारियों, तथा राज्य वित्त में रुचि रखने वाले शोधकर्ताओं एवं अकादमिक जगत के लिए उपयोगी सिद्ध होंगी। इसके अतिरिक्त, सरकारी अधिकारियों, सिविल सेवकों तथा सेवारत कार्मिकों के लिए क्षमता संवर्धन एवं प्रशिक्षण का कार्य करने वाले संस्थान भी राज्य वित्त की बहुस्तरीय संरचना को समझने एवं उसका विश्लेषण करने के उद्देश्य से इस प्रकाशन को उपयोगी पाएँगे।
- 1.5** इस प्रकाशन में प्रयुक्त आंकड़े मुख्यतः राज्यों के वित्त लेखों से प्राप्त किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ सूचनाएँ भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक महोदय द्वारा प्रकाशित राज्य वित्तीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदनो (एसएफएआर) से भी ली गई हैं।
- 1.6** यद्यपि इस प्रकाशन में प्रयुक्त आंकड़े वित्त लेखों तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की राज्य वित्तीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदनो से संकलित किए गए हैं, तथापि कुछ मामलों में प्रस्तुत आंकड़े राज्य सरकारों अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से भिन्न हो सकते हैं। इसके कारण निम्नलिखित हैं:
- क) राज्य सरकारों तथा राज्य महालेखाकार कार्यालयों को व्यय, प्राप्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम आदि से संबंधित लेखों का लेखा-मिलान करना आवश्यक होता है। कुछ स्थितियों में शत-प्रतिशत लेखा-मिलान नहीं हो पाता, जिसके परिणामस्वरूप आंकड़ों में असंगति अथवा अंतर उत्पन्न हो सकता है।

- ख) भारतीय रिज़र्व बैंक तथा राज्य महालेखाकार कार्यालयों के लेखाओं में दर्ज आंकड़ों में अंतर पाया जाता है। ये अंतर महालेखाकार कार्यालयों के लेखों में “भारतीय रिज़र्व बैंक जमा उचंत” के रूप में लंबित रहते हैं, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय रिज़र्व बैंक एवं “राज्य महालेखाकार कार्यालयों” के आंकड़ों में भिन्नता उत्पन्न हो जाती है।
- ग) सही वर्गीकरण एवं/अथवा लेखा अभिलेखों के अभाव में, कुछ व्यय अथवा प्राप्तियाँ उचंत मदों के अंतर्गत दर्ज कर दी जाती हैं, जो वित्त लेखों में वास्तविक व्यय या प्राप्ति के रूप में परिलक्षित नहीं होतीं; जबकि राज्य स्तर पर नियंत्रक अधिकारी इन्हें व्यय/प्राप्ति के रूप में स्वीकार कर चुके होते हैं।
- घ) ऐसे कई उदाहरण हैं, जब राज्य सरकारें कुछ व्ययों को पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत कर देती हैं, जबकि वे वस्तुतः राजस्व व्यय होते हैं। इसके विपरीत भी हो सकता है। इस प्रकार के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण से कुछ राजकोषीय समुच्चयों की गणना प्रभावित होती है।
- ड) आर्थिक श्रेणियों के संदर्भ में व्यय के वर्गीकरण को लेकर वर्तमान में राज्यों द्वारा उद्देश्य शीर्ष स्तर पर एकरूप पद्धति का अनुसरण नहीं किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर, वेतन एवं भत्तों से संबंधित व्यय की प्रविष्टि में राज्यों द्वारा विभिन्न पद्धतियाँ अपनाई जा रही हैं। इसी प्रकार, सहायता अनुदान तथा पेंशन से संबंधित व्यय जैसे कुछ प्रमुख उद्देश्य शीर्षों को प्रदर्शित करने के संबंध में भी राज्यों में विभिन्न प्रथाएँ प्रचलित हैं। संविधान के अनुच्छेद 150 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्रदत्त परामर्श के अनुसार, दिनांक 11.11.2025 को जारी कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से, सभी राज्यों द्वारा एकसमान उद्देश्य शीर्षों को अपनाए जाने के पश्चात वित्त वर्ष 2027-28 से इस मुद्दे का प्रभावी रूप से समाधान हो जाएगा।
- 1.7** आंकड़ों में अंतर, त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण तथा राज्यों में प्रचलित प्रथाओं में भिन्नता से संबंधित तथ्यों को राज्य सरकार के लेखों के माध्यम से तथा संबंधित राज्य की राज्य वित्तीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदनो के माध्यम से भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा समुचित रूप से उजागर एवं अभिलिखित किया जा रहा है।
- 1.8** राज्य वित्त 2023-24 पर आधारित इस प्रकाशन में दर्शाए गए आंकड़े संबंधित राज्यों के वित्त लेखों से लिए गए हैं। तथापि, मणिपुर के संदर्भ में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए तथा पश्चिम बंगाल के मामले में वित्त वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के लिए प्राप्तियों, व्यय, दायित्वों आदि से संबंधित आंकड़े राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत वार्षिक वित्तीय विवरण एवं बजट अभिलेखों से लिए गए हैं, क्योंकि इन राज्यों के संबंधित वित्त लेख अभी तक राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए जा सके हैं।
- 1.9** राज्य वित्त 2023-24 प्रकाशन का उद्देश्य सभी राज्यों के संदर्भ में विभिन्न अवधियों में तुलनीय रूप से प्रासंगिक एवं उपयोगी राजकोषीय जानकारी हितधारकों को उपलब्ध कराना है। हितधारकों से प्राप्त प्रतिक्रियाएँ हमें, यथावर्णित, अन्य ऐसे मानदंडों पर सूचना को सुदृढ़ करने एवं उपलब्ध कराने में सक्षम बनाएंगी।
- 1.10** पूर्व संस्करण में उपलब्ध कराई गई सूचना/आंकड़ों के अतिरिक्त, इस संस्करण में राज्यों के स्व-कर राजस्व, सब्सिडी, व्यक्तिगत जमा खाते, अमूर्त आकस्मिक देयताएं तथा अर्थोपाय अग्रिम के संदर्भ में विस्तृत विश्लेषण एवं रुझान प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ ही, पाठकों की सुविधा के लिए एक शब्दावली भी इस संस्करण में जोड़ी गई है।

अध्याय 2

राज्यों की प्राप्ति

राज्यों की प्राप्ति

राज्यों की प्राप्ति के स्रोत

- 2.1** राज्यों की वित्तीय स्थिति तथा उनकी राजकोषीय क्षमता¹ और राजकोषीय अवसर² को समग्र संघीय सार्वजनिक वित्त की संवैधानिक व्यवस्था के संदर्भ में सबसे अच्छी तरह समझा जा सकता है। अनेक राज्य संसाधनों के लिए संघ सरकार पर अत्यधिक निर्भर हैं, ये संसाधन उन्हें जो करों के हस्तांतरण और अनुदानों के रूप में, साथ ही ऋण एवं अग्रिमों के रूप में, जिसमें बैंक-टू-बैंक बाह्य ऋण भी शामिल हैं, प्राप्त होते हैं। संघ करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के लिए अनुदान, साथ ही वित्त आयोग के अनुदान और अन्य केन्द्रीय सहायता³ सभी राज्यों की प्राप्ति का एक प्रमुख स्रोत हैं। संघ करों एवं शुल्कों में राज्यों के हिस्से की मात्रा वित्त आयोगों के ऊर्ध्वाधर (संघ और राज्यों के बीच) तथा क्षैतिज (राज्यों के बीच आपसी) हस्तांतरण के लिए निर्धारित सूत्र पर निर्भर करती है।
- 2.2** संघ सरकार से प्राप्त कर-हस्तांतरण एवं अनुदानों के अतिरिक्त, राज्य अपने स्वयं के संसाधन भी अर्जित करते हैं, जिन्हें राज्यों का स्व-कर राजस्व तथा राज्यों का गैर-कर राजस्व कहा जाता है। इसके अतिरिक्त, पूँजीगत प्राप्ति भी होती है, जिनमें पूँजी की वापसी, इक्विटी/शेयरों की विनिवेश से प्राप्त राशि, विमुद्रीकरण से प्राप्त आय, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली से प्राप्त पूँजीगत प्राप्ति, तथा राज्यों/संघ सरकारों द्वारा दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों से संबंधित ऋण-प्राप्ति शामिल हैं। अनुलग्नक 1.1 तथा 1.2 में क्रमशः राज्यों के कुल राजस्व प्राप्ति तथा गैर-ऋणात्मक पूँजीगत प्राप्ति का राज्य-वार 10 वर्षों का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 2.1: राज्यों की प्राप्ति – 2023-24 (आंकड़े ₹ करोड़ में)

घटक	राशि	राजस्व प्राप्ति का प्रतिशत	जीएसडीपी का प्रतिशत
राजस्व प्राप्ति			
राज्यों का स्व-कर राजस्व	18,79,708	49.55	6.49
गैर-कर राजस्व-ब्याज, लाभांश एवं लाभ	34,663	0.91	0.12
गैर-कर राजस्व- अन्य	2,77,045	7.30	0.96
संघीय करों में हिस्सा	11,29,397	29.77	3.90
सहायता अनुदान - सीएसएस	2,63,145	6.94	0.91
सहायता अनुदान - अन्य	2,09,321	5.52	0.72
कुल राजस्व प्राप्ति	37,93,278	100.00	13.09

¹ राज्यों के स्व-कर (एसओटीआर) एवं गैर-कर (एसएनटीआर) स्रोतों और आधारों से वास्तविक रूप से राजस्व जुटाने की क्षमता (आरबीआई के राज्य वित्त: 2023-24 के बजटों का एक अध्ययन, पृष्ठ 1)। यह या तो वर्तमान कर दरों और आधारों को लेकर किया जा सकता है मगर रिसाव को रोकने के लिए कर सुधार लाते हुए, कुशल संग्रह करके तथा दरों और आधारों (कर उत्पादकता) में विवेकाधीन परिवर्तनों द्वारा कर अनुपालन सुनिश्चित करते हुए और/या आर्थिक गतिविधि/जीएसडीपी (कर की दर में बदलाव) में परिवर्तनों के लिए कर राजस्व की स्वचालित प्रतिक्रिया से लाभान्वित होकर किया जा सकता है।

² राजकोषीय अवसर सरकार का बजटीय व्यय है जो उसे अपनी वित्तीय स्थिति या अर्थव्यवस्था की स्थिरता को खतरे में डाले बिना, वांछित उद्देश्य के लिए संसाधन उपलब्ध कराने की अनुमति देता है। सरकार कर बढ़ाकर, बाहरी अनुदान प्राप्त करके, कम प्राथमिकता वाले व्यय में कटौती करके, संसाधन उधार लेकर राजकोषीय अवसर बना सकती है। लेकिन उसे यह सब व्यापक आर्थिक स्थिरता और राजकोषीय स्थिरता से समझौता किए बिना करना होगा (पीटर हेलर: राजकोषीय अवसर, यह क्या है और इसे कैसे प्राप्त करें, वित्त और विकास, आईएमएफ, जून 2005, खंड 42, अंक 2)।

³ केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) के अंतर्गत सड़क एवं अवसंरचना के लिए स्थानान्तरण, राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ), राज्य आपदा शमन निधि (एसडीएमएफ) आदि के अंतर्गत आपदा एवं विपत्ति संबंधी शमन एवं राहत।

घटक	राशि	पूँजीगत प्राप्तियों का प्रतिशत	जीएसडीपी का प्रतिशत
पूँजीगत प्राप्तियाँ			
पूँजी की निवृत्ति/अंश-पूँजी विनिवेश, बोनस शेयर का मूल्य, मुद्रीकरण से प्राप्त आय	235	0.01	0.00
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	22,975	1.27	0.08
लोक ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ *	17,87,237	98.72	6.17
कुल पूँजीगत प्राप्तियाँ	18,10,447	100.00	6.25
कुल प्राप्तियाँ	56,03,725		19.34
जीएसडीपी**	2,89,77,861		

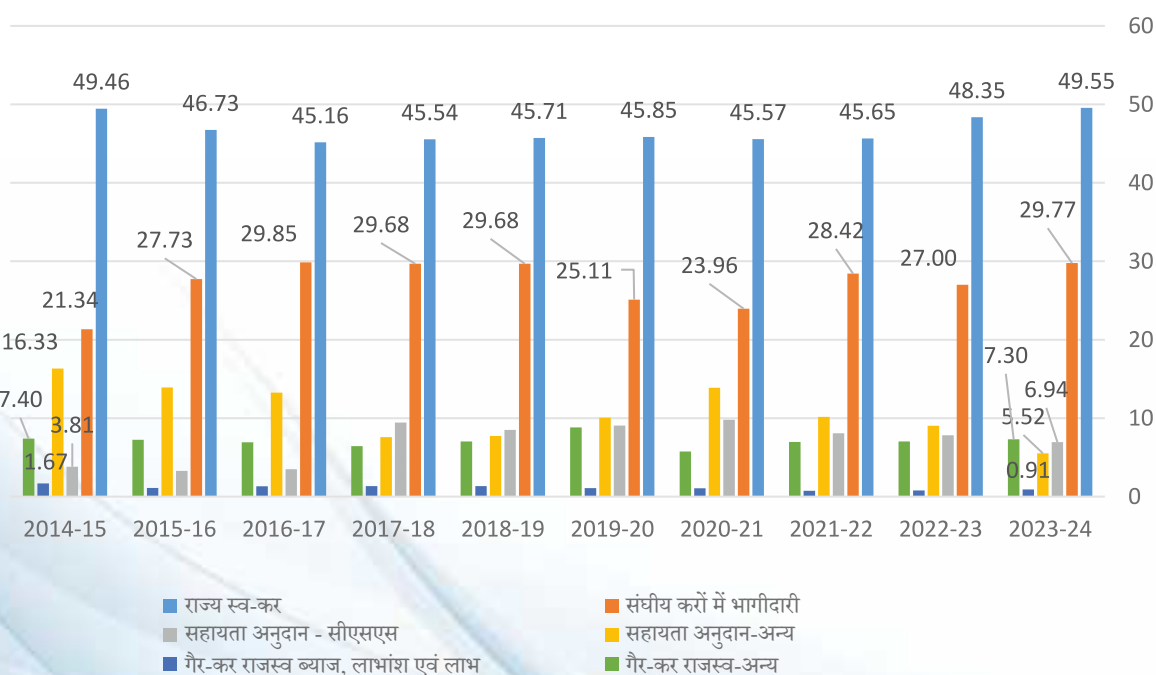
* लोक ऋण पूँजीगत प्राप्तियों के आंकड़ों में 2023-24 के दौरान अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) के कारण प्राप्तियाँ शामिल हैं।

** स्रोत: संबंधित राज्य सरकारों के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय (01 अगस्त 2025 तक के आंकड़े)।

2.3 वित्त वर्ष 2023-24 में कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्यों के स्व-कर राजस्व की हिस्सेदारी लगभग 50 प्रतिशत रही; संघ करों में राज्यों की हिस्सेदारी लगभग 30 प्रतिशत, सहायता अनुदान लगभग 12 प्रतिशत तथा गैर-कर राजस्व लगभग 8 प्रतिशत रहा।

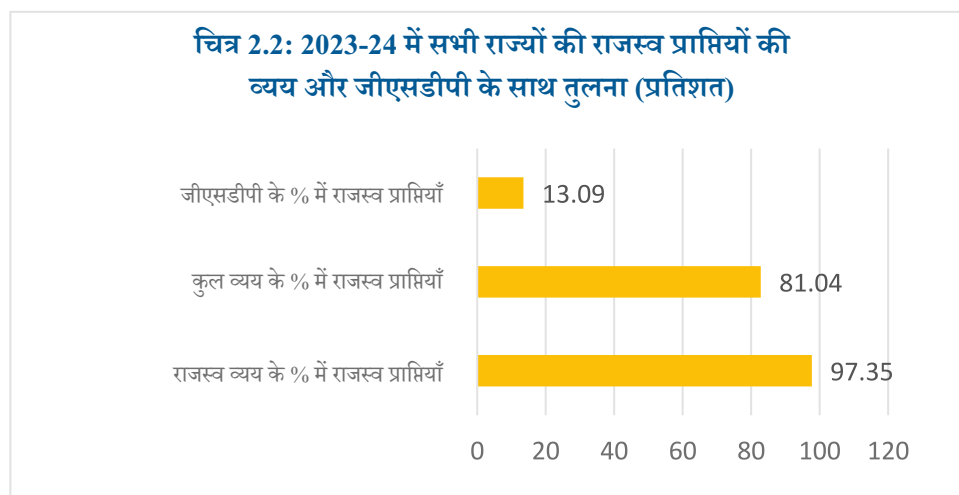
2.4 वित्त वर्ष 2014-15 से 2023-24 की दस वर्षीय अवधि के दौरान, सभी राज्यों की राजस्व प्राप्तियों की संरचना औसतन इस प्रकार रही- राज्यों का स्व-कर राजस्व लगभग 47 प्रतिशत, संघ करों में राज्यों की हिस्सेदारी लगभग 28 प्रतिशत, अनुदान सहायता लगभग 17 प्रतिशत तथा राज्यों का गैर-कर राजस्व लगभग 8 प्रतिशत, जैसा कि चित्र 2.1 में दर्शाया गया है। उक्त दस वर्षीय अवधि में मणिपुर, आंध्र प्रदेश एवं सिक्किम को छोड़कर अन्य सभी राज्यों की राजस्व प्राप्तियाँ दोगुने से अधिक हो गईं। दस वर्षीय अवधि के दौरान ओडिशा ने राजस्व प्राप्तियों में 215 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। तथापि, वित्त वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के दौरान कोविड-19 के प्रभाव के कारण कई राज्यों में राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि नकारात्मक रही।

चित्र 2.1: राजस्व प्राप्तियों में घटक-वार हिस्सेदारी 2014-15 से 2023-24 (प्रतिशत)

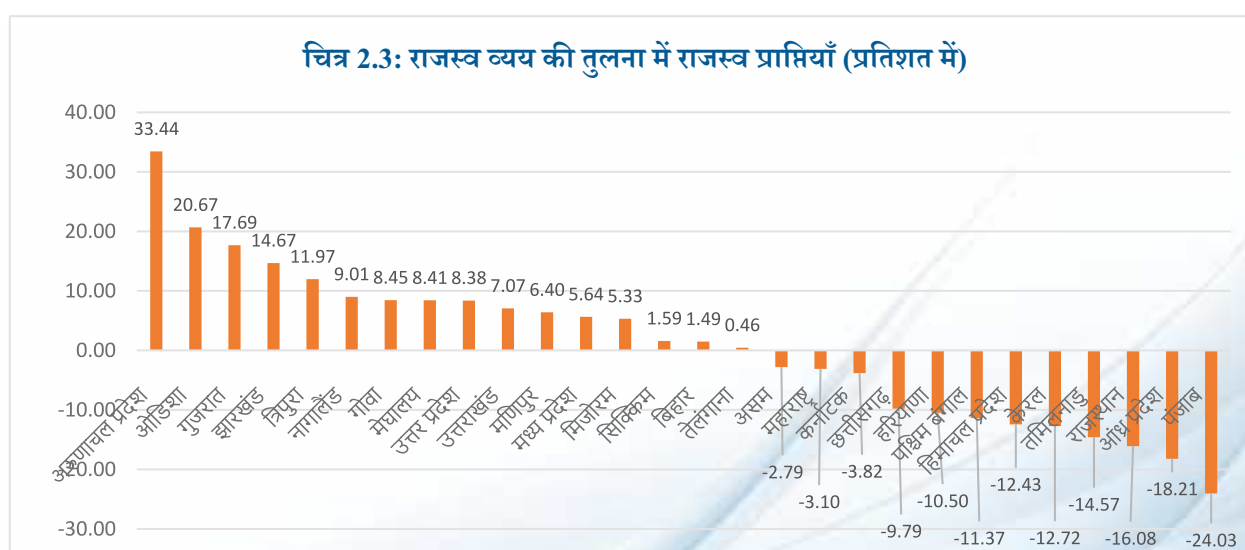


राज्यों की राजस्व प्राप्तियाँ

2.5 वित्त वर्ष 2023-24 में, सभी राज्यों⁴ की संयुक्त राजस्व प्राप्तियाँ, जो राज्यों के स्व-कर राजस्व, राज्यों के गैर-कर राजस्व, केन्द्रीय करों के हस्तांतरण तथा केन्द्रीय अनुदान/सहायता से प्राप्त हुई ₹37,93,278 करोड़ रही। यह राशि उनके संयुक्त राजस्व व्यय ₹38,96,647 करोड़ का 97.35 प्रतिशत, कुल व्यय ₹46,80,684 करोड़ का 81.04 प्रतिशत, तथा वित्त वर्ष 2023-24 में उनके संयुक्त सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹2,89,77,861 करोड़ का 13.09 प्रतिशत थी, जैसा कि चित्र 2.2 में दर्शाया गया है।



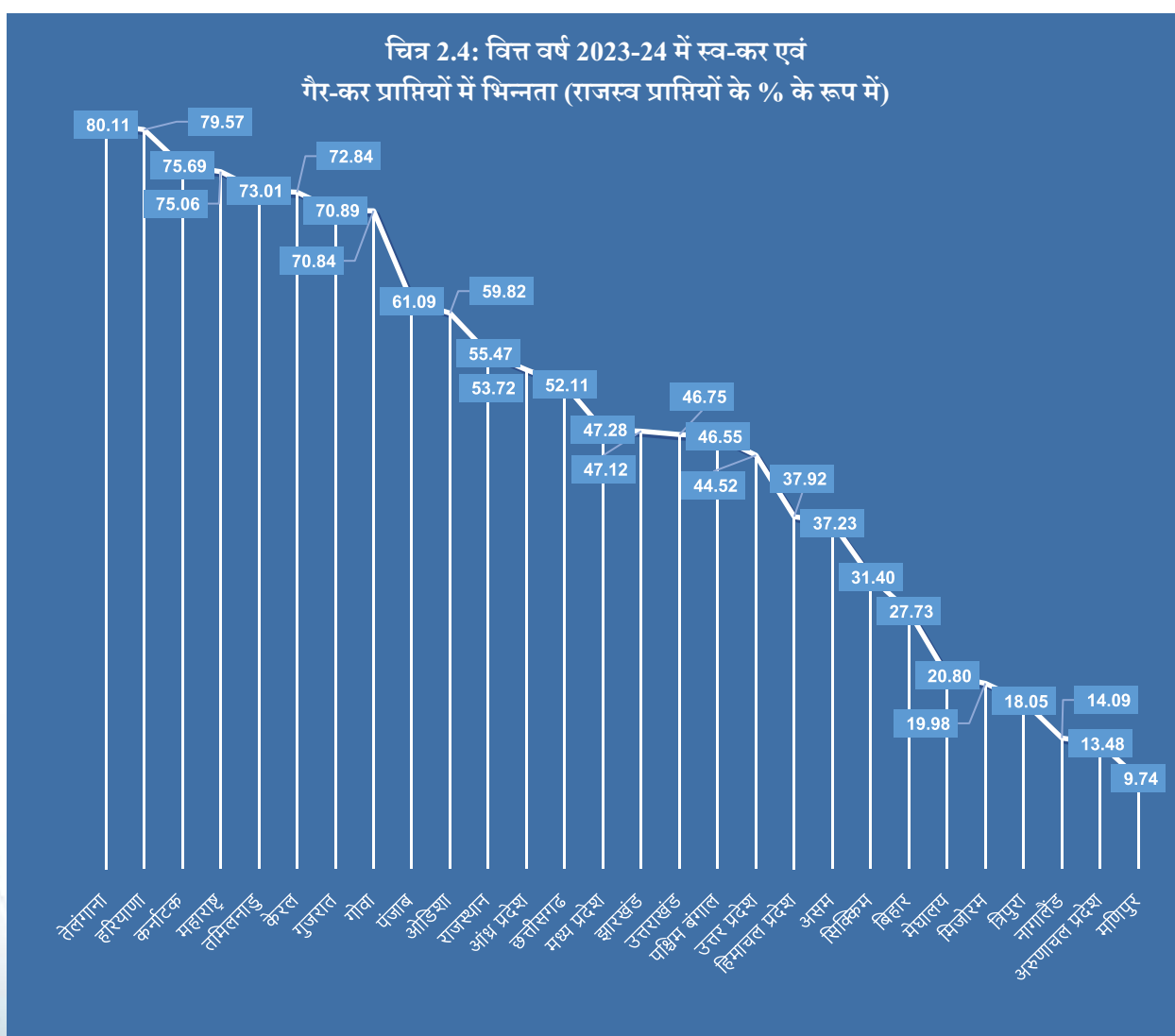
2.6 वित्त वर्ष 2023-24 में, 16 राज्यों की राजस्व प्राप्तियाँ, जैसा कि चित्र 2.3 में दर्शाया गया है, उनके राजस्व व्यय से अधिक रही। 12 राज्यों में उनके राजस्व व्यय, उनकी संबंधित राजस्व प्राप्तियों से अधिक रहे। जिन राज्यों में राजस्व घाटा रहा, वे पंजाब, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा असम थे। चार राज्यों-छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र और असम में राजस्व प्राप्तियाँ उनके राजस्व व्यय के 90-100 प्रतिशत के बीच रहीं। सात राज्यों-आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल में राजस्व प्राप्तियाँ राजस्व व्यय के 80-90 प्रतिशत के बीच रहीं। पंजाब में राजस्व प्राप्तियाँ राजस्व व्यय का 76 प्रतिशत थीं।



⁴ इस प्रकाशन में सभी 28 राज्यों के आंकड़े शामिल हैं तथा इसमें विधानमंडल सहित या उसके बिना संघ शासित प्रदेशों के आंकड़े शामिल नहीं हैं।

राज्यों का स्व-कर राजस्व एवं राज्यों का गैर-कर राजस्व

2.7 कुछ राज्यों के पास स्व-कर राजस्व तथा गैर-कर राजस्व के वृहद आधार हैं, जबकि अन्य राज्यों में राज्यों के स्व-कर राजस्व और गैर-कर राजस्व दोनों के आधार अपेक्षाकृत छोटे हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में तेलंगाना, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, गुजरात और गोवा में राज्यों के स्व-कर राजस्व एवं गैर-कर राजस्व, संयुक्त रूप से राजस्व प्राप्ति के 70 प्रतिशत से अधिक रहे; पंजाब में यह 61 प्रतिशत रहा; ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 50 से 60 प्रतिशत के बीच; तथा मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में राजस्व प्राप्ति के 40 से 50 प्रतिशत के बीच रहा। इसके विपरीत, उत्तर-पूर्व के सभी आठ राज्यों, बिहार तथा हिमाचल प्रदेश में राज्यों के स्व-कर राजस्व एवं गैर-कर राजस्व का हिस्सा, उनकी राजस्व प्राप्ति के 40 प्रतिशत से कम रहा। चित्र 2.4 वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान प्रत्येक राज्य की संसाधन-संग्रहण क्षमता में विद्यमान विविधताओं को रेखांकित करता है। इस प्रकार, राज्यों की स्वयं की राजस्व-सृजन क्षमता में व्यापक अंतर देखा गया-तेलंगाना में जहाँ यह राजस्व प्राप्ति के 80 प्रतिशत से अधिक रही, वहीं मणिपुर के मामले में यह वित्त वर्ष 2023-24 में 10 प्रतिशत से भी कम रही।



2.8 तालिका 2.2 वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान राज्यों के स्व-कर राजस्व तथा राज्यों के गैर-कर राजस्व के आधारों में विद्यमान विविधताओं को दर्शाती है। वस्तु एवं सेवा कर ढांचे के अंतर्गत राज्यों के वस्तु एवं सेवा कर के उच्च संग्रह वाले राज्य, तथा मूल्य वर्धित कर/ बिक्री कर/ मद्यपेय पदार्थों, पेट्रोलियम उत्पादों एवं विद्युत पर उत्पाद शुल्क (जो वस्तु एवं सेवा कर ढांचे से बाहर हैं) से अधिक राजस्व प्राप्त करने वाले राज्यों में, राजस्व प्राप्ति के अनुपात में राज्यों के स्व-कर राजस्व का प्रतिशत, तुलनात्मक रूप से कम प्रतिशत वाले राज्यों की अपेक्षा अधिक पाया गया।

तालिका 2.2: राज्यों के एसओटीआर एवं एसएनटीआर के विभिन्न आधार - 2023-24 (आंकड़े ₹ करोड़ में)

राज्य	कुल राजस्व प्राप्ति	एसओटीआर	एसओटीआर, (2) के प्रतिशत के रूप में	एसएनटीआर (ब्याज, लाभांश एवं लाभ)	एसएनटीआर (अन्य)	एसएनटीआर, (2) के प्रतिशत के रूप में	एसओटीआर एवं एसएनटीआर, (2) के प्रतिशत के रूप में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
तेलंगाना	1,69,293	1,11,798	66.04	144	23,676	14.07	80.11
हरियाणा	1,01,315	72,511	71.57	1,935	6,168	8.00	79.57
कर्नाटक	2,33,343	1,63,505	70.07	1,796	11,322	5.62	75.69
महाराष्ट्र	4,30,596	3,02,343	70.22	2,401	18,457	4.84	75.06
तमिलनाडु	2,64,597	1,67,278	63.22	10,669	15,235	9.79	73.01
केरल	1,24,486	74,329	59.71	418	15,928	13.13	72.84
गुजरात	2,22,763	1,34,214	60.25	3,460	20,248	10.64	70.89
गोवा	18,272	8,726	47.76	34	4,185	23.09	70.84
पंजाब	89,192	47,252	52.98	282	6,952	8.11	61.09
ओडिशा	1,79,593	54,427	30.31	2,722	50,290	29.52	59.82
राजस्थान	2,03,276	94,086	46.28	2,057	16,623	9.19	55.47
आंध्र प्रदेश	1,73,767	85,922	49.45	1,322	6,110	4.28	53.72
छत्तीसगढ़	1,03,508	38,786	37.47	179	14,969	14.63	52.11
मध्य प्रदेश	2,34,026	90,724	38.77	2,226	17,700	8.51	47.28
झारखंड	87,929	28,005	31.85	431	12,994	15.27	47.12
उत्तराखंड	50,615	19,245	38.02	151	4,267	8.73	46.75
पश्चिम बंगाल	2,00,268	89,986	44.93	563	2,675	1.62	46.55
उत्तर प्रदेश	4,65,801	1,93,129	41.46	1,278	12,971	3.06	44.52
हिमाचल प्रदेश	39,173	11,835	30.21	317	2,704	7.71	37.92
असम	91,534	28,178	30.78	1,013	4,890	6.45	37.23
सिक्किम	8,351	1,748	20.93	99	775	10.47	31.40
बिहार	1,93,347	48,361	25.01	907	4,351	2.72	27.73
मेघालय	17,978	3,217	17.89	11	512	2.91	20.80
मिजोरम	11,414	1,196	10.47	15	1,069	9.51	19.98
त्रिपुरा	20,538	3,287	16.01	35	386	2.05	18.05
नागालैंड	16,155	1,598	9.89	21	657	4.20	14.09
अरुणाचल प्रदेश	27,441	2,798	10.20	173	728	3.28	13.48
मणिपुर	14,706	1,224	8.32	5	204	1.43	9.74
योग	37,93,278	18,79,708	49.55	34,664*	2,77,046*	8.22	57.77

*प्रत्येक राज्य में किए गए राउंडिंग के कारण एसएनटीआर का कुल योग तालिका 2.8 से भिन्न हो सकता है।

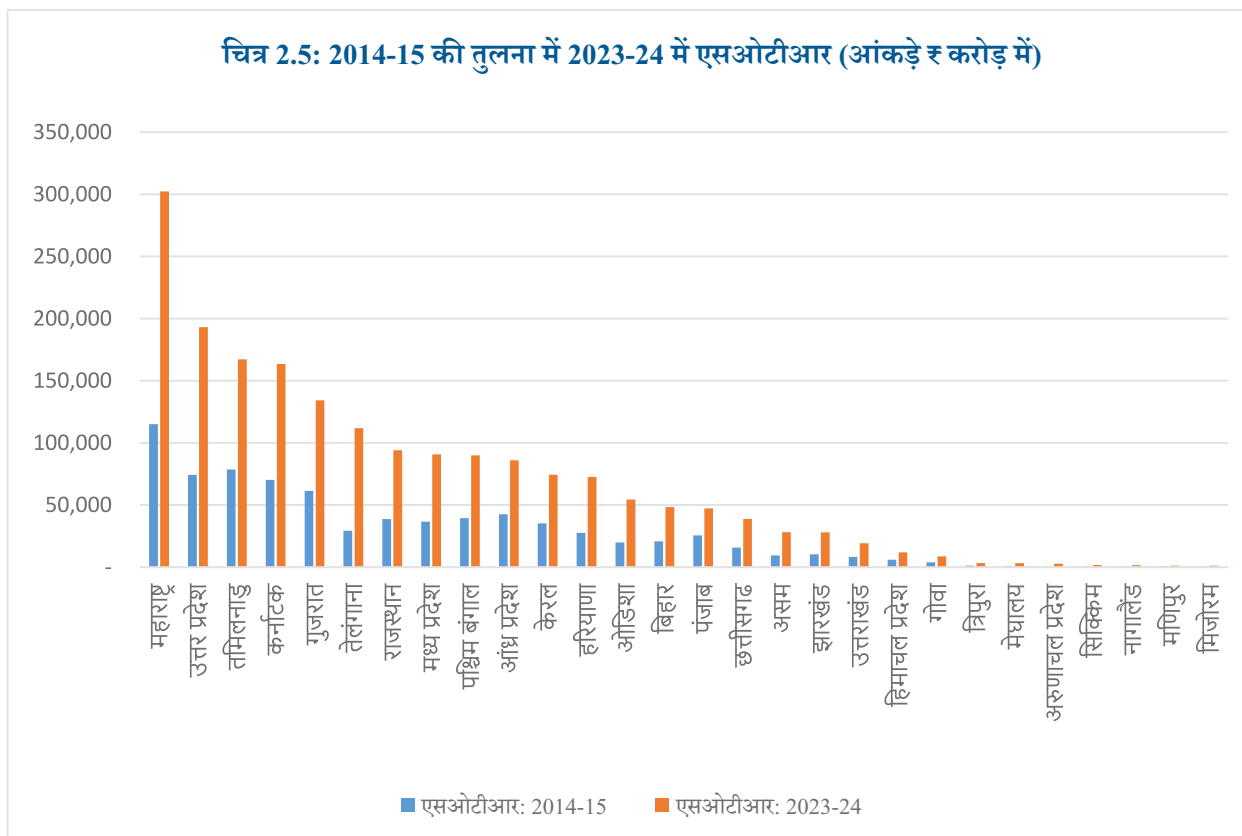
2.9 राज्य जो कि खनिज संसाधनों से समृद्ध हैं, रॉयल्टी तथा उससे संबंधित राजस्व प्राप्त करते हैं तथा लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयूज) होने के कारण लाभांश एवं ब्याज के माध्यम से अधिक गैर-कर राजस्व अर्जित करने की संभावना रखते हैं। इसी प्रकार, जिन राज्यों ने परिवहन, विद्युत, पेयजल आपूर्ति आदि क्षेत्रों में कुशल सेवा प्रदाय इकाइयों का सृजन किया है, वे उपयोगकर्ता शुल्क के रूप में अधिक गैर-कर राजस्व जुटाने की स्थिति में होते हैं।

2.10 अनेक राज्य विशिष्ट एवं लक्षित गतिविधियों के वित्तपोषण हेतु उपकर भी आरोपित करते हैं, जैसे-शैक्षिक अवसंरचना का सृजन, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संरक्षण, पशुधन संरक्षण, परिवहन अवसंरचना एवं सड़क विकास/सुरक्षा, सांस्कृतिक प्रयोजन, स्वास्थ्य संबंधी प्रयोजन, प्राकृतिक आपदाओं एवं महामारियों से निपटना, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण रोजगार, लोक निर्माण कार्य आदि।

राज्यों का स्व-कर राजस्व

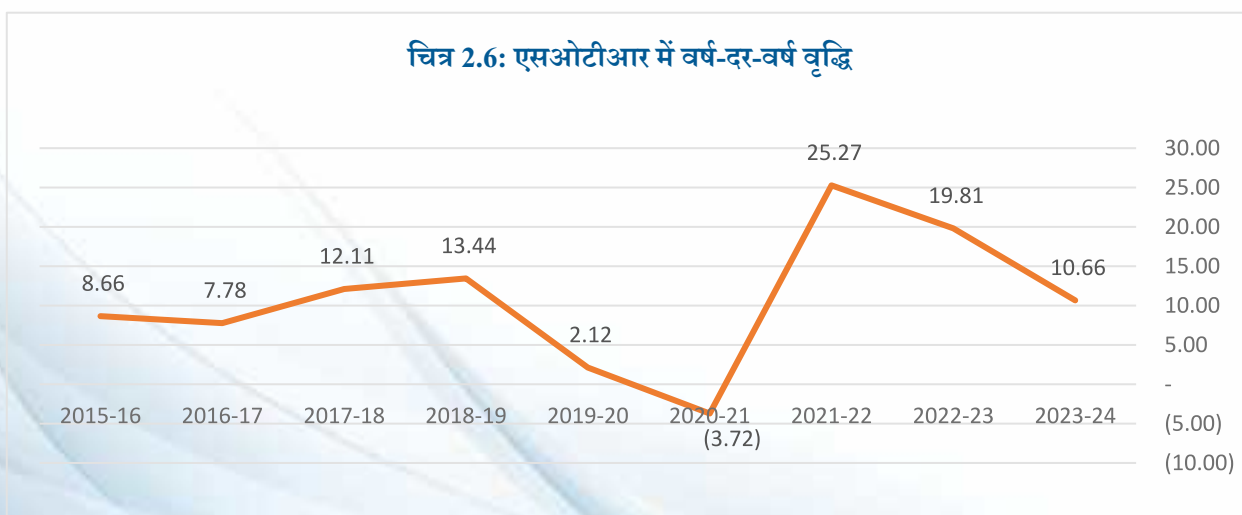
2.11 नीचे दिया गया चित्र 2.5 वित्त वर्ष 2023-24 में संबंधित राज्यों के स्व-कर राजस्व में वित्त वर्ष 2014-15 की तुलना में हुए परिवर्तनों को दर्शाता है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब को छोड़कर, अन्य सभी राज्यों के स्व-कर राजस्व में इस अवधि के दौरान कम-से-कम दोगुनी वृद्धि दर्ज की गई। कुछ राज्यों में इस अवधि के दौरान राज्यों के स्व-कर राजस्व की वृद्धि उल्लेखनीय रूप से अधिक रही, विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश (6 गुना), मिज़ोरम (4.48 गुना) तथा नागालैंड (4.11 गुना)।

चित्र 2.5: 2014-15 की तुलना में 2023-24 में एसओटीआर (आंकड़े ₹ करोड़ में)



2.12 चित्र 2.6 सभी राज्यों के संयुक्त स्व-कर राजस्व की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि को दर्शाता है। वित्त वर्ष 2015-16 में राज्यों के स्व-कर राजस्व में वित्त वर्ष 2014-15 की तुलना में 8.66 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में, वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में 10.66 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

चित्र 2.6: एसओटीआर में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि



राज्यों के स्व-कर राजस्व के घटक

- 2.13** राज्यों के स्व-कर राजस्व में राज्य वस्तु एवं सेवा कर, बिक्री एवं व्यापार पर कर (मूल्य वर्धित कर/ बिक्री कर), तथा मादक पेयों, पेट्रोलियम उत्पादों एवं विद्युत पर कर एवं शुल्क (जो वस्तु एवं सेवा कर ढाँचे से बाहर हैं), राज्य उत्पाद शुल्क, स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क, वाहनों पर कर, भूमि राजस्व तथा अन्य कर सम्मिलित हैं। पिछले एक दशक के दौरान राज्यों के स्व-कर राजस्व में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है, जिसका प्रमुख कारण वस्तु एवं सेवा कर का स्थिरीकरण तथा आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि रहा है। यद्यपि अधिकांश राज्यों में महामारी के वर्षों के दौरान कर-संग्रह में गिरावट देखी गई, तथापि उसके पश्चात तेजी से सुधार हुआ एवं अनेक राज्यों में राज्यों के स्व-कर राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई।
- 2.14** वित्त वर्ष 2023-24 में, सभी राज्यों का संयुक्त स्व-कर राजस्व कुल ₹18,79,708 करोड़ रहा, जो उनकी संयुक्त कुल राजस्व प्राप्ति ₹37,93,278 करोड़ का 49.55 प्रतिशत, तथा उनके संयुक्त सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹2,89,77,861 करोड़ का 6.49 प्रतिशत था। 18 राज्यों (10 राज्य⁵ जिनके स्व-कर राजस्व कम⁶ है उन्हें छोड़कर) का संयुक्त कुल स्व-कर राजस्व ₹18,24,835 करोड़ रहा, जो उनकी संयुक्त कुल राजस्व प्राप्ति ₹37,93,278 करोड़ का 48.11 प्रतिशत, तथा उनके संयुक्त सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹2,89,77,861 करोड़ का 6.30 प्रतिशत था।

तालिका 2.3: एसओटीआर के प्रमुख घटक (2023-24) (आंकड़े ₹ करोड़ में)

घटक	राशि	एसओटीआर का प्रतिशत	जीएसडीपी का प्रतिशत
राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी)	8,00,112	42.57	2.76
राज्य उत्पाद शुल्क	2,49,134	13.25	0.86
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	2,20,193	11.71	0.76
मोटर वाहन कर	1,06,021	5.64	0.36
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	3,97,467	21.15	1.37
अन्य एसओटीआर	1,06,781	5.68	0.37
कुल एसओटीआर	18,79,708	100.00	6.49
राजस्व प्राप्ति	37,93,278	राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में एसओटीआर - 49.55	
जीएसडीपी	2,89,77,861		

अनुलग्नक 2.2 में एसओटीआर के घटकों का राज्य-वार 10 वर्षों का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

- 2.15** वित्त वर्ष 2023-24 में, शीर्ष छह राज्य, जिनमें राज्यों का स्व-कर राजस्व उनकी संबंधित राजस्व प्राप्ति के 60 प्रतिशत या उससे अधिक थे, वे थे- हरियाणा (72 प्रतिशत), महाराष्ट्र (70 प्रतिशत), कर्नाटक (70 प्रतिशत), तेलंगाना (66 प्रतिशत), तमिलनाडु (63 प्रतिशत) तथा गुजरात (60 प्रतिशत)। उत्तर-पूर्वी एवं हिमालयी 10 राज्यों में, कुल राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में राज्यों का स्व-कर राजस्व सामान्यतः 8 प्रतिशत से 25 प्रतिशत के बीच रहा; अपवादस्वरूप उत्तराखंड (38 प्रतिशत), हिमाचल प्रदेश (30 प्रतिशत) तथा असम (31 प्रतिशत) रहे।

⁵ दस सबसे कम एसओटीआर राज्य, अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड।

⁶ संयुक्त राजस्व प्राप्ति का 1.45 प्रतिशत गठित करता है।

तालिका 2.4: वित्त वर्ष 2023-24 में एसओटीआर के घटक – राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में सबसे अधिक एसओटीआर वाले शीर्ष छह राज्य (आंकड़े ₹ करोड़ में)

घटक	हरियाणा	महाराष्ट्र	कर्नाटक	तेलंगाना	तमिलनाडु	गुजरात
एसजीएसटी	33,960	1,41,979	71,041	39,295	61,960	58,010
राज्य उत्पाद शुल्क	11,326	23,322	34,629	20,299	10,774	200
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	10,529	50,824	20,147	14,296	19,013	15,334
मोटर वाहन कर	4,904	12,969	11,287	7,095	9,375	5,568
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	11,331	53,380	20,811	29,990	60,200	33,127
अन्य	461	19,868	5,590	824	5,956	21,976
कुल एसओटीआर	72,511	3,02,343	1,63,505	1,11,798	1,67,278	1,34,214
राजस्व प्राप्ति	1,01,315	4,30,596	2,33,343	1,69,293	2,64,597	2,22,763
राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में एसओटीआर	71.57	70.22	70.07	66.04	63.22	60.25

2.16 तालिका 2.4 में उल्लिखित छह राज्यों में राज्य वस्तु एवं सेवा कर का हिस्सा, वित्त वर्ष 2023-24 में राज्यों के कर राजस्व का सबसे बड़ा घटक रहा, जो 35 प्रतिशत से 47 प्रतिशत के बीच था। इसके पश्चात बिक्री/व्यापार कर रहा, जिनका हिस्सा 13 प्रतिशत से 26 प्रतिशत के बीच था, तथा स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क, जिनका हिस्सा 11 प्रतिशत से 17 प्रतिशत के बीच रहा। पाँच राज्यों में राज्य उत्पाद शुल्क से प्राप्ति 6 प्रतिशत से 21 प्रतिशत के बीच रही। गुजरात में, मद्य निषेध के कारण, यह प्राप्ति नगण्य रही।

राज्य वस्तु एवं सेवा कर

2.17 घटक-वार विश्लेषण दर्शाता है कि राज्य वस्तु एवं सेवा कर, राज्यों⁷ के लिए स्व-कर राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एकल स्रोत है, जो वित्त वर्ष 2023-24 में सभी राज्यों के स्व-कर राजस्व का लगभग 43 प्रतिशत रहा। वित्त वर्ष 2018-19 को पूर्ण आधार वर्ष मानते हुए, वस्तु एवं सेवा कर (जुलाई 2017) के कार्यान्वयन के पश्चात राज्य वस्तु एवं सेवा कर संग्रह में अधिकांश राज्यों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2023-24 में, तालिका 2.4 में दर्शाए गए उच्चतम स्व-कर राजस्व वाले छह राज्यों में, राज्य वस्तु एवं सेवा कर का योगदान राज्यों के स्व-कर राजस्व के 35 प्रतिशत से 47 प्रतिशत के बीच रहा। उत्तर-पूर्व के आठ राज्यों तथा दो हिमालयी राज्यों-हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में, राज्य वस्तु एवं सेवा कर से कर राजस्व, उनके संबंधित स्व-कर राजस्व का 43 प्रतिशत (उत्तराखंड) से 90 प्रतिशत (मणिपुर) तक, काफी अधिक रहा। शेष 12 राज्यों में, राज्य वस्तु एवं सेवा कर का योगदान, छत्तीसगढ़ में 36 प्रतिशत से बिहार में 57 प्रतिशत के बीच रहा। वित्त वर्ष 2018-19 से 2023-24 की छह-वर्षीय अवधि के दौरान राज्य वस्तु एवं सेवा कर में सर्वाधिक वृद्धि अरुणाचल प्रदेश (220 प्रतिशत) में दर्ज की गई, इसके पश्चात सिक्किम (138 प्रतिशत) रहा। नागालैंड तथा मेघालय में भी राज्य वस्तु एवं सेवा कर संग्रह में उल्लेखनीय विस्तार दर्ज किया गया, जहाँ वित्त वर्ष 2023-24 में क्रमशः 126 प्रतिशत तथा 114 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

राज्य उत्पाद शुल्क

2.18 राज्य उत्पाद शुल्क भी राज्यों के स्व-कर राजस्व का एक प्रमुख घटक है, जो वित्त वर्ष 2023-24 में सभी राज्यों के स्व-कर राजस्व का 13.25 प्रतिशत रहा। यह शुल्क राज्य सरकारों द्वारा मानव उपभोग हेतु अल्कोहल युक्त मदिरा तथा कुछ मादक पदार्थों पर आरोपित किया जाता है। वित्त वर्ष 2023-24 में, उत्तर प्रदेश ने ₹45,571 करोड़ के साथ सर्वाधिक राज्य उत्पाद शुल्क प्राप्ति दर्ज की, इसके पश्चात महाराष्ट्र (₹23,322 करोड़), तेलंगाना

⁷ बिहार में एसजीएसटी से प्राप्त राजस्व उसके एसओटीआर का 57 प्रतिशत रहा, क्योंकि राज्य उत्पाद शुल्क से प्राप्त राजस्व लगभग नगण्य है।

(₹20,299 करोड़), आंध्र प्रदेश (₹15,998 करोड़), मध्य प्रदेश (₹13,524 करोड़), राजस्थान (₹13,225 करोड़), हरियाणा (₹11,326 करोड़) तथा तमिलनाडु (₹10,774 करोड़) रहे। उत्तर-पूर्व के आठ राज्यों तथा दो हिमालयी राज्यों में, उत्तराखंड ने ₹4,041 करोड़ के साथ सर्वाधिक उत्पाद शुल्क प्राप्ति दर्ज की, जबकि मिजोरम में यह ₹3 करोड़ के साथ न्यूनतम रही।

2.19 वर्ष 2014-15 से 2023-24 की 10 वर्षीय अवधि में, सभी राज्यों की संयुक्त राज्य उत्पाद शुल्क प्राप्ति में 177 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वित्त वर्ष 2015-16 की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 में तेलंगाना⁸ में सबसे अधिक 433 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इसी अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में भी राज्य उत्पाद शुल्क प्राप्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो क्रमशः 399 प्रतिशत और 268 प्रतिशत रही।

2.20 बिहार में, अप्रैल 2016 से लागू राज्य की पूर्ण मद्य निषेध नीति के कारण, राज्य उत्पाद शुल्क प्राप्ति वित्त वर्ष 2014-15 में ₹3,217 करोड़ से घटकर वित्त वर्ष 2016-17 में ₹30 करोड़ रह गई तथा आगे वित्त वर्ष 2023-24 में ₹1 करोड़ तक गिर गई। नागालैंड तथा मिजोरम में भी क्रमशः नागालैंड पूर्ण मद्य निषेध अधिनियम, 1989 तथा मिजोरम मद्य (निषेध) अधिनियम, 2019 के प्रवर्तन के कारण राज्य उत्पाद शुल्क राजस्व में महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की गई।

बिक्री, व्यापार आदि पर कर

2.21 बिक्री, व्यापार आदि पर कर राज्यों के स्व-कर राजस्व का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो वित्त वर्ष 2023-24 में राज्यों के स्व-कर राजस्व का 21 प्रतिशत रहा। वित्त वर्ष 2023-24 में, 13 राज्यों ने इस घटक से ₹10,000 करोड़ से अधिक का महत्वपूर्ण राजस्व अर्जित किया, ये राज्य थे-तमिलनाडु (₹60,200 करोड़), महाराष्ट्र (₹53,380 करोड़), गुजरात (₹33,127 करोड़), उत्तर प्रदेश (₹31,126 करोड़), तेलंगाना (₹29,990 करोड़), केरल (₹27,690 करोड़), राजस्थान (₹23,473 करोड़), कर्नाटक (₹20,811 करोड़), आंध्र प्रदेश (₹18,475 करोड़), मध्य प्रदेश (₹17,863 करोड़), ओडिशा (₹12,714 करोड़), पश्चिम बंगाल (₹11,811 करोड़) तथा हरियाणा (₹11,331 करोड़)।

स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क

2.22 स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क से प्राप्त राजस्व, वित्त वर्ष 2023-24 में राज्यों के स्व-कर राजस्व का 12 प्रतिशत रहा। इस घटक से वित्त वर्ष 2023-24 में आठ राज्यों ने ₹10,000 करोड़ से अधिक का महत्वपूर्ण राजस्व अर्जित किया, ये राज्य थे-महाराष्ट्र (₹50,824 करोड़), उत्तर प्रदेश (₹26,961 करोड़), कर्नाटक (₹20,147 करोड़), तमिलनाडु (₹19,013 करोड़), गुजरात (₹15,334 करोड़), तेलंगाना (₹14,296 करोड़), हरियाणा (₹10,529 करोड़) तथा मध्य प्रदेश (₹10,331 करोड़)।

मोटर वाहनों पर कर

2.23 मोटर वाहनों पर कर से प्राप्त राजस्व, वित्त वर्ष 2023-24 में राज्यों के स्व-कर राजस्व का 6 प्रतिशत रहा। इस घटक से वित्त वर्ष 2023-24 में तीन राज्यों ने ₹10,000 करोड़ से अधिक का राजस्व एकत्र किया, ये राज्य थे-महाराष्ट्र (₹12,969 करोड़), कर्नाटक (₹11,287 करोड़) तथा उत्तर प्रदेश (₹11,205 करोड़)।

वस्तु एवं सेवा कर-पूर्व एवं वस्तु एवं सेवा कर-पश्चात अवधि में राज्यों के स्व-कर राजस्व की वृद्धि

2.24 वस्तु एवं सेवा कर की शुरुआत के साथ, एकीकृत राष्ट्रीय कर प्रणाली लागू की गई, जिसने बहुविध अप्रत्यक्ष करों का स्थान लिया। नीचे दी गई तालिका 2.5 में वस्तु एवं सेवा कर-पूर्व एवं वस्तु एवं सेवा कर-पश्चात अवधि के दौरान अलग-अलग राज्यों के स्व-कर राजस्व का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

⁸ तेलंगाना में राज्य उत्पाद शुल्क से संग्रहण वित्त वर्ष 2023-24 में ₹20,299 करोड़ रहा तथा वित्त वर्ष 2015-16 (राज्य गठन के पश्चात पहला पूर्ण वित्त वर्ष) में ₹3,809 करोड़ था।

तालिका 2.5: जीएसटी से पूर्व और जीएसटी के बाद की अवधि में एसओटीआर की वृद्धि (आंकड़े ₹ करोड़ / प्रतिशत में)

राज्य	एसओटीआर 2013-14	एसओटीआर 2016-17	औसत वार्षिक एसओटीआर वृद्धि (3 वर्षों के दौरान)	एसओटीआर 2018-19	एसजीएसटी 2018-19	एसओटीआर 2023-24	एसजीएसटी 2023-24	औसत वार्षिक एसओटीआर वृद्धि (5 वर्षों के दौरान)	औसत वार्षिक एसजीएसटी वृद्धि (5 वर्षों के दौरान)
	जीएसटी से पूर्व अवधि			जीएसटी के बाद की अवधि					
आंध्र प्रदेश	39,907 [^]	44,181	10.71	58,031	20,611	85,922	31,130	8.52	9.28
अरुणाचल प्रदेश	435	709	18.20	1,068	601	2,798	1,923	21.52	26.79
असम	8,995	12,080	10.51	15,925	8,393	28,178	14,654	12.38	12.22
बिहार	19,961	23,742	6.63	29,408	15,288	48,361	27,678	10.84	12.94
छत्तीसगढ़	14,343	18,945	9.72	21,427	8,203	38,786	13,793	12.89	11.50
गोवा	3,582	4,261	5.99	4,871	2,529	8,726	4,057	14.19	11.94
गुजरात	56,372	64,443	4.60	80,103	34,889	1,34,214	58,010	12.38	12.58
हरियाणा	25,567	34,026	10.01	42,581	18,613	72,511	33,960	11.78	13.45
हिमाचल प्रदेश	5,121	7,039	11.28	7,573	3,343	11,835	5,340	9.53	10.40
झारखंड	9,380	13,299	12.37	14,752	8,201	28,005	12,348	13.99	8.99
कर्नाटक	62,604	82,956	9.85	96,830	41,956	1,63,505	71,041	11.55	12.20
केरल	31,995	42,176	9.65	50,644	21,015	74,329	30,564	8.62	8.32
मध्य प्रदेश	33,552	44,194	9.62	50,882	18,509	90,724	37,791	12.69	18.05
महाराष्ट्र	1,08,598	1,36,616	7.96	1,87,436	82,352	3,02,343	1,41,979	11.36	13.16
मणिपुर	473	587	7.47	1,046	695	1,224	1,099	5.75	11.60
मेघालय	949	1,186	7.89	1,793	806	3,217	1,723	12.52	17.59
मिजोरम	230	442	24.58	727	455	1,196	969	11.72	18.27
नागालैंड	333	511	15.35	846	470	1,598	1,063	13.77	18.05
ओडिशा	16,892	22,852	10.81	30,318	11,943	54,427	23,896	12.54	15.39
पंजाब	24,079	27,747	4.84	31,574	13,273	47,252	20,925	8.88	10.46
राजस्थान	33,478	44,372	9.95	57,380	22,938	94,086	38,016	10.71	11.63
सिक्किम	525	653	7.69	893	406	1,748	966	14.84	19.65
तमिलनाडु	73,718	85,941	5.27	1,05,534	38,533	1,67,278	61,960	9.99	10.36
तेलंगाना	39,975 [^]	48,408	21.10	64,674	23,840	1,11,798	39,295	12.35	11.41
त्रिपुरा	1,074	1,422	9.85	1,766	977	3,287	1,590	13.28	10.41
उत्तर प्रदेश	66,582	85,966	8.91	1,20,122	46,108	1,93,129	75,147	10.37	11.04
उत्तराखंड	7,355	10,897	14.01	12,188	4,802	19,245	8,297	10.01	11.86
पश्चिम बंगाल	35,831	45,466	8.27	60,732	27,067	89,986	40,900	8.48	9.10
योग	7,21,906	9,05,117	10.47#	11,51,127	4,76,816	18,79,708	8,00,112	11.70	13.17

[^] आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का विभाजन 2 जून 2014 को हुआ। अतः एसओटीआर की वृद्धि की तुलना के लिए वित्त वर्ष 2015-16 के पूर्ण वित्त वर्ष के आंकड़ों को अपनाया गया है।

जीएसटी-पूर्व अवधि के लिए सभी राज्यों की कुल औसत वार्षिक एसओटीआर वृद्धि में आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना को सम्मिलित नहीं किया गया है। वार्षिक औसत वृद्धि की गणना पहले प्रत्येक राज्य के लिए पृथक् रूप से औसत वार्षिक वृद्धि निकालकर तथा तत्पश्चात् सभी 28 राज्यों के इन मानों का साधारण औसत लेकर की गई है।

- 2.25** वस्तु एवं सेवा कर की शुरुआत से पूर्व के तीन वर्षों-अर्थात् वित्त वर्ष 2013-14 से 2016-17 के दौरान, सभी राज्यों के संयुक्त स्व-कर राजस्व की औसत वार्षिक वृद्धि दर 10 प्रतिशत रही, जो वित्त वर्ष 2018-19 से 2023-24 की अवधि में बढ़कर 12 प्रतिशत हो गई। इसी अवधि (2018-19 से 2023-24) में राज्य वस्तु एवं सेवा कर की औसत वार्षिक वृद्धि दर 13 प्रतिशत से अधिक रही।
- 2.26** वस्तु एवं सेवा कर - पूर्व एवं वस्तु एवं सेवा कर - पश्चात अवधि में राज्यों के स्व-कर राजस्व की वार्षिक वृद्धि के संदर्भ में आठ राज्यों आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड, तेलंगाना तथा उत्तराखंड को छोड़कर, अन्य सभी राज्यों में वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन के पश्चात राज्यों के स्व-कर राजस्व की अधिक वृद्धि दर्ज की गई। अरुणाचल प्रदेश ने 22 प्रतिशत की सर्वाधिक औसत वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की, इसके पश्चात सिक्किम (15 प्रतिशत) तथा गोवा, झारखंड और नागालैंड (14 प्रतिशत) रहे।
- 2.27** इसी प्रकार, जीएसटी के कार्यान्वयन के पश्चात, वित्त वर्ष 2018-19 से, लगभग सभी राज्यों में एसजीएसटी से प्राप्त राजस्व की औसत वार्षिक वृद्धि दर, राज्यों के स्व-कर राजस्व की औसत वार्षिक वृद्धि दर से अधिक रही; अपवादस्वरूप असम, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, केरल, तेलंगाना तथा त्रिपुरा-ये सात राज्य रहे। उत्तर-पूर्व के आठ में से पाँच राज्यों तथा मध्य प्रदेश में, वित्त वर्ष 2018-19 से 2023-24 की अवधि के दौरान एसजीएसटी की औसत वार्षिक वृद्धि दर 17 प्रतिशत से अधिक रही। अरुणाचल प्रदेश में इस अवधि के दौरान एसजीएसटी की औसत वार्षिक वृद्धि दर 27 प्रतिशत रही, जो असाधारण रूप से उच्च है।

राज्यों के स्व-कर राजस्व की उत्प्लावकता

- 2.28** उत्प्लावकता अनुपात से आशय किसी आधार चर (जैसे-सकल राज्य घरेलू उत्पाद) में हुए परिवर्तन के प्रत्युत्तर में किसी राजकोषीय चर (जैसे-राज्यों के स्व-कर राजस्व) की संवेदनशीलता की मात्रा से है। राज्यों के स्व-कर राजस्व की उत्प्लावकता से तात्पर्य राज्यों के स्व-कर राजस्व की वृद्धि दर और सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के बीच के अनुपात से है। वित्त वर्ष 2023-24 में, राज्यों के स्व-कर राजस्व की उत्प्लावकता अनुपात 0.92 रही। यह वित्त वर्ष 2014-15 में 0.96 थी तथा वित्त वर्ष 2019-20 में 0.29 से लेकर वित्त वर्ष 2022-23 में 1.43 के बीच परिवर्तित होती रही। वित्त वर्ष 2020-21 के आँकड़ों को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि उस वर्ष राज्यों के स्व-कर राजस्व एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद-दोनों में गिरावट दर्ज की गई थी।

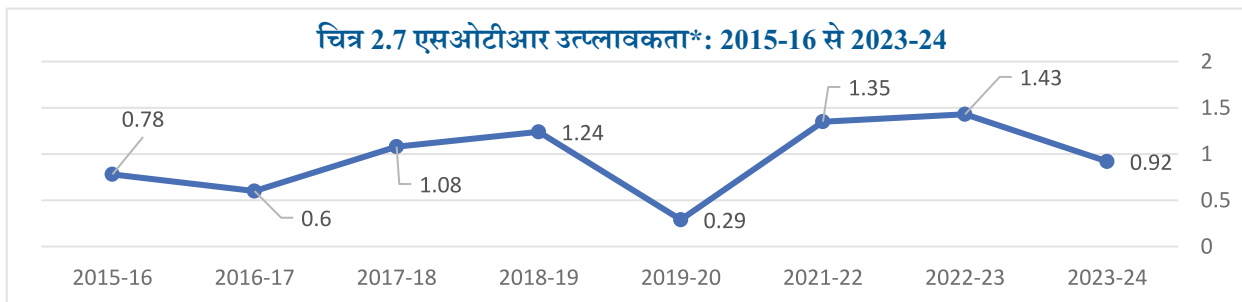
तालिका 2.6: वित्त वर्ष 2023-24 में एसओटीआर की उत्प्लावकता (आंकड़े ₹ करोड़ में)

घटक	एसओटीआर (2022-23)	एसओटीआर (2023-24)	वर्ष 2023-24 में एसओटीआर की वृद्धि दर	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (2022-23)	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (2023-24)	वर्ष 2023-24 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर	एसओटीआर उत्प्लावकता अनुपात
(क)	(ख)	(ग)	(घ) = (ग-ख) / ख*100	(ड)	(च)	(छ) = (च-ड) / ड*100	(ज) = (घ / छ)
एसओटीआर	16,98,675	18,79,708	10.66	2,59,60,885	2,89,77,861	11.62	0.92

- 2.29** वित्त वर्ष 2015-16 से 2016-17 के दौरान, राज्यों के स्व-कर राजस्व की उत्प्लावकता एक से कम रही। चित्र 2.7 यह दर्शाता है कि वित्त वर्ष 2017-18 से 2022-23 के बीच, वित्त वर्ष 2019-20 को छोड़कर (जब यह 0.29 थी), राज्यों के स्व-कर राजस्व की उत्प्लावकता एक से अधिक रही। तथापि, वित्त वर्ष 2023-24 में यह घटकर 0.92 रह गई।

⁹ अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, मिज़ोरम तथा मेघालय।

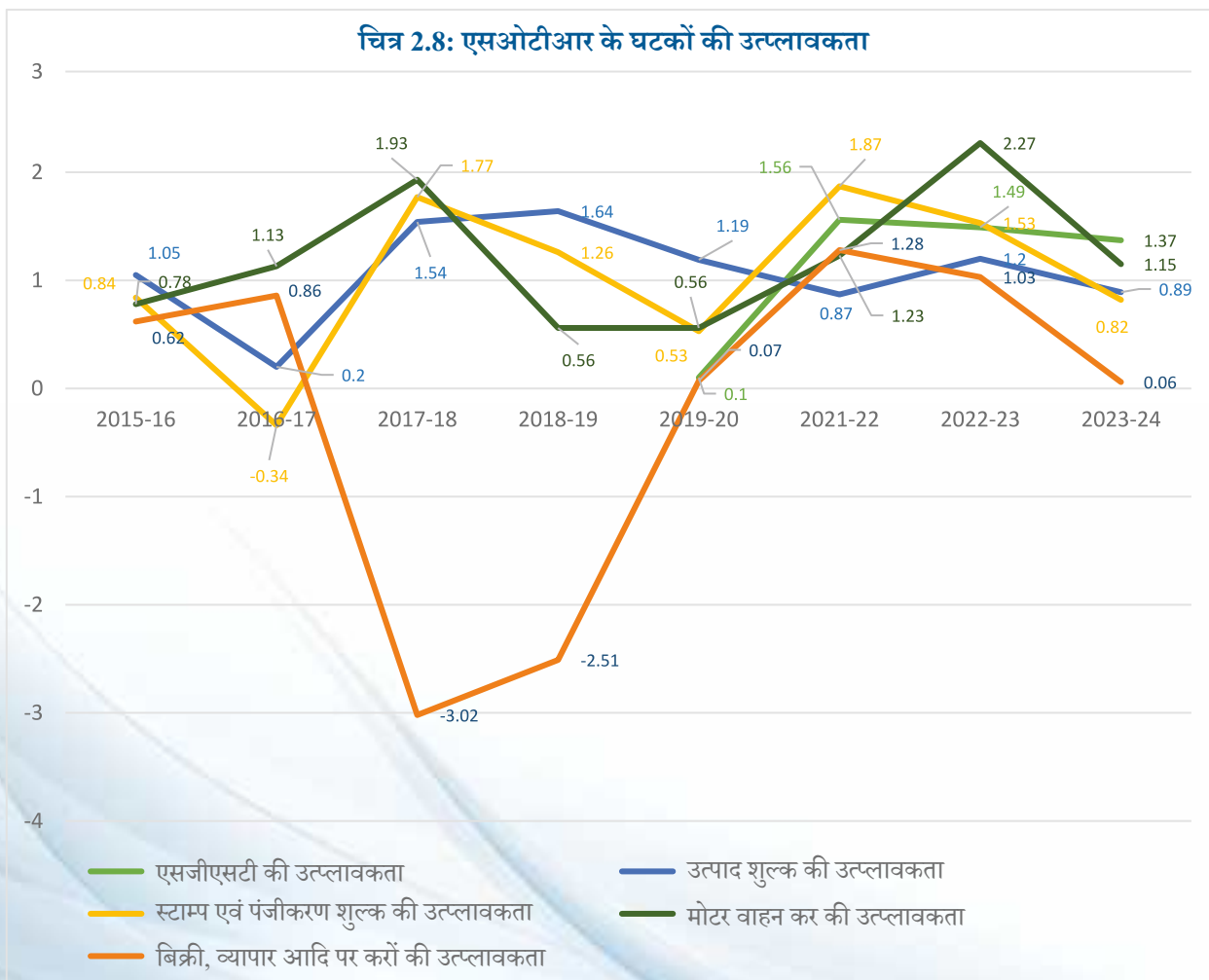
चित्र 2.7 एसओटीआर उत्प्लावकता*: 2015-16 से 2023-24



* वित्तीय वर्ष 2020-21, कोविड वर्ष होने के कारण, एसओटीआर की उत्प्लावकता की गणना में शामिल नहीं किया गया है।

2.30 चित्र 2.8 में राज्यों के स्व-कर राजस्व के प्रमुख घटकों के संदर्भ में उत्प्लावकता के रुझान को दर्शाया गया है। वित्त वर्ष 2015-16 से 2023-24 की अवधि के दौरान, राज्यों के स्व-कर राजस्व के प्रमुख घटकों में उत्प्लावकता में भिन्नता देखी गई। चूंकि राज्य वस्तु एवं सेवा कर का कार्यान्वयन वित्त वर्ष 2017-18 के मध्य में हुआ था, अतः इसकी उत्प्लावकता का विश्लेषण वित्त वर्ष 2018-19 से आगे किया गया है तथा कोविड-19 महामारी के कारण वित्त वर्ष 2020-21 को शामिल नहीं किया गया है। राज्य वस्तु एवं सेवा कर की उत्प्लावकता सामान्यतः एक से अधिक रही, किंतु हाल के वर्षों में इसमें घटती प्रवृत्ति देखी गई, यह वित्त वर्ष 2021-22 में 1.56 से घटकर वित्त वर्ष 2022-23 में 1.49 तथा आगे वित्त वर्ष 2023-24 में 1.37 रह गई। उत्पाद शुल्क की उत्प्लावकता में उतार-चढ़ाव देखा गया तथा यह अधिकांश वर्षों में एक से अधिक रही, किंतु वित्त वर्ष 2016-17, वित्त वर्ष 2021-22 तथा वित्त वर्ष 2023-24 में यह एक से कम रही। स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क की उत्प्लावकता वित्त वर्ष 2017-18 से 2022-23 के दौरान, वित्त वर्ष 2019-20 को छोड़कर, सामान्यतः एक से अधिक रही; तथापि वित्त वर्ष 2023-24 में यह घटकर 0.82 रह गई। मोटर वाहन कर ने वित्त वर्ष 2022-23 में मजबूत उत्प्लावकता प्रदर्शित की तथा वित्त वर्ष 2023-24 में भी यह एक से अधिक बनी रही। इसके विपरीत, बिक्री, व्यापार आदि पर कर की उत्प्लावकता कमजोर एवं अस्थिर रही, कुछ वर्षों में ऋणात्मक मान भी दर्ज किए गए, तथा वित्त वर्ष 2023-24 में यह एक से काफी नीचे रही।

चित्र 2.8: एसओटीआर के घटकों की उत्प्लावकता



राज्यों का गैर-कर राजस्व

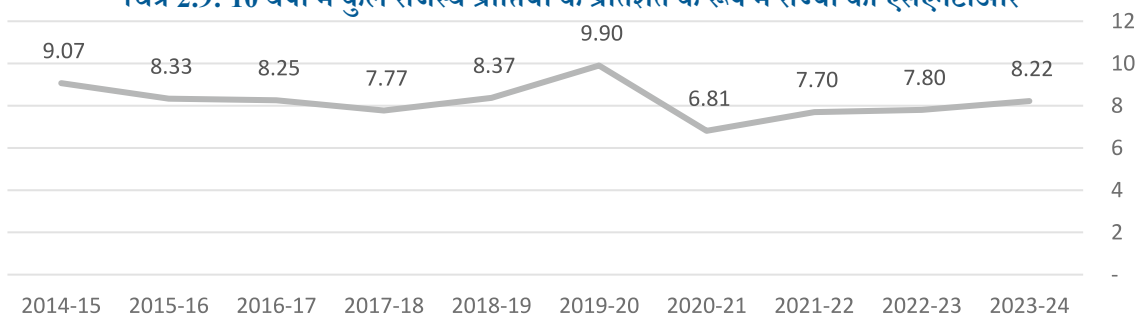
- 2.31** राज्यों के गैर-कर राजस्व में राजकोषीय सेवाओं से प्राप्ति सम्मिलित होती हैं, जैसे-ब्याज, लाभांश एवं लाभ; सामान्य सेवाओं से प्राप्ति, जैसे-शुल्क एवं जुर्माने, किराया, कार्यों से शुल्क की वसूली, सिंचाई आदि से प्राप्ति, भूमि एवं संपत्ति की बिक्री, सामाजिक सेवाओं से शुल्क एवं प्राप्ति; तथा आर्थिक सेवाओं से होने वाली प्राप्ति, जैसे-लाइसेंस शुल्क, उपयोगकर्ता शुल्क, वन उपज, सिंचाई एवं जलविद्युत परियोजनाओं से प्राप्ति, खनिज रियायतें, शुल्क, जुर्माने एवं रॉयल्टी, दावा रहित जमाएँ आदि।
- 2.32** वित्त वर्ष 2023-24 में, सभी राज्यों के गैर-कर राजस्व का हिस्सा उनके कुल राजस्व प्राप्ति का 8.22 प्रतिशत तथा संयुक्त सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.08 प्रतिशत रहा। आठ राज्यों में राज्यों के गैर-कर राजस्व का हिस्सा उनकी राजस्व प्राप्ति के 10 प्रतिशत से अधिक था। ये राज्य थे- ओडिशा (29.52 प्रतिशत), गोवा (23.09 प्रतिशत), झारखंड (15.27 प्रतिशत), छत्तीसगढ़ (14.63 प्रतिशत), तेलंगाना (14.07 प्रतिशत), केरल (13.13 प्रतिशत), गुजरात (10.64 प्रतिशत) तथा सिक्किम (10.47 प्रतिशत)। अनुलग्नक 2.1 में 10-वर्षीय अवधि के लिए राज्य-वार राज्यों के गैर-कर राजस्व की स्थिति दर्शाई गई है।

तालिका 2.7: घटक-वार एसएनटीआर 2023-24 (आंकड़े ₹ करोड़ में)

घटक	राशि	एसएनटीआर का प्रतिशत	जीएसडीपी का प्रतिशत
ब्याज, लाभांश एवं लाभ	34,663	11.12	0.12
खनिज, पेट्रोलियम से संबंधित प्राप्ति	1,35,188	43.37	0.47
अन्य एसएनटीआर	1,41,856	45.51	0.49
कुल एसएनटीआर	3,11,707	100.00	1.08
कुल राजस्व प्राप्ति	37,93,278	राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में एसएनटीआर - 8.22	
जीएसडीपी	2,89,77,861		

- 2.33** वित्त वर्ष 2014-15 से 2023-24 की 10-वर्षीय अवधि के दौरान, सभी राज्यों के संयुक्त गैर-कर राजस्व का हिस्सा, संयुक्त कुल राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में, वित्त वर्ष 2020-21 में न्यूनतम 6.81 प्रतिशत से लेकर वित्त वर्ष 2019-20 में अधिकतम 9.90 प्रतिशत के बीच रहा, जैसा कि चित्र 2.9 में प्रदर्शित है। वित्त वर्ष 2020-21 में 6.81 प्रतिशत का न्यूनतम स्तर कोविड-19 के प्रभाव के कारण था। इसके पश्चात राज्यों के गैर-कर राजस्व से प्राप्ति में ऊर्ध्वगामी प्रवृत्ति देखी गई और यह वित्त वर्ष 2023-24 में संयुक्त राजस्व प्राप्ति के 8.22 प्रतिशत के स्तर तक पहुँच गई। उक्त 10-वर्षीय अवधि के दौरान, ब्याज एवं लाभांश से प्राप्ति में सीमित वृद्धि दर्ज की गई, जबकि अन्य गैर-कर राजस्व में वित्त वर्ष 2014-15 में ₹1,15,623 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में ₹2,77,045 करोड़ तक सतत वृद्धि हुई, जिसका प्रमुख कारण खनिज-संबंधी गतिविधियों से प्राप्ति में तीव्र वृद्धि रहा।

चित्र 2.9: 10 वर्षों में कुल राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में राज्यों का एसएनटीआर



2.34 तालिका 2.8 से स्पष्ट होता है कि सामान्यतः राज्यों के गैर-कर राजस्व का सर्वाधिक हिस्सा रखने वाले शीर्ष छह राज्यों में, राज्यों का गैर-कर राजस्व उनकी कुल राजस्व प्राप्ति का लगभग 13 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक रहा। राज्यों का गैर-कर राजस्व के प्रमुख घटकों में खनिज रियायतों से प्राप्ति; खनिज एवं धातुकर्म; ब्याज एवं लाभांश; कर्मचारी बीमा; गारंटी शुल्क; अव्ययित शेष पर ब्याज; वन एवं वन्यजीवों से प्राप्ति; सिंचाई परियोजनाएँ (मुख्य, मध्यम एवं लघु); तथा विविध प्रशासनिक सेवाओं से प्राप्ति सम्मिलित हैं।

2.35 तालिका 2.8 यह दर्शाती है कि ओडिशा ने खनिज रॉयल्टी से ₹46,400 करोड़ की सर्वाधिक प्राप्ति दर्ज की, जो वित्त वर्ष 2023-24 में उसके गैर-कर राजस्व का लगभग 88 प्रतिशत तथा उसके स्व-कर राजस्व का 85 प्रतिशत रही। खनिज रॉयल्टी से प्राप्ति छत्तीसगढ़ (₹12,795 करोड़ राज्य के गैर-कर राजस्व का 84 प्रतिशत), झारखंड (₹10,597 करोड़ राज्य के गैर-कर राजस्व का 79 प्रतिशत) तथा तेलंगाना (₹12,795 करोड़ राज्य के गैर-कर राजस्व का 23 प्रतिशत) में भी महत्वपूर्ण रहीं। खनिज रॉयल्टी से प्राप्ति के अतिरिक्त, तेलंगाना को भूमि एवं संपत्ति की बिक्री तथा विविध अन्य प्राप्ति से ₹16,478 करोड़ प्राप्त हुए, जो उसके गैर-कर राजस्व का 69 प्रतिशत थे। केरल के गैर-कर राजस्व में, राज्य लॉटरी से ₹12,531 करोड़ की प्राप्ति सबसे बड़ा घटक रहीं, जो उसके गैर-कर राजस्व का 77 प्रतिशत थी। झारखंड एवं छत्तीसगढ़ में, राज्य के गैर-कर राजस्व में वन, पर्यावरण एवं वन्यजीवों से भी प्राप्ति सम्मिलित रहीं, जो क्रमशः ₹816 करोड़ (राज्य के गैर-कर राजस्व का छह प्रतिशत) तथा ₹811 करोड़ (राज्य के गैर-कर राजस्व का पाँच प्रतिशत) थीं।

तालिका 2.8: राजस्व प्राप्ति के 10 प्रतिशत से अधिक एसएनटीआर वाले शीर्ष छह राज्यों के एसएनटीआर के घटक (2023-24) (आंकड़े ₹ करोड़ में)

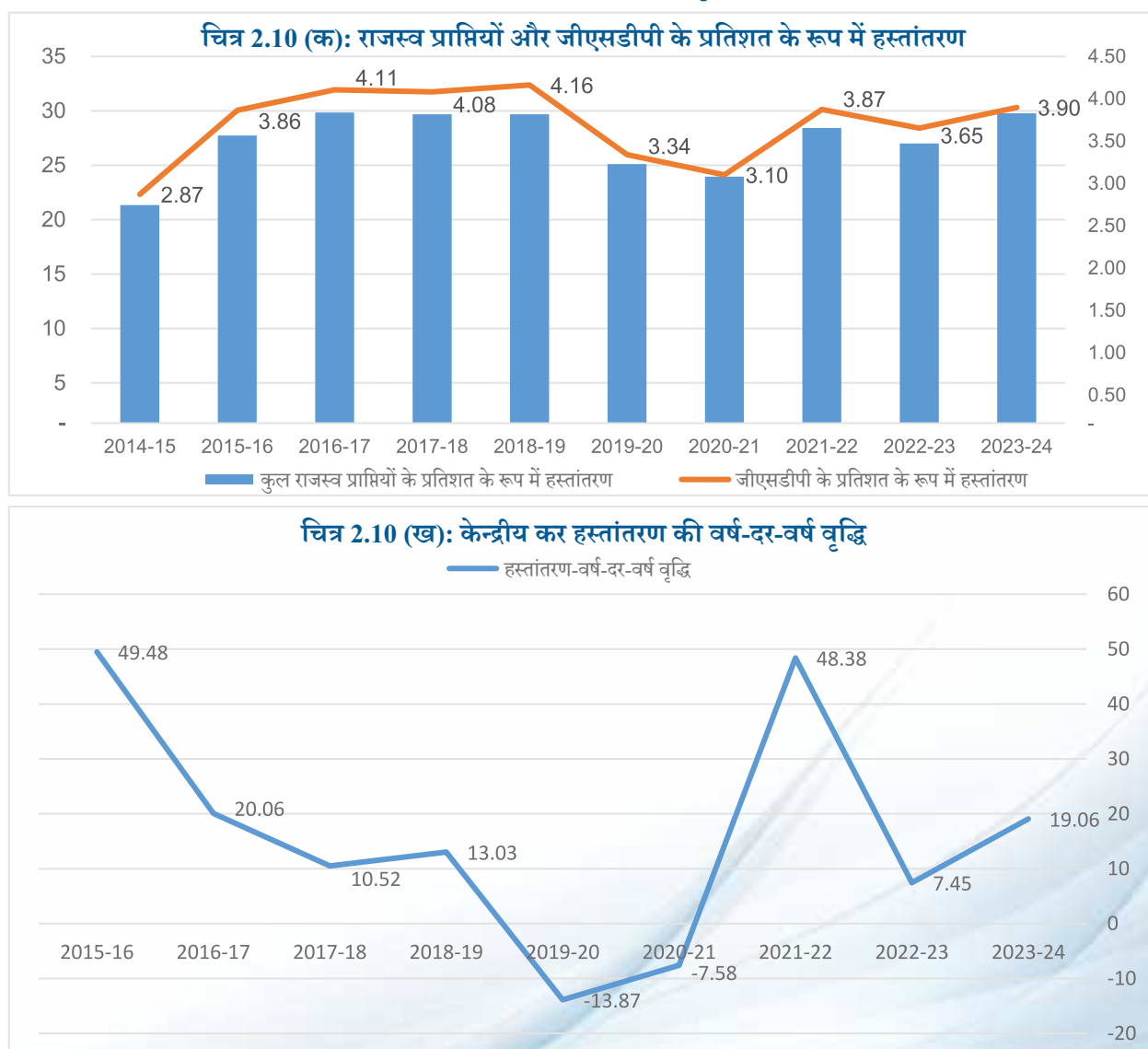
घटक	ओडिशा	गोवा	झारखंड	तेलंगाना	छत्तीसगढ़	केरल
ब्याज, लाभांश एवं लाभ	2,722	34	431	144	179	418
कर्मचारी राज्य बीमा	70	0	0	226	0	217
जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	61	197	14	3	2	0
विविध प्राप्ति (गारंटी शुल्क, अप्रयुक्त शेष राशि पर ब्याज, भूमि की बिक्री, शुल्क)	1,889	1	413	16,478 [^]	8	267
वानिकी, पर्यावरण एवं वन्यजीव	19	7	816	32	811	262
सिंचाई	951	22	202	23	795	63
खनिज/धातुकर्म एवं पेट्रोलियम से रॉयल्टी आदि	46,400	179	10,597	5,440	12,795	555
राज्य लॉटरी	0	30	0	0	0	12,531
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	46	46	5	389	33	230
बंदरगाह	210	20	0	0	0	14
पुलिस, लोक निर्माण आदि	280	13	80	162	82	242
अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	59	886	186	143	44	691
शहरी विकास	10	135	138	266	168	10
विद्युत	2	2,436	7	11	0	0
अन्य	292	212	536	503	231	846
कुल एसएनटीआर	53,011	4,218	13,425	23,820	15,148	16,346
राज्य की कुल राजस्व प्राप्ति	1,79,593	18,272	87,929	1,69,293	1,03,508	1,24,486
राज्य की कुल राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में एसएनटीआर	30	23	15	15	14	13

[^] तेलंगाना को भूमि की बिक्री एवं विविध प्राप्ति से ₹16,478 करोड़ प्राप्त हुए।

संघ करों एवं शुल्कों में राज्यों की हिस्सेदारी

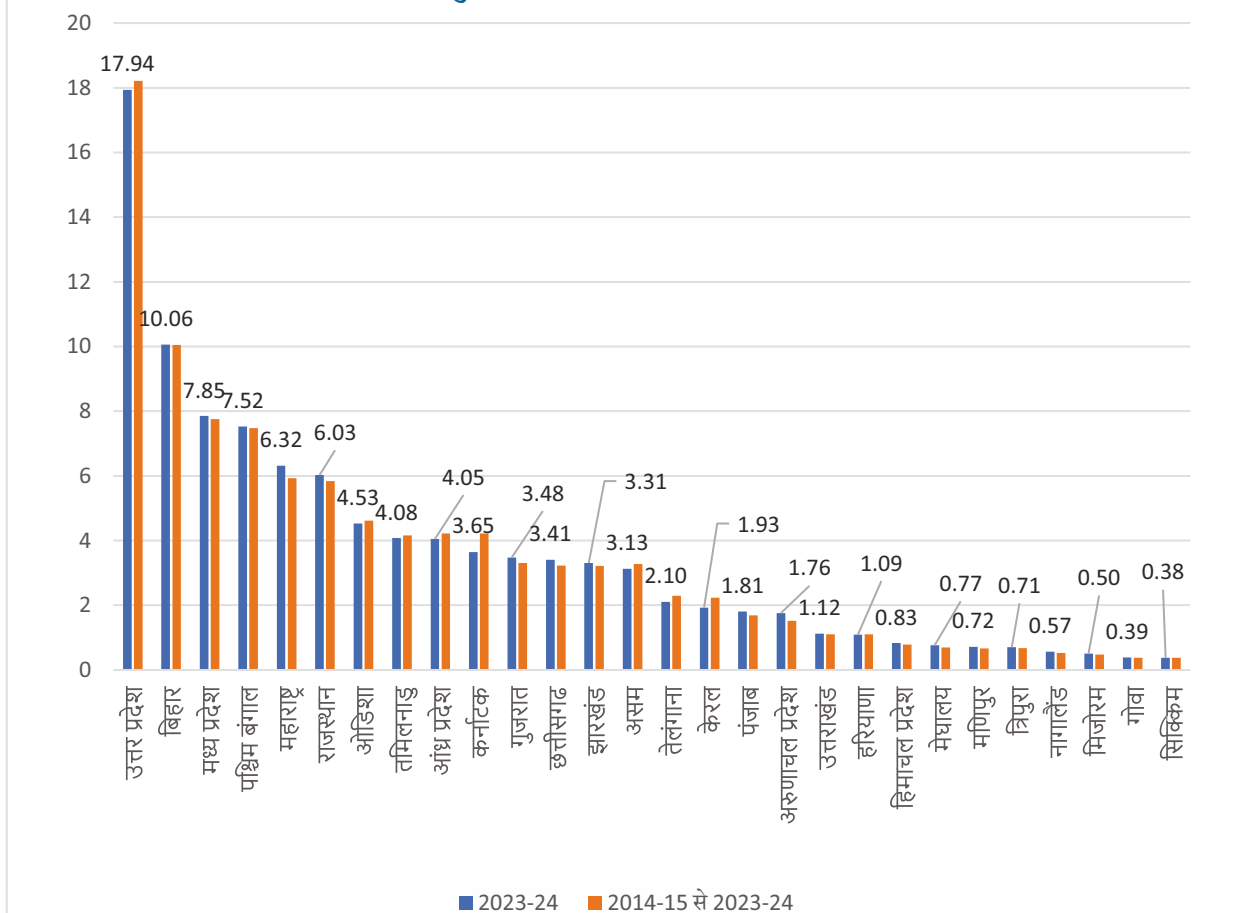
- 2.36** वित्त वर्ष 2023-24 में, संघ करों एवं शुल्कों में राज्यों की हिस्सेदारी उनके संयुक्त राजस्व प्राप्ति का 29.77 प्रतिशत तथा उनके संयुक्त सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.90 प्रतिशत रही।
- 2.37** वित्त वर्ष 2014-15 से 2023-24 की अवधि के दौरान राज्यों की राजस्व प्राप्ति का विश्लेषण यह दर्शाता है कि संघ सरकार से करों एवं शुल्कों के हस्तांतरण में विशेषकर प्रारंभिक दो वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। करों एवं शुल्कों के हस्तांतरण में राज्यों की हिस्सेदारी, सभी राज्यों की संयुक्त कुल राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में, वित्त वर्ष 2014-15 में 21.34 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 29.77 प्रतिशत हो गई। इसी प्रकार, संयुक्त सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में हस्तांतरण वित्त वर्ष 2014-15 में 2.87 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 3.90 प्रतिशत हो गया, जैसा कि चित्र 2.10 (क) में दर्शाया गया है।
- 2.38** निरपेक्ष रूप से, संघ करों एवं शुल्कों में राज्यों की हिस्सेदारी ने 10 वर्षीय अवधि के दौरान ₹3,33,408 करोड़ से बढ़कर ₹11,29,397 करोड़ तक सतत वृद्धि प्रदर्शित की। तथापि, कोविड-19 से प्रभावित वर्षों-वित्त वर्ष 2019-20 तथा वित्त वर्ष 2020-21 में इस राशि में गिरावट दर्ज की गई, जैसा कि चित्र 2.10 (ख) में प्रदर्शित है। अनुलग्नक 2.1 में राज्य-वार 10 वर्षीय विवरण प्रस्तुत किया गया है।

चित्र: 2.10 राज्यों के संयुक्त राजस्व प्राप्ति में केन्द्रीय कर की हिस्सेदारी, जीएसडीपी का प्रतिशत एवं वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि



2.39 वित्त वर्ष 2023-24 में, 10 राज्यों ने संयुक्त रूप से संघ करों एवं शुल्कों में राज्यों की कुल हिस्सेदारी का 72 प्रतिशत प्राप्त किया। ये राज्य थे-उत्तर प्रदेश (17.94 प्रतिशत), बिहार (10.06 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (7.85 प्रतिशत), पश्चिम बंगाल (7.52 प्रतिशत), महाराष्ट्र (6.32 प्रतिशत), राजस्थान (6.03 प्रतिशत), ओडिशा (4.53 प्रतिशत), तमिलनाडु (4.08 प्रतिशत), आंध्र प्रदेश (4.05 प्रतिशत) तथा कर्नाटक (3.65 प्रतिशत)। वित्त वर्ष 2014-15 से 2023-24 की अवधि के दौरान राज्यों को किए गए कुल हस्तांतरण में भी इसी प्रकार का पैटर्न देखा गया, जिसमें कुल हस्तांतरण का लगभग 72 प्रतिशत इन्हीं 10 राज्यों को प्राप्त हुआ। चित्र 2.11 इस वितरण पैटर्न को प्रदर्शित करता है।

चित्र 2.11: 2023-24 में और 2014-15 से 2023-24 की 10 वर्ष की अवधि के दौरान कुल हस्तांतरण में राज्यों का हिस्सा



राज्यों को केंद्रीय अनुदान एवं सहायता

2.40 संघ सरकार द्वारा राज्यों को प्रदान किए जाने वाले अनुदान एवं केन्द्रीय सहायता में मुख्यतः निम्नलिखित सम्मिलित हैं-(i) केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए संघ सरकार की हिस्सेदारी, (ii) वित्त आयोग के अनुदान (स्थानीय निकायों हेतु, क्षेत्र-विशिष्ट अथवा कार्य-विशिष्ट तथा सशर्त अनुदान), तथा (iii) अन्य हस्तांतरण/अनुदान आदि। जीएसटी व्यवस्था के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति को अन्य हस्तांतरण/अनुदान के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है।

2.41 वित्त वर्ष 2023-24 में, राज्यों द्वारा प्राप्त कुल अनुदान एवं सहायता उनके संयुक्त राजस्व प्राप्ति का 12.46 प्रतिशत तथा उनके संयुक्त सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.63 प्रतिशत रही। तालिका 2.9 में वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान अनुदान एवं सहायता के विभिन्न घटकों की हिस्सेदारी दर्शाई गई है।

तालिका 2.9 : केन्द्रीय अनुदान एवं सहायता में घटकों का हिस्सा (2023-24) (आंकड़े ₹ करोड़ में)

घटक	अनुदान एवं केन्द्रीय सहायता की राशि	संयुक्त राजस्व प्राप्ति का प्रतिशत	संयुक्त जीएसडीपी का प्रतिशत
सहायता अनुदान: सीएसएस	2,63,145	6.94	0.91
वित्त आयोग अनुदान	1,44,959	3.82	0.50
अन्य अनुदान एवं केन्द्रीय सहायता	64,362	1.70	0.22
योग	4,72,466	12.46	1.63

2.42 वित्त वर्ष 2023-24 में, 15 राज्यों ने संयुक्त रूप से कुल अनुदानों एवं केन्द्रीय सहायता का 81.49 प्रतिशत प्राप्त किया। ये 15 राज्य थे- उत्तर प्रदेश (11.81 प्रतिशत), महाराष्ट्र (7.63 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (7.35 प्रतिशत), आंध्र प्रदेश (7.34 प्रतिशत), बिहार (5.53 प्रतिशत), गुजरात (5.41 प्रतिशत), तमिलनाडु (5.36 प्रतिशत), राजस्थान (4.75 प्रतिशत), असम (4.68 प्रतिशत), पश्चिम बंगाल (4.67 प्रतिशत), ओडिशा (4.45 प्रतिशत), कर्नाटक (3.29 प्रतिशत), हिमाचल प्रदेश (3.16 प्रतिशत), उत्तराखंड (3.03 प्रतिशत) तथा पंजाब (3.03 प्रतिशत)। शेष 13 राज्यों को शेष राशि प्राप्त हुई। वित्त वर्ष 2014-15 से 2023-24 की अवधि के दौरान राज्यों को प्रदत्त कुल अनुदानों एवं केन्द्रीय सहायता में भी इसी प्रकार का पैटर्न देखा गया, जिसमें कुल अनुदानों एवं केन्द्रीय सहायता का लगभग 80.56 प्रतिशत इन्हीं 15 राज्यों को प्राप्त हुआ।

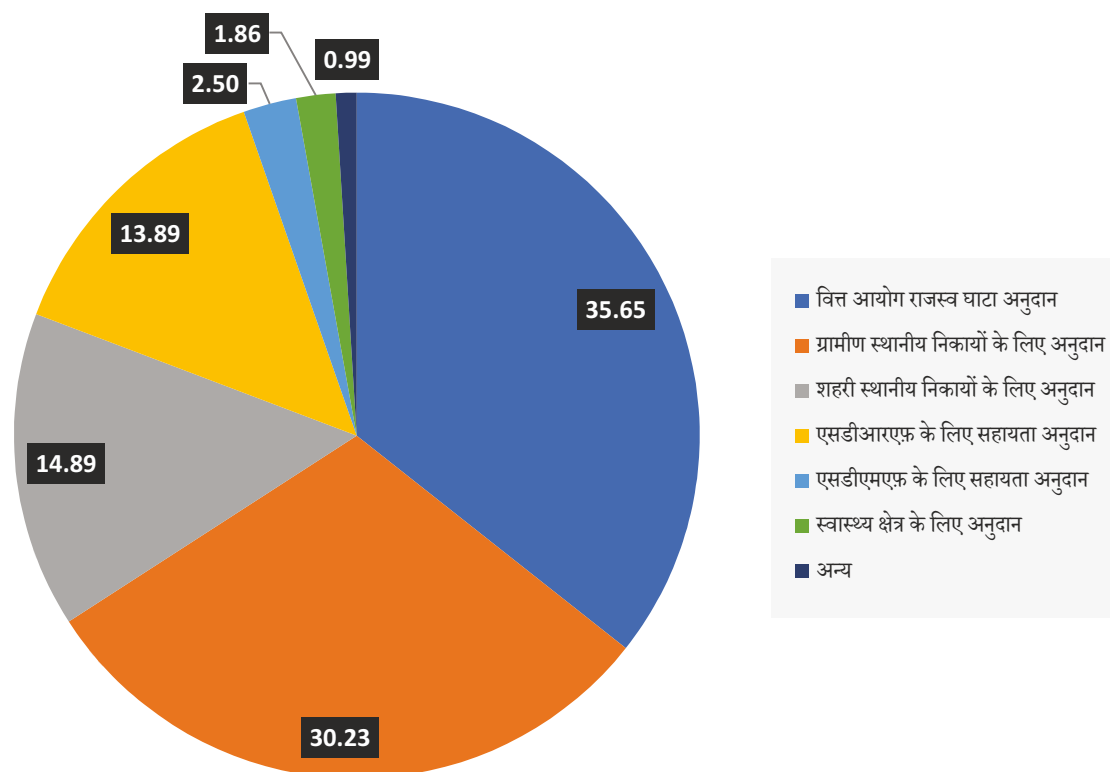
वित्त आयोग अनुदान

2.43 वित्त वर्ष 2023-24 में, विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत वित्त आयोग के कुल अनुदान ₹1,44,959 करोड़ रहे, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में यह ₹1,72,849 करोड़ था। इनमें से लगभग 36 प्रतिशत का सर्वाधिक हिस्सा राजस्व घाटा अनुदान का था। इसके पश्चात पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) हेतु अनुदान 30 प्रतिशत, शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) हेतु अनुदान 15 प्रतिशत, राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) एवं राज्य आपदा शमन निधि (एसडीएमएफ) से संबंधित अनुदान 17 प्रतिशत, तथा स्वास्थ्य क्षेत्र एवं अन्य प्रयोजनों हेतु अनुदान दो प्रतिशत रहे, जैसा कि तालिका 2.10 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.10 : राज्यों को वित्त आयोग अनुदान (आंकड़े ₹ करोड़ में)

घटक	2023-24	कुल वित्त आयोग अनुदानों का प्रतिशत
वित्त आयोग राजस्व घाटा अनुदान	51,673	35.65
ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	43,822	30.23
शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	21,582	14.89
एसडीआरएफ के लिए सहायता अनुदान	20,131	13.89
एसडीएमएफ के लिए सहायता अनुदान	3,629	2.50
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान	2,690	1.86
अन्य	1,432	0.99
योग	1,44,959	100.00

चित्र 2.12: वित्त आयोग अनुदान 2023-24 में घटकों का प्रतिशत



2.44 वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, 13 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में ₹51,673 करोड़ प्राप्त हुए, जो कि कुल वित्त आयोग अनुदानों का 35.65 प्रतिशत है। राजस्व घाटा अनुदानों का 95 प्रतिशत से अधिक हिस्सा 10 राज्यों को गया, जो इस प्रकार हैं: पश्चिम बंगाल (16.17 प्रतिशत), हिमाचल प्रदेश (15.59 प्रतिशत), उत्तराखंड (12.04 प्रतिशत), पंजाब (10.87 प्रतिशत), केरल (9.19 प्रतिशत), नागालैंड (8.61 प्रतिशत), त्रिपुरा (8.08 प्रतिशत), असम (5.65 प्रतिशत), आंध्र प्रदेश (5.21 प्रतिशत) और मणिपुर (4.07 प्रतिशत)।

2.45 वित्त वर्ष 2023-24 में, 28 राज्यों में से 16 राज्य राजस्व अधिशेष में थे और 12 राज्य राजस्व घाटे में थे। सात उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्य-मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड ने पंद्रहवें वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार राजस्व घाटा अनुदान प्राप्त किया। तालिका 2.11 वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व अधिशेष और राजस्व घाटे वाले राज्यों तथा प्राप्त राजस्व घाटा अनुदानों की तुलनात्मक तस्वीर प्रस्तुत करती है।

तालिका 2.11: वित्त वर्ष 2023-24 में वित्त आयोग राजस्व घाटा अनुदान (आंकड़े ₹ करोड़ में)

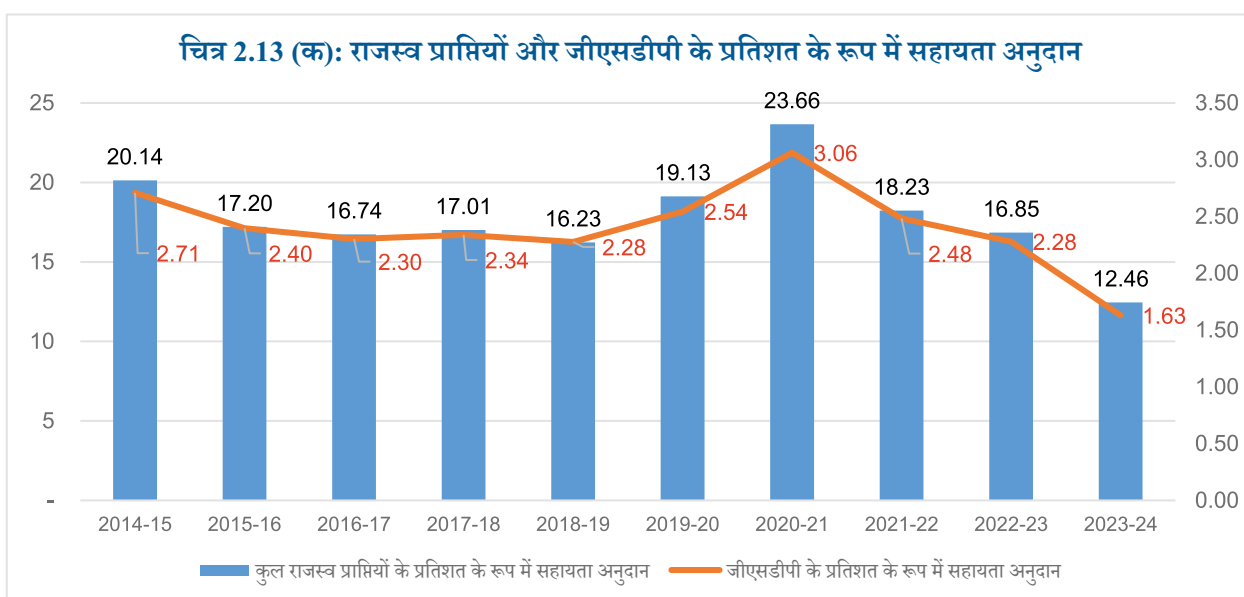
राज्य	राजस्व घाटा (-) / राजस्व अधिशेष (+)	वित्त आयोग राजस्व घाटा अनुदान
आंध्र प्रदेश	-38,683	2,691
अरुणाचल प्रदेश	6,877	0
असम	-2,628	2,918
बिहार	2,833	0
छत्तीसगढ़	-11,233	0
गोवा	1,423	0
गुजरात	33,477	0
हरियाणा	-11,881	0
हिमाचल प्रदेश	-5,559	8,058
झारखंड	11,252	0
कर्नाटक	-9,272	0
केरल	-18,140	4,749
मध्य प्रदेश	12,488	0
महाराष्ट्र	-13,754	0
मणिपुर	884	2,104
मेघालय	1,394	715
मिजोरम	577	1,474
नागालैंड	1,335	4,447
ओडिशा	30,761	0
पंजाब	-28,215	5,618
राजस्थान	-38,955	0
सिक्किम	131	149
तमिलनाडु	-45,121	0
तेलंगाना	779	0
त्रिपुरा	2,196	4,174
उत्तर प्रदेश	36,013	0
उत्तराखंड	3,341	6,223
पश्चिम बंगाल	-25,692	8,353
योग		51,673

2.46 वित्त आयोग के अनुदान वित्त वर्ष 2017-18 में ₹76,336 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में ₹1,44,959 करोड़ हो गए, जिससे सात वर्षीय अवधि के दौरान कुल मिलाकर लगभग 90 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इस प्रवृत्ति में एक प्रमुख अपवाद वित्त वर्ष 2021-22 रहा, जब राजस्व घाटा अनुदानों के उच्च घटक के कारण कुल अनुदान बढ़कर ₹2,07,315 करोड़ हो गए। ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान सामान्यतः स्थिर रहे और वित्त वर्ष 2017-18 से 2023-24 के दौरान इनमें 31 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदानों में 128 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। राज्य आपदा मोचन निधि के लिए सहायता में भी सात वर्षीय अवधि के दौरान 114 प्रतिशत की मध्यम वृद्धि हुई। अनुलग्नक 4 में वित्त आयोग के अनुदानों का सात वर्षों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है।

2.47 कुल केंद्रीय अनुदानों/सहायता ₹4,72,466 करोड़ में से उत्तर प्रदेश (11.81 प्रतिशत), महाराष्ट्र (7.63 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (7.35 प्रतिशत), आंध्र प्रदेश (7.34 प्रतिशत), बिहार (5.53 प्रतिशत), गुजरात (5.41 प्रतिशत), तमिलनाडु (5.36 प्रतिशत), राजस्थान (4.75 प्रतिशत) तथा असम (4.68 प्रतिशत) सहित नौ राज्यों को कुल राशि का लगभग 60 प्रतिशत प्राप्त हुआ।

राज्यों की राजस्व प्राप्तियों में अनुदानों एवं केंद्रीय सहायता की हिस्सेदारी

2.48 वर्ष 2014-15 से 2023-24 की अवधि के दौरान राज्यों की राजस्व प्राप्तियों के विश्लेषण से संघ सरकार से प्राप्त अनुदानों एवं केंद्रीय सहायता की हिस्सेदारी में व्यापक उतार-चढ़ाव परिलक्षित होता है। राज्यों की संयुक्त राजस्व प्राप्तियों में इन अंतरणों की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2014-15 में 20.14 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2020-21 में 23.66 प्रतिशत के शिखर स्तर पर पहुँची, किंतु इसके पश्चात घटकर वर्ष 2023-24 में 12.46 प्रतिशत रह गई। सकल रूप में, अनुदान एवं केंद्रीय सहायता वित्त वर्ष 2014-15 में ₹3,14,655 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में ₹4,72,466 करोड़ हो गई। तथापि, संयुक्त सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के प्रतिशत के रूप में इन अंतरणों की हिस्सेदारी इसी अवधि में 2.71 प्रतिशत से घटकर 1.63 प्रतिशत रह गई, जो राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं के विस्तार की तुलना में संघीय अंतरणों की अपेक्षाकृत धीमी वृद्धि को दर्शाती है। चित्र 2.13 (क) एवं 2.13 (ख) इस प्रवृत्ति को प्रदर्शित करते हैं। अनुलग्नक 2.1 में वर्ष 2014-15 से 2023-24 के दौरान अनुदान एवं केंद्रीय सहायता का राज्य-वार विवरण प्रस्तुत किया गया है।



राज्यों की पूंजीगत प्राप्तियाँ

- 2.49** राज्यों की पूंजीगत प्राप्तियाँ ऋण तथा गैर-ऋण खंडों के अंतर्गत तीन स्रोतों से मिलकर बनती हैं, अर्थात् विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ (जैसे-इक्विटी विनिवेश से प्राप्ति, बोनस शेयर का मूल्य, परिसंपत्ति मौद्रिकरण/पूंजी की निवृत्ति से प्राप्ति); राज्य सरकारों द्वारा दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली; तथा लोक ऋण प्राप्तियाँ। लोक ऋण प्राप्तियों में बाजार से लिए गए आंतरिक ऋण तथा भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं। अनुलग्नक 3 में वर्ष 2014-15 से 2023-24 की अवधि के दौरान पूंजीगत प्राप्तियों का राज्य-वार विवरण प्रस्तुत किया गया है।
- 2.50** वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सभी राज्यों की कुल पूंजीगत प्राप्तियाँ ₹18,10,447 करोड़ थीं। इनके घटक-वार विवरण को तालिका 2.12 में दर्शाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि कुल पूंजीगत प्राप्तियों में ऋण संबंधी पूंजीगत प्राप्तियों की हिस्सेदारी 98.72 प्रतिशत रही।

तालिका 2.12: राज्यों की पूंजीगत प्राप्तियाँ (2023-24) (आंकड़े ₹ करोड़ में)

पूंजीगत प्राप्तियाँ	राशि	कुल पूंजीगत प्राप्तियों का प्रतिशत	जीएसडीपी का प्रतिशत
विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	235	0.01	0.001
ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	22,975	1.27	0.08
संघ सरकार से ऋण एवं अग्रिम	1,42,486	7.87	0.49
आंतरिक ऋण प्राप्तियाँ	16,44,751	90.85	5.68
कुल	18,10,447		6.25
जीएसडीपी	2,89,77,861		

- 2.51** वित्त वर्ष 2023-24 में विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ कुल प्राप्तियों की तुलना में नगण्य रहीं। अधिकांश राज्यों में पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान भी यही स्थिति रही। वित्त वर्ष 2014-15 से 2023-24 की अवधि के दौरान विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ वित्त वर्ष 2017-18 में न्यूनतम ₹174 करोड़ तथा वित्त वर्ष 2020-21 में अधिकतम ₹10,147 करोड़ रहीं। दस वर्षीय अवधि के दौरान गुजरात और हरियाणा ऐसे दो राज्य रहे, जिनमें कई वर्षों में विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ दर्ज की गईं। तालिका 2.13 में पूंजी के निवृत्तिकरण/इक्विटी के विनिवेश, बोनस शेयरों के मूल्य, परिसंपत्तियों के मौद्रिकरण से प्राप्त आय आदि से उत्पन्न विविध पूंजीगत प्राप्तियों की राशि का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 2.13: पूंजीगत प्राप्तियों में प्रमुख राज्यों की हिस्सेदारी (2014-15 से 2023-24 तक) (आंकड़े ₹ करोड़ में)

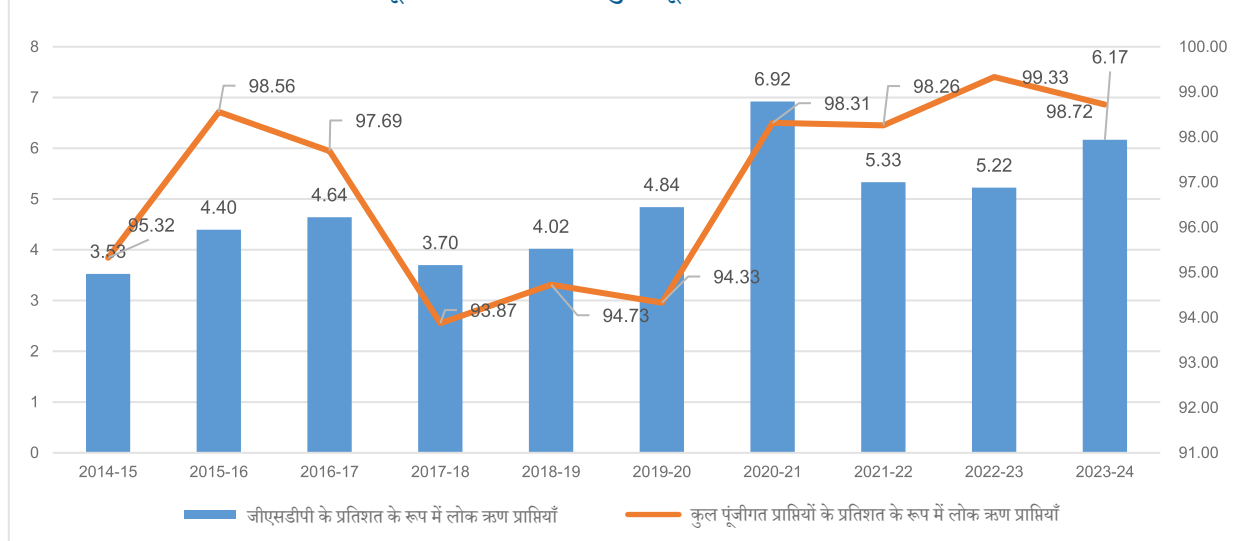
वर्ष	कुल विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ (एमसीआर)	प्रमुख हिस्सा (शीर्ष दो राज्य)		कुल विविध पूंजीगत प्राप्तियों (एमसीआर) का %
2023-24	235	हरियाणा	115	48.94
		केरल	48	20.43
2022-23	711	नागालैंड	450	63.29
		हरियाणा	74	10.41
2021-22	1,773	मध्य प्रदेश	1,598	90.13
		हरियाणा	67	3.78
2020-21	10,147	गुजरात	9,968	98.24
		हरियाणा	63	0.62
2019-20	274	गुजरात	106	38.69
		हरियाणा	54	19.71
2018-19	894	पश्चिम बंगाल	692	77.40
		गुजरात	65	7.27
2017-18	174	हरियाणा	40	22.99
		हिमाचल प्रदेश	35	20.11
2016-17	379	गुजरात	240	63.32
		केरल	30	7.92
2015-16	1,134	पश्चिम बंगाल	653	57.58
		कर्नाटक	352	31.04
2014-15	1,146	हिमाचल प्रदेश	650	56.72
		गुजरात	241	21.03

राज्यों की ऋणगत प्राप्तियाँ

2.52 वित्त वर्ष 2023-24 में सभी राज्यों की कुल लोक ऋण प्राप्तियाँ ₹17,87,237 करोड़ रहीं, जो कुल पूंजीगत प्राप्तियों का 98.72 प्रतिशत तथा संयुक्त सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 6.17 प्रतिशत थीं।

2.53 वित्त वर्ष 2014-15 से 2023-24 की अवधि के दौरान, कुल ऋण एवं गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण प्राप्तियाँ 94 से 99 प्रतिशत के बीच रहीं। कुल सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल लोक ऋण प्राप्तियाँ इसी अवधि के दौरान वित्त वर्ष 2014-15 में लगभग चार प्रतिशत से लेकर वित्त वर्ष 2020-21 में सात प्रतिशत तक रहीं। आंतरिक ऋण से प्राप्तियाँ वित्त वर्ष 2014-15 में ₹3,97,673 करोड़ से निरंतर बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में ₹16,44,751 करोड़ हो गईं। केंद्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिमों के रूप में प्राप्तियों में वित्त वर्ष 2020-21 से आरंभ चार वर्षीय अवधि के दौरान तीव्र वृद्धि देखी गई, जैसा कि चित्र 2.14 में दर्शाया गया है। यह वृद्धि मुख्यतः जीएसटी क्षतिपूर्ति में कमी के बदले में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिए गए बैक-टू-बैक ऋण तथा पूंजीगत व्यय हेतु राज्यों को ऋण के रूप में दी गई विशेष सहायता के कारण हुई।

चित्र 2.14: ऋण पूंजीगत प्राप्ति और कुल पूंजीगत प्राप्ति 2014-15 से 2023-24



निष्कर्ष

- 2.54** वित्त वर्ष 2014-15 से 2023-24 की अवधि के दौरान राज्यों की प्राप्ति में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई, जिससे राज्यों के समग्र संसाधन आधार का विस्तार हुआ, साथ ही प्राप्ति की संरचना में भी परिवर्तन देखने को मिला। राज्यों का स्व-कर राजस्व इस अवधि में राजस्व प्राप्ति का प्रमुख घटक बना रहा और वित्त वर्ष 2014-15 में ₹7.73 लाख करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में ₹18.80 लाख करोड़ हो गया। यद्यपि वित्त वर्ष 2023-24 में इसकी उत्पादकता 0.92 रही, जो वित्त वर्ष 2022-23 के 1.43 की तुलना में कम थी। कुल राजस्व प्राप्ति में राज्यों के स्व-कर राजस्व की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2015-16 से 2023-24 की अवधि के दौरान निरंतर बढ़ती हुई परिलक्षित हुई।
- 2.55** संघ करों एवं शुल्कों में राज्यों की हिस्सेदारी संयुक्त राजस्व प्राप्ति के 21.34 प्रतिशत (वित्त वर्ष 2014-15) से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 29.77 प्रतिशत हो गई, जो चौदहवें एवं पंद्रहवें वित्त आयोगों की संस्तुतियों के पश्चात हस्तांतरण में वृद्धि के प्रभाव को दर्शाती है। इसके विपरीत, अनुदानों एवं केंद्रीय सहायता की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2014-15 में 20.14 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 2023-24 में 12.46 प्रतिशत रह गई, जो स्वयं के राजस्व जुटाने तथा कर-हस्तांतरण पर बढ़ती निर्भरता की ओर संकेत करती है।
- 2.56** राज्यों का गैर-कर राजस्व वित्त वर्ष 2014-15 में समग्र रूप में ₹1.42 लाख करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में ₹3.12 लाख करोड़ हो गया। तथापि, कुल राजस्व प्राप्ति में इसकी हिस्सेदारी इसी अवधि में 9.07 प्रतिशत से घटकर 8.22 प्रतिशत रह गई। यह प्रवृत्ति राज्यों के बीच पर्याप्त रूप से भिन्न रही, जिसका प्रमुख कारण प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता तथा राजस्व प्रशासन की प्रभावशीलता रहा। पूंजी पक्ष पर, लोक ऋण प्राप्ति वित्त वर्ष 2014-15 में ₹4.10 लाख करोड़ से तीव्र वृद्धि के साथ बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में ₹17.87 लाख करोड़ हो गई तथा वित्त वर्ष 2023-24 में कुल पूंजीगत प्राप्ति का 98 प्रतिशत से अधिक हिस्सा इन्हीं का रहा।

अध्याय 3

राज्यों का व्यय

राज्यों का व्यय

राज्यों द्वारा व्यय का विहंगावलोकन

- 3.1** संघीय ढांचे में, राज्यों की जिम्मेदारी उन कार्यों के लिए होती है जो भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची के अंतर्गत उन्हें सौंपे गए हैं। वे समवर्ती सूची के अंतर्गत प्रासंगिक क्षेत्रों के लिए भी उत्तरदायी हैं। राज्य की माल एवं सेवाओं की आपूर्ति एवं शासन संबंधी कार्यों के लिए बजटीय व्यय की आवश्यकता होती है। राज्य भी अपनी एजेंसियों के माध्यम से संघ सरकार द्वारा संकल्पित एवं डिजाइन की गई केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) को संघ एवं राज्यों के बीच साझा वित्तपोषण पैटर्न के साथ क्रियान्वित करते हैं। सीएसएस का साझाकरण पैटर्न राज्यों को सामान्य श्रेणी के राज्यों एवं अन्य राज्यों (जैसे, सीमावर्ती एवं पहाड़ी क्षेत्रों या विशिष्ट आवश्यकताओं वाले) के रूप में समझने पर आधारित है।
- 3.2** राज्यों के व्यय में राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय सम्मिलित हैं। राजस्व व्यय अनुरक्षण, मरम्मत, रखरखाव एवं संचालन व्यय से संबंधित है, जो परिसंपत्तियों को कार्यशील स्थिति में बनाए रखने के लिए आवश्यक है, साथ ही संगठन के दिन-प्रतिदिन के संचालन के लिए किए गए अन्य सभी व्यय, जिनमें स्थापना एवं प्रशासनिक व्यय भी सम्मिलित हैं। पूंजीगत व्यय में संगठन में उपयोग के लिए स्थायी प्रकृति की मूर्त परिसंपत्तियों को अर्जित करने के उद्देश्य से किया गया महत्वपूर्ण व्यय सम्मिलित है, न कि व्यवसाय के सामान्य क्रम में बिक्री के लिए या मौजूदा परिसंपत्तियों की उपयोगिता बढ़ाने एवं ऋण की अदायगी तथा ऋण एवं अग्रिम प्रदान करने के लिए किया गया व्यय। राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय दोनों का वर्गीकरण सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं एवं आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत प्रकारों के अनुसार किया जाता है। सेवाओं की तीन श्रेणियों के अंतर्गत सभी व्ययों को प्रकारों (कार्यात्मक वर्गीकरण), कार्यक्रमों, योजनाओं एवं व्यय के उद्देश्य (आर्थिक वर्गीकरण) के अनुसार वर्गीकृत किया गया है।
- 3.3** वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान राज्यों का कुल बजटीय व्यय (राजस्व एवं पूंजीगत व्यय¹⁰ सहित) ₹46,80,684 करोड़ रहा, जो उनकी संयुक्त सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) ₹2,89,77,861 करोड़ का 16.15 प्रतिशत था। वर्ष के दौरान संघ एवं राज्यों का संयुक्त बजटीय व्यय ₹95,33,257 करोड़ रहा, जो ₹3,04,57,109 करोड़ की राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 31.30 प्रतिशत था। अनुलग्नक-5 में वर्ष 2014-15 से 2023-24 की 10 वर्षीय अवधि के दौरान राज्यों के राजस्व एवं पूंजीगत व्यय का विवरण दर्शाया गया है।
- 3.4** वर्ष 2014-15 से 2023-24 की अवधि के दौरान राज्यों के बजटीय व्यय का संयुक्त जीएसडीपी में हिस्सा वित्त वर्ष 2023-24 में न्यूनतम 16.15 प्रतिशत तथा वित्त वर्ष 2016-17 में अधिकतम 17.49 प्रतिशत रहा। उसी अवधि के दौरान संघ एवं राज्यों का संयुक्त बजटीय व्यय वित्त वर्ष 2018-19 में जीडीपी के 30.24 प्रतिशत से लेकर वित्त वर्ष 2020-21 में 35.67 प्रतिशत के स्तर तक रहा।

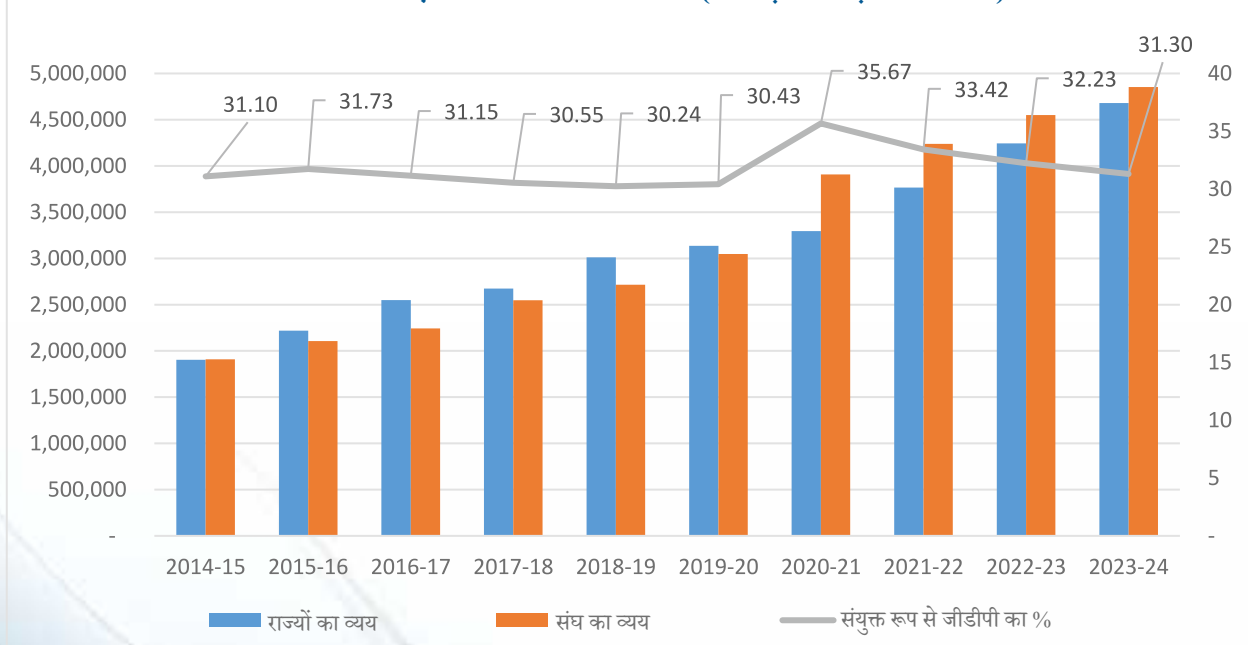
¹⁰ लोक ऋण के पुनर्भुगतान शामिल नहीं है।

तालिका 3.1: सरकारों का बजटीय व्यय (2014-15 से 2023-24 तक) (आंकड़े ₹ करोड़ में)

वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
राज्यों का व्यय	19,04,272	22,18,024	25,48,788	26,74,809	30,12,218	31,35,956	32,94,708	37,65,774	42,43,920	46,80,684
जीएसडीपी	1,16,15,510	1,28,96,832	1,45,73,168	1,62,01,897	1,79,57,451	1,92,78,563	1,91,92,024	2,27,94,133	2,59,60,885	2,89,77,861
जीएसडीपी के % के रूप में राज्यों का व्यय	16.39	17.20	17.49	16.51	16.77	16.27	17.17	16.52	16.35	16.15
संघीय व्यय	19,09,144	21,05,667	22,42,501	25,47,336	27,15,761	30,48,206	39,07,646	42,38,533	45,50,514	48,52,572
कुल व्यय (संघ एवं राज्य)	38,13,416	43,23,691	47,91,289	52,22,145	57,27,980	61,84,162	72,02,354	80,04,307	87,94,434	95,33,257
जीडीपी	1,22,63,280	1,36,26,727	1,53,82,936	1,70,95,870	1,89,39,013	2,03,25,762	2,01,88,996	2,39,50,666	2,72,87,270	3,04,57,109
जीडीपी के % के रूप में संघ एवं राज्यों का कुल व्यय	31.10	31.73	31.15	30.55	30.24	30.43	35.67	33.42	32.23	31.30

3.5 चित्र 3.1 में वर्ष 2014-15 से 2023-24 की 10 वर्षीय अवधि के दौरान संघ तथा राज्य सरकारों के बजटीय व्यय को दर्शाया गया है। यह देखा गया है कि राज्य सरकारों के संयुक्त व्यय का दशकीय प्रवृत्ति, इस अवधि में संघ सरकार¹¹ के व्यय के समान ही रहा है। पिछले 10 वर्षों की अवधि के दौरान संघ सरकार एवं राज्य सरकारों का संयुक्त व्यय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लगभग एक-तिहाई के स्तर पर बना रहा, यह वित्त वर्ष 2014-15 में जीडीपी का 31.10 प्रतिशत तथा वित्त वर्ष 2023-24 में 31.30 प्रतिशत रहा, जबकि इस अवधि के दौरान सर्वाधिक स्तर वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी के 35.67 प्रतिशत के रूप में दर्ज किया गया।

चित्र 3.1: संघ एवं राज्यों का बजटीय व्यय (आँकड़े ₹ करोड़ / प्रतिशत में)



क्षेत्रवार व्यय

3.6 सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के तहत राजस्व एवं पूंजीगत व्यय के साथ-साथ सहायता अनुदान को नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है:

¹¹ संघ सरकार के व्यय में राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान और हस्तांतरण भी शामिल हैं, जिनका उपयोग राज्यों द्वारा व्यय के लिए भी किया जाता है, और यदि इन्हें नेट किया जाए, तो संघ या राज्यों में से किसी एक के व्यय का आंकड़ा कम हो जाएगा।

सामान्य सेवाओं में राजकोषीय प्रकृति के कार्य (ब्याज भुगतान, कर प्रशासन का व्यय), राज्य के अंग (विधानमंडल, राज्यपाल, मंत्री, चुनाव, न्यायपालिका), प्रशासनिक प्रकृति (पुलिस, सार्वजनिक कार्य, प्रशासन), पेंशन भुगतान शामिल हैं।

सामाजिक सेवाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, जल आपूर्ति, आवास, सामाजिक कल्याण, पोषण, रोजगार आदि शामिल हैं।

आर्थिक सेवाओं में ग्रामीण विकास और विशेष क्षेत्र कार्यक्रम, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, ऊर्जा, उद्योग और खनिज, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यटन, नागरिक आपूर्ति आदि शामिल हैं।
सहायता अनुदान व्यय की चौथी श्रेणी है।

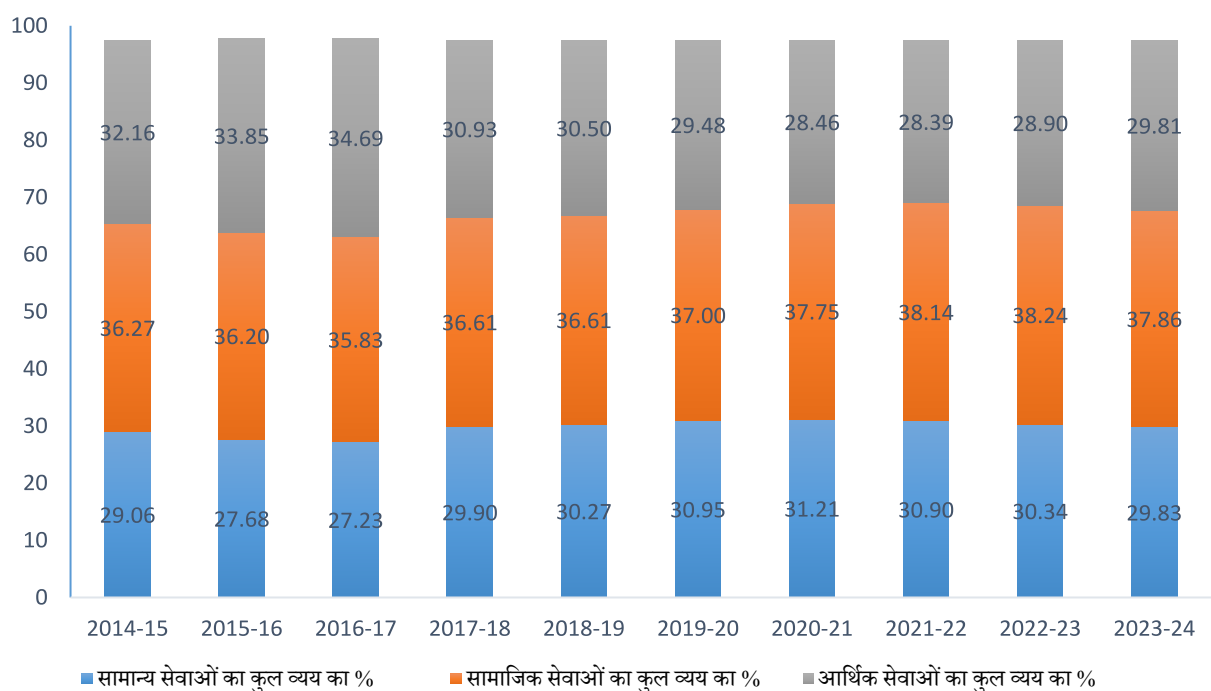
3.7 वित्त वर्ष 2023-24 में राज्यों का संयुक्त व्यय (राजस्व एवं पूंजीगत) ₹46,80,684 करोड़ था। वित्त वर्ष 2023-24 में क्षेत्रवार व्यय, राजस्व एवं पूंजीगत व्यय इस प्रकार थे।

तालिका 3.2: वित्त वर्ष 2023-24 में राज्यों का क्षेत्रवार व्यय (आंकड़े ₹ करोड़ में)

राज्यों का व्यय	सामान्य क्षेत्र	सामाजिक क्षेत्र	आर्थिक क्षेत्र	अन्य (क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन, सहायता अनुदान, तथा अन्य को ऋण एवं अग्रिम)	योग
क्षेत्रवार राजस्व व्यय	13,53,580	15,24,598	9,04,179	1,14,291	38,96,647
क्षेत्रवार पूंजीगत व्यय	42,644	2,47,285	4,90,973	3,136	7,84,037
कुल	13,96,224	17,71,883	13,95,152	1,17,427	46,80,684
राजस्व व्यय के % के रूप में क्षेत्रवार राजस्व व्यय	34.74	39.13	23.2	2.93	100
पूंजीगत व्यय के % के रूप में क्षेत्रवार पूंजीगत व्यय	5.44	31.54	62.62	0.40	100
कुल व्यय के % के रूप में कुल क्षेत्रवार व्यय	29.83	37.86	29.81	2.51	100
जीएसडीपी के % के रूप में क्षेत्रवार राजस्व व्यय	4.67	5.26	3.12	0.39	13.45
जीएसडीपी के % के रूप में क्षेत्रवार पूंजीगत व्यय	0.15	0.85	1.69	0.01	2.71

- 3.8** वित्त वर्ष 2023-24 में, सामान्य क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र एवं आर्थिक क्षेत्र पर व्यय कुल ₹46,80,684 करोड़¹² का क्रमशः 29.83 प्रतिशत, 37.86 प्रतिशत एवं 29.81 प्रतिशत रहा। व्यय की आंतरिक संरचना से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक क्षेत्र के व्यय के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में क्रमशः 5.44 प्रतिशत, 31.54 प्रतिशत एवं 62.62 प्रतिशत रहा। व्यय की यह संरचना दर्शाती है कि बुनियादी ढांचे, उद्योग एवं व्यापार से जुड़े आर्थिक क्षेत्र को अधिक पूंजी निवेश प्राप्त हुआ है। दूसरी ओर, प्रशासन, राजकोषीय व्यय सहित सामान्य क्षेत्र मूलतः राजस्व प्रकृति का रहा।
- 3.9** वित्त वर्ष 2023-24 में सभी राज्यों के लिए कुल सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र व्यय (राजस्व एवं पूंजीगत ₹31,67,035 करोड़) ₹46,80,684 करोड़ के कुल व्यय का 67.66 प्रतिशत था। 2014-15 से 2023-24 की दस वर्ष की अवधि के लिए, सभी राज्यों का सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र व्यय वित्त वर्ष 2020-21 में संयुक्त कुल व्यय का 66.21 प्रतिशत से वित्त वर्ष 2016-17 में संयुक्त कुल व्यय का 70.52 प्रतिशत के बीच रहा है। अनुलग्नक 6, 7 और 8 में क्रमशः क्षेत्रवार राजस्व, क्षेत्रवार पूंजीगत एवं कुल क्षेत्रवार व्यय का राज्यवार 10 वर्षों का विवरण दिया गया है।

चित्र 3.2: : कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में सामान्य, सामाजिक और आर्थिक व्यय

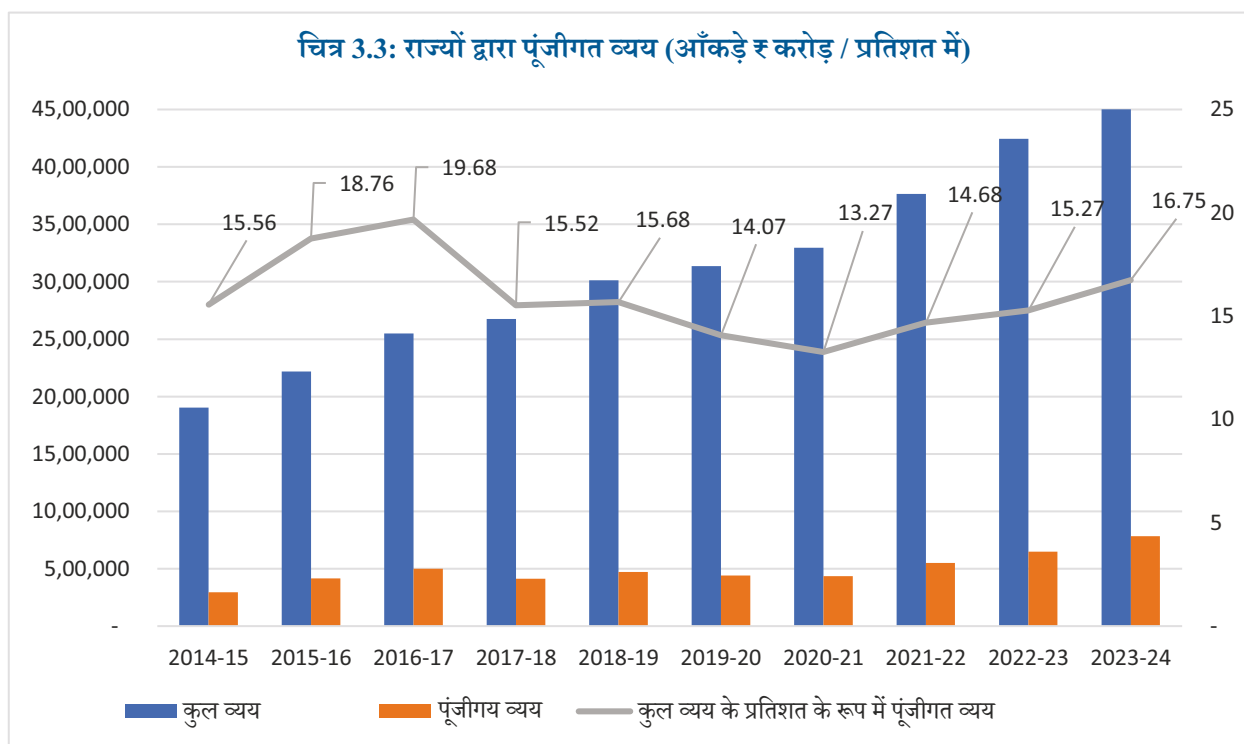


पूंजीगत व्यय

- 3.10** वित्त वर्ष 2023-24 में ₹7,84,037 करोड़ का पूंजीगत व्यय राज्यों के कुल व्यय का 16.75 प्रतिशत रहा, शेष 83.25 प्रतिशत राजस्व व्यय था। 10 वर्ष की अवधि के दौरान, वित्त वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में पूंजीगत व्यय के हिस्से में तेजी देखी गई। इन दो वित्त वर्षों में पूंजीगत व्यय में वृद्धि का कारण राज्यों द्वारा विद्युत क्षेत्र के राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की अंश-पूंजी निवेश तथा 14 राज्य सरकारों द्वारा उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के अंतर्गत राज्य स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कंपनियों के 75 प्रतिशत ऋण का अधिग्रहण कर विद्युत क्षेत्र उपक्रमों को ऋण प्रदान करना रहा है।

¹² शेष 2.50 प्रतिशत सहायता अनुदान तथा अन्य ऋणों पर है जो किसी विशिष्ट क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते।

चित्र 3.3: राज्यों द्वारा पूंजीगत व्यय (आँकड़े ₹ करोड़ / प्रतिशत में)



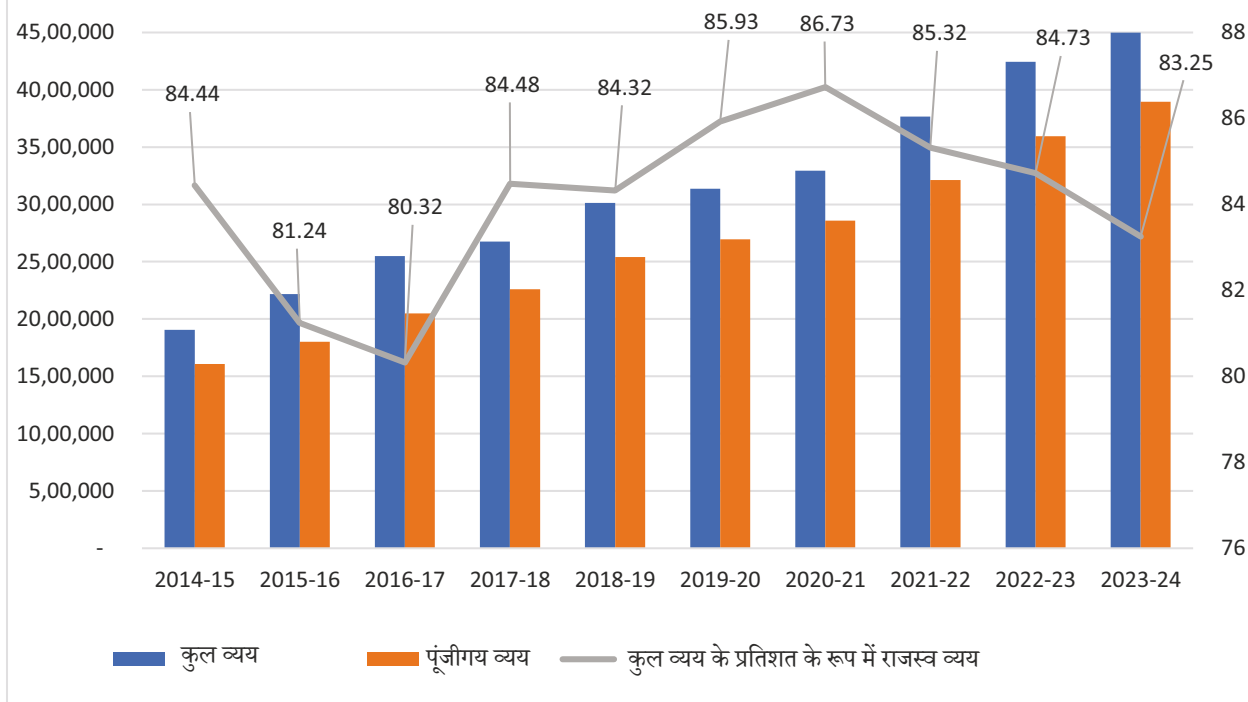
3.11 औसतन, राज्यों का पूंजीगत व्यय 2014-15 से 2023-24 की 10 वर्ष की अवधि में कुल बजटीय व्यय के 13-20 प्रतिशत के दायरे में रहा है; वित्त वर्ष 2016-17 में यह सर्वाधिक 19.68 प्रतिशत एवं वित्त वर्ष 2020-21 में सबसे कम 13.27 प्रतिशत रहा है। वित्त वर्ष 2014-15 की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 में कुल बजटीय व्यय तथा पूंजीगत व्यय के हिस्से की तुलना से यह संकेत मिलता है कि वित्त वर्ष 2014-15 की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 में बजटीय व्यय की मात्रा में 146 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो कि इसी अवधि के दौरान 165 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करने वाले पूंजीगत व्यय की वृद्धि दर से कम रही। अनुलग्नक 5 में 10 वर्षों की अवधि के दौरान राजस्व एवं पूंजीगत व्यय की राज्यवार प्रवृत्ति प्रस्तुत की गई है।

3.12 भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 से 'पूंजीगत व्यय हेतु ऋण के रूप में विशेष सहायता योजना' के अंतर्गत राज्यों को 50 वर्ष की अवधि के लिए ब्याज-मुक्त ऋण के रूप में विशेष सहायता प्रदान की जा रही है। वित्त वर्ष 2023-24 तक पूंजीगत व्यय हेतु कुल अंतरण ₹2,16,765 करोड़ रहा, जिसमें से ₹1,09,554 करोड़ वित्त वर्ष 2023-24 में प्रदान किया गया, जो कि वित्त वर्ष 2022-23 में ₹81,195 करोड़ की तुलना में 35 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। राज्यों का कुल पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 2022-23 में ₹6,48,184 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में ₹7,84,037 करोड़ हो गया, जो वार्षिक आधार पर 21 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। वित्त वर्ष 2023-24 में राज्यों द्वारा पूंजीगत व्यय में हुई इस वृद्धि का आंशिक वित्तपोषण भारत सरकार से ऋण के रूप में प्राप्त सहायता से किया गया।

राजस्व व्यय: संरचना एवं प्रकृति

3.13 वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व व्यय कुल व्यय का 83.25 प्रतिशत एवं संयुक्त जीएसडीपी का 13.45 प्रतिशत था। राजस्व व्यय का एक बड़ा हिस्सा प्रतिबद्ध व्यय होता है। वेतन, पेंशन एवं लोक ऋण व देयताओं पर ब्याज भुगतान को 'प्रतिबद्ध व्यय' माना जाता है। वित्त वर्ष 2023-24 में, ₹38,96,647 करोड़ के कुल राजस्व व्यय में से, प्रतिबद्ध व्यय ₹16,86,393 करोड़ था और सब्सिडी पर व्यय लगभग ₹3,30,269 करोड़ के स्तर का रहा। इन दोनों घटकों पर ₹20,16,662 करोड़ का व्यय हुआ, जो कुल राजस्व व्यय के 51 प्रतिशत से अधिक था।

चित्र 3.4: राज्यों द्वारा राजस्व व्यय (आँकड़े ₹ करोड़ / प्रतिशत में)



3.14 2014-15 से 2023-24 की 10 वर्ष की अवधि के दौरान, राज्यों द्वारा राजस्व व्यय कुल व्यय का 80-87 प्रतिशत था एवं संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के प्रतिशत के रूप में, यह 13-15 प्रतिशत के बीच रहा। चित्र 3.4 में 10 वर्षीय अवधि के दौरान राजस्व व्यय की प्रवृत्ति को दर्शाया गया है।

राजस्व और पूंजीगत व्यय के बीच गलत वर्गीकरण

3.15 वित्त वर्ष 2023-24 के व्यय आँकड़ों के विश्लेषण से यह संकेत मिलता है कि कई राज्यों में राजस्व एवं पूंजीगत मदों के बीच व्यय के गलत वर्गीकरण के उदाहरण पाए गए हैं, जिससे कुछ राजकोषीय संकेतकों की विश्वसनीयता प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कुल ₹27,289 करोड़ का व्यय, जो वस्तुतः राजस्व व्यय था, पूंजीगत मदों के अंतर्गत लेखांकित किया गया, जबकि ₹173 करोड़ का पूंजीगत व्यय राजस्व मदों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया। इस प्रकार का गलत वर्गीकरण राजस्व व्यय की न्यूनता तथा पूंजीगत व्यय के आधिक्य का कारण बनता है, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व घाटे की न्यूनता अथवा राजस्व अधिशेष का आधिक्य हो जाता है।

तालिका 3.3: वित्त वर्ष 2023-24 के लिए
व्यय के गलत वर्गीकरण का विवरण (आँकड़े ₹ करोड़ में)

राज्य	राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण	पूंजीगत व्यय का राजस्व व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण
आंध्र प्रदेश	54	0
अरुणाचल प्रदेश	27	0
असम	5,755	11
बिहार	23	0
छत्तीसगढ़	3,657	39

राज्य	राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण	पूंजीगत व्यय का राजस्व व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण
झारखंड	4,536	0
कर्नाटक	1	0
मध्य प्रदेश	1,575	4
महाराष्ट्र	3,545	0
मेघालय	1	0
नागालैंड	1	14
ओडिशा	4,565	0
राजस्थान	5	0
तेलंगाना	259	42
त्रिपुरा	1,489	0
उत्तर प्रदेश	283	0
उत्तराखंड	606	63
पश्चिम बंगाल	908	0
कुल	27,289	173

स्रोत: संबंधित वित्त लेखों की टिप्पणी।

3.16 राजस्व व्यय को पूंजीगत मदों के अंतर्गत लेखांकित किए जाने के महत्वपूर्ण उदाहरण देखे गए, जिनमें असम में ₹5,755 करोड़, ओडिशा में ₹4,565 करोड़, झारखंड में ₹4,536 करोड़, छत्तीसगढ़ में ₹3,657 करोड़ तथा महाराष्ट्र में ₹3,545 करोड़ शामिल हैं। ये पाँच राज्य मिलकर कुल गलत रूप से वर्गीकृत राजस्व व्यय का 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सा रखते हैं। अपेक्षाकृत छोटे किंतु उल्लेखनीय मामले भी देखे गए, जिनमें त्रिपुरा में ₹1,489 करोड़, मध्य प्रदेश में ₹1,575 करोड़ तथा आंध्र प्रदेश में ₹54 करोड़ शामिल हैं।

व्यय की पूर्णता को प्रभावित करने वाले कुछ कारक

3.17 वित्त वर्ष 2023-24 में राज्यों का बजटीय व्यय (राजस्व एवं पूंजीगत व्यय) ₹46,80,684 करोड़ रहा। तथापि, लेखापरीक्षित खातों में दर्शाए गए व्यय की पूर्णता दो महत्वपूर्ण कारणों से प्रभावित हुई है, अर्थात् व्यक्तिगत लेजर खातों (जिन्हें व्यक्तिगत जमा (पी.डी.) खाते भी कहा जाता है) का संचालन तथा अग्रिम आकस्मिक (ए.सी.) बिलों पर राशि का आहरण, जो कुछ राज्यों में वित्त वर्ष 2023-24 के अंत तक समायोजित नहीं किया गया।

व्यक्तिगत जमा खाते

3.18 व्यक्तिगत जमा (पी.डी.) खाते राज्य वित्तीय नियमों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से कोषागार में संधारित किए जाते हैं। पी.डी. खाते बिना ब्याज वाले जमा होते हैं, जिन्हें लोक लेखों के अंतर्गत 8443-सिविल जमा-106-व्यक्तिगत जमा शीर्ष के तहत वर्गीकृत किया जाता है। राज्य कोषागारों में बैंक खातों की भाँति कार्य करते हुए, इनका उपयोग विशिष्ट सरकारी निधियों-मुख्यतः योजनाओं से संबंधित धनराशि के प्रबंधन हेतु किया जाता है, ताकि ये राशियाँ सरकार की सामान्य राजस्व निधि से पृथक बनी रहें। इसका प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जमा की गई धनराशि का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जाए, जिसके लिए उसे जमा किया गया था।

3.19 आवश्यक स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात राज्य की संचित निधि (सीएफएस) से धनराशि का पी.डी. खातों में अंतरण किया जाता है। निर्धारित उद्देश्य के लिए बनाए गए और वित्त वर्ष में उपयोग हेतु निर्धारित पी.डी. खाते सामान्यतः वर्ष के अंत में बंद किए जाने आवश्यक होते हैं तथा किसी भी अप्रयुक्त शेष राशि को सीएफएस में वापस जमा कर

दिया जाता है। सामान्यतः, वित्त वर्ष के समापन के पश्चात बड़ी अप्रयुक्त शेष राशि को सीएसएफ में वापस किए बिना बनाए रखना विधायी मंशा के अनुरूप नहीं होगा। वित्त वर्ष 2023-24 के अंत में अधिकांश राज्यों ने पी.डी. खातों में शून्य या नगण्य शेष राशि की सूचना दी, जबकि कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और ओडिशा¹³ में पी.डी. खातों में काफी अप्रयुक्त शेष राशि रिपोर्ट की गई। कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में, इन राज्यों के पी.डी. खातों में बकाया शेष राशि राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में लगभग पाँच प्रतिशत से लेकर कर्नाटक¹⁴ में लगभग 11 प्रतिशत तक रही।

3.20 सभी राज्यों को मिलाकर, वर्ष के अंत में पी.डी. खातों में समग्र शेष राशि पिछले दशक में उल्लेखनीय रूप से बढ़ी, जो वित्त वर्ष 2014-15 में ₹29,132 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में ₹1,07,596 करोड़ हो गई। यह लगभग ₹78,464 करोड़ या 269 प्रतिशत की संचयी वृद्धि को दर्शाता है। वर्षों के दौरान, अधिकांश राज्यों ने ऐसे खातों को या तो बंद कर दिया है या पूरी तरह संचालित करने से परहेज किया है, जो प्रत्यक्ष निधि हस्तांतरण को बढ़ावा देने और मध्यवर्ती जमा खातों पर निर्भरता कम करने के लिए लागू सुधारात्मक उपायों के अनुरूप है। 10 वर्षीय अवधि के दौरान पी.डी. खातों का राज्यवार विवरण अनुलग्नक-9 में प्रस्तुत किया गया है।

3.21 उत्तर प्रदेश सरकार ने मार्च 2018 से संचित निधि से पी.डी. खाते में धन अंतरण की प्रथा को विशेष रूप से बंद कर दिया है, सिवाय उन निधियों के जो किसी अधिनियम/नियम के अंतर्गत स्थापित हैं और विधायक निधि के लिए हैं। यह वास्तव में एक अच्छी प्रथा है, जिसे अन्य राज्यों द्वारा अपनाए जाने पर विचार किया जा सकता है।

3.22 पी. डी. खातों के संचालन की निरंतरता तथा उनके समापन को नियंत्रित करने वाला नियामक ढांचा विभिन्न राज्यों में पर्याप्त रूप से भिन्न पाया जाता है। जहाँ कुछ राज्यों में अप्रयुक्त शेष राशि को एक से पाँच वर्षों के भीतर राज्य की समेकित निधि में वापस स्थानांतरित किए जाने का प्रावधान है, वहीं अन्य राज्यों में पी.डी. खातों के समापन के लिए किसी विशिष्ट समय-सीमा अथवा स्पष्ट प्रावधान का निर्धारण नहीं किया गया है। ये भिन्नताएँ इस बात की ओर संकेत करती हैं कि वित्त वर्ष के उपरांत पी.डी. खातों के संचालन की निरंतरता अथवा उनके समापन के संबंध में सभी राज्यों में मानकीकृत मानदंड निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है, साथ ही अनेक राज्यों में प्रचलित व्यवस्था के अनुरूप पी.डी. खातों के न्यूनतम संचालन का भी प्रावधान किया जाना चाहिए।

संक्षिप्त आकस्मिक बिल

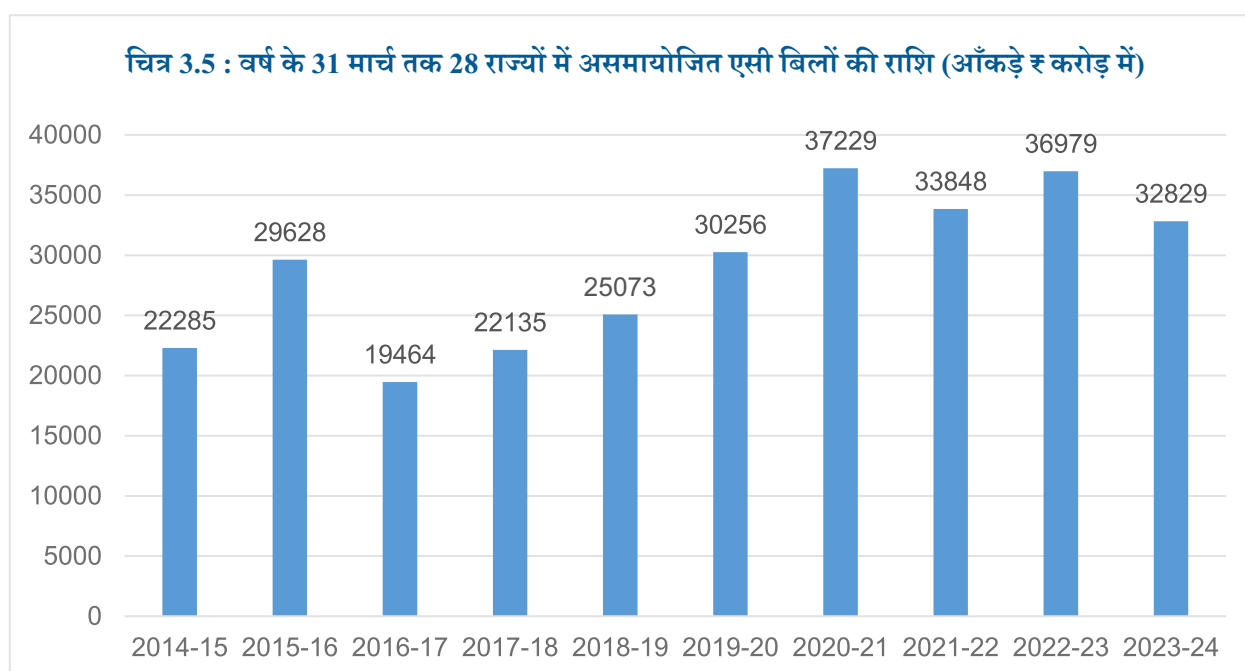
3.23 संक्षिप्त आकस्मिक (ए.सी.) बिल राज्य की समेकित निधि से विशिष्ट आकस्मिक व्ययों की पूर्ति हेतु अग्रिम आहरण की सुविधा प्रदान करते हैं, जिन्हें निर्धारित समय-सीमा¹⁵ के भीतर वाउचरों सहित विस्तृत आकस्मिक (डी.सी.) बिल प्रस्तुत कर नियमित किया जाना अनिवार्य होता है। वर्ष के अंत तक ए.सी. बिलों का समायोजन न किया जाना व्यय नियंत्रण में कमियों को दर्शाता है, यह संकेत दे सकता है कि बजटीय आवंटनों के मात्र उपयोग हेतु आहरण किए गए हों, तथा इससे धन के दुरुपयोग का जोखिम भी उत्पन्न होता है। डी.सी. बिलों का दीर्घकाल तक प्रस्तुत न किया जाना विधायी इरादे को भी कमजोर करता है तथा इसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक वित्त लेखों में प्रदर्शित व्यय का पूर्णतः सत्यापन नहीं हो पाता है। वर्ष 2014-15 से 2023-24 की अवधि के दौरान, असमायोजित ए.सी. बिलों से संबंधित राशि ₹22,285 करोड़ से बढ़कर ₹32,829 करोड़ हो गई, जैसा कि चित्र 3.5 में दर्शाया गया है।

¹³ कर्नाटक: ₹32,835 करोड़; राजस्थान: ₹13,763 करोड़; महाराष्ट्र: ₹16,382 करोड़; आंध्र प्रदेश: ₹11,492 करोड़; ओडिशा: ₹11,526 करोड़।

¹⁴ कर्नाटक में लोक ऋण खातों में शेष राशि ₹30,407 करोड़ बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में ₹32,835 करोड़ हो गई (वित्त वर्ष 2014-15 में ₹2,428 करोड़ से)। इस वृद्धि का मुख्य कारण सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कर्नाटक माइनिंग एन्वायरनमेंट रिस्टोरेशन कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक के लोक ऋण खातों को शामिल करना था, जो वित्त वर्ष 2023-24 के अंत में ₹26,192 करोड़ था।

¹⁵ एसी बिलों के समायोजन के लिए डीसी बिल प्रस्तुत करने की तिथि राज्यों में भिन्न होती है, जो एसी बिलों की निकासी की तिथि से 15 दिन से लेकर 12 माह तक हो सकती है।

- 3.24** वित्त वर्ष 2023-24 में, वित्त वर्ष के अंत में असमायोजित ए.सी. बिलों की सर्वाधिक राशि वाले पाँच राज्य बिहार ₹9,206 करोड़, मणिपुर ₹7,380 करोड़, झारखंड ₹4,892 करोड़, महाराष्ट्र ₹3,675 करोड़ तथा पंजाब ₹2,805 करोड़ रहे। यह प्रवृत्ति पिछले एक दशक से इन राज्यों में निरंतर देखी जा रही है। मणिपुर में, वित्त वर्ष 2023-24 के अंत में लंबित ए.सी. बिलों की राशि, उसी वित्त वर्ष के दौरान राज्य की समेकित निधि से किए गए कुल राजस्व एवं पूंजीगत व्यय की लगभग 45 प्रतिशत थी।
- 3.25** कुछ राज्यों जैसे बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र तथा मणिपुर में दशक के दौरान असमायोजित ए.सी. बिलों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। दूसरी ओर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, कर्नाटक तथा छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में उनके असमायोजित शेषों में पर्याप्त कमी दर्ज की गई है। राज्यों में असमायोजित ए.सी. बिलों का विवरण अनुलग्नक-10 में दर्शाया गया है।



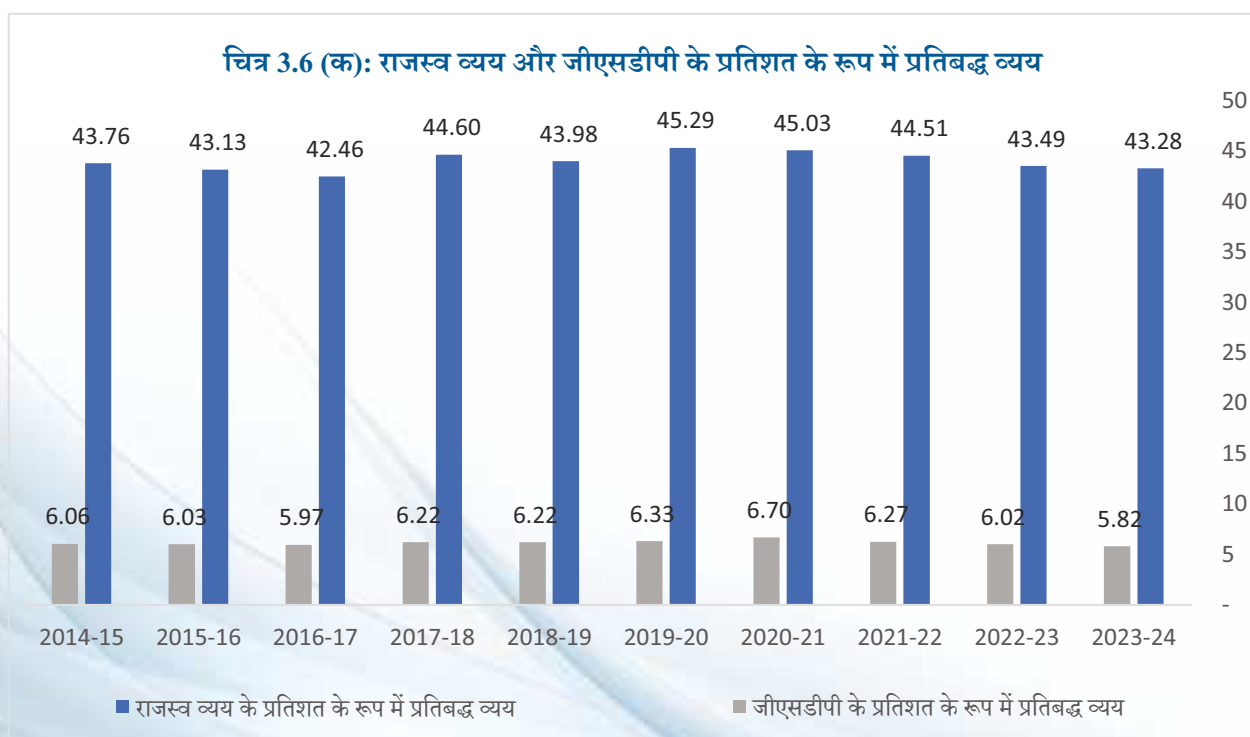
प्रतिबद्ध व्यय, सब्सिडी पर व्यय एवं सहायता अनुदान वेतन

- 3.26** वित्त वर्ष 2023-24 में, राज्यों के राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय 43.28 प्रतिशत था, जबकि सब्सिडी पर किया गया व्यय 8.48 प्रतिशत रहा। कुल राजस्व व्यय ₹38,96,647 करोड़ में से, इनका सम्मिलित हिस्सा ₹20,16,662 करोड़ था, जो राजस्व व्यय का लगभग 51.76 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार स्वायत्त निकायों/संगठनों को उनके कर्मचारियों को वेतन भुगतान हेतु अनुदान/सहायता भी प्रदान करती है, और इस व्यय को सहायता अनुदान वेतन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जो प्रतिबद्ध व्यय के समान होता है। वित्त वर्ष 2023-24 में सहायता अनुदान वेतन पर कुल व्यय ₹3,17,265 करोड़ रहा और यह कुल राजस्व व्यय का 8.14 प्रतिशत था। अतः, वित्त वर्ष 2023-24 में प्रतिबद्ध व्यय, सब्सिडी एवं सहायता अनुदान वेतन पर कुल व्यय ₹23,33,927 करोड़ रहा, जो कुल राजस्व व्यय का 59.90 प्रतिशत था।

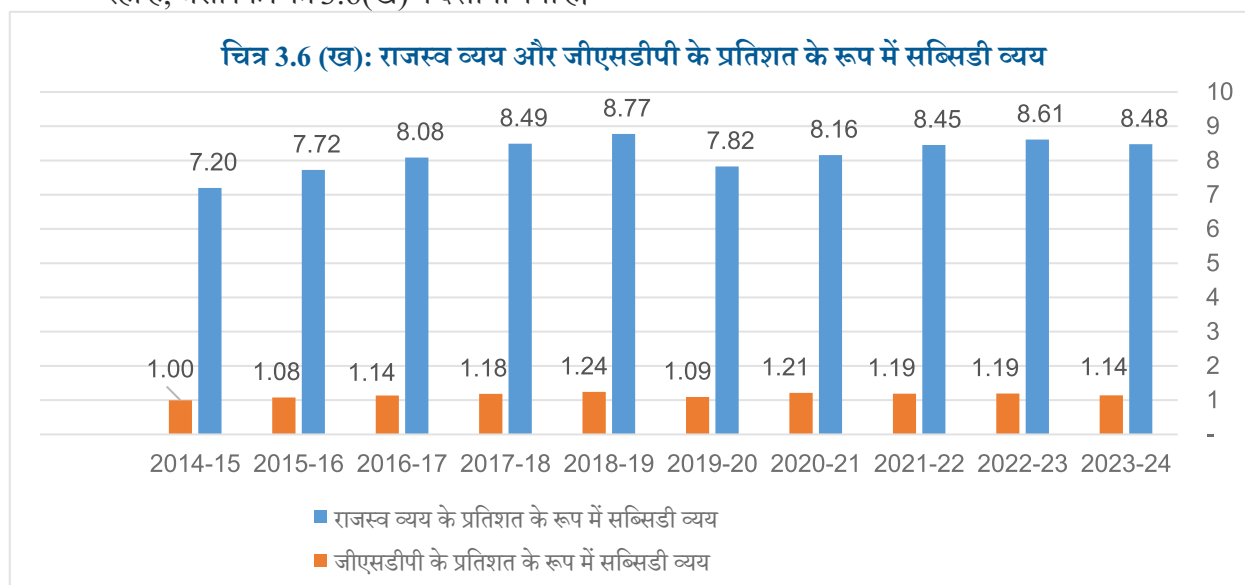
तालिका 3.4: वित्त वर्ष 2023-24 में प्रतिबद्ध व्यय, सब्सिडी एवं सहायता अनुदान वेतन का हिस्सा (आंकड़े ₹ करोड़ में)

2023-24	
राजस्व व्यय	38,96,647
प्रतिबद्ध व्यय, सब्सिडी एवं सहायता अनुदान वेतन	23,33,927
(1) प्रतिबद्ध व्यय	16,86,393
वेतन	7,13,756
पेंशन	4,79,248
ब्याज	4,93,389
राजस्व व्यय का प्रतिशत	43.28
(2) सब्सिडी पर व्यय	3,30,269
सब्सिडी	3,30,269
राजस्व व्यय का प्रतिशत	8.48
(3) सहायता अनुदान वेतन पर व्यय	3,17,265
सहायता अनुदान वेतन	3,17,265
राजस्व व्यय का प्रतिशत	8.14
प्रतिबद्ध व्यय, सब्सिडी और सहायता अनुदान वेतन, राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में	59.90

3.27 वर्ष 2014-15 से 2023-24 की अवधि के दौरान, प्रतिबद्ध व्यय का हिस्सा राजस्व व्यय का 42 प्रतिशत से अधिक बना रहा। जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में, यह सभी वर्षों में 6 प्रतिशत से अधिक रहा, सिवाय वित्त वर्ष 2016-17 और वित्त वर्ष 2023-24 के, जैसा कि चित्र 3.6(क) में दर्शाया गया है।



3.28 वर्ष 2014-15 से 2023-24 की अवधि के दौरान, सब्सिडी पर व्यय का हिस्सा राजस्व व्यय के आठ प्रतिशत से अधिक बना रहा, सिवाय वित्त वर्ष 2014-15 में 7.20 प्रतिशत, वित्त वर्ष 2015-16 में 7.72 प्रतिशत तथा वित्त वर्ष 2019-20 में 7.82 प्रतिशत के साथ ही, वित्त वर्ष 2014-15 से यह जीएसडीपी का एक प्रतिशत से अधिक रहा है, जैसा कि चित्र 3.6(ख) में दर्शाया गया है।



3.29 वेतन, पेंशन एवं ब्याज भुगतान से संबंधित प्रतिबद्ध व्यय सभी राज्यों के लिए वित्त वर्ष 2014-15 में ₹7,03,718 करोड़ था, जो वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़कर ₹16,86,393 करोड़ हो गया। सभी राज्यों के लिए वित्त वर्ष 2014-15 में सब्सिडी पर किया गया व्यय ₹1,15,729 करोड़ था, जो वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़कर ₹3,30,269 करोड़ हो गया। वर्ष 2014-15 से 2023-24 की अवधि के दौरान, राजस्व व्यय में 143 प्रतिशत की वृद्धि हुई, प्रतिबद्ध व्यय में 140 प्रतिशत की वृद्धि हुई, तथा सब्सिडी में 185 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। अनुलग्नक 11 में वर्ष 2014-15 से 2023-24 की 10 वर्षीय अवधि के लिए प्रतिबद्ध व्यय के प्रत्येक घटक का राज्यवार विवरण प्रस्तुत किया गया है।

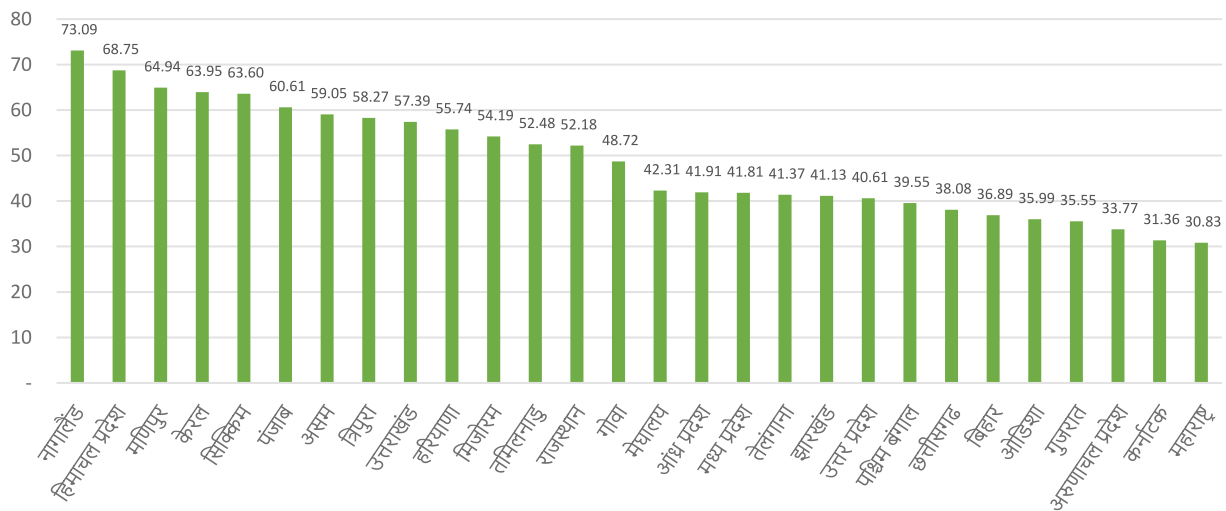
3.30 वेतन पर व्यय के समान ही, सहायता अनुदान वेतन¹⁶ एक ऐसा व्यय है, जिसके अंतर्गत राज्य सरकारें अनुदान प्राप्त संस्थानों, स्थानीय निकायों, विश्वविद्यालयों तथा अन्य संगठनों को उनके कर्मचारियों के वेतन संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु धनराशि का वितरण करती हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्यों द्वारा कुल ₹12,22,422 करोड़ के अनुदान में से, ₹3,17,265 करोड़ सहायता अनुदान वेतन के तौर पर वितरित किए गए, जो जारी किए गए कुल अनुदानों का 25.95 प्रतिशत थे। यदि इस व्यय को राज्यों के वेतन व्यय ₹7,13,756 करोड़ में जोड़ दिया जाए, तो वेतन से संबंधित प्रतिबद्धताओं पर कुल व्यय ₹10,31,021 करोड़ हो जाता है, जो राजस्व व्यय का 26.46 प्रतिशत है। सहायता अनुदान वेतन को ₹16,86,393 करोड़ के प्रतिबद्ध व्यय में जोड़ने पर कुल व्यय ₹20,03,658 करोड़ हो जाता है, जो सब्सिडी पर किए गए व्यय के साथ मिलकर ₹23,33,927 करोड़ का कुल व्यय बनता है। यह राशि राजस्व व्यय का 59.90 प्रतिशत है। इस शीर्ष के अंतर्गत सहायता अनुदान वेतन का संचालन करने वाले राज्यों द्वारा 10 वर्षों की अवधि में किए गए व्यय का विवरण अनुलग्नक 12 में दिया गया है।

3.31 जैसा कि चित्र 3.7 (क) में दर्शाया गया है, वित्त वर्ष 2023-24 में, संबंधित राज्य के राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में केवल प्रतिबद्ध व्यय नागालैंड में 73 प्रतिशत के उच्च स्तर से लेकर महाराष्ट्र में 31 प्रतिशत तक भिन्न-भिन्न था। 13 राज्यों में प्रतिबद्ध व्यय वित्त वर्ष 2023-24 में उनके राजस्व व्यय के 50 प्रतिशत से अधिक था। सात राज्यों

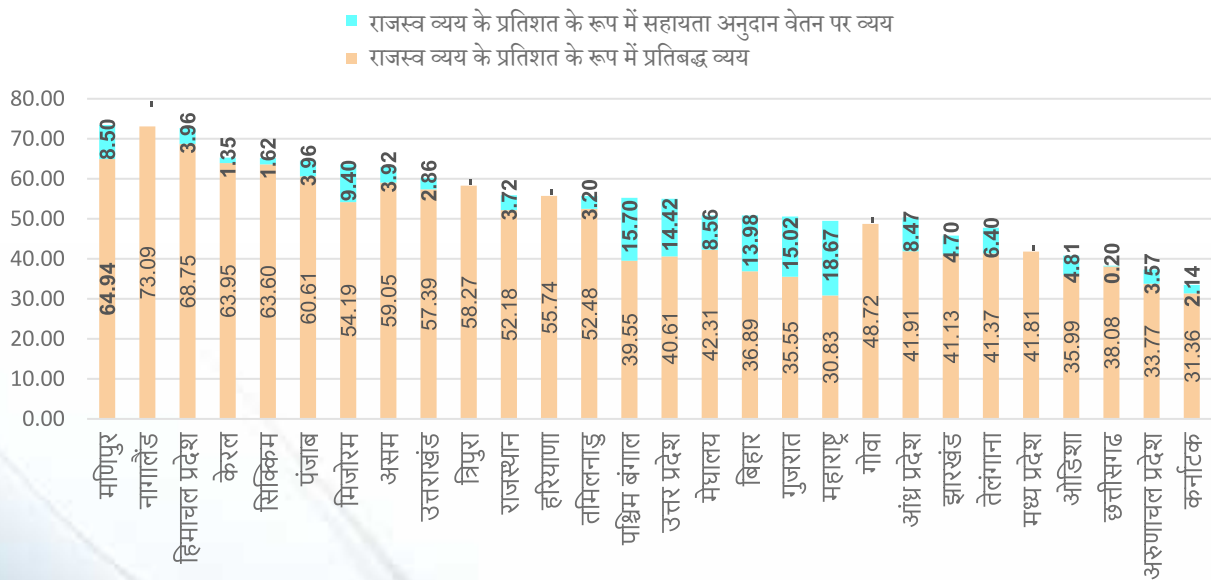
¹⁶ गोवा, हरियाणा, मध्य प्रदेश, नागालैंड और त्रिपुरा की राज्य सरकारें सहायता अनुदान वेतन के लिए अलग उद्देश्य शीर्ष का संचालन नहीं करती हैं।

में प्रतिबद्ध व्यय उनके राजस्व व्यय के 40 प्रतिशत से अधिक लेकिन 50 प्रतिशत से कम था एवं आठ राज्यों में प्रतिबद्ध व्यय वित्त वर्ष 2023-24 में उनके राजस्व व्यय के 40 प्रतिशत से कम था। यदि सहायता अनुदान वेतन पर किए गए व्यय को 'प्रतिबद्ध' व्यय में जोड़ दिया जाए, तो वित्त वर्ष 2023-24 में कुछ राज्यों में वेतन के रूप में अनुदान व्यय सहित कुल प्रतिबद्धता का परिदृश्य उल्लेखनीय रूप से परिवर्तित हो जाता है, जैसा कि सारणी 3.5 तथा चित्र 3.7(ख) में दर्शाया गया है।

चित्र 3.7 (क): वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में राज्यों का प्रतिबद्ध व्यय



चित्र 3.7 (ख): वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में राज्यों का प्रतिबद्ध व्यय एवं सहायता अनुदान वेतन पर व्यय



टिप्पणी: कर्नाटक सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 में कुल ₹66,039 करोड़ की सहायता अनुदान दी है। इसमें से ₹22,487 करोड़ जिलों (बेंगलूरु, बेलूर, कोलार, मंगलूरु, मैसूरु, रायचूर आदि) को सहायता अनुदान के रूप में जारी किए गए, जिसमें सहायता अनुदान-वेतन और अन्य सम्मिलित हैं। इन उद्देश्य शीर्षों के तहत सहायता अनुदान-वेतन का निर्धारण नहीं किया जा सकता। अतः कर्नाटक के मामले में सहायता अनुदान-वेतन पर होने वाला व्यय कम करके दिखाया गया है।

सहायता अनुदान वेतन को सम्मिलित करने पर, प्रतिबद्ध व्यय एवं जीआईए वेतन पर कुल व्यय 18 राज्यों में राजस्व व्यय का 50 प्रतिशत या उससे अधिक हो जाता है, जैसा कि चित्र 3.7(ख) में दर्शाया गया है।

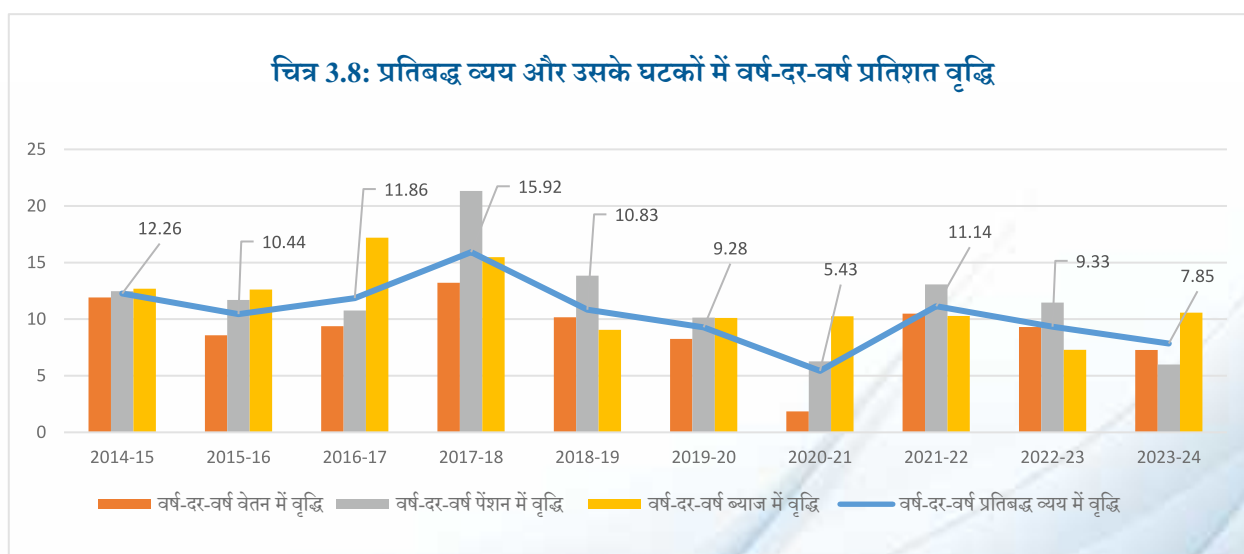
तालिका 3.5: वित्त वर्ष 2023-24 में चयनित राज्यों में प्रतिबद्ध व्यय तथा सहायता अनुदान वेतन पर व्यय (आंकड़े ₹ करोड़ में)

राज्य	प्रतिबद्ध व्यय		सहायता अनुदान वेतन पर व्यय		प्रतिबद्ध व्यय तथा सहायता अनुदान वेतन	
	धनराशि	राजस्व व्यय के % के रूप में	धनराशि	राजस्व व्यय के % के रूप में	धनराशि	राजस्व व्यय के % के रूप में
बिहार	70,283	36.89	26,627	13.98	96,910	50.87
गुजरात	67,283	35.55	28,440	15.02	95,723	50.57
महाराष्ट्र	1,37,005	30.83	82,969	18.67	2,19,974	49.50
उत्तर प्रदेश	1,74,539	40.61	61,981	14.42	2,36,520	55.03
पश्चिम बंगाल	89,360	39.55	35,476	15.70	1,24,836	55.25

जैसा कि सारणी 3.5 से देखा जा सकता है, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे पाँच बड़े राज्यों में सहायता अनुदान वेतन पर हुए महत्वपूर्ण व्यय ने संबंधित राज्यों की वेतन संबंधी प्रतिबद्धताओं की स्थिति को उनके कुल राजस्व व्यय के अधिकतम 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत से अधिक कर दिया।

- 3.32** प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत, वेतन सबसे बड़ा घटक था, इसके बाद ब्याज पर व्यय और फिर पेंशन संबंधित व्यय आता है। 12 राज्यों में, ब्याज भुगतान, पेंशन व्यय से अधिक था (आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल), जो अपेक्षाकृत उच्च ऋण सेवा आवश्यकताओं को दर्शाता है, जबकि शेष राज्यों में पेंशन व्यय ब्याज भुगतान से अधिक रहा। वर्ष 2014-15 से 2023-24 की 10 वर्षीय अवधि के दौरान, सभी वर्षों में प्रतिबद्ध व्यय में वेतन के बाद ब्याज भुगतान दूसरा सबसे बड़ा घटक रहा, सिवाय वित्त वर्ष 2022-23 के।
- 3.33** प्रतिबद्ध व्यय, जिसमें तीन घटक (वेतन, ब्याज भुगतान और पेंशन) सम्मिलित हैं, ने औसतन वार्षिक आधार पर 10.43 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जिसमें वित्त वर्ष 2017-18 में सबसे अधिक 15.92 प्रतिशत वृद्धि हुई, जो उस वर्ष पेंशन और वेतन पर व्यय में तेजी से वृद्धि के कारण थी।

चित्र 3.8: प्रतिबद्ध व्यय और उसके घटकों में वर्ष-दर-वर्ष प्रतिशत वृद्धि



प्रमुख कार्यों के अनुसार सब्सिडी पर व्यय

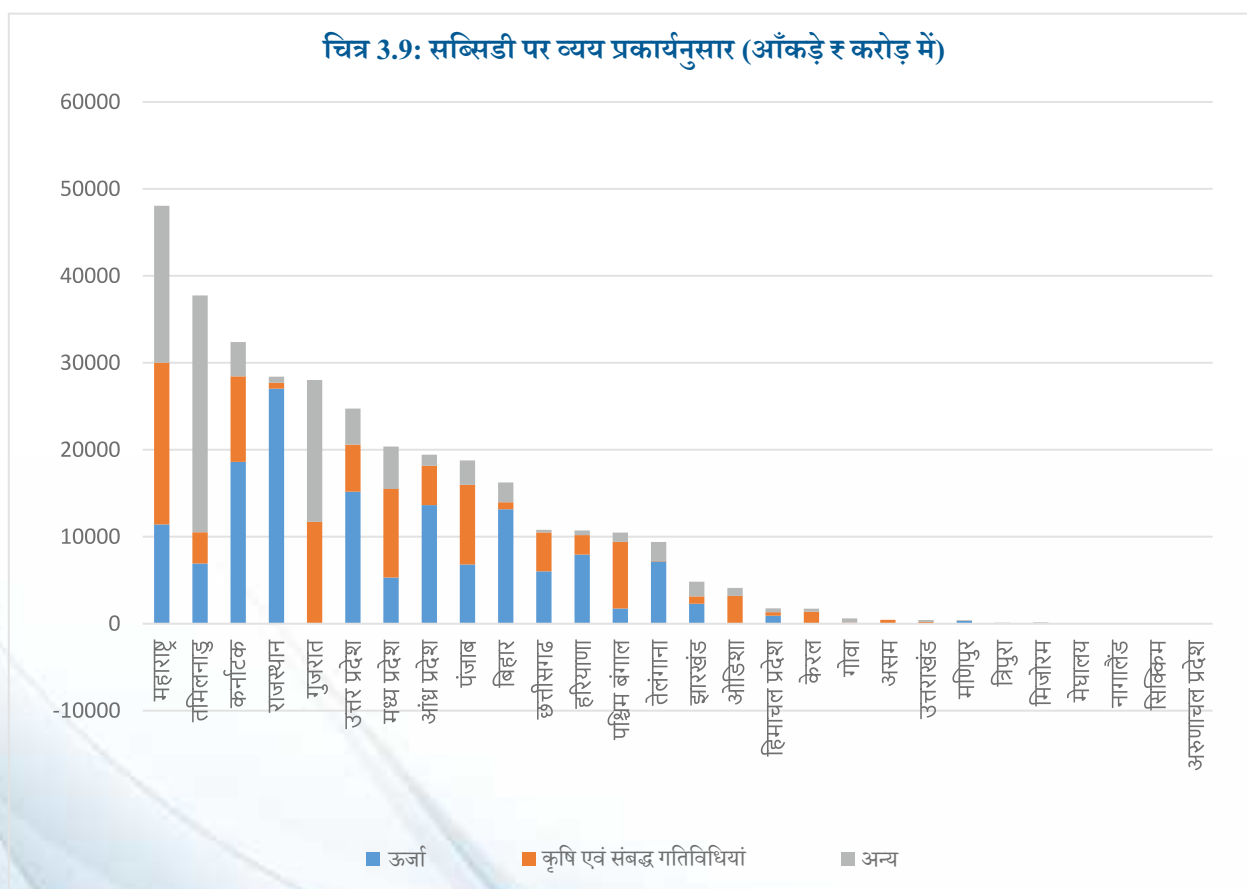
3.34 वित्त वर्ष 2023-24 में ₹3,30,269 करोड़ की सब्सिडी व्यय कई राज्यों में राजस्व व्यय का एक और प्रमुख घटक है। सब्सिडी भुगतान के मुख्य प्राप्तकर्ता ऊर्जा उपक्रम और कृषि संबंधी गतिविधियाँ हैं।

तालिका 3.6: वर्ष 2023-24 में प्रमुख कार्यों पर राज्यों द्वारा प्रदान की गई सब्सिडी (आंकड़े ₹ करोड़ में)

कार्य	धनराशि	कुल सब्सिडी का प्रतिशत
ऊर्जा	1,44,817	43.85
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	95,596	28.94
अन्य क्षेत्र ¹⁷ (खाद्य, नागरिक आपूर्ति, परिवहन, उद्योग, शिक्षा, समाज कल्याण आदि)	89,856	27.21
कुल	3,30,269	100

3.35 जैसा कि सारणी 3.6 से स्पष्ट है, ऊर्जा और कृषि तथा संबद्ध गतिविधियाँ मिलकर राज्यों द्वारा वितरित कुल सब्सिडी का लगभग 73 प्रतिशत बनाती हैं। ऊर्जा सब्सिडी मुख्यतः घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को सब्सिडी दर पर विद्युत आपूर्ति, राजस्व अंतर का समायोजना, तथा बकाया राशि की माफी के लिए विद्युत उपक्रमों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता का प्रतिनिधित्व करती हैं। कृषि सब्सिडी में मूल्य समर्थन, उर्वरक, बीज, सिंचाई, कृषि यंत्रों के लिए इनपुट सब्सिडी, तथा कृषि विभागों या सहकारी संस्थाओं के माध्यम से लागू राहत योजनाएँ शामिल हैं।

चित्र 3.9: सब्सिडी पर व्यय प्रकारानुसार (आंकड़े ₹ करोड़ में)



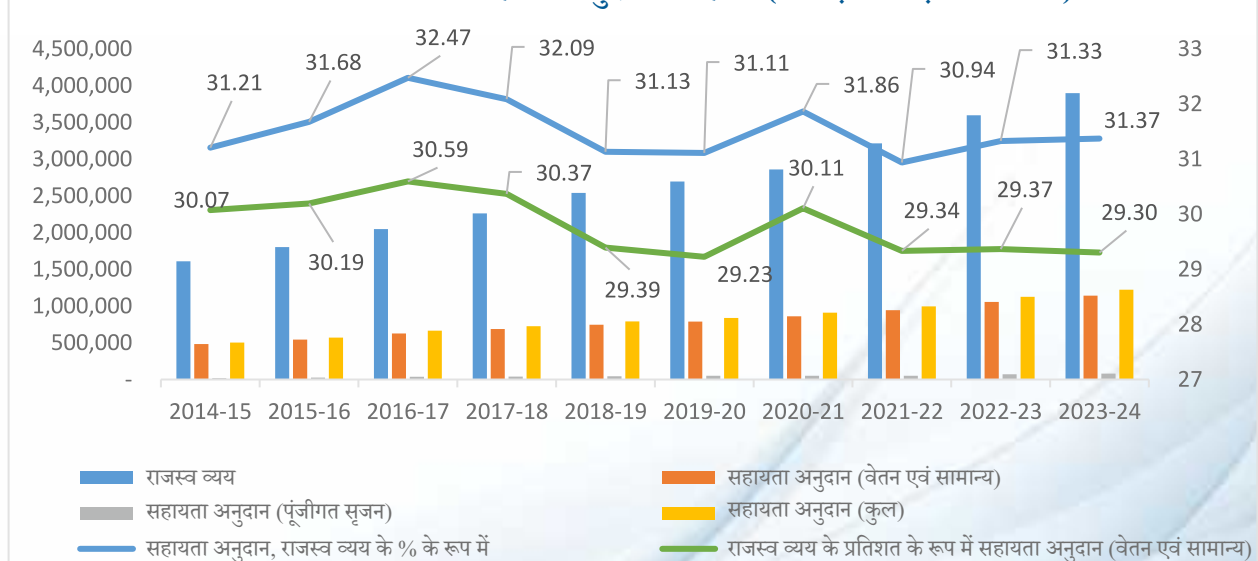
¹⁷ वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान जिन कार्यों के लिए राज्यों को सब्सिडी दी गई है, उनका विवरण अनुलग्नक 13 में प्रस्तुत किया गया है।

- 3.36** जैसा कि चित्र 3.9 और अनुलग्नक 13 से देखा जा सकता है, वित्त वर्ष 2023-24 में, राज्यों द्वारा वितरित सब्सिडी के मामले में महाराष्ट्र में ₹48,053 करोड़, तमिलनाडु में ₹37,749 करोड़, कर्नाटक में ₹32,390 करोड़, राजस्थान में ₹28,402 करोड़ और गुजरात में ₹28,033 करोड़ के वितरण ने इन्हें शीर्ष पाँच राज्यों में रखा, जिनका सम्मिलित योगदान ₹1,74,627 करोड़, यानी सभी राज्यों द्वारा रिपोर्ट की गई कुल सब्सिडी का लगभग 53 प्रतिशत है। इन राज्यों में व्यापक विद्युत और सिंचाई नेटवर्क हैं तथा ये बड़े पैमाने पर कृषि और उपभोक्ता कल्याण योजनाएँ संचालित करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप सब्सिडी व्यय अधिक होता है।
- 3.37** राज्यों में ऊर्जा क्षेत्र को दी जाने वाली सब्सिडी सबसे बड़ा एकल घटक रही, जो वित्त वर्ष 2023-24 में कुल ₹1.45 लाख करोड़ रही। ये मुख्यतः विद्युत शुल्क समर्थन, पावर वितरण कंपनियों के अनुरूप, तथा घरेलू/कृषि उपभोक्ताओं के लिए लक्षित योजनाओं को सम्मिलित करती हैं। राजस्थान (₹27,038 करोड़) ऊर्जा सब्सिडी पर सबसे अधिक व्यय करने वाला राज्य रहा, इसके बाद कर्नाटक (₹18,615 करोड़), उत्तर प्रदेश (₹15,081 करोड़), आंध्र प्रदेश (₹13,641 करोड़) और बिहार (₹13,161 करोड़) का स्थान रहा।
- 3.38** वित्त वर्ष 2023-24 में कृषि-संबंधी सब्सिडी पर सकल व्यय ₹95,596 करोड़ रहा, जिसमें इनपुट समर्थन और क्षेत्र-विशिष्ट प्रोत्साहन शामिल हैं। महाराष्ट्र (₹18,599 करोड़) सबसे अधिक व्यय करने वाला राज्य रहा, इसके बाद गुजरात (₹11,706 करोड़), मध्य प्रदेश (₹10,181 करोड़), कर्नाटक (₹9,839 करोड़) और पंजाब (₹9,159 करोड़) का स्थान रहा।

राज्यों के राजस्व व्यय में सहायता अनुदान की राशि

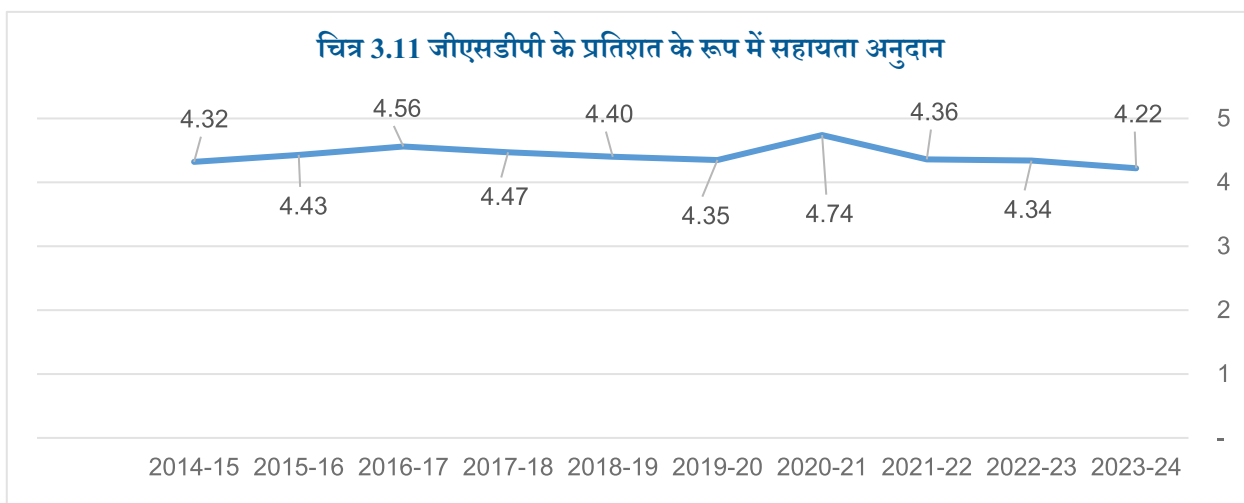
- 3.39** राज्यों द्वारा, अन्य के साथ-साथ, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों, अन्य राज्य अर्ध-सरकारी संस्थाओं एवं गैर सरकारी संगठनों आदि को सहायता अनुदान दी जाती है। वित्त वर्ष 2023-24 में, राज्यों द्वारा दिया गया कुल अनुदान ₹12,22,422 करोड़ (वेतन¹⁸ एवं सामान्य प्रयोजन के लिए ₹11,41,811 करोड़ एवं पूंजी निर्माण प्रयोजन के लिए ₹80,611 करोड़) था, जो वित्त वर्ष 2023-24 में कुल राजस्व व्यय का 31.37 प्रतिशत था। वर्ष 2014-15 से 2023-24 की अवधि के दौरान, सहायता अनुदान कुल राजस्व व्यय का लगभग 30 से 32 प्रतिशत रही। यह वित्त वर्ष 2014-15 में ₹5,01,798 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में ₹12,22,422 करोड़ हो गया; अर्थात् इसमें 144 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो कि इसी अवधि के दौरान राजस्व व्यय में हुई 142 प्रतिशत की वृद्धि से अधिक है। 10 वर्ष की अवधि में, सामान्य एवं वेतन संबंधी प्रयोजनों के लिए सहायता अनुदान कुल अनुदानों का 93 प्रतिशत से 96 प्रतिशत के बीच रहा।

चित्र 3.10: राजस्व व्यय में सहायता अनुदान का हिस्सा (आँकड़े ₹ करोड़ / प्रतिशत में)



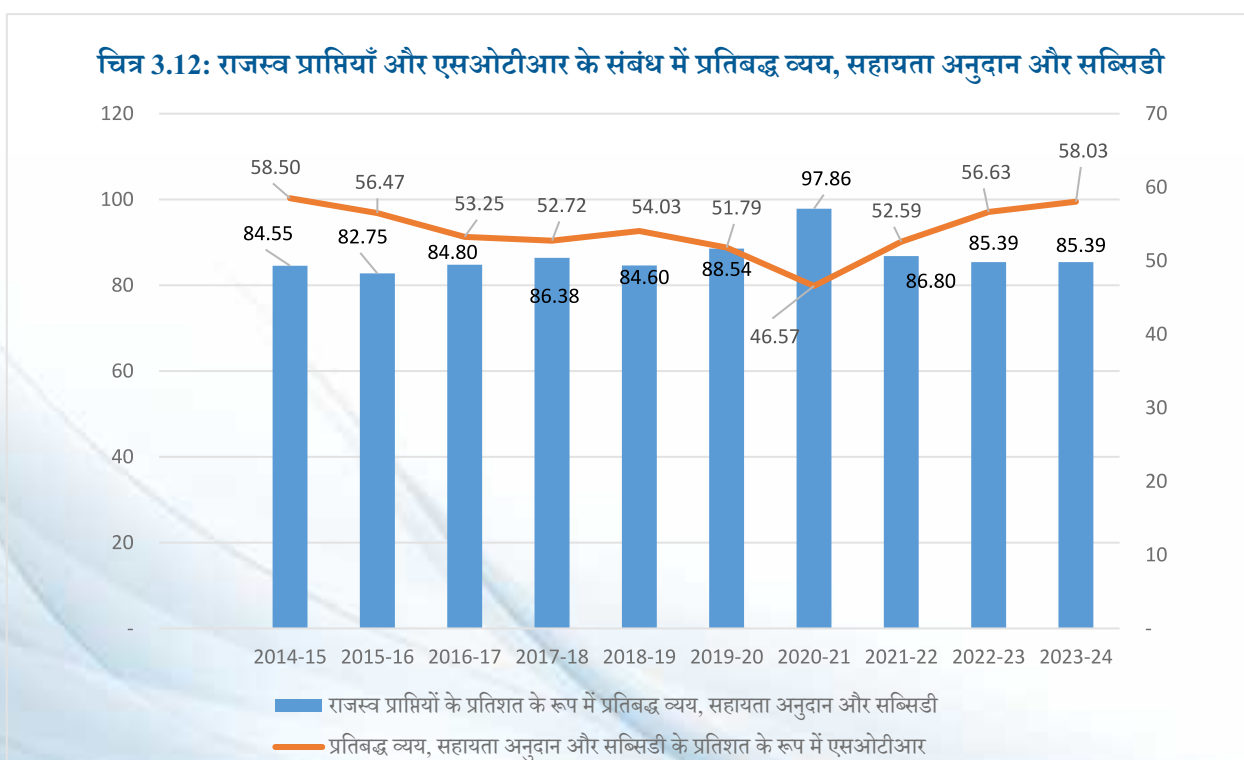
¹⁸ कुछ राज्य सभी प्रकार के अनुदानों के लिए एक ही सहायता अनुदान मद संचालित करते हैं, जबकि कुछ राज्य सामान्य, सहायता अनुदान-वेतन और पूंजी निर्माण के लिए अलग-अलग सहायता अनुदान मद का संचालन करते हैं।

3.40 वित्त वर्ष 2023-24 में कुल सहायता अनुदान (वेतन, सामान्य एवं पूंजीगत) संयुक्त जीएसडीपी का 4.22 प्रतिशत रही, जबकि वित्त वर्ष 2014-15 में यह 4.32 प्रतिशत थी। दस वर्षीय अवधि के दौरान, कुल सहायता अनुदान का जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में हिस्सा प्रत्येक वर्ष निरंतर चार प्रतिशत से अधिक रहा।



प्रतिबद्ध व्यय, सहायता अनुदान, सब्सिडी एवं राजस्व प्राप्ति

3.41 प्रतिबद्ध व्यय, सहायता अनुदान (जीआईए) एवं सब्सिडी राज्यों के आवर्ती व्यय हैं। यह जांचना महत्वपूर्ण है कि क्या राज्यों के पास स्व-कर राजस्व (एसओटीआर) के साथ-साथ कुल राजस्व प्राप्ति के संदर्भ में व्यय को वहन करने के लिए संसाधन-क्षमता है। प्रतिबद्ध व्यय, सभी प्रकार के जीआईए एवं सब्सिडी के कारण कुल व्यय की तुलना से पता चलता है कि संयुक्त व्यय औसतन 2014-15 से 2023-24 की 10 वर्ष की अवधि के दौरान राज्यों की कुल राजस्व प्राप्ति का लगभग 87 प्रतिशत था, जो 2020-21 में उच्चतम 97.86 प्रतिशत था। राज्यों की एसओटीआर 2014-15 से 2023-24 की 10 वर्ष की अवधि के लिए इन मदों पर व्यय की लगभग 54 प्रतिशत आवश्यकता को ही पूरा कर सकी जैसा की चित्र 3.12 में प्रदर्शित है।



कार्यात्मक श्रेणी के अनुसार व्यय

- 3.42** सरकारों द्वारा कार्यात्मक स्तर पर लेन-देन का वर्गीकरण सरकार के कार्यों के वर्गीकरण (सीओएफओजी) के अनुसार होता है, जो संघ एवं राज्यों में समान रूप से लागू होता है। इस प्रकार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, पुलिस, लोक निर्माण, वानिकी एवं वन्य जीवन, सिंचाई, लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता आदि से संबंधित कार्यों एवं गतिविधियों हेतु सभी सरकारों द्वारा समान नामावली का प्रयोग किया जाना चाहिए। राज्यों के व्यय का द्वि-आयामी दृश्य उन प्रकार्यों को दिखा सकता है, जिनमें राजस्व एवं पूंजीगत व्यय का अधिकांश हिस्सा खर्च हो रहा है, तथा यह भी कि कार्य के अंतर्गत उन्हें किस उद्देश्य के लिए खर्च किया जा रहा है।
- 3.43** वित्त वर्ष 2023-24 में समग्र व्यय में प्रमुख हिस्सा, जो 58 प्रतिशत था, नौ प्रकार्यों पर था, यथा शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति; स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण; कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ; ऊर्जा; आवास एवं शहरी विकास; परिवहन; ग्रामीण विकास; पुलिस एवं सामाजिक कल्याण एवं पोषण। राजस्व में उनका सकल राजस्व व्यय का 58 प्रतिशत एवं कुल सकल पूंजीगत व्यय का 59 प्रतिशत था। यदि सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (17 प्रतिशत) एवं जल आपूर्ति एवं स्वच्छता (11 प्रतिशत) के अंतर्गत पूंजीगत व्यय को जोड़ दिया जाए तो 11 प्रकार्यों का कुल हिस्सा पूंजीगत व्यय का 87 प्रतिशत था। क्षेत्रीय दृष्टि से, सामाजिक क्षेत्र एवं आर्थिक क्षेत्र का राजस्व व्यय कुल राजस्व व्यय का लगभग 62 प्रतिशत था, जबकि सामाजिक क्षेत्र एवं आर्थिक क्षेत्र का पूंजीगत व्यय कुल पूंजीगत व्यय का लगभग 94 प्रतिशत था। जिन प्रकार्यों पर अधिकांश राजस्व व्यय किया जाता है, उनमें प्रमुख उद्देश्य वेतन एवं पेंशन भुगतान (अधिकांश प्रकार्यों में), नकद हस्तांतरण एवं सब्सिडी (उदाहरण के लिए, कल्याण, सामाजिक सुरक्षा एवं लक्षित समूहों पर केंद्रित प्रकार्यों जिनमें आवास योजनाएं, परिवहन रियायतें, सब्सिडी वाली बिजली, पेयजल, भोजन एवं प्रावधान सम्मिलित हैं), रोजगार सृजन एवं स्थानीय निकायों को अनुदान (उदाहरण के लिए ग्रामीण विकास - पीआरआई/यूएलबी को अनुदान, मनरेगा योजना) है।
- 3.44** वित्त वर्ष 2023-24 में, 'अन्य' नामक अवशिष्ट कार्यों को छोड़कर, निम्नलिखित 18 प्रकार्यों में राज्यों के कुल व्यय का लगभग 72 प्रतिशत (कुल राजस्व व्यय का 68 प्रतिशत एवं कुल पूंजीगत व्यय का 95 प्रतिशत) हिस्सा था। तालिका 3.7 राजस्व एवं पूंजीगत व्यय में शीर्ष व्यय प्रकार्यों की हिस्सेदारी का प्रतिशत दर्शाती है। अनुलग्नक 14 एवं 15 में क्रमशः प्रकार्यवार राजस्व एवं पूंजीगत व्यय का राज्यवार 10 वर्षों का विवरण दिया गया है।

तालिका 3.7: वित्त वर्ष 2023-24 में व्यय में विभिन्न प्रकार्यों का हिस्सा (आंकड़े ₹ करोड़ / प्रतिशत में)

प्रकार्य	राजस्व व्यय में हिस्सा	राजस्व व्यय में % हिस्सेदारी	पूँजीगत व्यय में हिस्सा (ऋणों एवं अग्रिमों को शामिल करते हुए)	पूँजीगत व्यय में % हिस्सेदारी (ऋणों एवं अग्रिमों को शामिल करते हुए)	कुल हिस्सेदारी	कुल व्यय में प्रतिशत हिस्सेदारी
पुलिस	1,78,997	4.59	10,236	1.31	1,89,233	4.04
लोक निर्माण	12,403	0.32	22,410	2.86	34,813	0.74
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	6,53,918	16.78	37,169	4.74	6,91,088	14.76
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2,34,379	6.01	34,200	4.36	2,68,579	5.74
जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	42,087	1.08	85,241	10.87	1,27,328	2.72
आवास एवं शहरी विकास	1,43,105	3.67	71,422	9.11	2,14,527	4.58
समाज कल्याण एवं पोषण	2,69,570	6.92	3043	0.39	2,72,613	5.82
अनु0 जाति/अनु0 जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यकों का कल्याण	1,16,173	2.98	12,809	1.63	1,28,983	2.76
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	2,62,426	6.73	29,516	3.76	2,91,942	6.24
ग्रामीण विकास	1,75,785	4.51	43,752	5.58	2,19,537	4.69
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	38,829	1.00	1,35,230	17.25	1,74,059	3.72
ऊर्जा	2,48,792	6.38	49,102	6.26	2,97,894	6.36
उद्योग एवं खनिज	47,934	1.23	19,710	2.51	67,644	1.45
परिवहन	81,575	2.09	1,84,792	23.57	2,66,367	5.69
पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	1665	0.04	0	0.00	1665	0.04
पर्यटन	3602	0.09	4660	0.59	8262	0.18
नागरिक आपूर्ति	19,669	0.50	0	0.00	19,669	0.42
स्थानीय निकायों को अनुदान/समनुदेशन/क्षतिपूर्ति	1,14,349	2.93	0	0.00	1,14,349	2.44
अन्य	12,51,389	32.11	40,744	5.20	12,92,134	27.61
योग	38,96,647	100.00	7,84,037	100.00	46,80,684	100.00

निष्कर्ष

3.45 वर्ष 2014-15 से 2023-24 की अवधि के दौरान राज्यों के व्यय के विश्लेषण से यह परिलक्षित होता है कि समग्र व्यय में निरंतर वृद्धि हुई है, जिसके साथ-साथ उसकी संरचना में निहित संरचनात्मक विशेषताएँ भी लगातार बनी रही हैं। राज्यों का कुल व्यय वित्त वर्ष 2014-15 में ₹19.04 लाख करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में ₹46.81 लाख करोड़ हो गया, जिससे 146 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। संयुक्त जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राज्यों का व्यय व्यापक रूप से स्थिर रहा तथा 16.15 प्रतिशत से 17.49 प्रतिशत के बीच रहा, जो यह दर्शाता है कि व्यय में हुई वृद्धि मुख्यतः आर्थिक विस्तार के अनुरूप रही।

3.46 दशक के दौरान राजस्व व्यय का प्रभुत्व बना रहा, जो कुल व्यय का औसतन 83 प्रतिशत से अधिक रहा। वहीं, पूँजीगत व्यय में यद्यपि पूर्ण रूप में वृद्धि हुई, जो वित्त वर्ष 2014-15 में ₹2.95 लाख करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष

2023-24 में ₹7.84 लाख करोड़ हो गया, फिर भी यह कुल व्यय का 13 से 20 प्रतिशत के बीच ही रहा। क्षेत्रवार व्यय के संघटन से यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएँ मिलकर कुल व्यय का लगभग 68 प्रतिशत रही, जो राज्यों द्वारा कल्याण, अवसंरचना और विकासात्मक कार्यों पर निरंतर ध्यान देने को दर्शाता है।

- 3.47** वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान पर प्रतिबद्ध व्यय के साथ-साथ सब्सिडी को मिलाकर यह पूरे समयावधि में राजस्व व्यय का आधे से अधिक हिस्सा रहा। वित्त वर्ष 2023-24 में इन घटकों का योग ₹20.17 लाख करोड़ रहा, जो कुल राजस्व व्यय का 51.75 प्रतिशत था। वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2023-24 के बीच, राजस्व व्यय में 142 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि प्रतिबद्ध व्यय और सब्सिडी में क्रमशः 140 प्रतिशत और 185 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो निश्चित और अनिवार्य व्ययों से लगातार वित्तीय दबाव की ओर संकेत करती है। समान अवधि के दौरान राज्यों द्वारा प्रदान की गई सहायता अनुदान में भी 144 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो राजस्व व्यय का लगभग एक-तिहाई हिस्सा बनी रही। कई राज्यों में व्यय का गलत वर्गीकरण और असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक बिलों का संचय व्यय की गुणवत्ता तथा वित्तीय रिपोर्टिंग में निरंतर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों की ओर संकेत करता है।
- 3.48** वित्त वर्ष 2023-24 में राज्यों का बजटीय व्यय ₹46.81 लाख करोड़ रहा, किंतु समेकित व्यय की पूर्णता, जैसा कि लेखापरीक्षित खातों में परिलक्षित होता है, कुछ राज्यों में व्यक्तिगत जमा खातों के निरंतर संचालन और असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक बिलों की उपस्थिति से प्रभावित हो सकती है। यद्यपि अधिकांश राज्यों ने प्रत्यक्ष निधि हस्तांतरण को बढ़ावा देने वाले सुधारों के अनुरूप व्यक्तिगत जमा खातों का उपयोग या तो बंद कर दिया है या न्यूनतम कर दिया है, परन्तु कुछ राज्यों में अधिक अव्यवहृत शेष राशि होने के कारण व्यय का अतिशयोक्ति और विधायी नियंत्रण का कमजोर होना संभावित है। इसी प्रकार, पिछले दस वर्षों में असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक बिलों में निरंतर वृद्धि और कुछ राज्यों में उनकी अधिकता व्यय प्रबंधन पर नियंत्रण की कमजोरी, वित्तीय अनुशासन के जोखिम और वित्त लेखों में रिपोर्ट किए गए व्यय की अंतिमता में सीमाओं का प्रतीक है।

अध्याय 4

राज्यों के व्यय का
टैक्सोनॉमिक वर्गीकरण

राज्यों के व्यय का टैक्सोनोंमिक वर्गीकरण

व्यय का टैक्सोनोंमिक वर्गीकरण

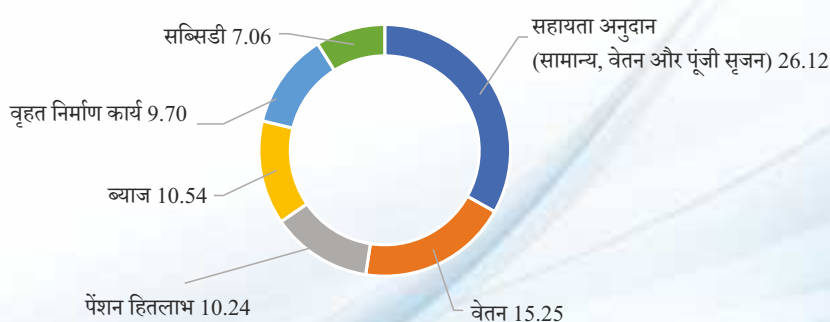
4.1 सूक्ष्म पृथक् स्तर पर, राज्य सरकारों के व्यय को उद्देश्य शीर्षों [जिन्हें विनियोग की प्राथमिक इकाई (पीयूए) भी कहा जाता है] द्वारा व्यय को दर्शाने के लिए टैक्सोनोंमिक रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। टैक्सोनोंमिक प्रस्तुति, व्यय को विभिन्न श्रेणियों में समूहीकृत अथवा वर्गीकृत रूप में प्रस्तुत करती है। उद्देश्य शीर्षवार व्यय को राजस्व एवं पूंजीगत व्यय में समूहीकृत किया जा सकता है तथा आगे उद्देश्य श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कर्मचारियों को प्रतिकर, कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा, वस्तु एवं सेवाएं, सहायता, गैर वित्तीय एवं वित्तीय आस्तियां आदि।

राज्यों का आर्थिक श्रेणियों के अनुसार व्यय

4.2 सरकारी लेनदेन को कार्यात्मक एवं आर्थिक दोनों स्तरों पर वर्गीकृत किया जाता है। आर्थिक श्रेणियाँ व्यय के आंकड़ों को पृथक्करण के निम्नतम स्तर पर प्रस्तुत करती हैं तथा उस उद्देश्य या लक्ष्य को निर्दिष्ट करती हैं जिसके लिए व्यय किया गया है या निहित आर्थिक प्रक्रियाओं के आधार पर व्यय की प्रकृति की पहचान करती हैं। उदाहरण के लिए वेतन एवं मजदूरी, वस्तु एवं सेवाएं, सामाजिक सुरक्षा एवं अनुदान, ब्याज भुगतान एवं आस्तियों का अधिग्रहण आर्थिक वर्गीकरण हैं। आर्थिक वर्गीकरण के अंतर्गत सरकारी लेनदेन को राजस्व, पूंजी एवं लेखा समायोजन में वर्गीकृत किया जाता है, जिससे वित्तीय गतिविधियों का एक व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त होता है एवं बजट एवं वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित होती है। आर्थिक श्रेणियों या व्यय के उद्देश्यों को बजट बनाने एवं व्यापक विधायी विनियोजन प्राप्त करने के उद्देश्य से व्यय के उद्देश्य शीर्ष या विनियोग की प्राथमिक इकाई (पीयूए) के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकरण का यह स्तर बजटीय नियंत्रण पर विश्वसनीयता प्रदान करता है क्योंकि बजट नियम कई पीयूए के मामले में पुनर्विनियोजन की शर्तें निर्धारित करते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में राज्यों द्वारा कुल ₹46,80,684 करोड़ का व्यय विभिन्न पी.यू.ए. के अंतर्गत वर्गीकृत व्यय का योग है। अनुलग्नक 16 में आर्थिक श्रेणियों के अनुसार कुल व्यय के टैक्सोनोंमिक विश्लेषण का विवरण दिया गया है।

4.3 वित्त वर्ष 2023-24 में, आठ उद्देश्य शीर्षों के अंतर्गत व्यय, यथा तीन प्रकार के सहायता अनुदान (सामान्य, वेतन एवं पूंजी सृजन), वेतन, पेंशन हितलाभ, ब्याज, सब्सिडी एवं वृहत कार्य, कुल मिलाकर ₹36,92,900 करोड़ का व्यय सम्मिलित है, जो कुल व्यय का 78.90 प्रतिशत एवं जीएसडीपी का 12.74 प्रतिशत है।

चित्र 4.1 : 2023-24 में राज्यों के संयुक्त व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रमुख व्यय



आर्थिक श्रेणियों के अनुसार व्यय का टैक्सोनोंमिक वर्गीकरण

- 4.4** संघ सरकार द्वारा 16 दिसम्बर 2022 को अधिसूचित वित्त वर्ष 2023-24 से प्रभावी 61 उद्देश्य शीर्षों की संशोधित सूची, जिसमें व्यय के उद्देश्य को आठ उद्देश्य श्रेणियों के अंतर्गत समूहीकृत किया गया। प्रथम पांच उद्देश्य श्रेणियों के अंतर्गत 37 उद्देश्य शीर्षों को राजस्व व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया, 17 उद्देश्य शीर्षों को पूंजीगत व्यय के अंतर्गत दो उद्देश्य श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया तथा शेष सात उद्देश्य शीर्षों को उद्देश्य श्रेणियों लेखांकन समायोजन से संबंधित वर्गीकृत किया गया। राज्यों में उद्देश्य शीर्ष वर्गीकरण संघ सरकार के वर्गीकरण से भिन्न है। कुछ राज्यों ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह पर भारत सरकार द्वारा प्रतिपादित पैटर्न/वर्गीकरण संरचना को अपनाया है।
- 4.5** राज्य वित्त, वित्त वर्ष 2023-24 पर इस प्रकाशन में, उद्देश्य शीर्षों के अंतर्गत व्यय को टैक्सोनोंमिक¹⁹ रूप से प्रस्तुत किया गया है। तुलना के उद्देश्य से, अंतर-राज्यीय भिन्नता के आलोक में, तालिका 4.1 में, राज्यों द्वारा संचालित उद्देश्य शीर्षों को मोटे तौर पर संघ सरकार द्वारा अधिसूचित नई उद्देश्य श्रेणियों के आधार पर समूहीकृत किया गया है।

तालिका 4.1: वित्त वर्ष 2023-24 में आर्थिक वर्गीकरण के अनुसार व्यय (आंकड़े ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उद्देश्य शीर्ष	राशि	कुल व्यय का प्रतिशत	कुल / उप-योग	जीएसडीपी का प्रतिशत
राजस्व व्यय				38,96,647	
पूंजीगत व्यय (सम्पत्तियाँ)				7,84,037	
उद्देश्य श्रेणी I- कर्मचारियों को प्रतिकर				7,45,682	2.57
1	वेतन*	7,13,756	15.25		
2	मजदूरी	25,955	0.55		
3	चिकित्सा उपचार	5,091	0.11		
4	प्रशिक्षण व्यय	880	0.02		
उद्देश्य श्रेणी II-कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा				4,79,248	1.65
5	पेंशन प्रभार	4,79,248	10.24		
उद्देश्य श्रेणी III – वस्तु और सेवाएँ				2,16,678	0.75
6	यात्रा खर्च	4,803	0.10		
7	कार्यालय व्यय	17,878	0.38		
8	भवनों का किराया, दरें और कर	2,895	0.06		
9	विज्ञापन, मुद्रण और प्रकाशन	7,609	0.16		
10	सामग्री एवं आपूर्तियाँ	41,196	0.88		
11	राशन की लागत	10,570	0.23		
12	हथियार और गोला-बारूद	598	0.01		
13	ईंधन और स्नेहक	3,881	0.08		
14	लघु कार्य (सिविल तथा बिजली)	36,982	0.79		
15	मरम्मत और रखरखाव	31,996	0.68		
16	छात्रवृत्ति, वृत्तिका एवं व्यावसायिक सेवाएँ	58,268	1.24		
उद्देश्य श्रेणी IV- सहायता				15,52,691	5.36
17	सहायता अनुदान (सामान्य एवं वेतन)	11,41,811	24.39		
18	सहायता अनुदान (पूंजीगत आस्तियाँ)	80,611	1.72		
19	सब्सिडी	3,30,269	7.06		
उद्देश्य श्रेणी V-विविध राजस्व व्यय				4,93,389	1.70
20	ब्याज भुगतान	4,93,389	10.54		

¹⁹ तालिका 4.1 में दर्शाया गया वर्गीकरण वित्त लेखों में दर्शाए गए व्यय पर आधारित है। राज्यों के बीच उद्देश्य शीर्ष संरचना में भिन्नता के कारण, जिसमें कुछ राज्यों में कुछ उद्देश्य शीर्षों का न होना भी शामिल है, कुछ उद्देश्य शीर्षों में बुकिंग की प्रकृति समान नहीं हो सकती है।

क्र. सं.	उद्देश्य शीर्ष	राशि	कुल व्यय का प्रतिशत	कुल / उप-योग	जीएसडीपी का प्रतिशत
उद्देश्य श्रेणी VI - गैर-वित्तीय आस्तियां (नियत और अमूर्त आस्तियां)				4,69,251	1.62
21	उपस्कर और औजार	11,815	0.25		
22	वृहत कार्य	4,53,816	9.70		
23	मोटर यान	3,620	0.08		
उद्देश्य श्रेणी VII- वित्तीय आस्तियां				1,80,997	0.62
24	निवेश	1,24,886	2.67		
25	ऋण और अग्रिम	56,111	1.20		
अन्य उद्देश्य शीर्षों का व्यय				6,37,350	2.20
26	अन्य उद्देश्य शीर्ष (राजस्व + पूंजीगत)	6,37,350	13.62		
उद्देश्य श्रेणी VIII- लेखा समायोजन				(-) 94,602	(-) 0.33
27	वसूलियां घटायें (राजस्व + पूंजीगत)^	(-) 94,602	(-)2.02		
कुल**				46,80,684	16.15
जीएसडीपी				2,89,77,861	

* भत्ते एवं एलटीसी वेतन का हिस्सा हैं।

** ऋण की अदायगी को सम्मिलित नहीं किया गया है।

^ उद्देश्य शीर्षों के अंतर्गत व्यय सकल आधार पर है। सभी उद्देश्य शीर्षों की वसूलियां घटायें को क्रम संख्या 27 पर अलग से दर्शाया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा टैक्सोनॉमिक वर्गीकरण सम्बंधित हाल ही में की गयी पहल

4.6 राज्य व्यय के छह स्तरीय जैसे विनियोग की प्राथमिक इकाई/उद्देश्य शीर्ष पर व्यय के संचालन में राज्यों के बीच व्यापक भिन्नता को दूर करने के लिए, जो अंतर-कालिक और अंतर-राज्यीय तुलनाओं के साथ-साथ संघ सरकार की तुलनाओं को भी प्रभावित करती है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने 11 नवम्बर 2025 के एक कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से संघ सरकार और सभी राज्य सरकारों पर लागू होने वाली एक समान उद्देश्य शीर्ष संरचना को अपनाने की सलाह दी है। समान उद्देश्य शीर्षों की संशोधित सूची को संघ सरकार और राज्य सरकारों द्वारा वित्त वर्ष 2027-28 से लागू किया जाना है। व्यय की समान और मानक आर्थिक वर्गीकरण संरचना को अपनाने से संघ सरकार और सभी राज्य सरकारों में बजट और लेखांकन प्रथाओं में सामंजस्य स्थापित होगा और सरकारों द्वारा किए गए व्यय से सम्बंधित पारदर्शी और तुलनात्मक राजकोषीय जानकारी उपलब्ध होगी। संविधान के अनुच्छेद 150 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा दी गई सलाह युक्त कार्यालय ज्ञापन *अनुलग्नक 20* में रखा गया है।

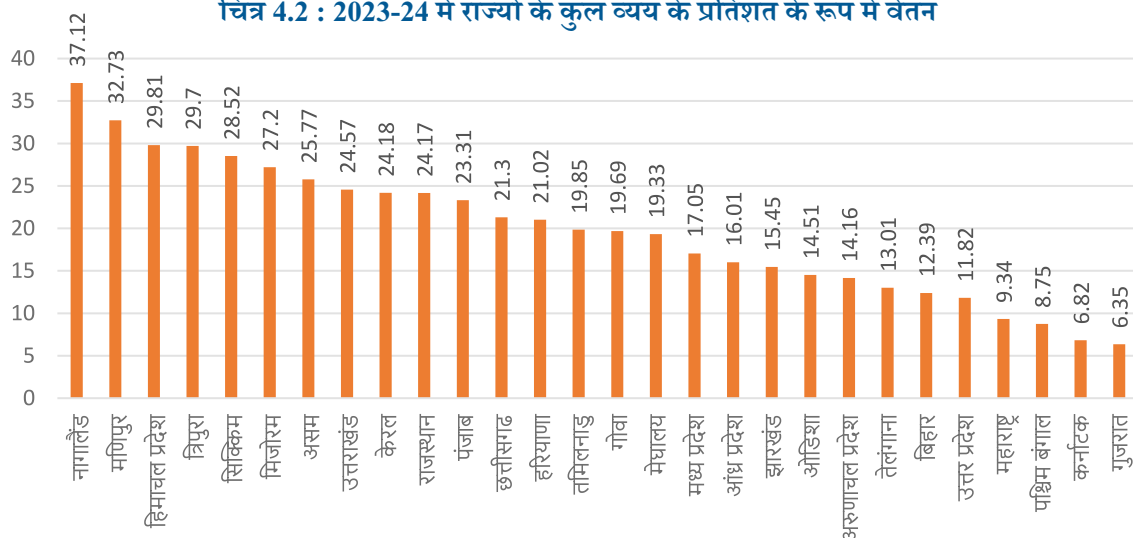
राज्यों का पृथक आर्थिक श्रेणीवार व्यय

वेतन²⁰

4.7 सामान्यतः वेतन में सरकारी कार्मिकों के वेतन एवं भत्ते के साथ-साथ मानदेय एवं एलटीसी पर अवकाश नकदीकरण जैसे मदों पर व्यय भी सम्मिलित होता है। वित्त वर्ष 2023-24 में, 13 राज्यों, नागालैंड, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम, मिजोरम, असम, उत्तराखंड, केरल, राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, एवं हरियाणा ने अपने कुल बजटीय व्यय (राजस्व एवं पूंजीगत) का 20 प्रतिशत से अधिक वेतन पर खर्च किया। चार राज्यों यथा गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल एवं महाराष्ट्र में वेतन पर व्यय उनके कुल व्यय का 10 प्रतिशत से भी कम था।

²⁰ उद्देश्य शीर्ष सहायता अनुदान वेतन में दर्ज वेतन यहां शामिल नहीं है।

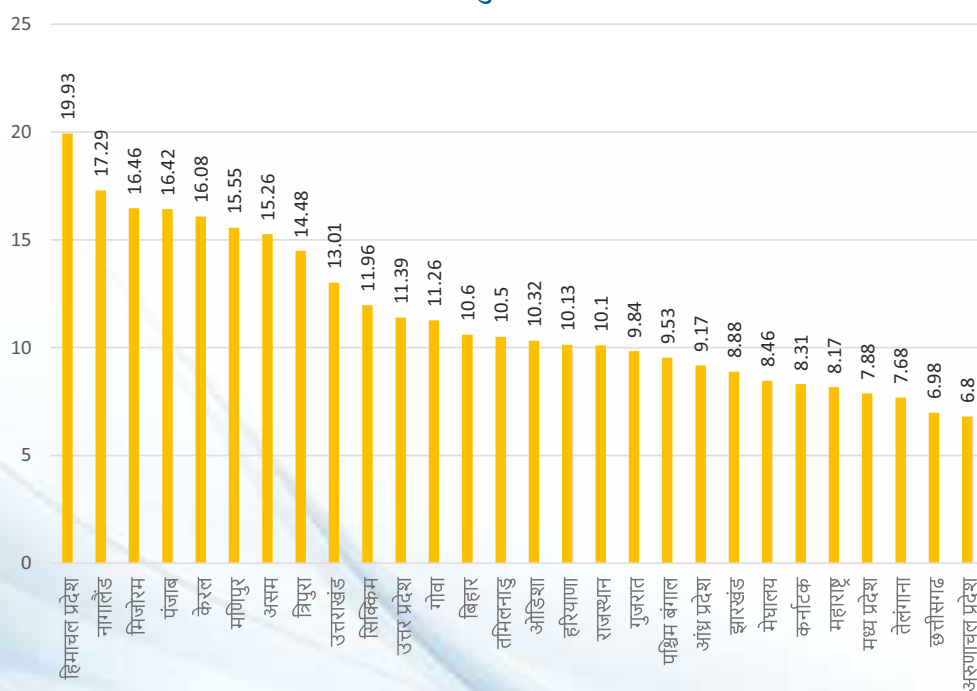
चित्र 4.2 : 2023-24 में राज्यों के कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में वेतन



पेंशन

- 4.8** पेंशन प्रभार में सामान्यतः सभी पेंशन हित लाभ, जैसे की सरकारी कर्मचारियों, विधान सभा सदस्यों एवं स्वतंत्रता सेनानियों के लिए पेंशन एवं उपदान, सेवा एवं अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान, सेवानिवृत्ति, मृत्यु या सेवा समाप्ति पर अवकाश नकदीकरण तथा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस)/एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के अंतर्गत सरकार का अंशदान सम्मिलित होते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में, सात राज्यों यथा हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, पंजाब, केरल, मणिपुर एवं असम ने पेंशन पर उनके अपने कुल व्यय का 15 प्रतिशत या उससे अधिक खर्च किया। 10 राज्यों यथा त्रिपुरा, उत्तराखंड, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, गोवा, बिहार, तमिलनाडु, ओडिशा, हरियाणा एवं राजस्थान में पेंशन भुगतान पर व्यय उनके कुल व्यय का 10-15 प्रतिशत के बीच था।

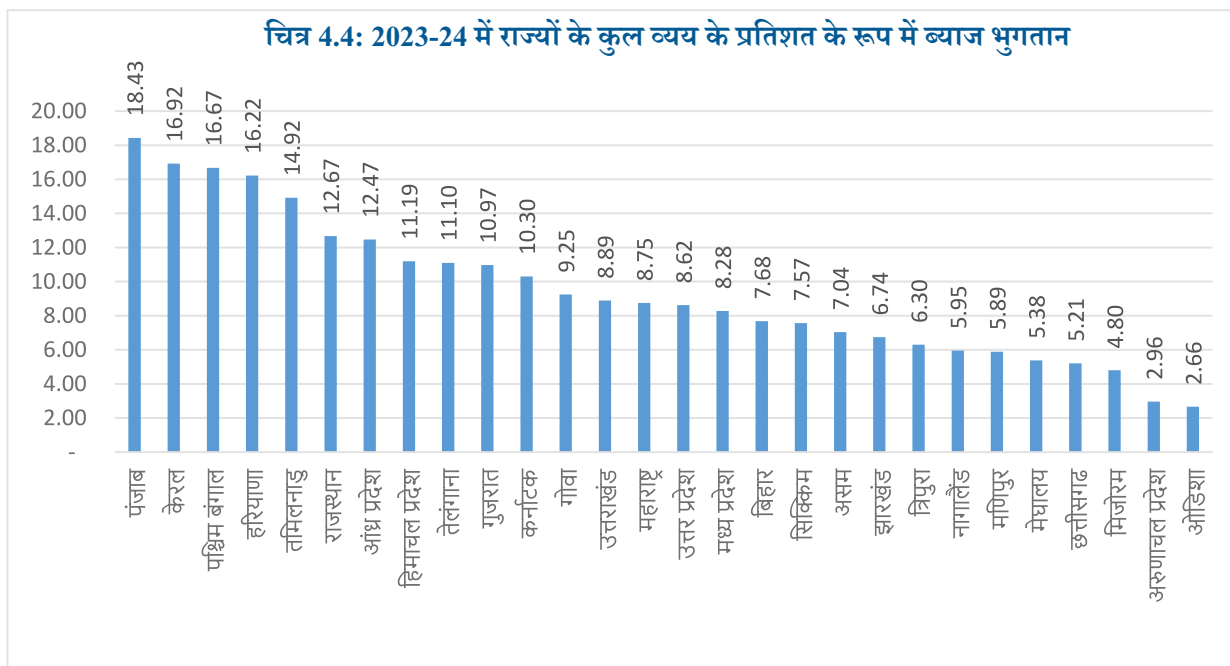
चित्र 4.3: 2023-24 में राज्यों के कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में पेंशन



ब्याज भुगतान

- 4.9** सामान्यतः ब्याज भुगतान में राज्य सरकारों के उधार एवं अन्य देयताओं पर ब्याज का भुगतान सम्मिलित होता है। वित्त वर्ष 2023-24 में, 11 राज्यों पंजाब, केरल, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, तमिलनाडु, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, एवं कर्नाटक ने अपने कुल व्यय का 10 प्रतिशत से अधिक ब्याज भुगतान पर खर्च किया। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एवं ओडिशा में ब्याज भुगतान उनके कुल व्यय के पाँच प्रतिशत से भी कम था।

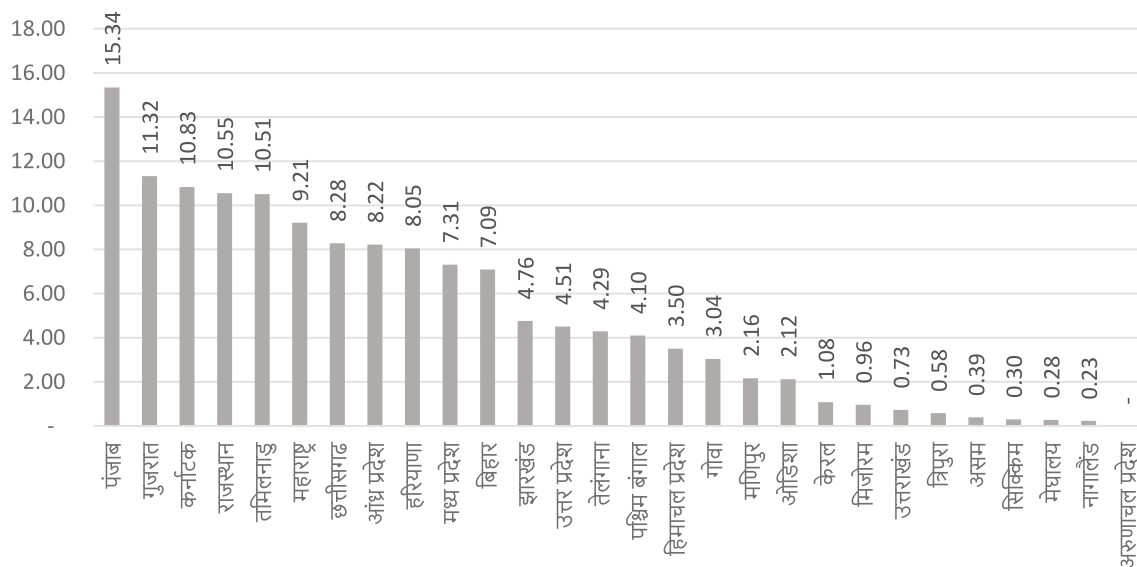
चित्र 4.4: 2023-24 में राज्यों के कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान



सब्सिडी

- 4.10** सब्सिडी सरकार द्वारा व्यक्तियों अथवा संस्थाओं को दी जाने वाली राजकोषीय अंतरण हैं, जिनका उद्देश्य वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन अथवा उपभोग की लागत के आंशिक या पूर्ण वहन की पूर्ति करना होता है, ताकि आर्थिक एवं सामाजिक उद्देश्यों को प्रोत्साहन प्रदान किया जा सके। यह राज्य सरकारों द्वारा लोगों को रियायती दरों पर उपलब्ध कराई वस्तुएँ एवं सेवाएँ उपलब्ध करवाने अथवा कृषि, बिजली आपूर्ति, खाद्य वितरण, परिवहन आदि जैसी विशिष्ट आर्थिक गतिविधियों को समर्थन प्रदान करने हेतु किए गए व्यय को दर्शाती है।
- 4.11** वित्त वर्ष 2023-24 में पांच राज्यों, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान एवं तमिलनाडु ने अपने कुल व्यय का 10 प्रतिशत से अधिक सब्सिडी पर व्यय किया; पंजाब द्वारा सबसे अधिक 15.34 प्रतिशत किया गया। 9 राज्यों अर्थात् केरल, मिजोरम, उत्तराखंड, त्रिपुरा, असम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश ने सब्सिडी पर अपने कुल व्यय का दो प्रतिशत से भी कम व्यय किया। अरुणाचल प्रदेश ने सब्सिडी पर कोई व्यय नहीं होने की सूचना दी। इन राज्यों में अपेक्षाकृत निम्न सब्सिडी स्तर का कारण उपभोक्ताओं का सीमित आधार तथा औद्योगिक एवं सिंचाई गतिविधियों का अपेक्षाकृत कम विस्तार है। इन राज्यों में सब्सिडी प्रमुख रूप से उपयोग ऊर्जा अथवा कृषि क्षेत्रों के स्थान पर परिवहन, खाद्य एवं सामाजिक क्षेत्र को सहायता हेतु निर्देशित किया है।

चित्र 4.5 : 2023-24 में राज्यों के कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी



सहायता अनुदान (सामान्य एवं वेतन)

4.12 वित्त वर्ष 2023-24, व्यय में पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों को छोड़कर, अनुदान प्राप्त करने वाले निकायों के कर्मचारियों को वेतन के भुगतान के लिए सहायता-अनुदान (जीआईए) एवं अन्य प्रकार के अनुदान सम्मिलित हैं। छह राज्य अर्थात् पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना एवं गुजरात ने अपने कुल व्यय का 31-40 प्रतिशत सहायता-अनुदान (सामान्य एवं वेतन)²¹ पर खर्च किया। अन्य आठ राज्यों में अर्थात् मेघालय, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, त्रिपुरा, असम, उत्तर प्रदेश एवं झारखण्ड का सहायता अनुदान (सामान्य एवं वेतन) उनके कुल व्यय का लगभग 20-30 प्रतिशत था।

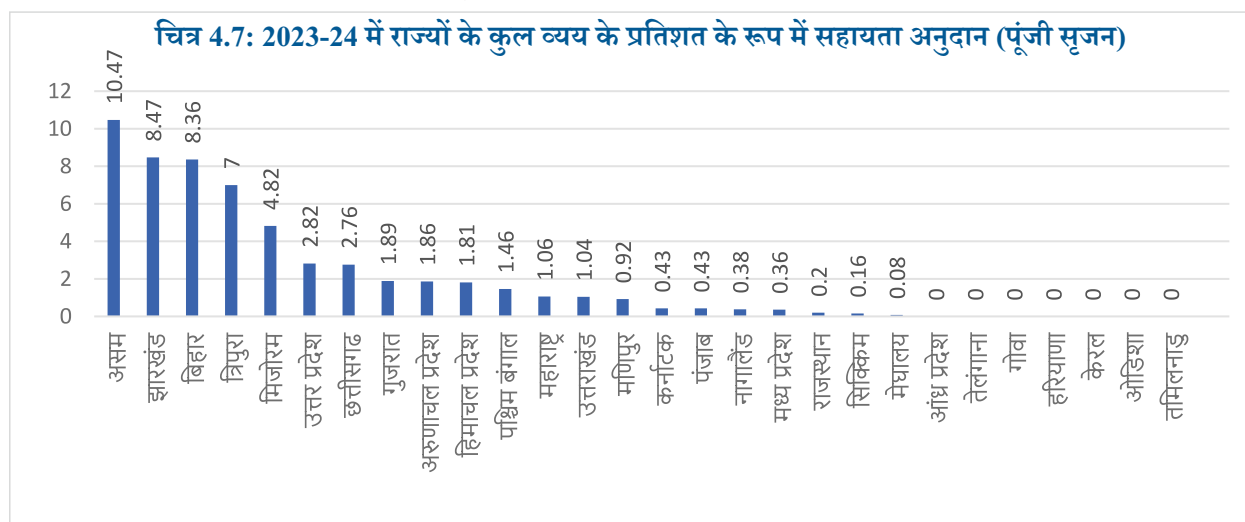
चित्र 4.6: 2023-24 में राज्यों के कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में सहायता अनुदान (सामान्य एवं वेतन)



²¹ कर्नाटक सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 में कुल ₹66,039 करोड़ की सहायता अनुदान दी है। इसमें से ₹22,487 करोड़ जिलों (बेंगलूरु, बेलूर, कोलार, मंगलूरु, मैसूरु, रायचूर आदि) को सहायता अनुदान के रूप में जारी किए गए, जिसमें सहायता अनुदान-वेतन और अन्य सम्मिलित हैं। इन उद्देश्य शीर्षों के तहत सहायता अनुदान-वेतन का निर्धारण नहीं किया जा सकता। अतः कर्नाटक के मामले में सहायता अनुदान-वेतन पर होने वाला व्यय कम करके दिखाया गया है।

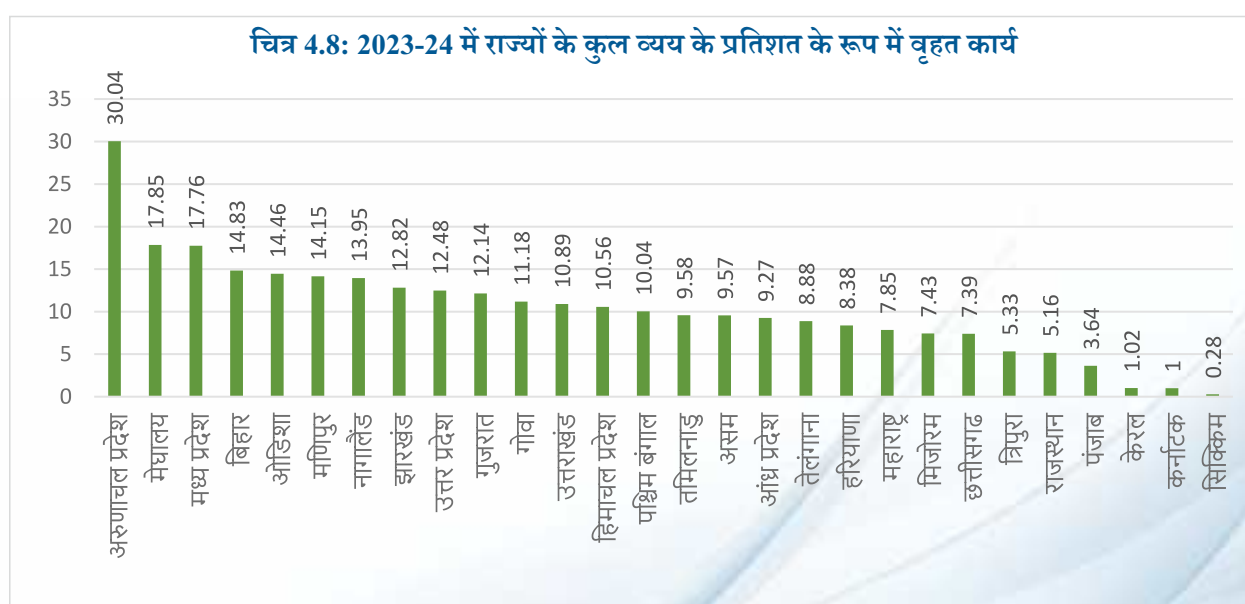
सहायता अनुदान (पूँजी सृजन)²²

- 4.13** सामान्यतः, इसमें परियोजनाओं पर व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण सहित पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु जारी की गई सहायता-अनुदान सम्मिलित होती है। केवल चार राज्यों असम (10.47 प्रतिशत), झारखण्ड (8.47 प्रतिशत), बिहार (8.36 प्रतिशत) एवं त्रिपुरा (7 प्रतिशत) ने ही पूँजी सृजन के लिए अनुदानों पर अपने व्यय का 5 प्रतिशत या इससे अधिक व्यय किया। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान गोवा, हरियाणा, केरल, उड़ीसा एवं तमिलनाडु ने सहायता-अनुदान (पूँजी सृजन) उद्देश्य शीर्ष का संचालन नहीं किया।



वृहत कार्य

- 4.14** सामान्यतः, इस शीर्ष में लोक निर्माण लेखा संहिता में निर्धारित वृहत कार्यों के वर्गीकरण की वित्तीय सीमाओं के संदर्भ में किया गया व्यय सम्मिलित होंगे, जिसमें भूमि एवं संरचनाओं के अधिग्रहण की लागत भी सम्मिलित होती है। वित्त वर्ष 2023-24 में कुल व्यय का 9.70 प्रतिशत वृहत कार्यों पर खर्च किया गया। विशेष रूप से, अरुणाचल प्रदेश ने वृहत कार्यों पर अपने कुल व्यय का लगभग 30 प्रतिशत खर्च किया। 13 अन्य राज्यों अर्थात मेघालय, मध्य प्रदेश, बिहार, ओडिशा, मणिपुर, नागालैंड, झारखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल ने वृहत कार्यों पर 10 प्रतिशत से अधिक खर्च किया।

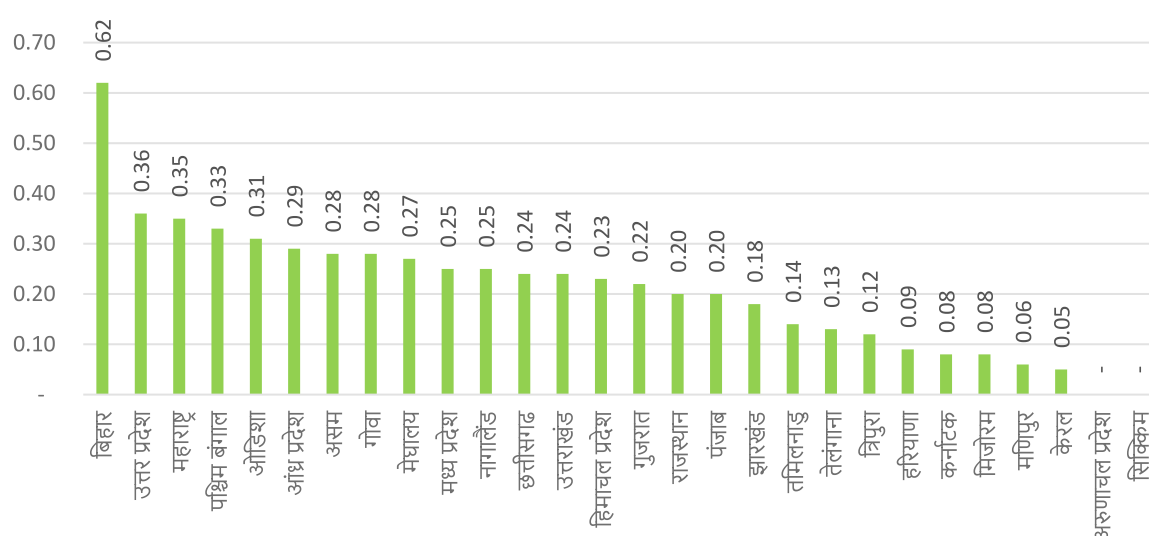


²² तमिलनाडु, ओडिशा, केरल, हरियाणा और गोवा में पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों पर व्यय को उद्देश्य शीर्ष सहायता अनुदान (सामान्य एवं वेतन) में सम्मिलित किया गया है।

उपस्कर और औजार

4.15 इसमें सामान्यतः कार्यालय को चलाने के लिए आवश्यक उपकरणों के अलावा उपस्कर और औजार, उपकरणों आदि एवं विशिष्ट कार्यों के लिए अधिगृहित विशेष उपकरणों एवं संयंत्रों की खरीद सम्मिलित है। वित्त वर्ष 2023-24 में उपस्कर और औजार के लिए ₹11,815 करोड़ अथवा कुल व्यय का 0.25 प्रतिशत था। केवल तीन राज्यों अर्थात् बिहार (₹1,414 करोड़), उत्तर प्रदेश (₹1,954 करोड़) एवं महाराष्ट्र (₹1,805 करोड़) ने इस शीर्ष पर ₹1,000 करोड़ से अधिक खर्च किए; 14 राज्यों, अर्थात् तेलंगाना, कर्नाटक, पंजाब, झारखंड, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, गोवा, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर एवं मिजोरम ने ₹300 करोड़ से कम व्यय किया। वर्ष के दौरान दो राज्यों अर्थात् अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम में उपस्कर और औजार पर कोई व्यय नहीं किया गया।

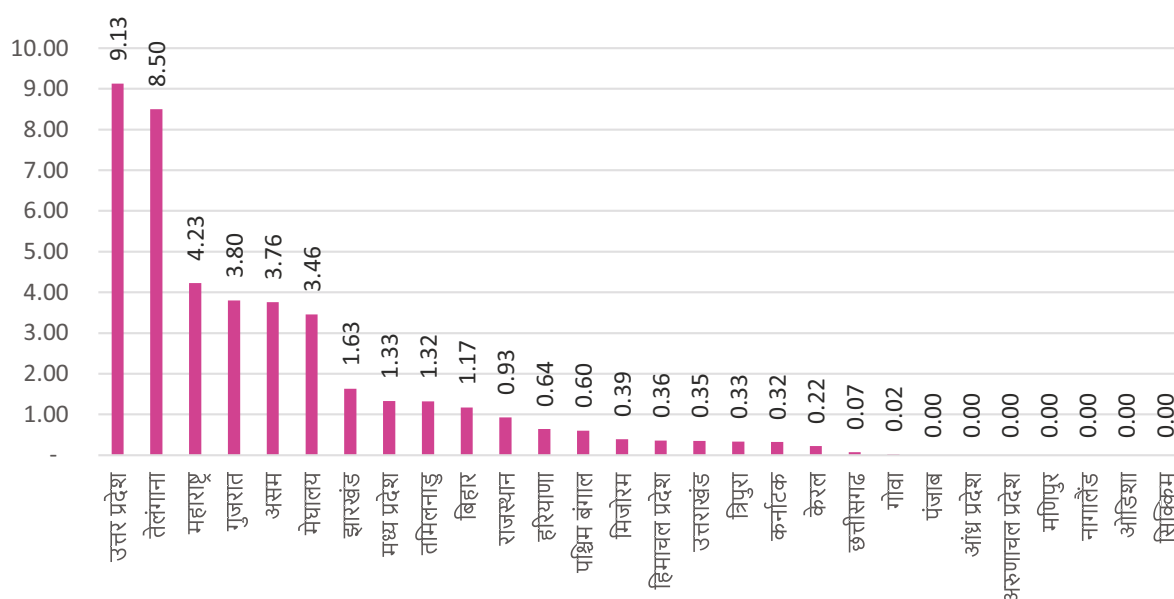
चित्र 4.9: 2023-24 में राज्यों के कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में उपस्कर और औजार



निवेश

4.16 सामान्यतः इसमें सरकार द्वारा शेयरों एवं अंश पूंजी की खरीद, प्रतिभूतियों में निवेश, स्थायी एवं सावधि जमा में निवेश एवं अन्य निवेश सम्मिलित होते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में, राज्यों ने ₹1,24,886 करोड़ का निवेश किया, जिसमें से उत्तर प्रदेश (₹50,070 करोड़), तेलंगाना (₹18,631) करोड़, महाराष्ट्र (₹22,086) एवं गुजरात (₹9,405 करोड़) द्वारा पर्याप्त राशि व्यय की गई।

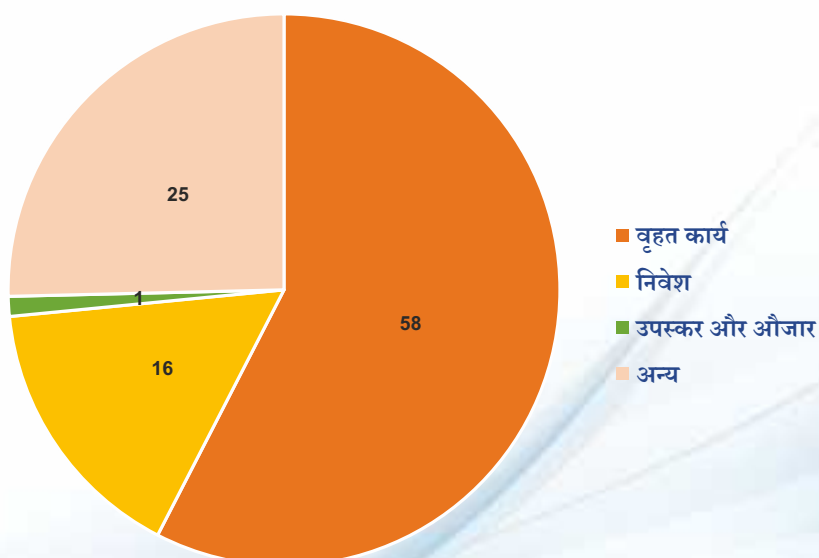
चित्र 4.10: 2023-24 में राज्यों के कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में निवेश



कुल पूंजीगत व्यय के प्रतिशत के रूप में निवेश और वृहत कार्य

4.17 वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 28 राज्यों में किए गए कुल पूंजीगत व्यय ₹7,84,037 करोड़ में से, पूंजीगत प्रकृति उद्देश्य शीर्षों के अनुसार वर्गीकृत सभी राज्यों में प्रमुख घटक मुख्य कार्य था, जिसकी राशि ₹4,51,396 करोड़ थी। कुल पूंजीगत व्यय का 58 प्रतिशत अकेले इस उद्देश्य शीर्ष में निहित है। कुल पूंजीगत व्यय का 16 प्रतिशत निवेश पर ₹1,24,538 करोड़, और कुल पूंजीगत व्यय का 1 प्रतिशत उपस्कर एवं औजार पर ₹9,143 करोड़ का निहित है। पूंजीगत व्यय का शेष भाग विभिन्न अन्य उद्देश्य शीर्षों के अंतर्गत दर्ज किया गया, जिसमें मुख्य रूप से भूमि की खरीद, लघु कार्य, परिसंपत्तियों का उन्नयन और अन्य मदों पर किया गया व्यय शामिल था। चित्र 4.11 वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान प्रमुख उद्देश्य शीर्ष जिनके अंतर्गत पूंजीगत व्यय किया गया था, को दर्शाता है।

चित्र 4.11: 2023-24 में पूंजीगत व्यय के प्रतिशत के रूप में वृहत कार्य, निवेश, उपस्कर और औजार



- 4.18** वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान नौ राज्यों उत्तर प्रदेश, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्रप्रदेश एवं पंजाब में कुल पूंजीगत व्यय का 90 प्रतिशत से अधिक वृहत कार्यों और निवेशों को मिलाकर निहित था। अरुणाचल प्रदेश, हिमांचल प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश और पंजाब में वृहत कार्यों का कुल पूंजीगत व्यय में 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सा निहित था। उत्तर प्रदेश एवं तेलंगाना में निवेश का कुल पूंजीगत व्यय में 30 प्रतिशत से अधिक हिस्सा निहित था।

निष्कर्ष

- 4.19** वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राज्यों के व्यय के टैक्सोनोंमिक विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि कुल व्यय का एक बड़ा हिस्सा कुछ प्रमुख आर्थिक श्रेणियों में केन्द्रित हैं। आठ उद्देश्य शीर्षों के अंतर्गत व्यय- सहायता अनुदान के तीन प्रकार (सामान्य, वेतन एवं पूंजी सृजन), वेतन, पेंशन लाभ, ब्याज भुगतान, सब्सिडी और मुख्य कार्य का संयुक्त व्यय ₹36.93 लाख करोड़ रहा, जो कुल व्यय ₹46.81 लाख करोड़ का 78.90 प्रतिशत और संयुक्त जीएसडीपी का 12.74 प्रतिशत है। यह संरचना राज्यों के समग्र बजट में प्रतिबद्ध और अनिवार्य व्यय घटकों की निरंतर उच्च हिस्सेदारी को दर्शाता है।
- 4.20** वर्ष 2014-15 से 2023-24 की अवधि के दौरान किए गए तुलनात्मक विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि कुल व्यय में 146 प्रतिशत की वृद्धि के बावजूद, संरचनात्मक स्वरूप में व्यापक रूप से कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिसमें वेतन, पेंशन तथा ब्याज भुगतान संयुक्त रूप से राज्यों के संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा निरंतर ग्रहण करते रहे। वित्त वर्ष 2023-24 में, कुल व्यय का लगभग 15 प्रतिशत वेतन पर, 10 प्रतिशत पेंशन पर और 11 प्रतिशत ब्याज भुगतान पर रहा, जो निरंतर राजकोषीय कठोरता को दर्शाता है। राज्यों द्वारा सहायता अनुदान (सामान्य एवं वेतन) पर कुल व्यय का लगभग एक चौथाई, जबकि सब्सिडी पर 3.30 लाख करोड़ रुपये अर्थात् कुल व्यय का 7.06 प्रतिशत व्यय किया, जो राज्यों द्वारा किए गए व्यय का एक अन्य बड़ा घटक थी।
- 4.21** पूंजीगत पक्ष में, मुख्य कार्यों पर किया गया व्यय कुल व्यय का 9.7 प्रतिशत था, जो परिसंपत्ति सृजन और अवसंरचना पर राज्यों के निरंतर ध्यान को दर्शाता है। हालांकि, मशीनरी, उपकरण और निवेश जैसे अन्य पूंजीगत शीर्षों पर व्यय अपेक्षाकृत कम रहा। इस प्रकार टैक्सोनोंमिक विभाजन से यह स्पष्ट होता है कि राज्यों के व्यय की संरचना राजस्व और अनिवार्य घटकों की ओर अत्यधिक झुकी हुई है, जिससे अधिकांश राज्यों में राजकोषीय लचीलापन सीमित रहता है।

અધ્યાય 5

લોક ઋણ એવં
લોક લેખા દેયતાણં

लोक ऋण एवं लोक लेखा देयताएं

लोक ऋण एवं लोक लेखा देयताएं

- 5.1** राज्य की समेकित निधि, जो सरकार के धन का प्राथमिक लेखा होती है, राज्य के लोक ऋण और अन्य देनदारियों के लिए उत्तरदायी होती है। राज्य सरकारें घरेलू बाजार, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से धन जुटाती हैं। इसमें प्रतिभूतियों/ट्रेजरी बिलों/बांडों आदि के माध्यम से खुले बाजार से लिए गए ऋण, भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से लिए गए ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक से लिए गए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) और भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी), राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी), आवास विकास वित्त निगम (एचडीएफसी), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), आवास एवं शहरी विकास निगम (एचयूडीसीओ) आदि जैसे वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण शामिल हैं। राज्य सरकारें भारत सरकार से बैंक-टू-बैंक वाह्य ऋण और राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) से लिए गए ऋण और अग्रिम प्राप्त करती हैं, जिनका भुगतान शर्तों के अनुसार किया जाना होता है। इससे लोक ऋण का सृजन होता है, जिस पर ऋण की अदायगी और ब्याज भुगतान की दोहरी देयता होती है। दोनों ही राज्य की समेकित निधि पर प्रभारित होती हैं। जबकि खुले बाजार का ऋण राज्य सरकार का आंतरिक ऋण होता है, वहीं भारत सरकार से लिए गए ऋण और अग्रिम राज्य सरकार की आंतरिक देनदारी, अर्थात् संघ सरकार के प्रति राज्य की देयता होती है।
- 5.2** राज्य का लोक लेखा एक ऐसी निधि है, जिसमें सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी अन्य लोक धन जमा किया जाता है। लघु बचत और भविष्य निधि, ब्याज सहित आरक्षित निधि, ब्याज रहित आरक्षित निधि, ब्याज सहित जमा, ब्याज रहित जमा और अन्य शेष राशियों के कारण लोक लेखे की देयता उत्पन्न होती है।
- 5.3** ऋण और देयता की रिपोर्टिंग विभिन्न क्षेत्राधिकारों में भिन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए, ऋण/देनदारी को नकद शेष²³ का निवल या अंतर-सरकारी देयता²⁴ का निवल के रूप में रिपोर्ट किया जा सकता है। राज्य सरकारें ऋण भंडार को निवल किए बिना कुल योग के रूप में रिपोर्ट करती हैं। भारत सरकार²⁵ और राज्य सरकारों के लोक ऋण को अंकित मूल्य पर रिपोर्ट किया जाता है।

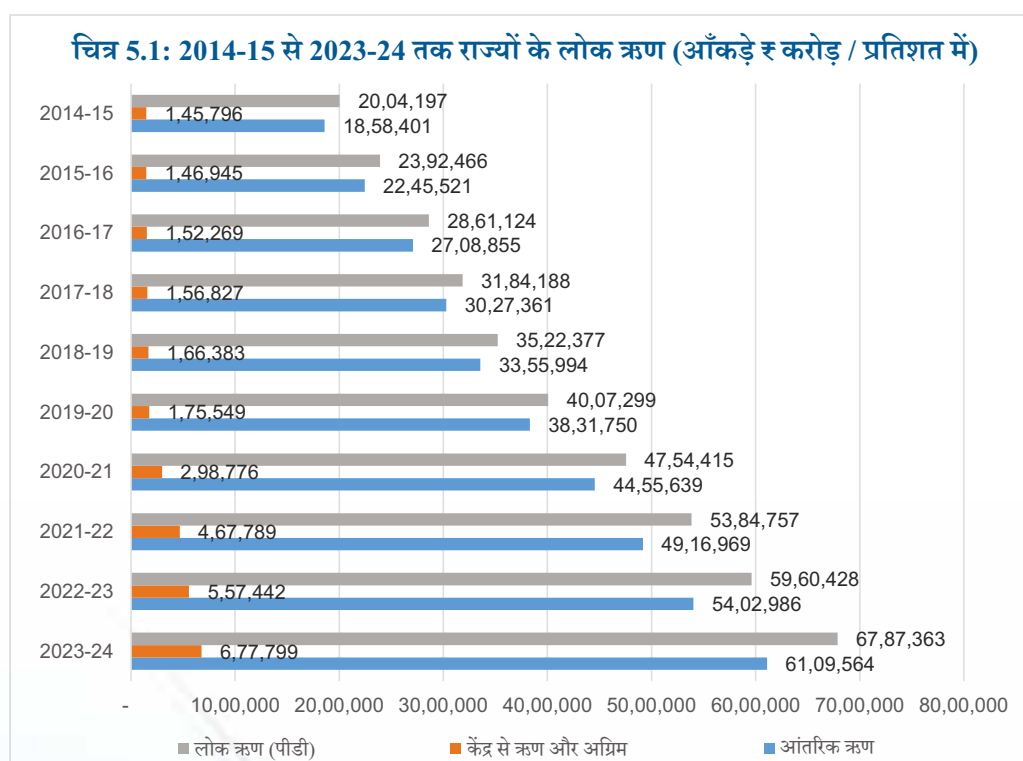
²³ जैसा कि भारत सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व के उद्देश्य से किया है। वर्ष 2021-22 के लिए सीएजी की 2024 की रिपोर्ट संख्या 1, एफआरबीएम अधिनियम 2023 का अनुपालन, पृष्ठ 5।

²⁴ उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय सरकार अपने 'एक-एक पैसे का कर्ज' दैनिक ऋण रिपोर्टिंग के अंतर्गत, लोक ऋण और अंतर-सरकारी हिस्सेदारी को भी रिपोर्ट करती है (<https://fiscaldata.treasury.gov/datasets/debt-to-the-penny/debt-to-the-penny>)। दूसरी ओर, फिलीपींस की सरकार कुल ऋण के साथ आंतरिक सरकारों होल्डिंग्स के शुद्ध ऋण को भी रिपोर्ट करती हैं (नंदिनी विजयरघवन: भारत का प्रभावी संप्रभु ऋण बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, 22 अक्टूबर, 2024)।

²⁵ भारत सरकार ने वित्त वर्ष के समापन दिवस पर विनिमय दर पर मूल्यांकित ऋण को उजागर किया।

लोक ऋण

- 5.4** वित्त वर्ष 2023-24 के अंत में सभी 28 राज्य सरकारों²⁶ का कुल लोक ऋण²⁷ (आंतरिक ऋण²⁸ और भारत सरकार से प्राप्त ऋण और अग्रिम) ₹67,87,363 करोड़ था, जो उनके संयुक्त जीएसडीपी²⁹ ₹2,89,77,861 करोड़ का 23.42 प्रतिशत था। यदि राज्यों के आंतरिक-सरकारी उधार (भारत सरकार से प्राप्त ऋण और अग्रिम) ₹6,77,799 करोड़ को अलग से दिखाया जाए, तब आंतरिक ऋण जीएसडीपी का 21.08 प्रतिशत था और भारत सरकार से प्राप्त ऋण और अग्रिम जीएसडीपी का 2.34 प्रतिशत था।
- 5.5** राज्यों का कुल लोक ऋण 239 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वित्त वर्ष 2014-15 में ₹20,04,197 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में ₹67,87,363 करोड़ हो गया है। इस अवधि के दौरान, जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में कुल लोक ऋण 17.25 प्रतिशत से बढ़कर 23.42 प्रतिशत हो गया। भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम जीएसडीपी के 0.91 प्रतिशत (वित्त वर्ष 2019-20) से लेकर जीएसडीपी के 2.34 प्रतिशत (वित्त वर्ष 2023-24) के बीच रहा है। वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान केंद्र से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम में उल्लेखनीय वृद्धि मुख्य रूप से (i) राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को जीएसटी क्षतिपूर्ति कमी के बदले दिए गए बैक-टू-बैक ऋण ₹2,69,208 करोड़³⁰ और (ii) पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को ऋण के रूप में दी गई विशेष सहायता ₹1,07,211 करोड़ के कारण थी। अनुलग्नक 17 में 10 वर्ष की अवधि के दौरान आंतरिक ऋण तथा केंद्र से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम के संबंध में लोक ऋण की राज्य-वार प्रवृत्ति दर्शाई गई है।



²⁶ पुनर्गठित राज्यों (आंध्र और तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़) के सम्बन्ध में अविभाजित ऋण को पूर्ववर्ती मूल राज्य में शामिल कर लिया गया है।

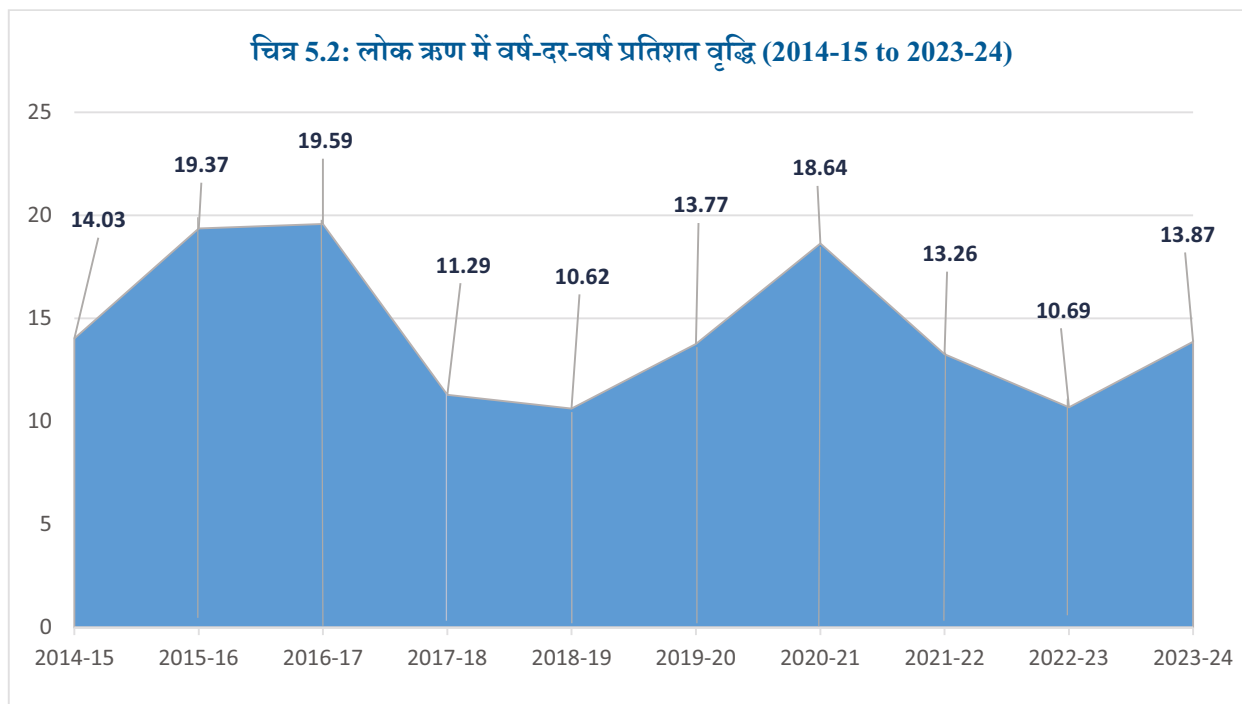
²⁷ लोक ऋण में राज्य सरकार की ऑफ बजट ऋण शामिल नहीं हैं।

²⁸ इसमें आरबीआई से लिए गए अर्थोपाय अग्रिम (मणिपुर- 453.65 करोड़ और नागालैंड- ₹222.03 करोड़) सम्मिलित हैं, जिन्हें वित्त वर्ष के दौरान चुकाया नहीं गया है।

²⁹ 2023-24 में राज्यों का कुल ऋण ₹3,04,57,109 करोड़ सकल घरेलू उत्पाद का 22.28 प्रतिशत था।

³⁰ जीएसटी क्षतिपूर्ति में कमी की पूर्ति हेतु राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को प्रदान किए गए बैक-टू-बैक ऋणों की निर्गम राशि को, वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित राज्यों की वार्षिक शुद्ध उधारी सीमा से अतिरिक्त माना गया है तथा इसे वित्त आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों के अंतर्गत नहीं गिना गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में, केंद्रीय सरकार द्वारा जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर से ₹72,054 करोड़ के ऋण का पुनर्भुगतान किया गया है, किंतु उक्त ऋण राशि को वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार की देयता से समायोजित/घटाया गया है।

- 5.6** 2014-15 और 2023-24 के बीच, राज्यों के लोक ऋण की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि में कोई एक जैसा स्वरूप नहीं था। इस दौरान यह 10.62 प्रतिशत से 19.59 प्रतिशत के बीच रहा।



- 5.7** आंतरिक ऋण राज्य की उधारी का सबसे बड़ा घटक बना हुआ है। 2014-15 और 2023-24 के बीच, सभी राज्यों का संयुक्त आंतरिक ऋण 229 प्रतिशत बढ़कर ₹18,58,401 करोड़ से ₹61,09,564 करोड़ हो गया है। हालांकि, राज्यों के आंतरिक ऋण में यह बढ़ोत्तरी पूरे देश में असमान है। इस अवधि में आंतरिक ऋण में सबसे अधिक वृद्धि असम (428 प्रतिशत), छत्तीसगढ़ (423 प्रतिशत), तेलंगाना (376 प्रतिशत) और सिक्किम (364 प्रतिशत) में हुई, जबकि गुजरात (115 प्रतिशत), झारखंड (116 प्रतिशत) और पश्चिम बंगाल (127 प्रतिशत) में सबसे कम वृद्धि दर्ज की गयी।
- 5.8** 2014-15 और 2023-24 के बीच, भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम में 365 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई, जो ₹1,45,796 करोड़ से बढ़कर ₹6,77,799 करोड़ हो गया था। हालांकि, राज्यों में ऋण एवं अग्रिम में यह बढ़ोत्तरी बहुत असमान है। उत्तराखंड (2,114 प्रतिशत), मेघालय (1,974 प्रतिशत), अरुणाचल प्रदेश (1,513 प्रतिशत) और सिक्किम (1,484 प्रतिशत) में भारत सरकार से मिले ऋण एवं अग्रिम में बहुत अधिक बढ़ोत्तरी दर्ज की गई। इसके विपरीत, तेलंगाना (143 प्रतिशत), पश्चिम बंगाल (169 प्रतिशत) और आंध्र प्रदेश (196 प्रतिशत) में इस मामले में तुलनात्मक रूप से कम बढ़ोत्तरी दर्ज की गई।

तालिका 5.1 : वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2023-24 तक आंतरिक ऋण तथा ऋण एवं अग्रिमों की वृद्धि प्रतिशत

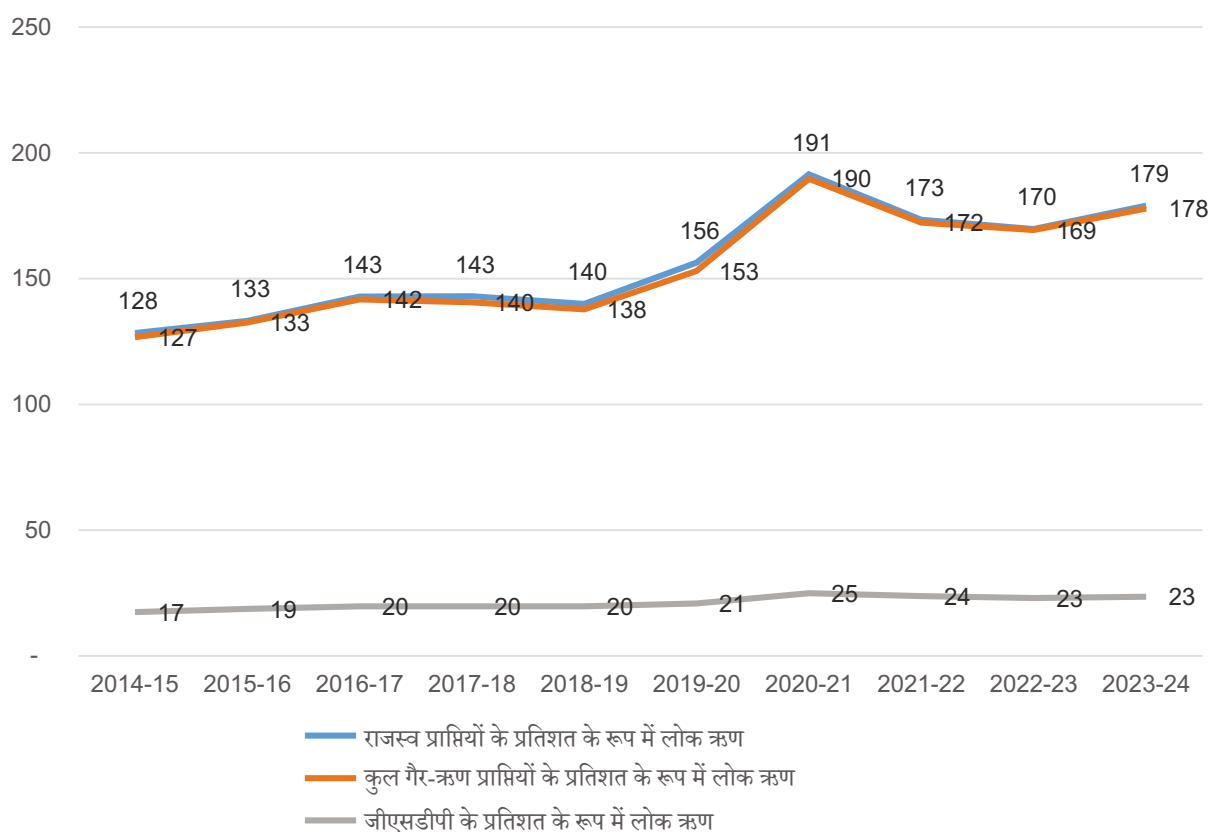
राज्य	वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2023-24 तक आंतरिक ऋण की वृद्धि प्रतिशत के रूप में	राज्य	वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2023-24 तक ऋण एवं अग्रिमों की वृद्धि प्रतिशत के रूप में
असम	428	उत्तराखंड	2114
छत्तीसगढ़	423	मेघालय	1974
तेलंगाना	376	अरुणाचल प्रदेश	1513
सिक्किम	364	सिक्किम	1484
कर्नाटक	349	छत्तीसगढ़	911
राजस्थान	328	असम	853
तमिलनाडु	323	नागालैंड	812
मध्य प्रदेश	309	हिमाचल प्रदेश	734
हरियाणा	308	झारखंड	674
आंध्र प्रदेश	293	हरियाणा	644
बिहार	259	त्रिपुरा	602
अरुणाचल प्रदेश	247	पंजाब	594
मेघालय	246	राजस्थान	565
पंजाब	238	महाराष्ट्र	546
उत्तर प्रदेश	236	मिज़ोरम	451
मिज़ोरम	225	गुजरात	432
मणिपुर	209	बिहार	403
केरल	189	तमिलनाडु	376
गोवा	163	मध्य प्रदेश	370
ओडिशा	158	मणिपुर	323
हिमाचल प्रदेश	149	कर्नाटक	321
महाराष्ट्र	146	गोवा	275
नागालैंड	145	उत्तर प्रदेश	262
त्रिपुरा	139	केरल	259
उत्तराखंड	134	ओडिशा	206
पश्चिम बंगाल	127	आंध्र प्रदेश	196
झारखंड	116	पश्चिम बंगाल	169
गुजरात	115	तेलंगाना	143

लोक ऋण एवं राजस्व तथा गैर-ऋण प्राप्ति

5.9 वित्त वर्ष 2023-24 में, राज्यों का कुल लोक ऋण ₹67,87,363 करोड़ था, जो उनके कुल राजस्व प्राप्ति ₹37,93,278 करोड़ का 179 प्रतिशत और गैर ऋण प्राप्ति ₹38,16,488 करोड़ का 178 प्रतिशत था। वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2023-24 की अवधि के दौरान, राज्यों के लोक ऋण की तुलना उनके राजस्व प्राप्ति के साथ-साथ कुल गैर ऋण प्राप्ति तथा जीएसडीपी से तुलना करने पर पता चलता है कि राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण 128 प्रतिशत (वित्त वर्ष 2014-15) से 191 प्रतिशत (वित्त वर्ष 2020-21) के बीच रहा है और कुल गैर ऋण प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में यह इसी अवधि के लिए 127 से 190 प्रतिशत के बीच रहा है।

औसतन, राज्यों का लोक ऋण उनके राजस्व प्राप्तियों/ कुल गैर ऋण प्राप्तियों³¹ का लगभग 155 प्रतिशत रहा है। इसी तरह, लोक ऋण, जीएसडीपी का 17-25 प्रतिशत के बीच रहा है और औसतन, जीएसडीपी का 21 प्रतिशत रहा है। वित्त वर्ष 2019-20 में जीएसडीपी के 21 प्रतिशत से वित्त वर्ष 2020-21 में 25 प्रतिशत तक 4 प्रतिशत की यह बढ़ोत्तरी वित्त वर्ष 2020-21 में जीएसडीपी में कमी के कारण हुई है, क्योंकि यह कोविड वर्ष था। 2020-21 से 2023-24 की अवधि के दौरान संघ सरकार से प्राप्त ऋण में बढ़ोत्तरी जीएसटी क्षतिपूर्ति कमी के बदले में दिए गए बैंक-टू-बैंक ऋण और पूंजीगत खर्च के लिए राज्यों को प्राप्त ऋण के रूप में विशेष सहायता के कारण हुई।

चित्र 5.3: राजस्व प्राप्तियों, कुल गैर-ऋण प्राप्तियों और सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण



पूंजीगत व्यय और लोक ऋण से निवल प्राप्तियाँ

5.10 उधार लेने का स्वर्णिम नियम यह सुझाव देता है कि सरकार को केवल निवेश या पूंजी सृजन के लिए ही उधार लेना चाहिए, न कि अपने परिचालन व्यय/वर्तमान खर्चों को पूरा करने के लिए। वर्ष के दौरान की गई शुद्ध उधारियाँ, सकल उधारियों और किए गए पुनर्भुगतान के बीच के अंतर को दर्शाती हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में राज्यों के पूंजीगत व्यय और लोक ऋण की शुद्ध प्राप्तियों की तुलना (जैसा कि तालिका 5.2 में दिया गया है) दर्शाती है कि 13 राज्यों-आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल) में पूंजीगत व्यय, शुद्ध लोक ऋण प्राप्तियों से कम था। इसका कारण यह हो सकता है कि ऋण प्राप्तियों का एक हिस्सा राजस्व घाटे की पूर्ति में उपयोग किया गया हो। आंध्र प्रदेश और पंजाब के मामले में, पूंजीगत व्यय क्रमशः शुद्ध उधारियों का केवल 41 प्रतिशत और 17 प्रतिशत था, जबकि छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मामलों में यह क्रमशः लगभग 53 प्रतिशत और 46 प्रतिशत रहा।

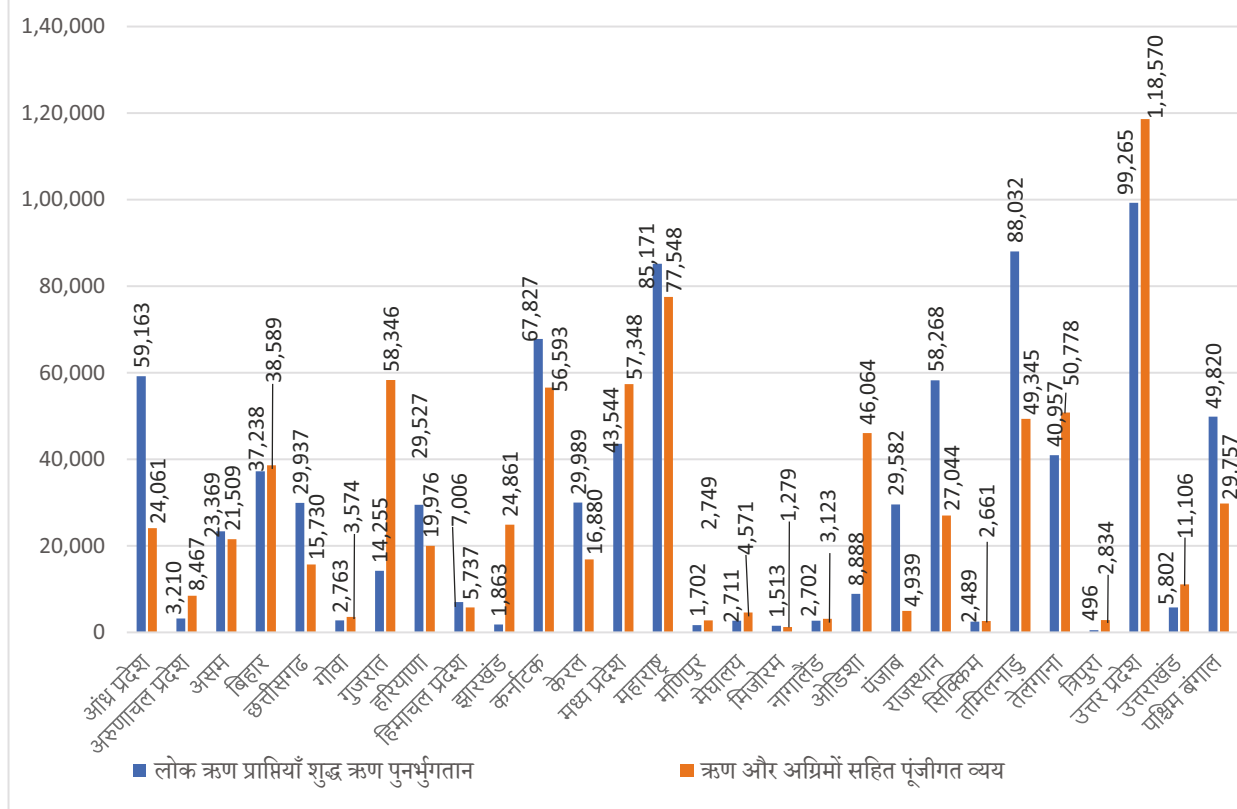
³¹ राजस्व प्राप्तियों, विविध पूंजीगत प्राप्तियों तथा ऋण एवं अग्रिम की वसूली।

तालिका 5.2: 2023-24 में लोक ऋण प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय, शुद्ध पुनर्भुगतान (आंकड़े ₹ करोड़ में)

राज्य	ऋण अदायगी के बाद लोक ऋण प्राप्तियाँ	ऋण एवं अग्रिम सहित पूंजीगत व्यय (कैपेक्स)	ऋण एवं अग्रिम के बिना पूंजीगत व्यय (सीई)	लोक ऋण प्राप्तियों स्तम्भ (2) के प्रतिशत के रूप में कैपेक्स (स्तम्भ 3) $3 \div 2$	लोक ऋण प्राप्तियों स्तम्भ (2) के प्रतिशत के रूप में सीई (स्तम्भ 4) $4 \div 2$
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	59,163	24,061	23,330	40.67	39.43
अरुणाचल प्रदेश	3,210	8,467	8,464	263.79	263.67
असम	23,369	21,509	21,444	92.04	91.76
बिहार	37,238	38,589	36,453	103.63	97.89
छत्तीसगढ़	29,937	15,730	15,419	52.55	51.50
गोवा	2,763	3,574	3,571	129.35	129.22
गुजरात	14,255	58,346	55,679	409.29	390.59
हरियाणा	29,527	19,976	15,921	67.65	53.92
हिमाचल प्रदेश	7,006	5,737	5,630	81.89	80.35
झारखंड	1,863	24,861	20,570	1334.35	1104.11
कर्नाटक	67,827	56,593	52,120	83.44	76.84
केरल	29,989	16,880	13,584	56.29	45.29
मध्य प्रदेश	43,544	57,348	56,539	131.70	129.84
महाराष्ट्र	85,171	77,548	72,573	91.05	85.20
मणिपुर	1,702	2,749	2,749	161.47	161.49
मेघालय	2,711	4,571	4,530	168.61	167.08
मिजोरम	1,513	1,279	1,254	84.49	82.86
नागालैंड	2,702	3,123	3,123	115.57	115.56
ओडिशा	8,888	46,064	43,273	518.25	486.87
पंजाब	29,582	4,939	4,743	16.69	16.03
राजस्थान	58,268	27,044	26,646	46.41	45.73
सिक्किम	2,489	2,661	2,661	106.92	106.89
तमिलनाडु	88,032	49,345	40,500	56.05	46.00
तेलंगाना	40,957	50,778	43,918	123.98	107.22
त्रिपुरा	496	2,834	2,734	570.99	551.24
उत्तर प्रदेश	99,265	1,18,570	1,10,555	119.45	111.37
उत्तराखंड	5,802	11,106	10,982	191.42	189.27
पश्चिम बंगाल	49,820	29,757	28,963	59.73	58.13
योग	8,27,089	7,84,039	7,27,928	-	-

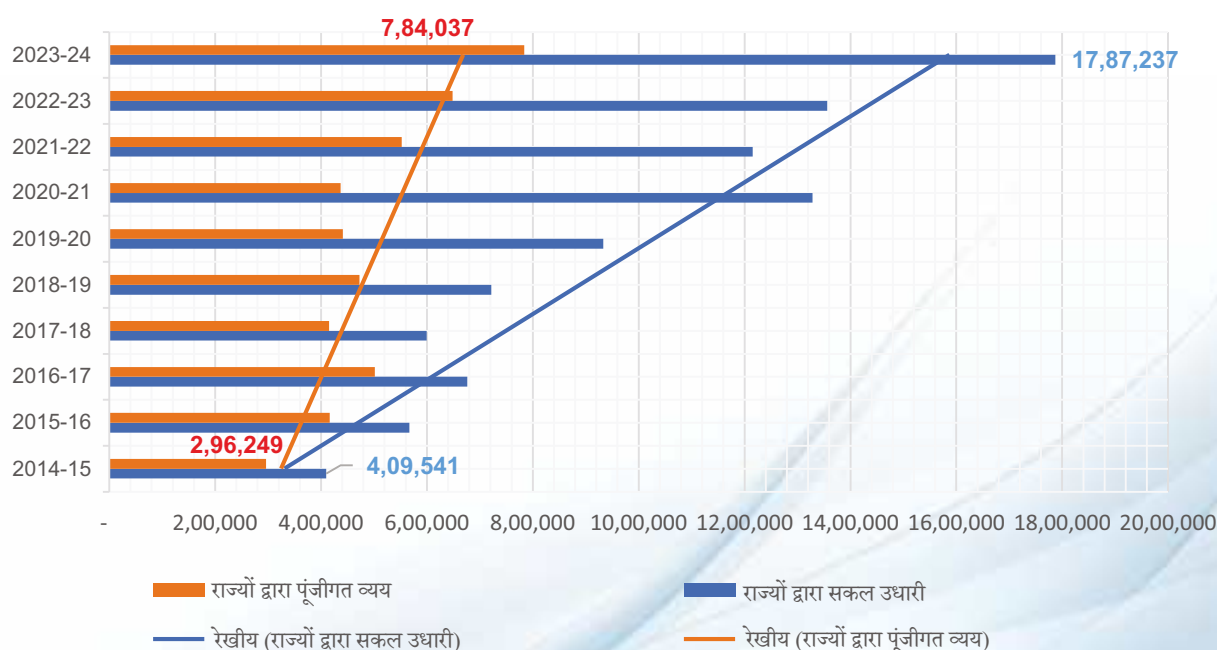
5.11 चित्र 5.4 शुद्ध उधार और पूंजीगत व्यय के बीच के अंतर को दर्शाता है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित 15 राज्यों के मामले में पूंजीगत व्यय कुल उधार से अधिक था, जो दर्शाता है कि उधार का उपयोग पूंजीगत व्यय के लिए किया जा रहा है। शेष राज्यों में, चार्ट से संकेत मिलता है कि उधार का उपयोग राजस्व व्यय के लिए किया जा रहा है।

चित्र 5.4: शुद्ध उधारी की तुलना में राज्यों द्वारा पूंजीगत व्यय (आँकड़े ₹ करोड़ में)



5.12 चित्र 5.5 में पूंजीगत व्यय और सकल ऋण प्राप्तियों की तुलना से यह संकेत मिलता है कि वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2023-24 के बीच उधार के स्तर और पूंजीगत व्यय के बीच का अंतर बढ़ गया है क्योंकि राज्यों द्वारा ऋण प्राप्तियों का उपयोग राजस्व घाटे के वित्तपोषण के लिए भी किया गया, चूंकि 10 वर्षों की अवधि के दौरान अनेक राज्यों की वित्तीय स्थिति लगातार राजस्व घाटे में बनी रही।

चित्र 5.5: सकल लोक ऋण प्राप्तियों की तुलना में पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति (आँकड़े ₹ करोड़ में)



ऋण प्राप्ति, पुनर्भुगतान और निवल उधार

5.13 वित्त वर्ष 2023-24 में कुल लोक ऋण प्राप्ति ₹17,87,237 करोड़ थीं। सभी राज्यों द्वारा कुल लोक ऋण का पुनर्भुगतान ₹9,60,146 करोड़ रहा, जिसका अर्थ है कि ऋण पुनर्भुगतान घटाने के बाद लोक ऋण प्राप्ति ₹8,27,091 करोड़ थीं। 12 राज्य राजस्व घाटे में रहे। घाटे वाले राज्यों के राजस्व घाटे को घटाने के बाद शुद्ध लोक ऋण प्राप्ति ₹5,77,959 करोड़ राज्यों के पास उपलब्ध थीं। तालिका 5.3 इस स्थिति को दर्शाती है।

तालिका 5.3: ऋण प्राप्ति, पुनर्भुगतान एवं उपलब्ध शुद्ध उधार (आंकड़े ₹ करोड़ में)

राज्य	राजस्व घाटा (-) / अधिशेष (+)	लोक ऋण प्राप्ति	लोक ऋण पुनर्भुगतान	शुद्ध लोक ऋण प्राप्ति (पुनर्भुगतान के पश्चात)	राजस्व घाटे के समायोजन के पश्चात शुद्ध लोक ऋण प्राप्ति
1	2	3	4	5(3-4)	6(5-2) *
आंध्र प्रदेश	-38,683	1,93,642	1,34,479	59,163	20,481
अरुणाचल प्रदेश	6,877	3,775	565	3,210	3,210
असम	-2,628	44,014	20,645	23,369	20,740
बिहार	2,833	60,218	22,979	37,238	37,238
छत्तीसगढ़	-11,233	54,050	24,113	29,937	18,704
गोवा	1,423	4,287	1,524	2,763	2,763
गुजरात	33,477	40,392	26,136	14,255	14,255
हरियाणा	-11,881	88,721	59,194	29,527	17,646
हिमाचल प्रदेश	-5,559	14,902	7,896	7,006	1,447
झारखंड	11,252	8,247	6,384	1,863	1,863
कर्नाटक	-9,272	90,280	22,453	67,827	58,556
केरल	-18,140	1,04,355	74,366	29,989	11,849
मध्य प्रदेश	12,488	65,180	21,636	43,544	43,544
महाराष्ट्र	-13,754	1,25,988	40,817	85,171	71,417
मणिपुर	884	9,756	8,053	1,702	1,702
मेघालय	1,394	7,514	4,804	2,711	2,711
मिजोरम	577	6,402	4,889	1,513	1,513
नागालैंड	1,335	6,079	3,377	2,702	2,702
ओडिशा	30,761	18,123	9,235	8,888	8,888
पंजाब	-28,215	1,03,034	73,452	29,582	1,367
राजस्थान	-38,955	2,22,266	1,63,999	58,268	19,313
सिक्किम	131	2,785	296	2,489	2,489
तमिलनाडु	-45,121	1,31,597	43,565	88,032	42,911
तेलंगाना	779	1,50,574	1,09,617	40,957	40,957
त्रिपुरा	2,196	1,401	904	496	496
उत्तर प्रदेश	36,013	1,20,654	21,389	99,265	99,265
उत्तराखंड	3,341	28,832	23,030	5,802	5,802
पश्चिम बंगाल	-25,692	80,171	30,351	49,820	24,128
योग		17,87,237	9,60,146	8,27,091	5,77,959

* केवल घाटे की स्थिति में।

5.14 समग्र स्तर पर, शुद्ध लोक ऋण प्राप्ति का लगभग एक-तिहाई हिस्सा राजस्व घाटे के वित्त पोषण में उपयोग किया गया। राज्यों में तमिलनाडु, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पंजाब, केरल और हिमाचल प्रदेश ने इस उद्देश्य के लिए अपनी शुद्ध उधार राशि का 40 प्रतिशत से 95 प्रतिशत तक उपयोग किया, जिसमें पंजाब ने सर्वाधिक 95 प्रतिशत उपयोग दर्ज किया। इसके विपरीत, राजस्व अधिशेष वाले राज्यों जैसे गुजरात, ओडिशा, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा कई उत्तर-पूर्वी राज्यों ने अपनी संपूर्ण शुद्ध उधार राशि को पूंजीगत व्यय के लिए सुरक्षित बनाये रखा।

राज्यों द्वारा लिए गए अर्थोपाय अग्रिम - नकद प्रबंधन

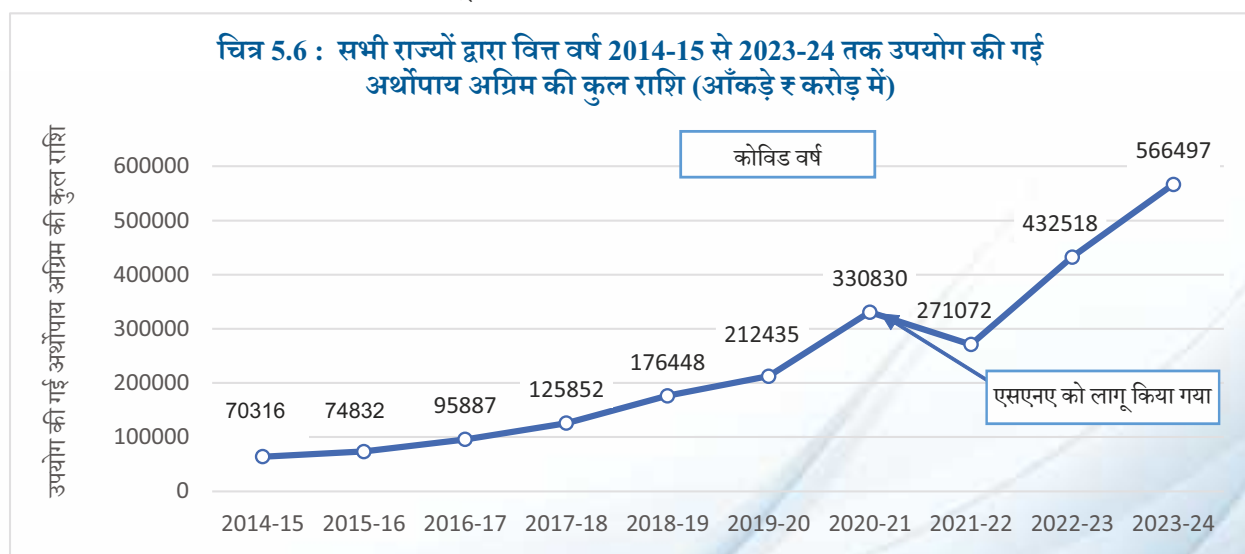
5.15 राज्य सरकारें अपनी प्राप्तियों और भुगतानों के बीच अल्पकालिक असंतुलन के प्रबंधन में सहायता के लिए आरबीआई द्वारा प्रदान की जाने वाली अस्थायी अग्रिम सुविधा, जिसे अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए)³² कहा जाता है, प्राप्त करती हैं। डब्ल्यूएमए दो प्रकार के होते हैं-सामान्य और विशेष। सामान्य डब्ल्यूएमए स्वच्छ अग्रिम होते हैं, जबकि विशेष डब्ल्यूएमए, जिन्हें विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) भी कहा जाता है, राज्य सरकार के पास उपलब्ध सरकारी प्रतिभूतियों को जमानत के रूप में रखकर प्रदान किए जाते हैं। यदि कोई राज्य सरकार एसडीएफ और सामान्य डब्ल्यूएमए दोनों की पूर्ण सीमा का उपयोग करने के बाद भी अतिरिक्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता महसूस करती है या निर्धारित न्यूनतम नकद शेष में कमी का सामना करती है, तो वह आरबीआई से ओवरड्राफ्ट सुविधा ले सकती है, जिस पर अधिक ब्याज दर लागू होती है।

5.16 अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) राज्य की संचित निधि के अंतर्गत एक अल्पकालिक उधार है। संचित निधि से डब्ल्यूएमए के पुनर्भुगतान के लिए विधानमंडल से बजटीय प्रावधान प्राप्त किया जाता है।

वित्त वर्ष 2023-24 में राज्यों द्वारा लिए गए अर्थोपाय अग्रिम

5.17 वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 16 राज्यों (आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड) ने ₹5,66,497 करोड़ की अर्थोपाय अग्रिम (ओवरड्राफ्ट सहित) का उपयोग किया। इनमें से तीन राज्यों-राजस्थान ने ₹1,35,112 करोड़, आंध्र प्रदेश ने ₹1,18,027 करोड़ और तेलंगाना ने ₹98,097 करोड़ ने कुल डब्ल्यूएमए (ओवरड्राफ्ट सहित) का 62 प्रतिशत उपयोग किया। डब्ल्यूएमए/ओवरड्राफ्ट के उपयोग की अवधि तेलंगाना में 349 दिन, आंध्र प्रदेश में 335 दिन, राजस्थान में 329 दिन और पंजाब में 323 दिन रही, जो वर्ष भर लगभग निरंतर निर्भरता को दर्शाती है। 12 राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान किसी भी डब्ल्यूएमए का उपयोग नहीं किया। अनुलग्नक 18 राज्यवार डब्ल्यूएमए के 10 वर्षों के विवरण प्रस्तुत करता है।

5.18 वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान गोवा, तेलंगाना और उत्तराखंड की राज्य सरकारें राजस्व अधिशेष में थीं, फिर भी उन्होंने वित्त वर्ष के दौरान डब्ल्यूएमए का उपयोग किया जो प्राप्तियों के अंतर्वाह और बहिर्वाह के बीच असंतुलन को दर्शाता है, जिसके कारण डब्ल्यूएमए पर निर्भरता बनी।

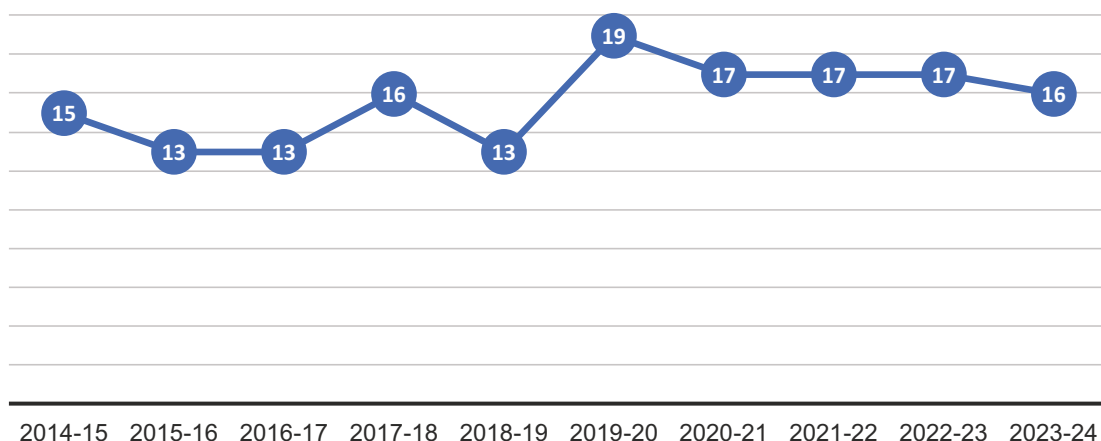


³² प्रत्येक राज्य द्वारा ली गई कुल अर्थोपाय अग्रिम की राशि तथा जिन दिनों में अर्थोपाय अग्रिम का उपयोग किया गया, उनका विवरण संबंधित राज्यों के वित्त लेखों में दर्ज किया जाता है। प्रत्येक राज्य को भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के पास न्यूनतम नकद शेष बनाए रखना अनिवार्य है, तथा प्रत्येक राज्य के लिए अर्थोपाय अग्रिम की समग्र सीमा समय-समय आरबीआई द्वारा निर्धारित की जाती है।

5.19 सभी राज्यों द्वारा लिया गया समग्र अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) वित्त वर्ष 2014-15 में ₹70,316 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2019-20 में ₹2.12 लाख करोड़ हो गया और इसके बाद वित्त वर्ष 2023-24 में तीव्र वृद्धि के साथ ₹5.66 लाख करोड़ तक पहुँच गया।

5.20 अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) का उपयोग करने वाले राज्यों की संख्या वित्त वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान 13-16 राज्यों के दायरे में थी, जो वित्त वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि में बढ़कर 16-19 राज्यों तक पहुँच गई जो उत्तरवर्ती अवधि में डब्ल्यूएमए पर निर्भरता में स्पष्ट वृद्धि को दर्शाता है।

चित्र 5.7 : डब्ल्यूएमए का उपयोग करने वाले राज्यों की संख्या



5.21 चार राज्यों (बिहार, गुजरात, सिक्किम और तमिलनाडु) ने 2014-15 से 2023-24 की 10 वर्षों की अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) का उपयोग नहीं किया। इसके विपरीत, सात राज्यों (उत्तराखंड, पंजाब, नागालैंड, केरल, हिमाचल प्रदेश, गोवा और आंध्र प्रदेश) ने वित्त वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक प्रत्येक वर्ष डब्ल्यूएमए का उपयोग किया। शेष राज्यों ने 10 वर्षों की अवधि में अंतराल के साथ डब्ल्यूएमए का उपयोग किया, जो उनके नकदी प्रवाह के प्रबंधन के लिए अल्पकालिक उधार पर निर्भरता के विभिन्न स्तरों को दर्शाता है।

5.22 कोविड महामारी ने राज्य सरकारों पर गंभीर राजकोषीय दबाव डाला, परिणामस्वरूप राजस्व में तीव्र गिरावट आई और व्यय संबंधी प्रतिबद्धताओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। परिणामी राजकोषीय अंतर को पाटने तथा आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए अनेक राज्यों ने भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) पर बढ़ती निर्भरता दिखाई, जैसा कि वित्त वर्ष 2019-20 और वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान डब्ल्यूएमए के उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि से स्पष्ट होता है।

5.23 वर्ष 2021 में एसएनए ढांचे के कार्यान्वयन से राज्यों द्वारा केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) की निधियों के प्रवाह के प्रबंधन के तरीके में परिवर्तन आया है। संशोधित प्रणाली के तहत, निधियों की जारी राशि को केंद्र के अंश के हस्तांतरण तथा पूर्व किस्तों के 75 प्रतिशत उपयोग की उपलब्धि के साथ निकटता से जोड़ा गया है। इसके परिणामस्वरूप, सीएसएस से संबंधित निधियों के प्रवाह के समय निर्धारण में राज्यों को उपलब्ध लचीलापन कम हो गया है, जिससे अल्पकालिक वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन शेष राशियों के उपयोग की गुंजाइश भी सीमित हो गई है।

लोक लेखा देयता

5.24 लोक लेखा देयता आरक्षित निधियों और लोक खाते में जमा के रूप में एक न्यासीय देयता है जिसे सरकार द्वारा स्वयं चिह्नित निधियों या जमा के रूप में रखा जाता है या किसी तृतीय पक्ष (जैसे कर्मचारियों की भविष्य निधि, सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं की जमा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की जमा आदि) द्वारा सरकार के पास जमा की जाती है। 31 मार्च 2024 तक राज्यों का कुल लोक लेखा दायित्व ₹14,06,402 करोड़ था, जो संयुक्त

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 4.85 प्रतिशत था। ₹14,06,402 करोड़ के कुल लोक लेखा दायित्व में से ₹3,38,727 करोड़ राज्य आपदा राहत निधि, राज्य आपदा शमन निधि तथा सिंकिंग फंड जैसे चिह्नित निधियों से निवेश किया गया था।

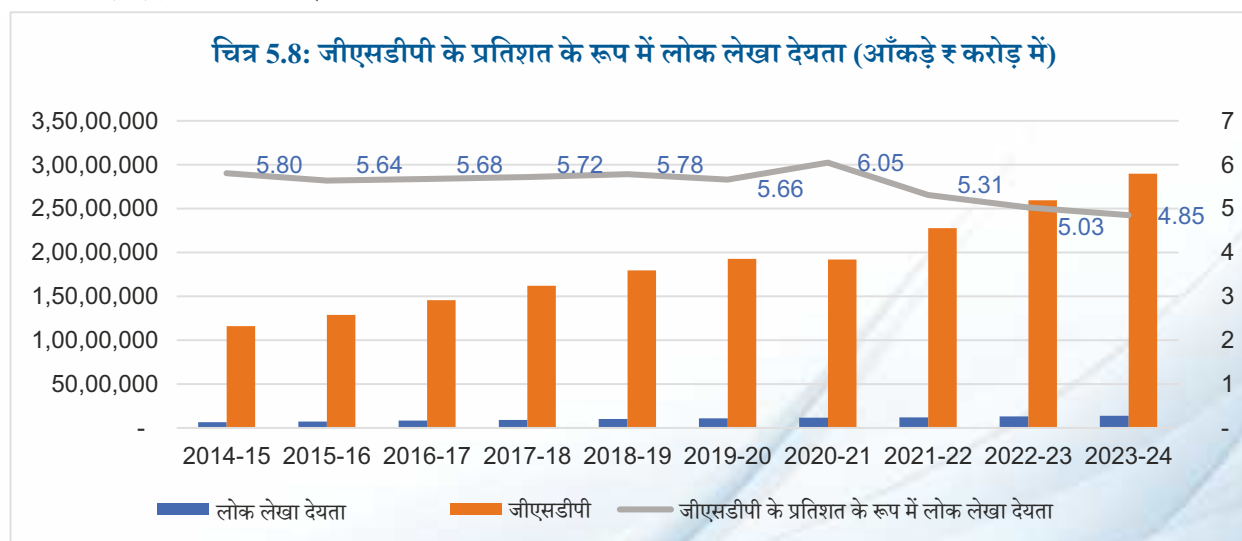
- 5.25** तालिका 5.4 में 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार राज्यों की लोक लेखा देयताओं की मात्रा और संरचना दर्शाई गई है। लघु बचत और राज्य भविष्य निधियां, जिनमें राज्य सरकार के कर्मचारियों की भविष्य निधि एवं बीमा निधियां शामिल हैं, लोक लेखा देयता का लगभग 43.99 प्रतिशत हिस्सा है। आरक्षित निधि लोक लेखा दायित्व का लगभग 12.81 प्रतिशत हिस्सा हैं, जिन्हें मुख्यतः परिसंपत्तियों के नवीनीकरण एवं प्रतिस्थापन तथा आपदाओं के शमन/पुनर्वास पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए राजस्व से सृजित किया गया। जमा राशियां लोक लेखा देयता का लगभग 43.20 प्रतिशत हैं, जिनमें कंपनियों, निगमों, स्वायत्त संस्थानों, न्यायालयों, सुरक्षा जमा आदि द्वारा राज्य सरकारों के पास जमा की गई धनराशि शामिल है।

तालिका 5.4: वित्त वर्ष 2023-24 में लोक लेखा देयता (आँकड़े ₹ करोड़ में)

घटक	2023-24	प्रतिशत संरचना
लघु बचत एवं राज्य भविष्य निधि	6,18,643	43.99
ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ	1,02,112	7.26
ब्याज रहित आरक्षित निधि	78,092	5.55
ब्याज सहित जमा	1,53,616	10.92
ब्याज रहित जमा	4,53,939	32.28
कुल लोक लेखा देयता	14,06,402	100

- 5.26** राज्यों की कुल लोक लेखा देयता वित्त वर्ष 2014-15 में ₹6,74,166 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में ₹14,06,402 करोड़ हो गई, जो 109 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। यह प्रवृत्ति राज्यों के बीच काफी भिन्न रही- मिजोरम में 17 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश में 9 प्रतिशत की कमी से लेकर तेलंगाना में 1,987 प्रतिशत, झारखंड में 368 प्रतिशत तथा केरल में 190 प्रतिशत की अत्यधिक वृद्धि तक।
- 5.27** सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के अनुपात में लोक लेखा देयता वित्त वर्ष 2014-15 में जीएसडीपी का 5.80 प्रतिशत था, जो वित्त वर्ष 2023-24 में घटकर जीएसडीपी का 4.85 प्रतिशत रह गया। चित्र 5.8 में 2014-15 से 2023-24 की अवधि के दौरान लोक लेखा देयता³³ का रुझान दर्शाया गया है। वित्त वर्ष 2020-21 में लोक लेखा देयता का जीएसडीपी के अनुपात में 6.05 प्रतिशत तक बढ़ना कोविड के कारण जीएसडीपी में आई कमी का परिणाम था। इसके बाद के वर्षों में लोक लेखा देयता का जीएसडीपी के अनुपात में प्रतिशत, 6 प्रतिशत के स्तर से नीचे आ गया।

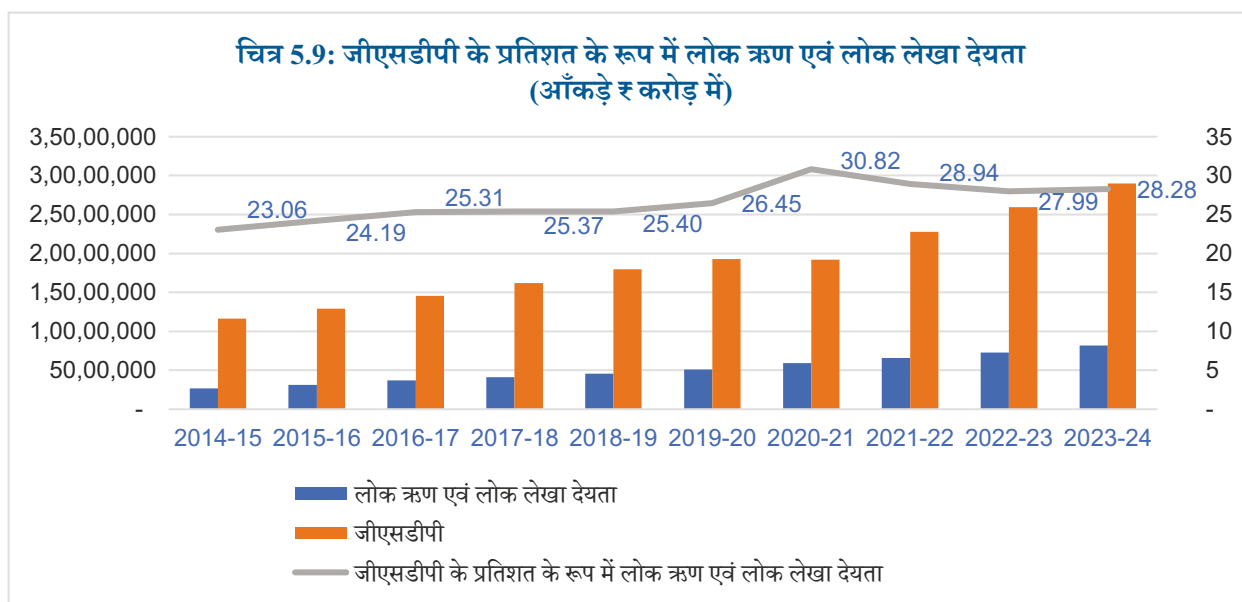
चित्र 5.8: जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में लोक लेखा देयता (आँकड़े ₹ करोड़ में)



³³ पुनर्गठित राज्यों (आंध्र और तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़) के संबंध में अविभाजित लोक लेखा देयता को पूर्ववर्ती मूल राज्य में शामिल कर लिया गया है।

राज्यों की कुल देयता

5.28 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार, राज्यों की कुल देयता का भंडार ₹81,93,766 करोड़ था, जिसमें ₹67,87,363 करोड़ की लोक ऋण देयता शामिल थी, जो 83 प्रतिशत के बराबर थी, तथा ₹14,06,402 करोड़ की लोक लेखा देयता थी, जो 17 प्रतिशत के बराबर थी। लोक ऋण देयता संयुक्त जीएसडीपी का 23 प्रतिशत थी और लोक लेखा देयता जीएसडीपी का 4.85 प्रतिशत थी। इस प्रकार वित्त वर्ष 2023-24 में राज्यों की कुल देयता उनके जीएसडीपी का 28 प्रतिशत थी। अनुलग्नक 17 में 10 वर्षों की अवधि के दौरान राज्यवार कुल देयताओं का रुझान दर्शाया गया है।



5.29 वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सभी राज्यों की संयुक्त कुल देयताओं में 206 प्रतिशत की वृद्धि हुई, यद्यपि वृद्धि की सीमा राज्यों के बीच काफी भिन्न रही। राज्य-स्तर पर यह वृद्धि मिज़ोरम में 84 प्रतिशत से लेकर तेलंगाना में 405 प्रतिशत तक रही। सिक्किम (336 प्रतिशत), छत्तीसगढ़ (330 प्रतिशत) और असम (317 प्रतिशत) में वृद्धि सभी राज्यों के औसत से अधिक रही, जबकि गुजरात (116 प्रतिशत), नागालैंड (129 प्रतिशत), पश्चिम बंगाल (132 प्रतिशत), महाराष्ट्र (137 प्रतिशत), गोवा (137 प्रतिशत) और त्रिपुरा (141 प्रतिशत) में वृद्धि औसत से कम रही।

निष्कर्ष

5.30 वित्त वर्ष 2014-15 से 2023-24 की अवधि के दौरान राज्यों के लोक ऋण और लोक लेखा देयताओं की समीक्षा से यह स्पष्ट होता है कि कुल देयताओं में निरंतर वृद्धि हुई है, साथ ही बजटीय आवश्यकताओं के वित्तपोषण के लिए उधार पर निर्भरता भी बढ़ी है। लोक ऋण में तीन गुना से अधिक वृद्धि हुई और यह वित्त वर्ष 2023-24 में संयुक्त जीएसडीपी के 23 प्रतिशत तक पहुँच गया, जिसमें कई राज्यों ने पूंजी सृजन के बजाय राजस्व व्यय के वित्तपोषण के लिए ऋण प्राप्ति का उत्तरोत्तर उपयोग किया। लोक लेखा देयताओं में भी विस्तार हुआ, हालांकि जीएसडीपी में उनका सापेक्ष हिस्सा घटा, जो बढ़ती मात्रा के बावजूद न्यासीय दायित्वों में स्थिरता को दर्शाता है। कई राज्यों द्वारा, यहाँ तक कि राजस्व अधिशेष वाले राज्यों द्वारा भी, अर्थोपाय अग्रिम पर निरंतर निर्भरता नकदी प्रवाह प्रबंधन से जुड़ी चुनौतियों की ओर संकेत करती है। अनेक राज्यों में यह रुझान लगातार बने हुए राजकोषीय दबाव, राज्य बजटों में लचीलेपन के संकुचन तथा दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन प्रथाओं की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

अध्याय 6

राज्यों के राजकोषीय
उत्तरदायित्व संकेतक

राज्यों के राजकोषीय उत्तरदायित्व संकेतक

राजस्व एवं राजकोषीय घाटा

- 6.1** राज्यों के राजकोषीय उत्तरदायित्व कानूनों के अधिनियमन एवं संबंधित नियमों की अधिसूचना के साथ, राज्य सरकारों द्वारा राजस्व घाटा, उधार/ऋण, प्रतिभूतियों के भण्डार जैसे प्रमुख वृहद राजकोषीय मापदंडों के संदर्भ में मात्रात्मक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। ओडिशा ने राजकोषीय नियमों को अधिक विस्तृत स्तर पर भी निर्धारित करके एक कदम आगे बढ़ाया है। ओडिशा एफआरबीएम अधिनियम के तहत, व्यय के घटकों पर विशिष्ट सीमाएं निर्धारित की गयी हैं; वेतन भुगतान की अधिकतम सीमा राज्य के स्व-कर राजस्व (एसओटीआर) के 80 प्रतिशत एवं ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्तियों के 15 प्रतिशत पर निर्धारित की जाती है।
- 6.2** उत्तरोत्तर वित्त आयोग राज्यों के लिए राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश करते समय हस्तांतरण-पूर्व राजस्व घाटे एवं हस्तांतरण-पश्चात राजस्व घाटे पर विचार करते हैं। 15वें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2023-24 में राज्यों को ₹51,673 करोड़ रुपये के राजस्व घाटे के अनुदान की सिफारिश की थी। राज्यों के लिए 15वें वित्त आयोग का राजकोषीय समेकन प्रक्रिया सामान्यतः इस सिद्धांत पर आधारित है कि राजस्व घाटा अनुदान से, राज्य या तो राजस्व अधिशेष में पहुंच जाएंगे या उनका राजस्व घाटा शून्य हो जायेगा, ताकि उधारी/राजकोषीय घाटा केवल पूंजीगत व्यय के लिए हो। 15वें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2023-24³⁴ के लिए राज्यों हेतु राजस्व अधिशेष 1.2 प्रतिशत, राजकोषीय घाटा 3.0 प्रतिशत एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 33.1 प्रतिशत के बराबर कुल देयताओं का संकेत दिया है। सामान्यतया, वित्त आयोग की रिपोर्ट के पश्चात्, राज्य आयोग द्वारा इंगित राजकोषीय समेकन प्रक्रिया को समाविष्ट करने के लिए अपने एफआरबीएम अधिनियम में संशोधन करते हैं।

राजस्व घाटा/राजस्व अधिशेष

- 6.3** वित्त वर्ष 2023-24 में, 12 राज्य राजस्व घाटे में जबकि 16 राज्य राजस्व अधिशेष में थे। जैसा कि तालिका 6.1 से देखा जा सकता है, वित्त वर्ष 2023-24 में कुल 12 राज्यों ने राजस्व अधिशेष, 09 राज्यों ने राजस्व घाटा एवं 07 राज्यों ने शून्य राजस्व घाटा का लक्ष्य रखा था। राजस्व अधिशेष को लक्षित करने वाले 12 राज्यों में से, 09 राज्यों ने राजस्व अधिशेष का लक्ष्य प्राप्त किया जबकि तीन राज्य यथा छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, एवं केरल, वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व घाटे में रहे। छह राज्यों ने सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 03 प्रतिशत या उससे कम के राजस्व घाटे का लक्ष्य रखा, यथा आंध्र प्रदेश में 3 प्रतिशत, असम में 0.48 प्रतिशत, हरियाणा में 1.20 प्रतिशत, कर्नाटक में 0.49 प्रतिशत, महाराष्ट्र में 0.79 प्रतिशत, पंजाब में 3.52 प्रतिशत एवं पश्चिम बंगाल में 1.80 प्रतिशत का लक्ष्य रखा। इनमें से आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, और पश्चिम बंगाल राजस्व घाटे के लक्ष्य अंदर रहे जबकि पंजाब ने राजस्व घाटे के लक्ष्य का उल्लंघन किया। सात राज्यों, गोवा, झारखण्ड, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, और उत्तर प्रदेश ने शून्य राजस्व घाटे का लक्ष्य रखा था। इनमें से, गोवा, झारखण्ड, तेलंगाना, त्रिपुरा, और उत्तर प्रदेश राजस्व अधिशेष में जबकि राजस्थान और तमिलनाडु वर्ष के अंत में राजस्व घाटे में रहे। वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व घाटे वाले 12 राज्यों में से 06 राज्यों, जैसे कि आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, पंजाब, एवं पश्चिम बंगाल को वित्त वर्ष 2023-24 में वित्त आयोग राजस्व घाटा अनुदान प्राप्त हुआ।

³⁴ पंद्रहवें वित्त आयोग रिपोर्ट, 2021-26, अध्याय 12, तालिका 12.4, पृष्ठ 373, खंड 1

राजकोषीय घाटा

6.4 यदि राज्यों के राजकोषीय समेकन प्रक्रिया के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए निर्धारित जीएसडीपी के 3.0 प्रतिशत के सांकेतिक राजकोषीय घाटे के लक्ष्य पर विचार किया जाता है, तो वित्त वर्ष 2023-24 में, 18 राज्य राजकोषीय घाटे के निर्धारित लक्ष्य 3.0 प्रतिशत से अधिक रहे। ये राज्य, आंध्र प्रदेश (-4.41 प्रतिशत), अरुणाचल प्रदेश (-4.11 प्रतिशत), असम (-3.66 प्रतिशत), बिहार (-4.07 प्रतिशत), छत्तीसगढ़ (-5.26 प्रतिशत), हिमाचल प्रदेश (-5.31 प्रतिशत), केरल (-3.02 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (-3.29 प्रतिशत), मणिपुर (-4.29 प्रतिशत), मेघालय (-5.92 प्रतिशत), नागालैंड (-4.33 प्रतिशत), पंजाब (-4.29 प्रतिशत), राजस्थान (-4.31 प्रतिशत) एवं सिक्किम (-5.27 प्रतिशत), तमिलनाडु (-3.36 प्रतिशत), तेलंगाना (-3.42 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (-3.05 प्रतिशत), और पश्चिम बंगाल (-3.27 प्रतिशत) थे।

तालिका 6.1: राज्यों की देयताएं एवं घाटे के मापदण्ड, 2023-24 (संबंधित जीएसडीपी का प्रतिशत)

राज्य	एफआरबीएम / एमटीएफपी लक्ष्य [□]			वास्तविक आंकड़ें			
	राजस्व घाटा / अधिशेष	राजकोषीय घाटा	बकाया देयताएं	राजस्व घाटा / अधिशेष*	राजकोषीय घाटा#	बकाया लोक ऋण [^]	बकाया लोक ऋण एवं लोक लेखा देयताएं [^]
आंध्र प्रदेश	-3.00	-4.00	36.1	-2.72	-4.41	29.62	34.58
अरुणाचल प्रदेश	Surplus	-2.00	53.03	17.83	-4.11	36.23	50.85
असम	-0.48	-3.70	24.40	-0.46	-3.66	22.33	25.91
बिहार	Surplus	-2.98	32.15	0.32	-4.07	31.93	37.93
छत्तीसगढ़	Surplus	-2.99	23.81	-2.19	-5.26	22.24	26.20
गोवा	0.00	-3.00	25.00	1.45	-2.18	27.84	33.42
गुजरात	Surplus	-1.72	15.34	1.38	-0.97	15.46	18.01
हरियाणा	-1.20	-3.00	30.90	-1.09	-2.90	27.32	31.17
हिमाचल प्रदेश	Surplus	-3.50	38.98	-2.62	-5.31	33.17	45.07
झारखंड	0.00	-3.00	30.60	2.42	-1.36	18.64	27.41
कर्नाटक	-0.49	-2.60	22.27	-0.36	-2.56	18.41	24.25
केरल	Surplus	-4.00	33.70	-1.60	-3.02	24.88	36.57
मध्य प्रदेश	-0.03	-4.02	30.42	0.92	-3.29	25.47	30.20
महाराष्ट्र	-0.79	-2.52	18.65	-0.34	-2.23	15.24	18.70
मणिपुर	Surplus	-4.14	41.94	2.04	-4.29	32.27	43.46
मेघालय	Surplus	-3.50	38.11	2.62	-5.92	32.59	40.91
मिजोरम	Surplus	-3.50	37.84	1.73	-2.04	26.15	36.31
नागालैंड	Surplus	-3.00	40.60	3.24	-4.33	38.64	44.08
ओडिशा	Surplus	-1.71	15.43	3.85	-1.85	9.11	16.66
पंजाब	-3.52	-4.98	49.75	-3.66	-4.29	39.66	44.86
राजस्थान	0.00	-3.00	38.20	-2.56	-4.31	29.36	37.57
सिक्किम	-0.9	-4.54	31.50	0.27	-5.27	27.12	31.61
तमिलनाडु	0.00	-3.25	25.63	-1.68	-3.36	26.18	28.73
तेलंगाना	0.00	-3.50	25.00	0.05	-3.42	23.98	27.61
त्रिपुरा	0.00	-3.50	34.50	2.76	-0.80	17.74	28.33
उत्तर प्रदेश	0.00	-3.39	32.1	1.36	-3.05	25.24	29.05
उत्तराखंड	Surplus	-3.00	33.1	1.00	-2.33	20.41	25.80
पश्चिम बंगाल	-1.80	-3.83	—	-1.56	-3.27	33.95	39.05

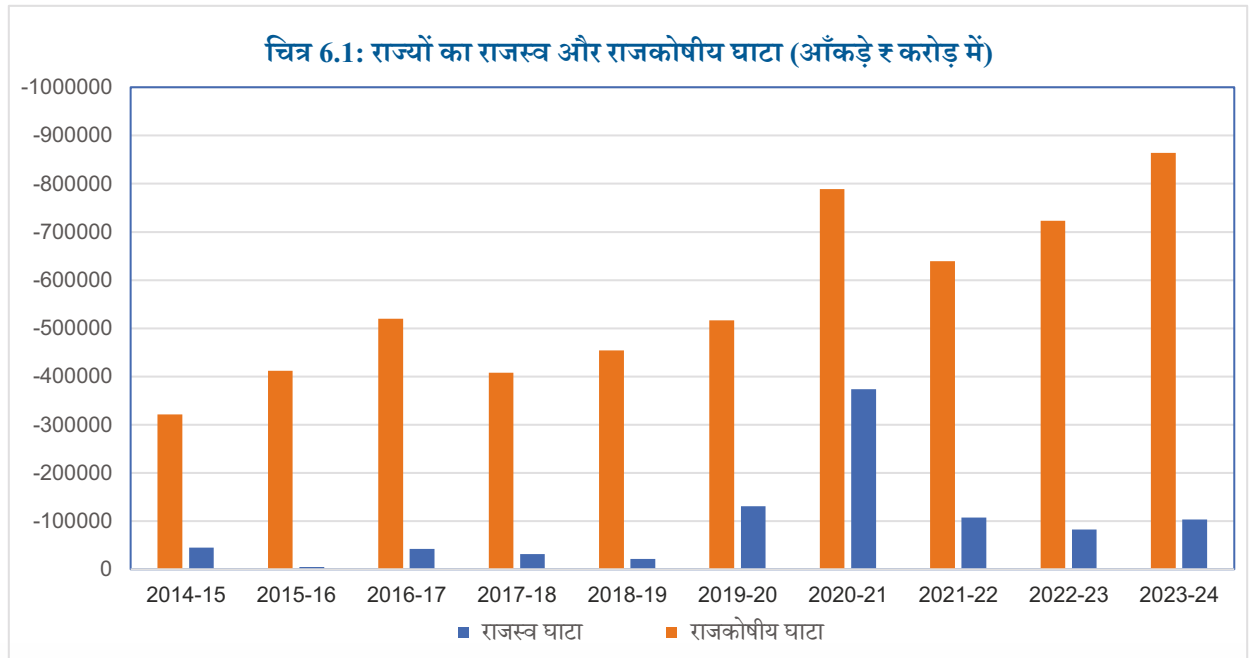
* नारंगी रंग में राज्यों ने अपने बजट में राजस्व अधिशेष अथवा शून्य राजस्व घाटे का लक्ष्य रखा था, लेकिन अंततः उन्हें राजस्व घाटा अथवा अपेक्षाकृत अधिक राजस्व घाटे में रहे।

हरे रंग में राज्यों ने पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित जीएसडीपी के 3.0 प्रतिशत राजस्व घाटे के लक्ष्य से अधिक थे।

^ नीले रंग में दिखाए गए राज्यों ने पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित जीएसडीपी के अनुसार कुल देनदारियों का 33.1 प्रतिशत से अधिक था।

□ एफआरबीएम लक्ष्य का स्रोत संबंधित राज्य का एफआरबीएम अधिनियम तथा वर्ष 2023-24 की राज्य वित्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन है।

- 6.5** वित्त वर्ष 2023-24 में, राजस्व अधिशेष वाले राज्यों को छोड़कर, राजस्व घाटे वाले 12 राज्यों का कुल राजस्व घाटा ₹2,49,132 करोड़ रहा। 15वें वित्त आयोग ने इस वर्ष के दौरान ₹51,673 करोड़ का राजस्व घाटा अनुदान जारी किया, जो इन राज्यों के संयुक्त राजस्व घाटे का 21 प्रतिशत था। 12 राज्यों का राजस्व घाटा उनके संयुक्त सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 0.86 प्रतिशत था, जबकि वित्त आयोग का राजस्व घाटा अनुदान वित्त वर्ष 2023-24 में संयुक्त सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 0.18 प्रतिशत था।
- 6.6** चित्र 6.1 में दर्शाए गए राज्यों के घाटे के मानकों का दशकवार विश्लेषण यह दर्शाता है कि 2014-15 से 2023-24 की अवधि के दौरान राज्य समग्र रूप से राजस्व घाटे तथा राजकोषीय घाटे में रहे। कोविड महामारी से प्रभावित वित्त वर्ष 2020-21 में राजस्व घाटे में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। वित्त वर्ष 2020-21, 2022-23 एवं 2023-24 में राजकोषीय घाटे में अर्थपूर्ण वृद्धि हुई। चित्र 6.1 में दर्शाए अनुसार, जिन राज्यों में 2022-23 की तुलना में 2023-24 में राजकोषीय घाटे में अत्यधिक वृद्धि देखी गयी, वे राज्य छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, और उत्तर प्रदेश थे। अनुलग्नक 19 में 10 वर्ष की अवधि के दौरान घाटे के संकेतकों के संबंध में राज्यवार रुझान दर्शाये गए हैं।

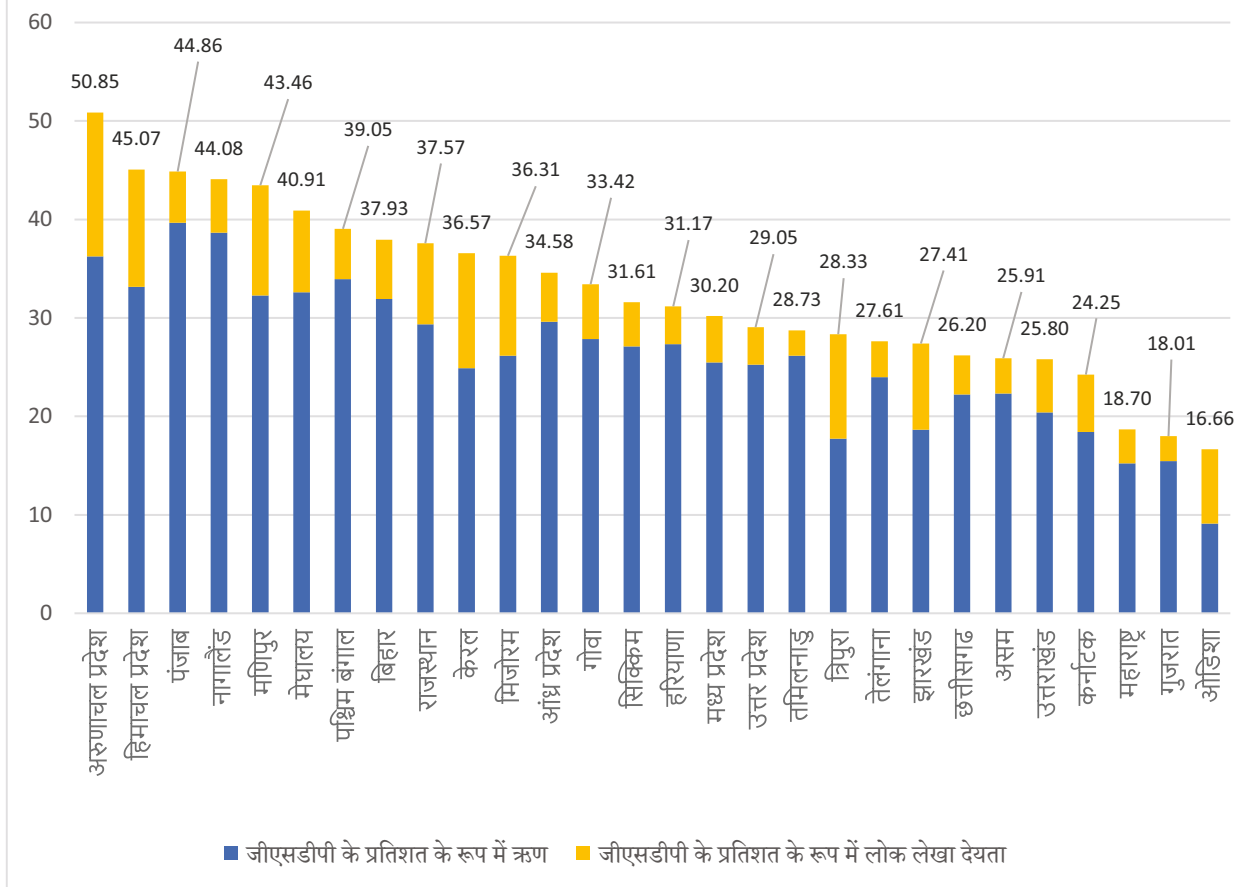


कुल देयताएं

- 6.7** सभी राज्यों के लिए, वित्त वर्ष 2023-24 में संयुक्त लोक ऋण, संयुक्त सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 23.42 प्रतिशत और लोक ऋण सहित कुल देयताएं 28.28 प्रतिशत थी। यदि वित्त वर्ष 2023-24 में राज्यों के राजकोषीय समेकन प्रक्रिया के संदर्भ में 15वें वित्त आयोग द्वारा जीएसडीपी में कुल देयताओं के 33.1 प्रतिशत के सांकेतिक लक्ष्य को ऋण सीमा के संबंध में माना जाये तो 13 राज्यों³⁵ की कुल देयताएं इस सीमा से अधिक थी। 31 मार्च, 2024 को, राज्यों की कुल देयता उनके जीएसडीपी के अनुपात में, ओडिशा के मामले में न्यूनतम 16.66 प्रतिशत से लेकर अरुणाचल प्रदेश के मामले में अधिकतम 50.85 प्रतिशत तक पायी गयी। वास्तव में, अरुणाचल प्रदेश की कुल देयताओं में 31 मार्च, 2024 को, पिछले वर्ष 31 मार्च, 2023 तक उसके सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 44.66 प्रतिशत से 6.19 प्रतिशत की अधिक वृद्धि हुई।

³⁵ आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल

चित्र 6.2: जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में कुल देयता



6.8 जैसा कि तालिका 6.2 से देखा जा सकता है, 31 मार्च 2024 को, आठ राज्यों की लोक ऋण देयता उनके जीएसडीपी के 30 प्रतिशत से अधिक थी; छह राज्यों की लोक ऋण देयता उनके जीएसडीपी के 20 प्रतिशत से कम थी एवं शेष 14 राज्यों की लोक ऋण देयता वित्त वर्ष 2023-24 में उनके संबंधित जीएसडीपी के 20 से 30 प्रतिशत के बीच थी।

तालिका 6.2: 31 मार्च 2024 को राज्यों का लोक ऋण भण्डार (आंकड़े ₹ करोड़ में)

राज्य	जीएसडीपी के प्रतिशत में लोक ऋण	31 मार्च 2024 को लोक ऋण	जीएसडीपी 2023-24
पंजाब	39.66	3,06,041	7,71,744
नागालैंड	38.64	15,944	41,258
अरुणाचल प्रदेश	36.23	13,974	38,565
पश्चिम बंगाल	33.95	5,60,583	16,51,374
हिमाचल प्रदेश	33.17	70,369	2,12,169
मेघालय	32.59	17,348	53,223
मणिपुर	32.27	14,015	43,425
बिहार	31.93	2,80,084	8,77,197
आंध्र प्रदेश	29.62	4,21,201	14,22,094
राजस्थान	29.36	4,46,652	15,21,510

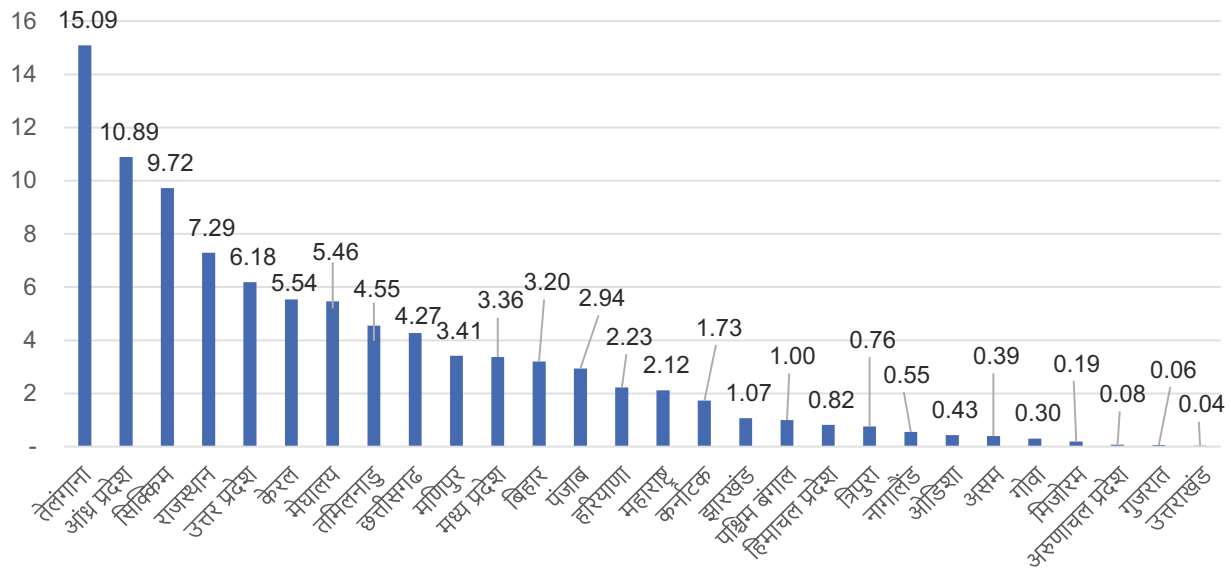
राज्य	जीएसडीपी के प्रतिशत में लोक ऋण	31 मार्च 2024 को लोक ऋण	जीएसडीपी 2023-24
गोवा	27.84	27,383	98,344
हरियाणा	27.32	2,96,597	10,85,510
सिक्किम	27.12	13,012	47,988
तमिलनाडु	26.18	7,03,926	26,88,963
मिजोरम	26.15	8,703	33,277
मध्य प्रदेश	25.47	3,44,770	13,53,809
उत्तर प्रदेश	25.24	6,67,106	26,42,877
केरल	24.88	2,82,495	11,35,372
तेलंगाना	23.98	3,50,520	14,61,836
असम	22.33	1,27,144	5,69,287
छत्तीसगढ़	22.24	1,13,888	5,12,107
उत्तराखंड	20.41	67,961	3,32,998
झारखंड	18.64	86,807	4,65,638
कर्नाटक	18.41	4,70,860	25,57,241
त्रिपुरा	17.74	14,092	79,434
गुजरात	15.46	3,74,980	24,25,804
महाराष्ट्र	15.24	6,18,113	40,55,847
ओडिशा	9.11	72,793	7,98,969
योग	26.11	67,87,363	2,89,77,861

इन राज्यों में, अरुणाचल प्रदेश में लोक ऋण में सकल राज्य घरेलु उत्पाद (जीएसडीपी) के प्रतिशत के रूप में 31 मार्च 2023 को 30.72 प्रतिशत से 31 मार्च 2024 तक 36.23 प्रतिशत की अत्यधिक वृद्धि दर्ज की गयी।

प्रतिभूतियाँ

- 6.9** सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विशेष प्रयोजन वाहनों, राज्य स्वायत्त संस्थाओं आदि को बाजार एवं वित्तीय संस्थानों से ऋण एवं उधार प्राप्त करने के लिए प्रतिभूतियाँ दी जाती हैं। राशि की अनिश्चितता एवं देयता के समय की अनिश्चितता के कारण प्रतिभूति एक आकस्मिक देयता है। हालाँकि, एक बार लागू की गई प्रतिभूतियों का भुगतान किया जाना आवश्यक है। राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों की सीमायें वार्षिक भण्डार एवं वर्तमान तिथि तक के स्टॉक की प्रतिभूतियों, दोनों के संदर्भ में भिन्न-भिन्न हैं। 31 मार्च 2024 के अनुसार, सभी राज्यों की संयुक्त प्रतिभूतियाँ ₹11,48,116 करोड़ थी, जो संयुक्त जीएसडीपी का 3.96 प्रतिशत है।

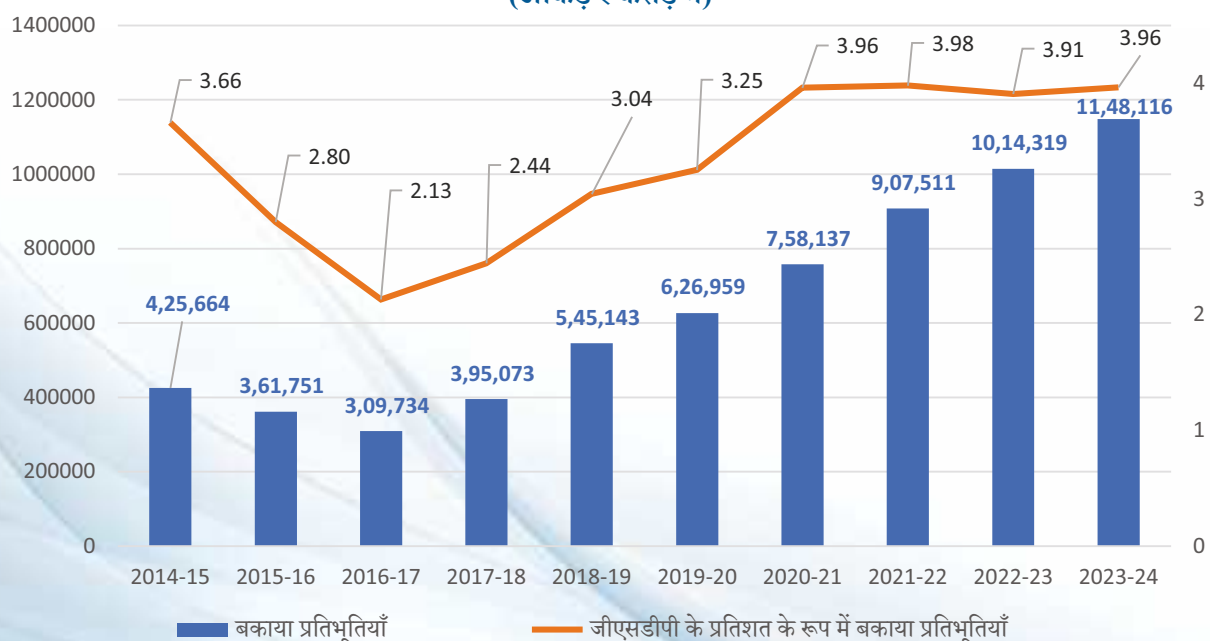
चित्र 6.3: 31 मार्च 2024 को राज्यों के जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में प्रतिभूतियाँ



6.10 चित्र 6.3 वित्त वर्ष 2023-24 के अंत में दी गई प्रतिभूतियों की राज्यवार स्थिति को दर्शाया गया है। तेलंगाना (₹2,20,607 करोड़), एवं आंध्र प्रदेश (₹1,54,797 करोड़) में बकाया प्रतिभूतियाँ जीएसडीपी के 10 प्रतिशत से अधिक थीं। ओडिशा, असम, गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात एवं उत्तराखंड में बकाया प्रतिभूतियाँ उनके संबंधित जीएसडीपी के 0.50 प्रतिशत से भी कम थीं।

6.11 वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2023-24 तक की अवधि के दौरान, वर्ष की 31 मार्च को बकाया प्रतिभूतियाँ 31 मार्च 2015 को ₹4,25,664 करोड़ (वित्त वर्ष 2014-15 में जीएसडीपी का 3.66 प्रतिशत) से बढ़कर 31 मार्च 2024 को ₹11,48,116 करोड़ (वित्त वर्ष 2023-24 में जीएसडीपी का 3.96 प्रतिशत) हो गयी है। चित्र 6.4 सभी 28 राज्यों के लिए वर्ष की 31 मार्च तक बकाया प्रतिभूतियों की स्थिति को दर्शाता है।

चित्र 6.4: जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में बकाया प्रतिभूतियाँ 2014-15 से 2023-24 (आँकड़े ₹ करोड़ में)



- 6.12** वित्त वर्ष 2016-17 में, जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में बकाया प्रतिभूतियों में 0.67 प्रतिशत की कमी मुख्यतः हरियाणा, पंजाब एवं तमिलनाडु राज्यों में बकाया प्रतिभूतियों में कमी के कारण हुई। वित्त वर्ष 2016-17 के बाद से, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना एवं उत्तर प्रदेश राज्यों द्वारा दी गई प्रतिभूतियों में वृद्धि के कारण बकाया प्रतिभूतियों धीरे-धीरे बढ़कर वित्त वर्ष 2021-22 में जीएसडीपी के 3.98 प्रतिशत के स्तर पर पहुँच गई। अनुलग्नक 19 में 10 वर्षों से अधिक अवधि में बकाया प्रतिभूतियों की राज्य-वार स्थिति दी गई है।

गारंटी मोचन निधि

- 6.13** राज्य सरकारों की बकाया प्रतिभूतियों में वित्त वर्ष 2016-17 में ₹3,09,734 करोड़ से वित्त वर्ष 2023-24 में ₹11,48,116 करोड़ तक की निरंतर वृद्धि की प्रवृत्ति दर्ज की गई। आकस्मिक देनदारियाँ प्रत्यक्ष रूप से राज्यों के ऋण भार का हिस्सा नहीं होती हैं, तथापि, जिस उधारकर्ता संस्था के लिए राज्य सरकारों द्वारा प्रतिभूति (गारंटी) दी गई है, उनके विफल होने की स्थिति में ऋण सेवा दायित्वों के निर्वहन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों पर होगी।
- 6.14** राज्य सरकारों द्वारा दी गई प्रतिभूतियों के अंतर्गत दायित्वों के आकस्मिक निर्वहन के लिए, बारहवें वित्त आयोग ने यह अनुशंसा की थी कि राज्य अपनी राजस्व से अंशदान कर गारंटी मोचन निधि की स्थापना करें। वर्तमान में, राज्य सरकारों द्वारा गारंटी मोचन निधि में किए जाने वाले अंशदान की राशि निर्धारित करने हेतु विभिन्न मानदंड या मानक मौजूद हैं।
- 6.15** बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल तथा पंजाब-इन पाँच राज्यों को छोड़कर अधिकांश राज्यों में गारंटी मोचन निधि की स्थापना की जा चुकी है। 31 मार्च 2024 को इन पाँच राज्यों की कुल बकाया प्रतिभूतियाँ ₹1,20,343 करोड़ थीं।

निष्कर्ष

- 6.16** वर्ष 2014-15 से 2023-24 की अवधि के दौरान राजकोषीय उत्तरदायित्व संकेतकों की समीक्षा में एक मिश्रित स्थिति सामने आयी है। वित्त वर्ष 2023-24 में, 16 राज्यों ने राजस्व अधिशेष दर्ज किया, जबकि 12 राज्यों में राजस्व घाटा रहा। राज्यों का संयुक्त राजस्व घाटा ₹2,49,132 करोड़ रहा। पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार ₹51,673 करोड़ का राजस्व घाटा अनुदान जारी किया गया। राज्यों में राजकोषीय घाटे का स्तर भिन्न-भिन्न रहा, 18 राज्यों में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 3 प्रतिशत से अधिक दर्ज किया गया। 31 मार्च 2024 को, सभी राज्यों की कुल देनदारियाँ ₹81.94 लाख करोड़ थीं, जो संयुक्त जीएसडीपी का 28.28 प्रतिशत थीं; 13 राज्यों में कुल देनदारियाँ उनके जीएसडीपी के 33.1 प्रतिशत से अधिक थीं। वित्त वर्ष 2023-24 में सभी राज्यों की बकाया प्रत्याभूतियाँ ₹11.48 लाख करोड़ रहीं, जो संयुक्त जीएसडीपी के 3.96 प्रतिशत के बराबर थीं, तथा दो राज्यों में प्रत्याभूतियाँ जीएसडीपी के 10 प्रतिशत से अधिक दर्ज की गईं।

अनुलग्नक

अनुलग्नक 1.1: राज्यों की राजस्व प्राप्तियाँ (आंकड़े ₹ करोड़ में)

#	राज्य	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
1	आंध्र प्रदेश	1,73,767	1,57,768	1,50,552	1,17,136	1,11,034	1,14,671	1,05,062	98,985	88,648	90,672
2	अरुणाचल प्रदेश	27,441	23,788	21,232	17,124	14,889	16,196	13,775	11,780	10,553	9,136
3	असम	91,534	89,742	79,815	64,902	64,495	63,479	54,131	49,220	42,458	38,181
4	बिहार	1,93,347	1,72,688	1,58,797	1,28,168	1,24,233	1,31,793	1,17,447	1,05,585	96,123	78,418
5	छत्तीसगढ़	1,03,508	93,877	79,652	63,176	63,869	65,095	59,647	53,685	46,068	37,988
6	गोवा	18,272	17,284	14,286	10,440	11,298	11,438	11,054	9,565	8,552	7,689
7	गुजरात	2,22,763	1,99,408	1,66,830	1,28,156	1,42,844	1,36,002	1,23,291	1,09,842	97,483	91,978
8	हरियाणा	1,01,315	89,195	78,092	67,561	67,858	65,885	62,695	52,497	47,557	40,799
9	हिमाचल प्रदेश	39,173	38,090	37,309	33,438	30,742	30,950	27,367	26,264	23,440	17,843
10	झारखंड	87,929	80,245	69,722	56,150	58,417	56,152	52,756	47,054	40,638	31,565
11	कर्नाटक	2,33,343	2,29,080	1,95,762	1,56,716	1,75,443	1,64,979	1,47,000	1,33,214	1,18,817	1,04,142
12	केरल	1,24,486	1,32,725	1,16,640	97,617	90,225	92,854	83,020	75,612	69,033	57,950
13	मध्य प्रदेश	2,34,026	2,03,986	1,85,876	1,46,377	1,47,643	1,48,893	1,34,875	1,23,307	1,05,511	88,641
14	महाराष्ट्र	4,30,596	4,05,678	3,33,312	2,69,468	2,83,190	2,78,996	2,43,654	2,04,693	1,85,036	1,65,415
15	मणिपुर	14,706	15,893	14,091	12,983	10,684	10,562	10,358	9,129	8,280	7,998
16	मेघालय	17,978	14,820	14,274	10,683	9,414	9,719	9,273	8,939	7,043	6,428
17	मिजोरम	11,414	10,282	9,160	7,741	9,658	9,040	8,580	7,398	6,676	5,511
18	नागालैंड	16,155	14,099	13,451	11,427	11,423	11,437	11,019	9,442	8,044	7,651
19	ओडिशा	1,79,593	1,50,462	1,53,059	1,04,387	1,01,568	99,546	85,204	74,299	68,941	56,998
20	पंजाब	89,192	87,616	78,168	69,048	61,575	62,269	53,010	47,985	41,523	39,023
21	राजस्थान	2,03,276	1,94,988	1,83,920	1,34,308	1,40,114	1,37,873	1,27,307	1,09,026	1,00,285	91,327
22	सिक्किम	8,351	8,104	7,081	5,608	4,841	5,920	5,213	4,610	3,784	4,462
23	तमिलनाडु	2,64,597	2,43,749	2,07,492	1,74,076	1,74,526	1,73,741	1,46,280	1,40,231	1,29,008	1,22,420
24	तेलंगाना	1,69,293	1,59,350	1,27,469	1,00,914	1,02,544	1,01,420	88,824	82,818	76,134	51,042
25	त्रिपुरा	20,538	18,309	17,614	13,292	11,002	12,031	10,068	9,645	9,427	9,240
26	उत्तर प्रदेश	4,65,801	4,17,242	3,71,011	2,96,176	3,66,393	3,29,978	2,78,775	2,56,875	2,27,076	1,93,422
27	उत्तराखंड	50,615	49,083	43,057	38,204	30,723	31,216	27,105	24,889	21,234	20,247
28	पश्चिम बंगाल	2,00,268	1,95,544	1,78,159	1,48,394	1,42,914	1,45,975	1,31,270	1,17,832	1,09,732	86,514
	योग	37,93,278	35,13,095	31,05,884	24,83,672	25,63,556	25,18,110	22,28,060	20,04,422	17,97,104	15,62,700

अनुलग्नक 1.2: राज्यों की गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्ति (आंकड़े ₹ करोड़ में)

#	राज्य	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
1	आंध्र प्रदेश	24	-4	2,109	1,063	4,355	277	51	2,029	285	5,092
2	अरुणाचल प्रदेश	6	5	7	6	7	5	6	4	5	27
3	असम	3,282	5	3,099	3	8	3	5	19	510	10
4	बिहार	96	41	28	820	30	1,825	22	23	19	1,493
5	छत्तीसगढ़	30	123	93	110	261	168	142	175	299	198
6	गोवा	3	2	2	3	4	5	7	9	10	10
7	गुजरात	1,376	254	155	10,123	436	216	346	406	125	862
8	हरियाणा	416	312	567	495	5,447	5,421	6,381	1,000	358	292
9	हिमाचल प्रदेश	30	95	48	26	23	31	74	30	26	691
10	झारखंड	7,277	46	1,292	49	49	48	68	38	31	33
11	कर्नाटक	342	481	133	315	248	26	141	127	412	94
12	केरल	762	459	540	298	323	257	380	322	181	152
13	मध्य प्रदेश	376	1,505	1,660	73	60	83	5,089	796	189	6,793
14	महाराष्ट्र	742	643	1,179	1,612	1,615	1,604	1,778	1,746	882	975
15	मणिपुर	1	1	2	3	1	1	8	1	1	1
16	मेघालय	24	25	24	28	31	18	17	19	19	20
17	मिज़ोरम	24	26	32	34	27	22	22	22	26	32
18	नागालैंड	3	453	2	1	1	1	1	1	1	1
19	ओडिशा	559	832	1,566	684	287	305	257	89	228	92
20	पंजाब	39	164	207	50	16,071	849	73	181	219	138
21	राजस्थान	419	436	2,405	388	15,690	15,179	15,150	1,741	1,472	1,019
22	सिक्किम	0	0	0	1	0	2	1	1	1	1
23	तमिलनाडु	4,036	1,120	5,355	5,245	5,384	6,913	8,475	3,549	684	1,367
24	तेलंगाना	36	629	48	58	62	66	138	156	88	77
25	त्रिपुरा	1	52	1	1	1	1	2	1	1	2
26	उत्तर प्रदेश	1,834	1,337	939	1,135	5,641	5,313	236	259	726	262
27	उत्तराखंड	16	29	17	23	19	27	34	35	27	181
28	पश्चिम बंगाल	1,456	82	58	150	67	1,496	214	3,233	1,485	175
	योग	23,210	9,153	21,569	22,798	56,146	40,161	39,116	16,013	8,310	20,089

अनुलग्नक 2.1: राज्यों की घटक-वार राजस्व प्राप्तियाँ (आकड़े ₹ करोड़ में)

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
आंध्र प्रदेश (योग)	1,73,767	1,57,768	1,50,552	1,17,136	1,11,034	1,14,671	1,05,062	98,985	88,648	90,672
राज्यों का स्व-कर	85,922	78,026	70,979	57,409	57,601	58,031	49,486	44,181	39,907	42,569
संघीय करों में हिस्सा	45,711	38,177	35,386	24,461	28,242	32,787	29,001	26,264	21,894	15,349
सहायता अनुदान - सीएसएस	14,081	18,037	12,751	14,836	13,562	12,509	15,482	12,467	10,265	8,162
सहायता अनुदान - अन्य	20,621	18,111	26,419	17,036	8,314	6,947	7,279	10,880	11,662	13,618
गैर-कर राजस्व - ब्याज, लाभांश और लाभ	1,322	11	26	24	41	51	97	117	142	4,804
गैर-कर राजस्व - अन्य	6,110	5,406	4,991	3,371	3,274	4,345	3,717	5,076	4,778	6,172
अरुणाचल प्रदेश (योग)	27,441	23,788	21,232	17,124	14,889	16,196	13,775	11,780	10,553	9,136
राज्यों का स्व-कर	2,798	2,237	1,640	1,431	1,229	1,068	816	709	535	462
संघीय करों में हिस्सा	19,845	16,689	14,644	10,473	8,988	10,436	9,239	8,388	7,076	1,110
सहायता अनुदान - सीएसएस	3,371	2,848	3,220	2,877	3,193	3,056	2,404	188	148	315
सहायता अनुदान - अन्य	527	996	953	1,506	828	1,027	950	1,950	2,403	6,791
गैर-कर राजस्व - ब्याज, लाभांश और लाभ	173	93	47	34	62	88	47	56	39	13
गैर-कर राजस्व - अन्य	728	925	727	802	589	521	319	488	353	445
असम (योग)	91,534	89,742	79,815	64,902	64,495	63,479	54,131	49,220	42,458	38,181
राज्यों का स्व-कर	28,178	24,502	19,533	17,134	16,529	15,925	13,216	12,080	10,107	9,450
संघीय करों में हिस्सा	35,331	29,694	28,151	18,629	21,721	25,216	22,302	20,189	16,785	12,284
सहायता अनुदान - सीएसएस	16,206	21,557	18,187	13,833	14,390	11,849	11,600	207	15	17
सहायता अनुदान - अन्य	5,917	8,227	10,365	12,407	6,316	2,268	2,942	12,391	12,810	14,018
गैर-कर राजस्व - ब्याज, लाभांश और लाभ	1,013	771	235	718	698	741	531	600	369	330
गैर-कर राजस्व - अन्य	4,890	4,990	3,345	2,182	4,842	7,480	3,541	3,753	2,373	2,083
बिहार (योग)	1,93,347	1,72,688	1,58,797	1,28,168	1,24,233	1,31,793	1,17,447	1,05,585	96,123	78,418
राज्यों का स्व-कर	48,361	44,018	34,855	30,342	30,158	29,408	23,136	23,742	25,449	20,750
संघीय करों में हिस्सा	1,13,604	95,510	91,353	59,861	63,406	73,603	65,083	58,881	48,923	36,963
सहायता अनुदान - सीएसएस	17,962	22,237	17,833	16,610	15,302	16,323	13,312	678	161	822
सहायता अनुदान - अन्य	8,163	6,788	10,773	15,154	11,667	8,329	12,408	19,881	19,405	18,324
गैर-कर राजस्व - ब्याज, लाभांश और लाभ	907	644	729	3,845	1,418	1,386	1,579	944	599	347
गैर-कर राजस्व - अन्य	4,351	3,491	3,255	2,356	2,282	2,745	1,928	1,459	1,587	1,211
छत्तीसगढ़ (योग)	1,03,508	93,877	79,652	63,176	63,869	65,095	59,647	53,685	46,068	37,988
राज्यों का स्व-कर	38,786	33,122	27,084	22,889	22,118	21,427	19,895	18,945	17,075	15,707

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
संघीय करों में हिस्सा	38,482	32,358	28,571	20,338	20,206	23,459	20,755	18,809	15,716	8,363
सहायता अनुदान - सीएसएस	8,218	8,713	6,171	6,976	7,808	8,215	9,276	399	866	852
सहायता अनुदान - अन्य	2,875	4,436	3,976	5,837	5,803	4,291	3,381	9,863	7,196	8,135
नै-कर राजस्व - ब्याज, लाभांश और लाभ	179	207	142	92	235	191	185	158	114	173
नै-कर राजस्व - अन्य	14,969	15,041	13,710	7,045	7,699	7,512	6,155	5,511	5,101	4,757
गोवा (योग)	18,272	17,284	14,286	10,440	11,298	11,438	11,054	9,565	8,552	7,689
राज्यों का स्व-कर	8,726	7,827	5,805	4,151	4,701	4,871	4,731	4,261	3,975	3,896
संघीय करों में हिस्सा	4,360	3,665	3,357	2,297	2,480	2,878	2,544	2,299	1,924	901
सहायता अनुदान - सीएसएस	360	272	119	165	367	252	277	158	127	152
सहायता अनुदान - अन्य	607	1,651	1,218	926	1,012	563	468	134	95	414
नै-कर राजस्व - ब्याज, लाभांश और लाभ	34	50	23	84	64	26	29	21	19	19
नै-कर राजस्व - अन्य	4,185	3,818	3,764	2,819	2,673	2,848	3,004	2,691	2,413	2,307
गुजरात (योग)	2,22,763	1,99,408	1,66,830	1,28,156	1,42,844	1,36,002	1,23,291	1,09,842	97,483	91,978
राज्यों का स्व-कर	1,34,214	1,24,810	97,678	70,266	79,008	80,103	71,549	64,443	62,649	61,340
संघीय करों में हिस्सा	39,284	33,034	31,106	20,219	20,232	23,489	20,782	18,835	15,690	10,296
सहायता अनुदान - सीएसएस	9,468	9,550	9,450	8,167	8,725	8,785	8,942	1,466	602	684
सहायता अनुदान - अन्य	16,089	13,581	14,578	19,012	16,775	10,208	6,944	11,752	8,348	10,115
नै-कर राजस्व - ब्याज, लाभांश और लाभ	3,460	1,365	1,126	979	2,420	1,732	1,178	2,690	939	1,101
नै-कर राजस्व - अन्य	20,248	17,069	12,892	9,514	15,684	11,685	13,896	10,655	9,254	8,442
हरियाणा (योग)	1,01,315	89,195	78,092	67,561	67,858	65,885	62,695	52,497	47,557	40,799
राज्यों का स्व-कर	72,511	62,961	53,377	41,914	42,825	42,581	41,099	34,026	30,929	27,635
संघीय करों में हिस्सा	12,345	10,378	9,722	6,438	7,112	8,255	7,298	6,597	5,496	3,548
सहायता अनुदान - सीएसएस	2,769	2,920	3,332	3,135	2,852	2,843	2,327	237	339	440
सहायता अनुदान - अन्य	5,587	4,193	4,266	9,113	7,670	4,230	2,859	5,441	6,040	4,563
नै-कर राजस्व - ब्याज, लाभांश और लाभ	1,935	1,656	2,386	1,725	2,062	2,010	2,235	2,316	1,103	939
नै-कर राजस्व - अन्य	6,168	7,087	5,008	5,237	5,338	5,965	6,878	3,880	3,649	3,674
हिमाचल प्रदेश (योग)	39,173	38,090	37,309	33,438	30,742	30,950	27,367	26,264	23,440	17,843
राज्यों का स्व-कर	11,835	10,595	9,715	8,083	7,624	7,573	7,108	7,039	6,896	5,940
संघीय करों में हिस्सा	9,375	7,884	7,349	4,754	4,678	5,430	4,801	4,344	3,611	2,644
सहायता अनुदान - सीएसएस	5,329	4,737	5,421	4,221	4,915	4,010	3,590	3,055	1,979	1,615
सहायता अनुदान - अन्य	9,613	11,997	12,213	14,191	11,024	11,107	9,504	10,109	9,318	5,563

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
गैर-कर राजस्व - ब्याज, लाभांश और लाभ	317	266	340	552	494	568	596	435	206	272
गैर-कर राजस्व - अन्य	2,704	2,610	2,272	1,637	2,008	2,262	1,768	1,282	1,631	1,810
झारखंड (योग)	87,929	80,245	69,722	56,150	58,417	56,152	52,756	47,054	40,638	31,565
राज्यों का स्व-कर	28,005	25,118	21,290	16,880	16,771	14,752	12,353	13,299	11,479	10,350
संघीय करों में हिस्सा	37,352	31,404	27,735	19,712	20,593	23,906	21,144	19,142	15,969	9,487
सहायता अनुदान - सीएसएस	6,330	6,872	6,577	6,839	7,339	6,997	7,985	515	651	614
सहायता अनुदान - अन्य	2,816	4,022	4,090	5,155	4,964	2,239	3,427	8,746	6,687	6,779
गैर-कर राजस्व - ब्याज, लाभांश और लाभ	431	282	96	96	310	47	169	121	123	143
गैर-कर राजस्व - अन्य	12,994	12,548	9,935	7,468	8,440	8,211	7,678	5,230	5,730	4,192
कर्नाटक (योग)	2,33,343	2,29,080	1,95,762	1,56,716	1,75,443	1,64,979	1,47,000	1,33,214	1,18,817	1,04,142
राज्यों का स्व-कर	1,63,505	1,43,702	1,20,739	97,053	1,02,363	96,830	87,130	82,956	75,550	70,180
संघीय करों में हिस्सा	41,193	34,596	33,284	21,694	30,919	35,895	31,752	28,760	23,983	14,654
सहायता अनुदान - सीएसएस	9,866	11,628	12,659	9,852	12,214	10,393	11,617	440	137	1,729
सहायता अनुदान - अन्य	5,662	25,239	17,303	20,224	22,266	15,088	10,024	15,263	13,792	12,890
गैर-कर राजस्व - ब्याज, लाभांश और लाभ	1,796	1,805	1,665	1,000	949	1,150	1,257	1,282	1,362	950
गैर-कर राजस्व - अन्य	11,322	12,109	10,112	6,894	6,733	5,623	5,219	4,512	3,993	3,739
केरल (योग)	1,24,486	1,32,725	1,16,640	97,617	90,225	92,854	83,020	75,612	69,033	57,950
राज्यों का स्व-कर	74,329	71,968	58,341	47,661	50,323	50,644	46,460	42,176	38,995	35,233
संघीय करों में हिस्सा	21,743	18,261	17,820	11,560	16,401	19,038	16,833	15,225	12,691	7,926
सहायता अनुदान - सीएसएस	3,937	4,588	3,801	5,142	3,263	3,770	3,213	462	167	437
सहायता अनुदान - अन्य	8,132	22,790	26,216	25,926	7,973	7,619	5,315	8,049	8,755	7,071
गैर-कर राजस्व - ब्याज, लाभांश और लाभ	418	221	405	357	185	265	271	240	195	176
गैर-कर राजस्व - अन्य	15,928	14,897	10,057	6,970	12,080	11,519	10,929	9,460	8,230	7,107
मध्य प्रदेश (योग)	2,34,026	2,03,986	1,85,876	1,46,377	1,47,643	1,48,893	1,34,875	1,23,307	1,05,511	88,641
राज्यों का स्व-कर	90,724	72,611	66,237	54,459	55,824	50,882	44,811	44,194	40,214	36,567
संघीय करों में हिस्सा	88,665	74,543	69,542	46,914	49,518	57,487	50,853	46,064	38,398	24,107
सहायता अनुदान - सीएसएस	25,855	26,291	25,488	21,340	19,548	-	-	531	611	2,893
सहायता अनुदान - अन्य	8,856	10,664	9,304	13,762	12,404	28,625	30,150	23,431	17,720	14,699
गैर-कर राजस्व - ब्याज, लाभांश और लाभ	2,226	4,729	1,792	531	919	1,228	1,261	813	559	1,341
गैर-कर राजस्व - अन्य	17,700	15,149	13,522	9,371	9,431	10,671	7,800	8,273	8,010	9,034
महाराष्ट्र (योग)	4,30,596	4,05,678	3,33,312	2,69,468	2,83,190	2,78,996	2,43,654	2,04,693	1,85,036	1,65,415

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
राज्यों का स्व-कर	3,02,343	2,77,486	2,20,927	1,64,255	1,88,948	1,87,436	1,67,932	1,36,616	1,26,608	1,15,064
संघीय करों में हिस्सा	71,350	60,001	54,318	36,504	36,220	42,054	37,219	33,715	28,106	17,630
सहायता अनुदान - सीएसएस	17,700	16,241	11,782	13,721	10,725	13,809	11,895	10,468	9,340	9,772
सहायता अनुदान - अन्य	18,345	35,174	26,977	39,012	33,000	19,853	9,928	11,184	7,558	10,368
गैर-कर राजस्व - ब्याज, लाभांश और लाभ	2,401	2,466	2,705	2,687	3,327	4,467	4,665	3,326	3,137	3,380
गैर-कर राजस्व - अन्य	18,457	14,310	16,601	13,288	10,970	11,377	12,015	9,383	10,286	9,201
मणिपुर (योग)	14,706	15,893	14,091	12,983	10,684	10,562	10,358	9,129	8,280	7,998
राज्यों का स्व-कर	1,224	1,868	1,649	1,294	1,201	1,046	791	587	550	517
संघीय करों में हिस्सा	8,087	6,795	6,010	4,272	4,048	4,699	4,154	3,757	3,142	1,527
सहायता अनुदान - सीएसएस	2,642	4,354	3,459	3,917	2,769	2,143	2,323	184	178	836
सहायता अनुदान - अन्य	2,544	2,419	2,865	3,351	2,532	2,508	2,916	4,436	4,259	4,935
गैर-कर राजस्व - ब्याज, लाभांश और लाभ	5	25	1	2	6	19	19	20	27	31
गैर-कर राजस्व - अन्य	204	433	107	146	128	148	155	145	122	153
मेघालय (योग)	17,978	14,820	14,274	10,683	9,414	9,719	9,273	8,939	7,043	6,428
राज्यों का स्व-कर	3,217	2,651	2,300	2,073	1,891	1,793	1,450	1,186	1,057	939
संघीय करों में हिस्सा	8,663	7,286	6,581	4,552	4,212	4,889	4,323	3,911	3,276	1,382
सहायता अनुदान - सीएसएस	4,651	3,253	2,956	2,554	2,314	2,011	2,146	138	196	293
सहायता अनुदान - अन्य	923	1,173	1,913	981	466	597	988	3,018	2,285	3,471
गैर-कर राजस्व - ब्याज, लाभांश और लाभ	11	9	25	12	29	58	53	46	39	38
गैर-कर राजस्व - अन्य	512	447	500	512	501	369	314	639	189	305
मिज़ोरम (योग)	11,414	10,282	9,160	7,741	9,658	9,040	8,580	7,398	6,676	5,511
राज्यों का स्व-कर	1,196	1,102	854	648	731	727	546	442	358	267
संघीय करों में हिस्सा	5,647	4,745	4,223	3,011	3,018	3,503	3,097	2,801	2,348	911
सहायता अनुदान - सीएसएस	1,778	1,600	1,366	1,330	2,104	1,250	1,465	546	520	663
सहायता अनुदान - अन्य	1,708	1,807	2,095	2,191	3,283	3,110	3,082	3,245	3,152	3,429
गैर-कर राजस्व - ब्याज, लाभांश और लाभ	15	50	42	19	33	58	51	48	31	20
गैर-कर राजस्व - अन्य	1,069	978	580	543	490	392	340	317	267	222
नागालैंड (योग)	16,155	14,099	13,451	11,427	11,423	11,437	11,019	9,442	8,044	7,651
राज्यों का स्व-कर	1,598	1,462	1,301	1,023	958	846	638	511	427	389
संघीय करों में हिस्सा	6,427	5,400	4,875	3,409	3,267	3,792	3,353	3,033	2,541	1,063
सहायता अनुदान - सीएसएस	2,917	1,992	2,184	2,008	1,823	1,440	2,224	1,661	1,204	1,428

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
सहायता अनुदान - अन्य	4,535	4,766	4,787	4,745	5,036	5,104	4,415	3,893	3,616	4,501
गैर-कर राजस्व - ब्याज, लाभांश और लाभ	21	10	6	7	9	13	7	7	10	7
गैर-कर राजस्व - अन्य	657	469	298	236	331	243	382	339	246	263
ओडिशा (योग)	1,79,593	1,50,462	1,53,059	1,04,387	1,01,568	99,546	85,204	74,299	68,941	56,998
राज्यों का स्व-कर	54,427	46,554	40,748	34,258	32,315	30,318	27,914	22,852	22,527	19,828
संघीय करों में हिस्सा	51,144	42,989	38,145	27,543	30,453	35,354	31,272	28,322	23,574	16,181
सहायता अनुदान - सीएसएस	15,685	11,741	11,820	12,698	13,056	13,025	12,900	0	0	0
सहायता अनुदान - अन्य	5,326	6,458	8,090	10,371	11,096	6,573	4,720	15,082	14,129	12,917
गैर-कर राजस्व - ब्याज, लाभांश और लाभ	2,722	2,241	2,347	2,325	1,808	2,006	667	993	1,114	1,407
गैर-कर राजस्व - अन्य	50,290	40,479	51,910	17,193	12,839	12,270	7,732	7,050	7,597	6,664
पंजाब (योग)	89,192	87,616	78,168	69,048	61,575	62,269	53,010	47,985	41,523	39,023
राज्यों का स्व-कर	47,252	42,243	37,327	30,053	29,995	31,574	30,423	27,747	26,690	25,570
संघीय करों में हिस्सा	20,410	17,164	15,289	10,638	10,346	12,005	10,617	9,600	8,009	4,703
सहायता अनुदान - सीएसएस	3,185	3,729	3,674	2,880	2,795	3,017	3,096	564	237	188
सहायता अनुदान - अन्य	11,111	18,247	17,095	21,325	11,785	8,090	4,556	4,212	3,937	5,682
गैर-कर राजस्व - ब्याज, लाभांश और लाभ	282	246	188	146	2,110	1,460	1,409	1,298	227	195
गैर-कर राजस्व - अन्य	6,952	5,986	4,596	4,006	4,544	6,123	2,909	4,566	2,424	2,684
राजस्थान (योग)	2,03,276	1,94,988	1,83,920	1,34,308	1,40,114	1,37,873	1,27,307	1,09,026	1,00,285	91,327
राज्यों का स्व-कर	94,086	87,346	74,808	60,283	59,245	57,380	50,605	44,372	42,713	38,673
संघीय करों में हिस्सा	68,063	57,231	54,031	35,576	36,049	41,852	37,028	33,556	27,916	19,817
सहायता अनुदान - सीएसएस	14,263	14,554	14,965	12,595	14,966	13,317	16,103	-15	-	-
सहायता अनुदान - अन्य	8,185	15,292	21,361	12,200	14,139	6,720	7,837	19,498	18,728	19,608
गैर-कर राजस्व - ब्याज, लाभांश और लाभ	2,057	2,059	1,716	2,696	3,906	5,847	4,926	2,001	2,080	2,129
गैर-कर राजस्व - अन्य	16,623	18,505	17,039	10,957	11,808	12,756	10,808	9,614	8,848	11,101
सिक्किम (योग)	8,351	8,104	7,081	5,608	4,841	5,920	5,213	4,610	3,784	4,462
राज्यों का स्व-कर	1,748	1,497	1,254	967	970	893	688	653	567	528
संघीय करों में हिस्सा	4,285	3,865	3,288	2,302	2,296	2,795	2,635	2,069	1,870	809
सहायता अनुदान - सीएसएस	940	1,118	749	879	609	1,152	959	659	509	578
सहायता अनुदान - अन्य	503	647	1,109	798	273	423	277	778	425	1,849
गैर-कर राजस्व - ब्याज, लाभांश और लाभ	99	70	51	130	147	130	118	80	85	67
गैर-कर राजस्व - अन्य	775	906	629	533	546	528	537	371	328	631

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
तमिलनाडु (योग)	2,64,597	2,43,749	2,07,492	1,74,076	1,74,526	1,73,741	1,46,280	1,40,231	1,29,008	1,22,420
राज्यों का स्व-कर	1,67,278	1,50,223	1,22,866	1,06,153	1,07,462	1,05,534	93,737	85,941	80,476	78,657
संघीय करों में हिस्सा	46,072	38,731	37,459	24,925	26,392	30,639	27,100	24,538	20,354	16,824
सहायता अनुदान - सीएसएस	13,972	15,270	17,251	12,484	12,464	14,819	10,983	2,035	717	974
सहायता अनुदान - अन्य	11,371	22,465	17,800	20,093	15,320	8,549	3,696	17,803	18,543	17,615
गैर-कर राजस्व - ब्याज, लाभांश और लाभ	10,669	5,048	4,190	3,729	4,548	7,031	5,357	4,504	3,094	2,589
गैर-कर राजस्व - अन्य	15,235	12,013	7,927	6,692	8,340	7,169	5,407	5,410	5,825	5,762
तेलंगाना (योग)	1,69,293	1,59,350	1,27,469	1,00,914	1,02,544	1,01,420	88,824	82,818	76,134	51,042
राज्यों का स्व-कर	1,11,798	1,06,949	91,271	66,650	67,597	64,674	56,520	48,408	39,975	29,288
संघीय करों में हिस्सा	23,742	19,668	18,721	12,692	15,988	18,561	16,420	14,877	12,351	8,189
सहायता अनुदान - सीएसएस	5,966	5,387	4,461	5,805	5,729	5,507	6,108	6,664	5,807	4,636
सहायता अनुदान - अन्य	3,967	7,792	4,158	9,666	5,870	2,670	1,951	3,088	3,587	2,482
गैर-कर राजस्व - ब्याज, लाभांश और लाभ	144	346	72	127	132	153	217	1,861	2,947	2,900
गैर-कर राजस्व - अन्य	23,676	19,208	8,785	5,974	7,228	9,854	7,609	7,921	11,468	3,547
त्रिपुरा (योग)	20,538	18,309	17,614	13,292	11,002	12,031	10,068	9,645	9,427	9,240
राज्यों का स्व-कर	3,287	3,000	2,616	2,332	2,102	1,766	1,422	1,422	1,332	1,174
संघीय करों में हिस्सा	7,997	6,724	6,078	4,218	4,212	4,889	4,322	3,909	3,266	1,730
सहायता अनुदान - सीएसएस	4,079	3,475	3,312	2,331	2,254	1,861	1,988	137	36	235
सहायता अनुदान - अन्य	4,754	4,707	5,334	4,125	2,162	3,143	1,842	3,959	4,530	5,904
गैर-कर राजस्व - ब्याज, लाभांश और लाभ	35	35	26	25	27	148	292	37	69	47
गैर-कर राजस्व - अन्य	386	368	248	261	244	224	202	182	194	149
उत्तर प्रदेश (योग)	4,65,801	4,17,242	3,71,011	2,96,176	3,66,393	3,29,978	2,78,775	2,56,875	2,27,076	1,93,422
राज्यों का स्व-कर	1,93,129	1,74,087	1,47,368	1,19,897	1,22,826	1,20,122	97,393	85,966	81,106	74,172
संघीय करों में हिस्सा	2,02,620	1,69,745	1,60,358	1,06,687	1,17,818	1,36,766	1,20,939	1,09,428	90,974	66,623
सहायता अनुदान - सीएसएस	38,828	35,575	31,227	32,342	25,824	31,250	27,731	22,914	21,638	19,289
सहायता अनुदान - अन्य	16,975	24,345	20,623	25,404	18,220	11,739	12,918	9,623	10,223	13,402
गैर-कर राजस्व - ब्याज, लाभांश और लाभ	1,278	1,401	1,462	1,220	1,508	1,888	1,124	1,251	675	2,311
गैर-कर राजस्व - अन्य	12,971	12,089	9,974	10,626	80,197	28,213	18,671	27,693	22,459	17,624
उत्तराखंड (योग)	50,615	49,083	43,057	38,204	30,723	31,216	27,105	24,889	21,234	20,247
राज्यों का स्व-कर	19,245	17,103	14,176	11,938	11,513	12,188	10,165	10,897	9,378	8,338
संघीय करों में हिस्सा	12,628	10,617	9,906	6,569	6,902	8,012	7,085	6,412	5,333	3,792

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
सहायता अनुदान - सीएसएस	5,676	5,968	5,218	6,166	4,477	4,966	4,391	3,035	2,479	1,879
सहायता अनुदान - अन्य	8,648	11,028	11,000	9,361	3,832	2,741	3,694	3,199	2,825	5,126
गैर-कर राजस्व - ब्याज, लाभांश और लाभ	151	784	439	139	62	74	108	87	94	108
गैर-कर राजस्व - अन्य	4,267	3,582	2,317	4,032	3,937	3,235	1,661	1,259	1,125	1,002
पश्चिम बंगाल (योग)	2,00,268	1,95,544	1,78,159	1,48,394	1,42,914	1,45,975	1,31,270	1,17,832	1,09,732	86,514
राज्यों का स्व-कर	89,986	83,609	71,082	60,287	60,669	60,732	52,721	45,466	42,492	39,412
संघीय करों में हिस्सा	84,972	71,435	65,541	44,737	48,048	55,776	49,321	44,625	37,164	24,595
सहायता अनुदान - सीएसएस	7,112	9,858	11,077	17,604	16,963	15,686	15,734	-	-	-6
सहायता अनुदान - अन्य	14,960	28,446	28,770	20,567	14,021	10,124	10,377	24,791	28,214	20,887
गैर-कर राजस्व - ब्याज, लाभांश और लाभ	563	483	464	2,826	403	853	1,432	1,202	347	283
गैर-कर राजस्व - अन्य	2,675	1,714	1,227	2,373	2,810	2,804	1,685	1,748	1,515	1,344
सभी राज्यों का योग	37,93,278	35,13,095	31,05,884	24,83,672	25,63,556	25,18,110	22,28,060	20,04,422	17,97,104	15,62,700

घटक (सभी राज्य)	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
राज्यों का स्व-कर	18,79,708	16,98,675	14,17,820	11,31,782	11,75,497	11,51,127	10,14,736	9,05,117	8,39,817	7,72,894
संघीय करों में हिस्सा	11,29,397	9,48,590	8,82,838	5,94,982	6,43,763	7,47,465	6,61,272	5,98,348	4,98,380	3,33,408
सहायता अनुदान - सीएसएस*	2,63,145	2,74,365	2,50,511	2,43,308	2,32,349	2,14,257	2,10,071	69,793	58,927	59,499
सहायता अनुदान - अन्य*	2,09,321	3,17,464	3,15,650	3,44,438	2,58,050	1,94,483	1,68,845	2,65,699	2,50,241	2,55,156
गैर-कर राजस्व - ब्याज, लाभांश और लाभ	34,663	27,373	22,735	26,126	27,911	33,687	29,880	26,556	19,745	26,120
गैर-कर राजस्व - अन्य	2,77,045	2,46,627	2,16,331	1,43,037	2,25,986	1,77,092	1,43,256	1,38,909	1,29,996	1,15,623
योग	37,93,278	35,13,095	31,05,884	24,83,672	25,63,556	25,18,110	22,28,060	20,04,422	17,97,104	15,62,700

*वित्त वर्ष 2017-18 से योजना और गैर-योजना के अंतर को समाप्त किये जाने के पश्चात किए गए परिणामी संशोधनों में से एक अनुदानों के संबंध में प्राप्तियों के वर्गीकरण में संशोधन था, जिसमें केंद्र प्रायोजित योजनाओं से संबंधित प्राप्तियाँ भी शामिल थीं। इस प्रकारान के प्रयोजनों के लिए, सहायता अनुदान-सीएसएस के रूप में अपनाए गए आंकड़े वर्ष 2017-18 तक की अवधि के लिए मुख्य शीर्ष 1601-04 और वित्त वर्ष 2017-18 से मुख्य शीर्ष 1601-06 से लिये गये हैं।

अनुलग्नक 2.2: एसओटीआर के राज्य-वार घटक (आंकड़े ₹ करोड़ में)

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
आंध्र प्रदेश (योग)										
एसजीएसटी	85,922	78,026	70,979	57,409	57,601	58,031	49,486	44,181	39,907	42,569
राज्य उत्पाद शुल्क	31,130	27,981	23,809	18,871	20,227	20,611	10,820	-	-	-
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	15,998	14,798	14,703	11,575	6,915	6,220	5,460	4,645	4,386	4,352
मोटर वाहन कर	9,542	8,023	7,635	5,603	5,318	5,428	4,271	3,476	3,527	3,249
विब्री, व्यापार आदि पर कर	4,557	4,320	3,433	2,966	3,279	3,341	3,039	2,467	2,082	3,687
अन्य	18,475	18,004	20,808	17,800	21,410	21,914	25,335	32,484	29,104	30,524
अरुणाचल प्रदेश (योग)										
एसजीएसटी	2,798	2,237	1,640	1,431	1,229	1,068	816	709	535	462
राज्य उत्पाद शुल्क	1,923	1,607	1,131	859	802	601	224	-	-	-
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	211	281	116	238	145	137	123	109	86	60
मोटर वाहन कर	23	18	12	10	8	9	10	5	6	4
विब्री, व्यापार आदि पर कर	77	62	49	33	38	32	31	24	19	18
अन्य	516	222	325	283	220	269	285	283	190	195
असम (योग)										
एसजीएसटी	28,178	24,502	19,533	17,134	16,529	15,925	13,216	12,080	10,107	9,450
राज्य उत्पाद शुल्क	14,654	12,564	10,580	8,549	8,755	8,393	4,078	-	-	-
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	3,039	2,526	1,939	2,040	1,650	1,400	1,095	964	808	665
मोटर वाहन कर	695	852	439	281	293	241	239	227	225	189
विब्री, व्यापार आदि पर कर	1,690	1,348	978	724	816	765	647	522	443	365
अन्य	7,463	6,749	4,867	5,071	4,481	4,699	6,373	8,752	7,494	7,351
बिहार (योग)										
एसजीएसटी	48,361	44,018	34,855	30,342	30,158	29,408	23,136	23,742	25,449	20,750
राज्य उत्पाद शुल्क	27,678	23,243	19,264	16,050	15,801	15,288	6,747	-	-	-
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	1	1	-1	-4	-4	-10	-3	30	3,142	3,217
मोटर वाहन कर	6,348	6,451	5,224	4,206	4,661	4,189	3,726	2,982	3,409	2,699
विब्री, व्यापार आदि पर कर	3,358	2,935	2,475	2,268	2,713	2,086	1,600	1,257	1,081	964
अन्य	9,371	9,881	6,872	6,031	6,121	6,584	8,298	11,874	10,603	8,607
छत्तीसगढ़ (योग)										
एसजीएसटी	1,606	1,506	1,021	1,790	866	1,271	2,770	7,600	7,214	5,263
राज्य उत्पाद शुल्क	38,786	33,122	27,084	22,889	22,118	21,427	19,895	18,945	17,075	15,707

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
एसजीएसटी	13,793	11,298	9,483	7,925	7,895	8,203	4,387	-	-	-
राज्य उत्पाद शुल्क	8,430	6,783	5,107	4,636	4,952	4,489	4,054	3,444	3,338	2,892
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	2,494	2,229	1,945	1,585	1,635	1,108	1,197	1,211	1,185	1,023
मोटर वाहन कर	2,048	1,757	1,373	1,148	1,275	1,205	1,180	985	829	703
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	6,513	6,450	5,341	4,236	3,931	4,088	6,450	9,927	8,908	8,429
अन्य	5,507	4,606	3,835	3,359	2,430	2,334	2,627	3,378	2,814	2,659
गोवा (योग)	8,726	7,827	5,805	4,151	4,701	4,871	4,731	4,261	3,975	3,896
एसजीएसटी	4,057	3,536	2,758	1,985	2,439	2,529	1,464	-	-	-
राज्य उत्पाद शुल्क	900	866	650	515	492	478	410	321	320	268
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	1,247	986	645	350	393	432	530	365	525	660
मोटर वाहन कर	483	412	261	219	269	299	315	244	196	181
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1,858	1,899	1,383	990	1,033	1,014	1,622	2,438	2,116	1,860
अन्य	181	128	109	91	75	120	392	893	820	927
गुजरात (योग)	1,34,214	1,24,810	97,678	70,266	79,007	80,103	71,549	64,443	62,649	61,340
एसजीएसटी	58,010	52,154	43,487	29,459	34,107	34,889	21,251	-	-	-
राज्य उत्पाद शुल्क	200	188	155	134	138	131	85	152	123	140
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	15,334	14,207	10,433	7,390	7,701	7,781	7,255	5,783	5,549	5,503
मोटर वाहन कर	5,568	5,002	3,889	2,982	3,847	4,119	3,885	3,213	3,008	2,695
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	33,127	36,984	29,044	18,800	21,072	22,414	29,639	46,314	44,091	44,145
अन्य	21,976	16,275	10,671	11,502	12,143	10,770	9,435	8,982	9,878	8,856
हरियाणा (योग)	72,511	62,961	53,377	41,914	42,825	42,581	41,099	34,026	30,929	27,635
एसजीएसटी	33,960	28,577	22,922	18,236	18,873	18,613	10,833	-	-	-
राज्य उत्पाद शुल्क	11,326	9,673	7,933	6,864	6,323	6,042	4,966	4,613	4,371	3,470
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	10,529	8,607	7,598	5,157	6,013	5,636	4,192	3,283	3,191	3,109
मोटर वाहन कर	4,904	4,231	3,265	2,495	2,916	2,908	2,778	1,583	1,400	1,192
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	11,331	11,262	11,221	8,660	8,398	8,998	15,609	23,488	21,060	18,993
अन्य	461	610	438	501	302	384	2,721	1,058	906	871
हिमाचल प्रदेश (योग)	11,835	10,595	9,715	8,083	7,624	7,573	7,108	7,039	6,696	5,940
एसजीएसटी	5,340	5,259	4,482	3,467	3,550	3,343	1,833	-	-	-
राज्य उत्पाद शुल्क	2,692	2,216	1,981	1,600	1,660	1,482	1,311	1,308	1,131	1,044
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	440	399	319	253	260	251	229	209	206	191

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
मोटर वाहन कर	782	675	510	380	466	408	367	280	317	220
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1,754	1,370	1,592	1,630	1,170	1,185	2,526	4,382	3,993	3,661
अन्य	827	676	831	753	519	905	841	861	1,049	825
झारखंड (योग)	28,005	25,118	21,290	16,880	16,771	14,752	12,353	13,299	11,479	10,350
एसजीएसटी	12,348	11,374	9,557	7,931	8,418	8,201	4,124	-	-	-
राज्य उत्पाद शुल्क	2,376	2,057	1,807	1,821	2,009	1,083	841	962	912	740
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	1,468	1,108	987	708	560	451	469	607	532	531
मोटर वाहन कर	1,756	1,574	1,263	976	1,129	864	778	682	633	660
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	6,949	6,271	5,213	4,301	3,996	3,475	5,715	10,549	8,999	8,070
अन्य	3,108	2,735	2,462	1,143	659	678	426	500	403	349
कर्नाटक (योग)	1,63,505	1,43,702	1,20,739	97,053	1,02,363	96,830	87,130	82,956	75,550	70,180
एसजीएसटी	71,041	61,403	49,929	37,711	42,147	41,956	24,182	-	-	-
राज्य उत्पाद शुल्क	34,629	29,920	26,378	23,332	21,584	19,944	17,949	16,484	15,333	13,801
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	20,147	17,726	14,020	10,576	11,308	10,775	9,024	7,806	8,215	7,026
मोटर वाहन कर	11,287	10,611	6,915	5,607	6,763	6,568	6,209	5,594	5,002	4,542
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	20,811	19,082	19,274	16,028	16,424	14,003	25,093	46,105	40,449	38,286
अन्य	5,590	4,959	4,223	3,798	4,136	3,584	4,674	6,967	6,552	6,526
केरल (योग)	74,329	71,968	58,341	47,661	50,323	50,644	46,460	42,176	38,995	35,233
एसजीएसटी	30,564	29,513	24,170	20,028	20,447	21,015	12,008	-	-	-
राज्य उत्पाद शुल्क	2,944	2,876	2,032	2,329	2,255	2,521	2,240	2,019	1,964	1,777
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	5,695	6,217	4,857	3,490	3,615	3,693	3,453	3,007	2,878	2,659
मोटर वाहन कर	6,340	5,387	4,037	3,386	3,721	3,709	3,663	3,107	2,814	2,365
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	27,690	26,876	22,487	17,689	19,650	19,226	24,578	33,453	30,737	27,908
अन्य	1,096	1,100	757	738	635	480	518	590	602	523
मध्य प्रदेश (योग)	90,724	72,611	66,237	54,459	55,824	50,882	44,811	44,194	40,214	36,567
एसजीएसटी	37,791	23,397	22,029	17,258	20,448	18,509	8,696	-	-	-
राज्य उत्पाद शुल्क	13,524	12,955	10,334	9,526	10,829	9,542	8,245	7,533	7,923	6,696
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	10,331	8,812	8,098	6,817	5,569	5,278	4,789	3,925	3,868	3,893
मोटर वाहन कर	4,606	4,028	3,029	2,749	3,251	3,008	2,692	2,252	1,934	1,824
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	17,863	17,719	16,185	13,296	11,258	9,903	14,984	22,561	19,806	18,136
अन्य	6,610	5,701	6,562	4,813	4,469	4,642	5,406	7,923	6,683	6,019

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
महाराष्ट्र (योग)	3,02,343	2,77,486	2,20,927	1,64,255	1,88,948	1,87,436	1,67,932	1,36,616	1,26,608	1,15,064
एसजीएसटी	1,41,979	1,21,256	97,305	69,949	82,602	82,352	50,063	-	-	-
राज्य उत्पाद शुल्क	23,322	21,507	17,221	15,089	15,428	15,321	13,450	12,288	12,470	11,397
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	50,824	45,286	35,594	25,428	28,707	28,545	26,442	21,012	21,767	19,959
मोटर वाहन कर	12,969	11,740	9,080	6,655	8,467	8,613	8,665	6,741	6,017	5,405
विक्री, व्यापार आदि पर कर	53,380	54,568	45,924	33,160	37,786	35,725	54,894	81,174	69,661	67,466
अन्य	19,868	23,129	15,804	13,974	15,958	16,880	14,418	15,401	16,694	10,836
मणिपुर (योग)	1,224	1,868	1,649	1,294	1,201	1,046	791	587	550	517
एसजीएसटी	1,099	1,426	1,126	867	853	695	302	-	-	-
राज्य उत्पाद शुल्क	20	19	16	12	12	8	9	9	9	9
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	7	14	8	9	17	18	14	10	10	8
मोटर वाहन कर	41	83	57	38	48	40	36	25	23	21
विक्री, व्यापार आदि पर कर	25	289	412	336	236	253	386	500	467	433
अन्य	32	36	31	33	37	33	44	43	41	46
मेघालय (योग)	3,217	2,651	2,300	2,073	1,891	1,793	1,450	1,186	1,057	939
एसजीएसटी	1,723	1,477	1,118	823	910	806	376	-	-	-
राज्य उत्पाद शुल्क	458	365	308	375	276	226	199	169	170	151
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	26	28	27	32	20	26	20	17	13	10
मोटर वाहन कर	145	132	99	79	99	87	67	48	42	39
विक्री, व्यापार आदि पर कर	837	622	719	725	567	628	767	931	812	726
अन्य	27	27	29	39	18	20	21	21	20	13
मिजोरम (योग)	1,196	1,102	854	648	731	727	546	442	358	267
एसजीएसटी	969	904	632	458	532	455	170	-	-	-
राज्य उत्पाद शुल्क	3	2	2	1	3	65	66	72	61	5
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	17	8	7	5	6	4	3	3	4	4
मोटर वाहन कर	46	41	28	29	41	38	32	26	19	17
विक्री, व्यापार आदि पर कर	126	113	151	114	118	136	243	308	247	212
अन्य	35	34	34	41	32	28	33	33	28	29
नागालैंड (योग)	1,598	1,462	1,301	1,023	958	846	638	511	427	389
एसजीएसटी	1,063	959	830	664	613	470	188	-	-	-
राज्य उत्पाद शुल्क	5	4	3	5	3	5	4	5	5	5

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	4	3	3	2	3	3	3	2	2	2
मोटर वाहन कर	198	188	141	93	114	126	102	57	53	46
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	266	247	262	206	175	187	288	400	329	294
अन्य	62	61	61	53	50	57	55	47	38	41
ऑडिशा (योग)	54,427	46,554	40,748	34,258	32,315	30,318	27,914	22,852	22,527	19,828
एसजीएसटी	23,896	18,601	16,392	13,043	13,204	11,943	6,609	-	-	-
राज्य उत्पाद शुल्क	7,215	6,455	5,528	4,053	4,495	3,925	3,221	2,786	2,547	2,035
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	2,127	1,997	2,419	2,942	1,435	1,237	1,037	1,364	2,157	800
मोटर वाहन कर	2,478	2,133	1,664	1,526	1,836	1,746	1,535	1,216	1,044	910
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	12,714	12,023	10,000	7,777	7,455	7,310	11,522	13,402	13,097	11,817
अन्य	5,997	5,345	4,746	4,917	3,890	4,157	3,990	4,084	3,682	4,266
पंजाब (योग)	47,252	42,243	37,327	30,053	29,995	31,574	30,423	27,747	26,690	25,570
एसजीएसटी	20,925	18,128	15,542	11,819	12,751	13,273	7,901	-	-	-
राज्य उत्पाद शुल्क	9,233	8,437	6,157	6,164	4,865	5,072	5,136	4,406	4,796	4,246
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	4,359	4,227	3,308	2,470	2,258	2,298	2,135	2,044	2,449	2,474
मोटर वाहन कर	2,938	2,674	2,359	1,472	1,994	1,861	1,911	1,548	1,475	1,393
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	6,501	5,637	6,869	5,372	5,223	6,572	11,160	17,587	15,857	15,455
अन्य	3,297	3,141	3,091	2,755	2,904	2,498	2,180	2,162	2,114	2,001
राजस्थान (योग)	94,086	87,346	74,808	60,283	59,245	57,380	50,605	44,372	42,713	38,673
एसजीएसटी	38,016	33,790	27,502	20,755	21,954	22,938	12,137	-	-	-
राज्य उत्पाद शुल्क	13,225	13,326	11,807	9,853	9,592	8,694	7,276	7,054	6,713	5,586
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	9,181	8,189	6,492	5,297	4,235	3,886	3,675	3,053	3,234	3,189
मोटर वाहन कर	6,704	6,128	4,759	4,368	4,951	4,576	4,363	3,623	3,199	2,830
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	23,473	22,727	20,605	17,479	15,843	14,791	19,008	28,558	26,345	24,170
अन्य	3,487	3,186	3,643	2,531	2,671	2,494	4,147	2,083	3,222	2,899
सिक्किम (योग)	1,748	1,497	1,254	967	970	893	688	653	567	528
एसजीएसटी	966	804	656	463	455	406	171	-	-	-
राज्य उत्पाद शुल्क	372	298	249	210	207	183	150	156	142	131
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	39	27	23	13	13	15	14	13	9	7
मोटर वाहन कर	52	50	39	29	41	33	29	25	22	19
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	238	249	227	195	198	188	250	365	326	282

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
अन्य	82	70	60	56	56	68	74	94	68	88
तमिलनाडु (योग)	1,67,278	1,50,223	1,22,866	1,06,153	1,07,462	1,05,534	93,737	85,941	80,476	78,657
एसजीएसटी	61,960	53,823	45,276	37,942	38,376	38,533	24,589	-	-	-
राज्य उत्पाद शुल्क	10,774	10,423	8,237	7,822	7,206	6,863	5,815	6,248	5,836	5,731
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	19,013	17,560	14,331	11,675	10,856	11,066	9,195	7,237	8,721	8,362
मोटर वाहन कर	9,375	7,513	5,627	4,561	5,675	5,573	5,363	4,854	4,233	3,829
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	60,200	59,144	48,668	43,489	44,515	42,701	46,356	63,234	57,522	57,191
अन्य	5,956	1,760	727	664	834	798	2,419	4,369	4,163	3,543
तेलंगाना (योग)	1,11,798	1,06,949	91,271	66,650	67,597	64,674	56,520	48,408	39,975	29,288
एसजीएसटी	39,295	36,248	28,917	22,190	23,517	23,840	13,073	-	-	-
राज्य उत्पाद शुल्क	20,299	18,470	17,482	14,370	11,992	10,638	9,421	5,581	3,809	2,808
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	14,296	14,228	12,373	5,243	6,671	5,344	4,202	3,822	3,102	2,177
मोटर वाहन कर	7,095	6,737	4,381	3,338	3,935	3,762	3,589	3,394	2,309	1,618
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	29,990	29,604	26,974	20,904	20,674	20,291	25,106	34,235	29,847	22,121
अन्य	824	1,661	1,145	605	809	800	1,127	1,377	907	565
त्रिपुरा (योग)	3,287	3,000	2,616	2,332	2,102	1,766	1,422	1,422	1,332	1,174
एसजीएसटी	1,590	1,459	1,283	1,056	1,027	977	480	-	-	-
राज्य उत्पाद शुल्क	417	368	320	287	232	214	187	163	144	139
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	115	103	90	70	62	51	40	42	42	38
मोटर वाहन कर	143	118	103	97	97	84	54	44	38	36
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	541	464	463	403	436	362	612	1,113	1,058	910
अन्य	482	489	358	419	249	77	49	61	50	52
उत्तर प्रदेश (योग)	1,93,129	1,74,087	1,47,368	1,19,897	1,22,826	1,20,122	97,393	85,966	81,106	74,172
एसजीएसटी	75,147	64,141	54,594	42,860	47,232	46,108	25,374	-	-	-
राज्य उत्पाद शुल्क	45,571	41,253	36,320	30,061	27,325	23,927	17,320	14,273	14,084	13,483
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	26,961	24,844	20,048	16,475	16,070	15,733	13,398	11,564	12,404	11,803
मोटर वाहन कर	11,205	9,059	7,776	6,483	7,715	6,929	6,404	5,148	4,410	3,797
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	31,126	31,979	27,058	22,127	20,517	23,798	31,113	51,883	47,692	42,935
अन्य	3,120	2,811	1,572	1,891	3,967	3,627	3,785	3,098	2,517	2,155
उत्तराखंड (योग)	19,245	17,103	14,176	11,938	11,513	12,188	10,165	10,897	9,378	8,338
एसजीएसटी	8,297	7,341	5,973	5,054	4,931	4,802	1,972	-	-	-

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
राज्य उत्पाद शुल्क	4,041	3,526	3,258	2,966	2,727	2,871	2,262	1,906	1,735	1,487
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	2,432	1,987	1,488	1,107	1,072	1,015	882	778	871	714
मोटर वाहन कर	1,390	1,212	889	741	908	909	816	556	471	394
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2,519	2,555	2,302	1,858	1,811	1,883	3,703	7,154	6,105	5,465
अन्य	566	482	266	212	65	708	530	504	195	279
पश्चिम बंगाल (योग)	89,986	83,609	71,082	60,287	60,669	60,732	52,721	45,466	42,492	39,412
एसजीएसटी	40,900	37,967	31,271	26,013	27,308	27,067	14,964	-	-	-
राज्य उत्पाद शुल्क	17,908	16,266	13,542	10,666	11,232	10,622	9,340	5,226	4,015	3,587
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	6,497	6,876	7,366	5,528	6,026	5,620	5,261	4,383	4,175	4,196
मोटर वाहन कर	3,788	3,392	2,647	2,336	2,601	2,563	2,317	1,870	1,707	1,505
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	11,811	11,840	9,951	9,394	7,161	7,813	12,999	27,983	26,050	24,022
अन्य	9,082	7,267	6,305	6,350	6,342	7,047	7,839	6,005	6,545	6,102
सभी राज्यों का योग	18,79,708	16,98,675	14,17,820	11,31,781	11,75,497	11,51,127	10,14,736	9,05,117	8,39,817	7,72,894

घटक (सभी राज्य)	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
एसजीएसटी	8,00,112	6,90,231	5,72,018	4,42,283	4,80,171	4,76,815	2,69,015	-	-	-
राज्य उत्पाद शुल्क	2,49,134	2,25,859	1,93,582	1,66,541	1,54,543	1,42,094	1,20,633	1,02,924	1,00,373	89,923
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	2,20,193	2,01,009	1,65,791	1,22,723	1,24,783	1,20,133	1,05,703	88,228	92,274	84,478
मोटर वाहन कर	1,06,021	93,541	71,124	57,780	69,003	66,251	62,467	51,385	44,821	41,275
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	3,97,467	3,94,829	3,45,197	2,78,355	2,81,877	2,80,408	3,84,911	5,81,436	5,22,965	4,89,664
अन्य	1,06,782	93,205	70,107	64,100	65,120	65,425	72,007	81,144	79,384	67,554
योग	18,79,708	16,98,675	14,17,820	11,31,781	11,75,497	11,51,127	10,14,736	9,05,117	8,39,817	7,72,894

अनुलग्नक 3: घटक-वार पूंजीगत खाते की प्राप्ति (आंकड़े ₹ करोड़ में)

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
आंध्र प्रदेश (योग)	1,93,666	1,86,020	1,61,719	1,63,038	1,16,783	98,257	74,114	61,952	53,966	38,097
विविध पूंजीगत प्राप्ति	-	-	-1	-	-	-	-	-	-	-
ऋण एवं अग्रिम की वसूली	24	-4	2,110	1,063	4,355	277	51	2,029	285	5,092
लोक ऋण प्राप्ति	1,93,642	1,86,024	1,59,610	1,61,975	1,12,428	97,980	74,063	59,923	53,682	33,005
अरुणाचल प्रदेश (योग)	3,781	2,484	1,490	1,522	1,798	1,210	1,773	1,019	627	1,568
विविध पूंजीगत प्राप्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ऋण एवं अग्रिम की वसूली	6	5	7	6	7	5	6	4	5	27
लोक ऋण प्राप्ति	3,775	2,480	1,483	1,516	1,791	1,205	1,767	1,015	621	1,540
असम (योग)	47,296	28,275	19,770	17,943	14,258	11,758	8,452	3,920	6,008	6,156
विविध पूंजीगत प्राप्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ऋण एवं अग्रिम की वसूली	3,282	5	3,099	3	8	3	5	19	510	10
लोक ऋण प्राप्ति	44,014	28,270	16,670	17,940	14,250	11,755	8,447	3,902	5,498	6,145
बिहार (योग)	60,313	48,325	40,473	36,736	29,175	20,494	13,191	21,600	18,402	15,411
विविध पूंजीगत प्राप्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ऋण एवं अग्रिम की वसूली	96	41	28	820	30	1,825	22	23	19	1,493
लोक ऋण प्राप्ति	60,218	48,284	40,445	35,915	29,145	18,668	13,169	21,577	18,383	13,918
छत्तीसगढ़ (योग)	54,080	10,762	15,191	21,691	19,849	14,538	9,794	5,655	7,550	6,638
विविध पूंजीगत प्राप्ति	5	6	5	5	5	5	3	2	3	3
ऋण एवं अग्रिम की वसूली	25	118	88	105	257	162	139	173	296	195
लोक ऋण प्राप्ति	54,050	10,639	15,098	21,582	19,588	14,370	9,652	5,480	7,251	6,440
गोवा (योग)	4,290	2,630	5,162	7,658	3,815	4,994	3,168	3,313	4,182	2,344
विविध पूंजीगत प्राप्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ऋण एवं अग्रिम की वसूली	3	2	2	3	4	5	7	9	10	10
लोक ऋण प्राप्ति	4,287	2,628	5,160	7,655	3,812	4,989	3,161	3,304	4,172	2,334
गुजरात (योग)	41,767	52,587	47,124	68,980	43,927	43,362	27,299	28,074	23,612	20,316
विविध पूंजीगत प्राप्ति	-	-	-	9,968	106	65	-	240	-	241
ऋण एवं अग्रिम की वसूली	1,376	254	155	156	330	151	346	166	125	621
लोक ऋण प्राप्ति	40,392	52,333	46,968	58,857	43,491	43,146	26,953	27,668	23,486	19,454
हरियाणा (योग)	89,137	80,961	55,673	54,312	49,878	39,686	27,871	29,169	38,357	19,150
विविध पूंजीगत प्राप्ति	115	74	67	63	54	49	40	26	30	19

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
ऋण एवं अग्रिम की वसूली	301	238	500	432	5,393	5,372	6,341	973	328	273
लोक ऋण प्राप्ति	88,721	80,649	55,106	53,817	44,432	34,265	21,490	28,170	37,998	18,859
हिमाचल प्रदेश (योग)	14,931	22,467	9,383	16,775	10,870	6,458	5,675	8,633	6,155	11,567
विविध पूंजीगत प्राप्ति	2	13	7	3	2	9	35	-	-	650
ऋण एवं अग्रिम की वसूली	27	83	41	23	21	22	40	30	26	41
लोक ऋण प्राप्ति	14,902	22,372	9,335	16,749	10,847	6,427	5,600	8,603	6,129	10,877
झारखंड (योग)	15,524	9,189	11,132	13,595	9,642	7,851	8,204	7,120	13,276	6,723
विविध पूंजीगत प्राप्ति	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-
ऋण एवं अग्रिम की वसूली	7,277	46	1,292	49	49	48	42	38	31	33
लोक ऋण प्राप्ति	8,247	9,142	9,840	13,547	9,593	7,803	8,137	7,081	13,245	6,690
कर्नाटक (योग)	90,622	45,029	80,774	84,843	50,707	41,940	25,262	31,283	21,484	21,969
विविध पूंजीगत प्राप्ति	36	2	6	45	45	-6	4	27	352	10
ऋण एवं अग्रिम की वसूली	306	478	127	270	202	31	137	100	60	84
लोक ऋण प्राप्ति	90,280	44,549	80,641	84,528	50,459	41,914	25,122	31,156	21,072	21,875
केरल (योग)	1,05,117	54,466	65,472	70,033	60,730	33,703	30,614	24,180	19,839	18,661
विविध पूंजीगत प्राप्ति	48	50	60	34	27	47	29	30	28	28
ऋण एवं अग्रिम की वसूली	715	409	479	264	295	211	351	292	153	124
लोक ऋण प्राप्ति	1,04,355	54,007	64,932	69,735	60,407	33,446	30,234	23,858	19,659	18,509
मध्य प्रदेश (योग)	65,556	60,372	47,945	65,243	34,424	32,580	26,981	30,644	20,174	21,861
विविध पूंजीगत प्राप्ति	4	47	1,598	14	14	13	19	24	26	28
ऋण एवं अग्रिम की वसूली	372	1,458	62	58	46	70	5,070	772	162	6,765
लोक ऋण प्राप्ति	65,180	58,867	46,285	65,171	34,364	32,497	21,892	29,847	19,985	15,069
महाराष्ट्र (योग)	1,26,730	95,345	91,765	1,20,128	58,768	27,630	51,448	50,082	38,858	36,701
विविध पूंजीगत प्राप्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-
ऋण एवं अग्रिम की वसूली	742	643	1,179	1,612	1,615	1,604	1,778	1,746	865	975
लोक ऋण प्राप्ति	1,25,988	94,702	90,587	1,18,516	57,153	26,025	49,670	48,336	37,976	35,726
मणिपुर (योग)	9,757	11,117	12,655	9,337	6,314	3,927	1,304	1,552	927	490
विविध पूंजीगत प्राप्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ऋण एवं अग्रिम की वसूली	1	1	2	3	1	1	8	1	1	1
लोक ऋण प्राप्ति	9,756	11,116	12,652	9,334	6,314	3,927	1,296	1,551	926	489
मेघालय (योग)	7,538	6,245	4,044	2,470	1,527	1,343	1,243	1,229	856	747

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ऋण एवं अग्रिम की वसूली	24	25	24	28	31	18	17	19	19	20
लोक ऋण प्राप्तियाँ	7,514	6,221	4,020	2,442	1,496	1,325	1,225	1,210	837	727
मिज़ोरम (योग)	6,426	4,046	4,592	2,645	1,174	156	916	778	589	1,415
विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ऋण एवं अग्रिम की वसूली	24	26	32	34	27	22	22	22	26	32
लोक ऋण प्राप्तियाँ	6,402	4,019	4,560	2,611	1,148	134	894	756	563	1,383
नागालैंड (योग)	6,082	7,612	8,710	11,436	7,871	2,908	5,142	5,445	3,546	2,416
विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	-	450	-	-	-	-	-	-	-	-
ऋण एवं अग्रिम की वसूली	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1
लोक ऋण प्राप्तियाँ	6,079	7,159	8,709	11,435	7,870	2,907	5,141	5,444	3,546	2,415
ओडिशा (योग)	18,683	6,179	14,346	21,002	14,966	10,308	13,119	11,312	10,018	7,738
विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ऋण एवं अग्रिम की वसूली	559	832	1,566	684	287	305	257	89	228	92
लोक ऋण प्राप्तियाँ	18,123	5,347	12,780	20,318	14,679	10,003	12,862	11,223	9,790	7,646
पंजाब (योग)	1,03,073	89,708	41,382	63,745	70,847	52,947	46,073	83,808	38,647	31,361
विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	-	0	-	0	0	0	0	0	0	1
ऋण एवं अग्रिम की वसूली	39	164	207	50	16,070	849	73	181	218	137
लोक ऋण प्राप्तियाँ	1,03,034	89,544	41,175	63,695	54,776	52,098	45,999	83,627	38,428	31,224
राजस्थान (योग)	2,22,685	1,61,001	1,03,768	90,352	61,864	53,025	43,707	45,630	62,470	19,160
विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	14	16	31	14	20	20	17	28	24	15
ऋण एवं अग्रिम की वसूली	405	420	2,374	374	15,670	15,158	15,133	1,714	1,447	1,004
लोक ऋण प्राप्तियाँ	2,22,266	1,60,565	1,01,363	89,964	46,174	37,847	28,557	43,889	60,998	18,141
सिक्किम (योग)	2,786	2,037	1,883	1,566	834	1,147	1,054	785	656	413
विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ऋण एवं अग्रिम की वसूली	0	0	0	1	0	2	1	1	1	1
लोक ऋण प्राप्तियाँ	2,785	2,037	1,883	1,565	833	1,145	1,053	783	655	412
तमिलनाडु (योग)	1,35,633	1,02,182	1,09,840	1,08,112	72,158	54,850	54,196	69,691	36,750	32,447
विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	12	42	0	-	-	-	2	1	-	16
ऋण एवं अग्रिम की वसूली	4,024	1,078	5,355	5,245	5,384	6,913	8,472	3,548	684	1,351
लोक ऋण प्राप्तियाँ	1,31,597	1,01,062	1,04,485	1,02,867	66,774	47,936	45,722	66,143	36,067	31,080

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
तेलंगाना (योग)	1,50,610	1,27,512	1,19,100	1,16,645	75,595	51,028	49,291	44,975	17,585	9,657
विविध पूंजीगत प्राप्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ऋण एवं अग्रिम की वसूली	36	629	48	58	62	66	138	156	88	77
लोक ऋण प्राप्ति	1,50,574	1,26,884	1,19,053	1,16,586	75,533	50,962	49,153	44,819	17,498	9,580
त्रिपुरा (योग)	1,402	929	1,048	2,850	3,259	1,708	1,335	1,140	1,121	539
विविध पूंजीगत प्राप्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ऋण एवं अग्रिम की वसूली	1	52	1	1	1	1	2	1	1	2
लोक ऋण प्राप्ति	1,401	877	1,047	2,848	3,258	1,708	1,333	1,140	1,120	537
उत्तर प्रदेश (योग)	1,22,488	68,184	76,691	87,994	79,449	56,909	47,652	67,944	75,239	35,783
विविध पूंजीगत प्राप्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ऋण एवं अग्रिम की वसूली	1,834	1,337	939	1,135	5,641	5,313	236	259	726	262
लोक ऋण प्राप्ति	1,20,654	66,847	75,751	86,859	73,809	51,595	47,417	67,685	74,514	35,520
उत्तराखंड (योग)	28,848	9,460	7,935	15,158	13,132	15,475	13,490	10,627	7,026	4,934
विविध पूंजीगत प्राप्ति	-	12	-	0	-	0	-	-	-	135
ऋण एवं अग्रिम की वसूली	16	17	17	23	19	27	34	35	27	46
लोक ऋण प्राप्ति	28,832	9,431	7,918	15,135	13,113	15,448	13,457	10,592	6,998	4,754
पश्चिम बंगाल (योग)	81,627	70,325	77,639	75,579	75,765	71,693	45,957	40,757	47,233	55,368
विविध पूंजीगत प्राप्ति	-	-	-	-	-	692	-	-	653	-
ऋण एवं अग्रिम की वसूली	1,456	82	58	150	67	804	214	3,233	832	175
लोक ऋण प्राप्ति	80,171	70,243	77,581	75,429	75,699	70,197	45,744	37,524	45,747	55,193
सभी राज्यों का योग	18,10,447	13,65,450	12,36,705	13,51,387	9,89,382	7,61,884	6,38,326	6,92,320	5,75,154	4,29,630

घटक (सभी राज्य)	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
विविध पूंजीगत प्राप्ति	235	711	1,773	10,147	274	894	174	379	1,134	1,146
ऋण एवं अग्रिम की वसूली	22,975	8,442	19,796	12,652	55,872	39,267	38,941	15,634	7,176	18,943
आंतरिक ऋण (1)	16,44,751	12,46,875	10,28,966	11,89,187	9,08,557	6,97,934	5,81,711	6,58,575	5,54,347	3,97,673
केंद्र से ऋण और अग्रिम (2)	1,42,486	1,09,422	1,86,170	1,39,402	24,678	23,788	17,500	17,732	12,497	11,868
लोक ऋण प्राप्ति (1) + (2)	17,87,237	13,56,297	12,15,136	13,28,589	9,33,235	7,21,723	5,99,210	6,76,307	5,66,844	4,09,541
योग	18,10,447	13,65,450	12,36,705	13,51,387	9,89,382	7,61,884	6,38,326	6,92,320	5,75,154	4,29,630

अनुलग्नक 4: वित्त आयोग अनुदान (आंकड़े ₹ करोड़ में)

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18
आंध्र प्रदेश (योग)	9,641	13,174	20,991	11,576	5,881	5,548	6,975
राजस्व घाटा अनुदान	2,691	10,549	17,257	5,897	2,499	3,644	4,430
ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	3,974	948	970	3,793	2,039	859	2,181
शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	985	736	1,157	767	1,019	587	-
एसडीआरएफ के लिए जीआईए	987	940	895	1,119	324	458	364
एसडीएमएफ के लिए जीआईए	-	-	224	-	-	-	-
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान	1,004	1	488	-	-	-	-
अन्य	-	-	-	-	-	-	-
अरुणाचल प्रदेश (योग)	221	210	440	782	381	125	124
राजस्व घाटा अनुदान	-	-	-	-	-	-	-
ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	-	-	143	477	152	71	61
शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	-	-	-	56	172	-	12
एसडीआरएफ के लिए जीआईए	221	210	200	-	57	54	51
एसडीएमएफ के लिए जीआईए	-	-	50	250	-	-	-
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान	-	-	47	-	-	-	-
अन्य	-	-	-	-	-	-	-
असम (योग)	5,599	7,355	8,916	10,534	4,604	932	1,283
राजस्व घाटा अनुदान	2,918	4,890	6,376	7,579	-	-	-
ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	1,241	1,228	1,186	1,604	3,601	405	741
शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	597	588	310	579	500	49	86
एसडीआरएफ के लिए जीआईए	681	649	618	772	503	479	456
एसडीएमएफ के लिए जीआईए	162	-	154	-	-	-	-
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान	-	-	272	-	-	-	-
अन्य	-	-	-	-	-	-	-
बिहार (योग)	7,663	6,733	7,078	8,850	7,344	4,775	4,525
राजस्व घाटा अनुदान	-	-	-	-	-	-	-
ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	3,852	3,842	3,709	5,018	5,675	4,200	3,630
शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	2,257	1,552	836	2,416	638	474	405
एसडीआरएफ के लिए जीआईए	1,249	1,190	1,133	1,416	1,031	102	490
एसडीएमएफ के लिए जीआईए	305	149	283	-	-	-	-

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान	-	-	1,116	-	-	-	-
अन्य	-	-	-	-	-	-	-
छत्तीसगढ़ (योग)	1,771	1,773	2,380	2,290	2,045	1,679	1,460
राजस्व घाटा अनुदान	-	-	-	-	-	-	-
ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	1,125	1,114	1,270	1,454	1,416	1,048	1,022
शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	374	477	678	404	452	282	244
एसडीआरएफ के लिए जीआईए	182	182	346	346	177	350	194
एसडीएमएफ के लिए जीआईए	91	-	86	86	-	-	-
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान	-	-	-	-	-	-	-
अन्य	-	-	-	-	-	-	-
गोवा (योग)	11	41	120	74	164	67	63
राजस्व घाटा अनुदान	-	-	-	-	-	-	-
ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	-	28	73	38	77	12	20
शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	-	-	34	36	82	53	40
एसडीआरएफ के लिए जीआईए	10	10	10	-	4	2	3
एसडीएमएफ के लिए जीआईए	1	4	-	-	-	-	-
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान	-	-	-	-	-	-	-
अन्य	-	-	3	-	-	-	-
गुजरात (योग)	5,258	5,305	4,002	5,673	5,040	3,313	3,167
राजस्व घाटा अनुदान	-	-	-	-	-	-	-
ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	2,473	3,627	1,181	3,195	2,331	1,725	1,683
शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	1,244	351	1,133	1,154	1,822	1,138	984
एसडीआरएफ के लिए जीआईए	1,140	556	1,059	1,324	887	450	500
एसडीएमएफ के लिए जीआईए	139	404	-	-	-	-	-
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान	262	367	629	-	-	-	-
अन्य	-	-	-	-	-	-	-
हरियाणा (योग)	1,973	1,618	1,192	2,364	2,006	1,274	1,317
राजस्व घाटा अनुदान	-	-	132	-	-	-	-
ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	1,340	661	468	1,264	1,049	776	757
शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	199	394	200	609	730	178	305
एसडीआरएफ के लिए जीआईए	434	413	393	491	227	320	254

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18
एसडीएमएफ के लिए जीआईए	-	150	-	-	-	-	-
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान	-	-	-	-	-	-	-
अन्य	-	-	-	-	-	-	-
हिमाचल प्रदेश (योग)	8,738	10,490	11,044	12,424	8,618	8,831	8,889
राजस्व घाटा अनुदान	8,058	9,377	10,249	11,431	7,866	8,206	8,311
ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	119	488	251	429	489	362	313
शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	158	240	135	155	66	18	31
एसडीआरएफ के लिए जीआईए	361	342	327	409	197	246	234
एसडीएमएफ के लिए जीआईए	43	43	82	-	-	-	-
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान	-	-	-	-	-	-	-
अन्य	-	-	-	-	-	-	-
झारखंड (योग)	2,378	1,827	2,198	2,991	3,155	1,060	1,583
राजस्व घाटा अनुदान	-	-	-	-	-	-	-
ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	1,300	1,271	699	1,689	2,237	604	1,044
शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	166	442	600	734	586	140	238
एसडीआरएफ के लिए जीआईए	477	-	454	568	332	316	301
एसडीएमएफ के लिए जीआईए	-	114	-	-	-	-	-
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान	435	0	444	-	-	-	-
अन्य	-	-	-	-	-	-	-
कर्नाटक (योग)	3,769	3,495	6,239	5,557	4,673	3,374	2,708
राजस्व घाटा अनुदान	-	-	1,631	-	-	-	-
ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	2,087	2,094	2,376	3,217	2,504	2,046	1,580
शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	727	738	890	1,549	1,662	1,040	899
एसडीआरएफ के लिए जीआईए	698	664	633	791	507	288	229
एसडीएमएफ के लिए जीआईए	-	-	158	-	-	-	-
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान	-	-	-	-	-	-	-
अन्य	257	-	552	-	-	-	-
केरल (योग)	7,246	15,382	22,171	18,049	2,343	1,646	3,182
राजस्व घाटा अनुदान	4,749	13,174	19,891	15,323	-	-	1,529
ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	1,260	1,246	1,203	1,628	1,164	803	694
शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	400	604	336	784	1,042	651	806

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18
एसडीआरएफ के लिए जीआईए	278	264	251	314	137	193	153
एसडीएमएफ के लिए जीआईए	101	-	63	-	-	-	-
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान	458	94	427	-	-	-	-
अन्य	-	-	-	-	-	-	-
मध्य प्रदेश (योग)	5,306	5,495	5,609	6,577	6,078	4,543	3,862
राजस्व घाटा अनुदान	-	-	-	-	-	-	-
ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	2,005	888	1,975	2,988	5,430	3,628	3,136
शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	857	2,448	1,814	1,769	-	-	-
एसडीआरएफ के लिए जीआईए	1,606	1,529	1,456	1,820	647	914	725
एसडीएमएफ के लिए जीआईए	392	191	364	-	-	-	-
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान	447	439	-	-	-	-	-
अन्य	-	-	-	-	-	-	-
महाराष्ट्र (योग)	8,841	9,968	7,693	11,550	5,963	1,288	1,810
राजस्व घाटा अनुदान	-	-	-	-	-	-	-
ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	3,708	5,213	3,527	5,827	4,060	-	-
शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	1,858	1,161	1,588	2,501	551	-	-
एसडीआरएफ के लिए जीआईए	2,842	3,594	2,578	3,222	1,352	1,288	1,810
एसडीएमएफ के लिए जीआईए	434	-	-	-	-	-	-
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान	-	-	-	-	-	-	-
अन्य	-	-	-	-	-	-	-
मणिपुर (योग)	2,123	2,388	2,674	3,085	2,117	2,103	2,229
राजस्व घाटा अनुदान	2,104	2,310	2,524	2,824	1,932	2,042	2,091
ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	-	-	66	177	76	38	106
शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	-	43	-	43	78	13	13
एसडीआरएफ के लिए जीआईए	19	35	34	42	31	10	19
एसडीएमएफ के लिए जीआईए	-	-	8	-	-	-	-
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान	-	-	43	-	-	-	-
अन्य	-	-	-	-	-	-	-
मेघालय (योग)	775	1,145	1,495	692	64	226	500
राजस्व घाटा अनुदान	715	1,033	1,279	491	-	213	404
ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	-	41	91	91	-	-	-

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18
शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	33	44	-	44	25	-	72
एसडीआरएफ के लिए जीआईए	27	27	53	66	39	13	24
एसडीएमएफ के लिए जीआईए	-	-	13	-	-	-	-
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान	-	-	-	-	-	-	-
अन्य	-	-	59	-	-	-	-
मिज़ोरम (योग)	1,636	1,722	1,879	1,725	2,779	2,617	2,536
राजस्व घाटा अनुदान	1,474	1,615	1,790	1,633	2,716	2,588	2,446
ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	70	-	35	-	-	-	54
शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	35	54	17	45	45	11	18
एसडीआरएफ के लिए जीआईए	42	39	38	47	18	18	17
एसडीएमएफ के लिए जीआईए	15	14	-	-	-	-	-
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान	-	-	-	-	-	-	-
अन्य	-	-	-	-	-	-	-
नागालैंड (योग)	4,535	4,630	4,707	4,050	4,290	3,955	3,895
राजस्व घाटा अनुदान	4,447	4,530	4,557	3,917	4,177	3,945	3,700
ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	-	46	109	63	-	-	-
शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	38	15	-	30	102	-	185
एसडीआरएफ के लिए जीआईए	37	34	33	41	11	10	10
एसडीएमएफ के लिए जीआईए	14	4	8	-	-	-	-
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान	-	-	-	-	-	-	-
अन्य	-	-	-	-	-	-	-
ओडिशा (योग)	4,867	4,221	4,557	4,949	3,563	2,840	2,406
राजस्व घाटा अनुदान	-	-	-	-	-	-	-
ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	1,747	1,853	1,958	2,258	2,586	1,768	1,529
शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	847	851	995	1,087	425	293	259
एसडीआरएफ के लिए जीआईए	1,415	1,348	1,283	1,604	552	779	618
एसडीएमएफ के लिए जीआईए	522	169	321	-	-	-	-
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान	-	-	-	-	-	-	-
अन्य	336	-	-	-	-	-	-
पंजाब (योग)	7,389	10,258	12,436	11,481	2,710	720	356
राजस्व घाटा अनुदान	5,618	8,274	10,081	7,659	-	-	-

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18
ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	800	1,051	1,065	2,581	1,395	-	-
शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	376	418	494	668	903	398	152
एसडीआरएफ के लिए जीआईए	437	416	396	573	412	322	203
एसडीएमएफ के लिए जीआईए	159	99	-	-	-	-	-
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान	-	-	400	-	-	-	-
अन्य	-	-	-	-	-	-	-
राजस्थान (योग)	5,591	10,508	17,211	6,237	7,332	3,121	4,262
राजस्व घाटा अनुदान	-	4,862	9,878	-	-	-	-
ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	2,796	2,955	3,820	2,897	5,043	1,362	2,657
शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	1,005	1,113	1,376	1,859	1,283	802	693
एसडीआरएफ के लिए जीआईए	1,307	1,245	1,185	1,481	1,005	958	912
एसडीएमएफ के लिए जीआईए	482	156	296	-	-	-	-
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान	-	177	656	-	-	-	-
अन्य	-	-	-	-	-	-	-
सिक्किम (योग)	322	533	787	636	77	126	71
राजस्व घाटा अनुदान	149	440	678	448	-	-	-
ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	17	33	52	42	40	30	29
शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	8	8	18	22	2	9	11
एसडीआरएफ के लिए जीआईए	127	42	40	124	34	87	31
एसडीएमएफ के लिए जीआईए	22	10	-	-	-	-	-
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान	-	-	-	-	-	-	-
अन्य	-	-	-	-	-	-	-
तमिलनाडु (योग)	6,251	5,792	9,550	8,643	5,906	3,705	1,951
राजस्व घाटा अनुदान	-	-	3,010	4,025	-	-	-
ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	2,791	2,761	4,116	2,157	2,698	1,635	758
शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	1,614	1,062	1,608	1,442	2,707	1,363	632
एसडीआरएफ के लिए जीआईए	900	857	816	1,020	501	707	561
एसडीएमएफ के लिए जीआईए	107	311	-	-	-	-	-
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान	-	-	-	-	-	-	-
अन्य	839	801	-	-	-	-	-
तेलंगाना (योग)	2,924	3,423	1,787	3,135	3,219	1,806	1,168

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18
राजस्व घाटा अनुदान	-	-	-	-	-	-	-
ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	1,424	2,098	1,101	1,847	1,571	1,072	928
शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	915	718	327	839	1,161	508	239
एसडीआरएफ के लिए जीआईए	585	189	359	449	488	227	-
एसडीएमएफ के लिए जीआईए	-	-	-	-	-	-	-
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान	-	419	-	-	-	-	-
अन्य	-	-	-	-	-	-	-
त्रिपुरा (योग)	4,577	4,655	4,911	3,564	1,063	1,131	1,191
राजस्व घाटा अनुदान	4,174	4,423	4,546	3,236	875	992	1,059
ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	104	147	141	191	91	67	67
शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	148	21	72	69	63	40	34
एसडीआरएफ के लिए जीआईए	61	57	54	68	34	32	31
एसडीएमएफ के लिए जीआईए	7	7	14	-	-	-	-
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान	84	-	84	-	-	-	-
अन्य	-	-	-	-	-	-	-
उत्तर प्रदेश (योग)	12,891	12,384	12,306	16,023	12,965	9,318	8,849
राजस्व घाटा अनुदान	-	-	-	-	-	-	-
ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	5,601	7,466	7,208	9,752	9,659	7,149	6,180
शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	4,996	3,478	1,761	4,338	2,456	1,818	2,112
एसडीआरएफ के लिए जीआईए	2,294	1,402	1,546	1,933	849	351	558
एसडीएमएफ के लिए जीआईए	-	-	-	-	-	-	-
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान	-	38	1,791	-	-	-	-
अन्य	-	-	-	-	-	-	-
उत्तराखंड (योग)	8,050	8,501	9,424	6,865	975	704	693
राजस्व घाटा अनुदान	6,223	7,137	7,772	5,076	-	-	-
ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	472	307	484	574	530	376	485
शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	224	171	231	278	215	109	-
एसडीआरएफ के लिए जीआईए	826	787	750	937	230	219	208
एसडीएमएफ के लिए जीआईए	305	98	187	-	-	-	-
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान	-	-	-	-	-	-	-
अन्य	-	-	-	-	-	-	-
पश्चिम बंगाल (योग)	14,614	19,824	23,517	12,350	6,025	4,189	5,283

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18
राजस्व घाटा अनुदान	8,353	13,587	17,607	5,013	-	-	-
ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	3,518	3,805	3,732	4,412	3,703	2,741	3,837
शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	1,522	1,477	1,168	1,915	1,671	1,179	1,019
एसडीआरएफ के लिए जीआईए	892	850	809	-	650	269	427
एसडीएमएफ के लिए जीआईए	329	106	202	1,011	-	-	-
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान	-	-	-	-	-	-	-
अन्य	-	-	-	-	-	-	-
योग	1,44,959	1,72,848	2,07,315	1,82,725	1,11,376	75,015	76,336

घटक (सभी राज्य)	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18
राजस्व घाटा अनुदान	51,673	86,201	1,19,258	74,552	20,064	21,630	23,970
ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	43,822	45,211	43,005	59,661	59,615	32,775	33,494
शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	21,582	19,202	17,779	26,188	20,461	11,150	9,489
एसडीआरएफ के लिए जीआईए	20,131	17,870	17,747	20,977	11,236	9,460	9,383
एसडीएमएफ के लिए जीआईए	3,629	2,028	2,515	1,347	-	-	-
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान	2,690	1,536	6,398	-	-	-	-
अन्य	1,432	801	613	-	-	-	-
योग	1,44,959	1,72,848	2,07,315	1,82,725	1,11,376	75,015	76,336

अनुलग्नक 5: राज्यों का राजस्व और पूंजीगत व्यय (आंकड़े ₹ करोड़ में)

#	राज्य	2023-24		2022-23		2021-22		2020-21		2019-20	
		राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय
1	औंध्र प्रदेश	2,12,450	24,061	2,01,256	9,017	1,59,163	18,511	1,52,677	20,690	1,37,475	17,598
2	अरुणाचल प्रदेश	20,564	8,467	17,418	8,111	15,847	6,491	13,088	5,128	12,219	3,709
3	असम	94,163	21,509	1,01,815	16,338	82,548	20,230	64,520	12,487	65,817	13,502
4	बिहार	1,90,514	38,589	1,83,976	33,577	1,59,220	25,157	1,39,493	19,323	1,26,017	12,970
5	छत्तीसगढ़	1,14,741	15,730	85,285	13,406	75,010	10,828	70,033	9,075	73,477	8,623
6	गोवा	16,849	3,574	14,884	3,430	14,227	2,685	12,093	1,998	11,623	1,674
7	गुजरात	1,89,286	58,346	1,79,543	36,965	1,60,421	29,256	1,50,704	28,014	1,40,899	26,962
8	हरियाणा	1,13,196	19,976	1,06,406	14,127	98,425	12,012	89,947	6,795	84,848	18,975
9	हिमाचल प्रदेश	44,732	5,737	44,425	6,139	36,195	6,407	33,535	5,629	30,730	5,632
10	झारखंड	76,676	24,861	66,682	18,227	62,778	10,840	59,264	11,845	56,457	10,044
11	कर्नाटक	2,42,614	56,593	2,15,584	60,599	2,09,428	52,084	1,76,054	48,075	1,74,257	39,599
12	केरल	1,42,626	16,880	1,41,951	16,787	1,46,180	17,046	1,23,446	15,438	1,04,720	9,665
13	मध्य प्रदेश	2,21,538	57,348	1,99,895	46,799	1,81,061	43,962	1,64,733	31,586	1,50,444	30,229
14	महाराष्ट्र	4,44,350	77,548	4,07,614	66,308	3,49,686	49,106	3,10,610	32,029	3,00,305	38,385
15	मणिपुर	13,822	2,749	14,159	3,492	12,642	3,254	12,428	2,449	10,239	1,155
16	मेघालय	16,584	4,571	14,864	2,777	13,620	2,837	11,499	1,816	9,565	983
17	मिज़ोरम	10,837	1,279	10,092	1,324	8,557	1,007	8,515	1,129	9,454	1,455
18	नागालैंड	14,820	3,123	13,410	2,705	11,817	1,896	11,052	1,678	11,637	1,216
19	ओडिशा	1,48,832	46,064	1,31,006	35,507	1,09,588	24,411	95,311	19,546	99,137	21,537
20	पंजाब	1,17,407	4,939	1,13,661	8,049	96,637	9,586	86,345	5,338	75,860	18,612
21	राजस्थान	2,42,231	27,044	2,26,479	19,973	2,09,790	24,773	1,78,309	15,762	1,76,485	16,973
22	सिक्किम	8,221	2,661	7,631	2,377	6,669	1,317	6,369	1,514	6,185	738
23	तमिलनाडु	3,09,718	49,345	2,79,964	46,791	2,54,030	40,651	2,36,402	36,902	2,10,435	29,654
24	तेलंगाना	1,68,514	50,778	1,53,407	39,129	1,36,803	37,344	1,23,212	26,790	1,08,798	25,559
25	त्रिपुरा	18,342	2,834	17,739	2,135	16,125	1,423	14,368	835	13,377	887
26	उत्तर प्रदेश	4,29,788	1,18,570	3,79,978	1,03,237	3,37,581	73,056	2,98,543	53,390	2,98,833	62,118
27	उत्तराखंड	47,274	11,106	43,773	8,288	38,929	7,881	37,091	6,576	32,859	5,540
28	पश्चिम बंगाल	2,25,959	29,757	2,22,839	22,573	2,10,160	18,586	1,77,921	15,310	1,62,575	17,237
	योग	38,96,647	7,84,037	35,95,736	6,48,184	32,13,137	5,52,637	28,57,560	4,37,148	26,94,727	4,41,230

#	राज्य	2018-19		2017-18		2016-17		2015-16		2014-15	
		राजस्व व्यय	पूँजीगत व्यय	राजस्व व्यय	पूँजीगत व्यय	राजस्व व्यय	पूँजीगत व्यय	राजस्व व्यय	पूँजीगत व्यय	राजस्व व्यय	पूँजीगत व्यय
1	आंध्र प्रदेश	1,28,570	21,820	1,21,214	16,271	1,16,215	15,708	95,950	14,845	1,14,866	12,616
2	अरुणाचल प्रदेश	12,429	5,748	10,900	3,193	9,395	1,554	8,363	2,006	7,157	1,488
3	असम	56,899	11,362	55,481	7,947	49,363	6,001	37,011	2,951	39,078	4,543
4	बिहार	1,24,897	22,529	1,02,624	29,150	94,765	27,322	83,616	24,587	72,570	18,519
5	छत्तीसगढ़	64,411	9,144	56,230	10,370	48,165	9,743	43,701	8,110	39,561	6,633
6	गोवा	11,083	2,152	10,543	2,128	8,866	1,642	8,420	1,625	7,410	1,237
7	गुजरात	1,32,790	29,793	1,18,060	26,944	1,03,895	22,833	95,779	24,845	86,652	24,508
8	हरियाणा	77,156	16,062	73,257	14,933	68,403	11,378	59,236	20,159	49,118	4,558
9	हिमाचल प्रदेश	29,442	5,051	27,053	4,258	25,344	6,789	22,303	3,328	19,787	2,947
10	झारखंड	50,631	12,197	50,952	13,804	45,089	12,196	36,553	15,639	31,795	6,367
11	कर्नाटक	1,64,300	39,147	1,42,482	35,759	1,31,921	30,085	1,17,029	21,369	1,03,614	20,198
12	केरल	1,10,316	9,753	99,948	10,289	91,096	11,286	78,689	8,342	71,746	4,998
13	मध्य प्रदेश	1,42,149	30,514	1,30,246	32,463	1,19,537	32,229	99,771	19,993	82,373	24,412
14	महाराष्ट्र	2,67,022	36,594	2,41,571	27,821	2,13,229	31,826	1,90,374	23,908	1,77,553	20,664
15	मणिपुर	9,749	1,731	9,274	1,432	8,185	1,494	7,383	1,239	7,267	1,333
16	मेघालय	10,256	1,507	8,423	1,005	8,337	1,321	6,348	1,269	6,252	1,175
17	मिज़ोरम	7,506	1,909	6,881	2,041	6,230	938	5,571	718	5,652	930
18	नागालैंड	10,920	1,601	10,191	1,275	8,652	1,076	7,582	1,059	6,762	1,023
19	ओडिशा	85,356	24,652	71,837	22,984	65,041	18,725	58,806	17,427	51,136	11,433
20	पंजाब	75,404	3,773	62,465	3,112	55,296	45,710	50,073	9,028	46,613	3,389
21	राजस्थान	1,66,773	20,751	1,45,842	21,957	1,27,140	29,945	1,06,239	58,588	94,542	16,803
22	सिक्किम	5,227	1,338	4,152	1,524	3,788	737	3,645	661	3,731	1,007
23	तमिलनाडु	1,97,201	30,789	1,67,874	26,720	1,53,195	46,756	1,40,993	21,326	1,28,828	22,122
24	तेलंगाना	97,083	31,347	85,365	30,111	81,432	36,773	75,896	18,823	50,673	9,856
25	त्रिपुरा	11,889	1,482	10,357	1,784	8,855	3,321	7,868	3,210	7,443	2,848
26	उत्तर प्रदेश	3,01,728	68,766	2,66,224	40,597	2,36,592	76,530	2,12,736	73,541	1,71,027	55,170
27	उत्तराखंड	32,196	6,368	29,083	5,991	25,272	5,119	23,086	4,301	21,164	5,090
28	पश्चिम बंगाल	1,56,374	24,583	1,41,077	19,338	1,33,918	12,534	1,18,827	13,281	1,03,652	10,383
	योग	25,39,755	4,72,463	22,59,605	4,15,204	20,47,215	5,01,572	18,01,846	4,16,178	16,08,023	2,96,249

अनुलग्नक 6: राज्यों का क्षेत्रीय राजस्व व्यय (आंकड़े ₹ करोड़ में)

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
आंध्र प्रदेश (योग)	2,12,450	2,01,256	1,59,163	1,52,677	1,37,475	1,28,570	1,21,214	1,16,215	95,950	1,14,866
सामान्य सेवाएँ	68,019	63,800	56,124	48,990	45,222	40,790	39,075	32,786	28,573	28,590
सामाजिक सेवाएँ	97,396	88,648	69,244	65,988	68,101	64,280	59,159	50,228	46,449	42,259
आर्थिक सेवाएँ	47,014	48,788	33,775	37,679	24,136	23,459	22,894	33,108	20,813	43,890
सहायता अनुदान	21	20	20	20	16	41	86	93	116	126
अरुणाचल प्रदेश (योग)	20,564	17,418	15,847	13,088	12,219	12,429	10,900	9,395	8,363	7,157
सामान्य सेवाएँ	5,788	5,205	4,834	4,217	3,831	3,823	3,485	2,768	2,518	2,063
सामाजिक सेवाएँ	6,603	5,844	5,760	4,359	4,256	4,472	3,951	3,046	2,557	2,358
आर्थिक सेवाएँ	8,173	6,369	5,253	4,511	4,131	4,134	3,465	3,580	3,288	2,736
सहायता अनुदान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
असम (योग)	94,163	1,01,815	82,548	64,520	65,817	56,899	55,481	49,363	37,011	39,078
सामान्य सेवाएँ	38,121	34,483	36,369	22,892	22,350	21,059	22,058	17,123	12,656	12,922
सामाजिक सेवाएँ	43,509	51,904	33,182	29,014	29,061	25,334	21,373	22,673	17,740	18,088
आर्थिक सेवाएँ	12,200	14,911	12,691	12,236	14,040	10,232	11,925	8,914	6,240	7,075
सहायता अनुदान	333	516	306	377	366	274	125	652	375	994
बिहार (योग)	1,90,514	1,83,976	1,59,220	1,39,493	1,26,017	1,24,897	1,02,624	94,765	83,616	72,570
सामान्य सेवाएँ	59,218	56,029	48,939	46,239	41,628	38,691	33,374	30,607	27,972	26,408
सामाजिक सेवाएँ	83,225	88,348	76,115	63,808	57,816	58,284	45,769	40,737	35,943	31,713
आर्थिक सेवाएँ	48,071	39,598	34,166	29,445	26,571	27,918	23,476	23,417	19,696	14,445
सहायता अनुदान	-	0	0	2	2	4	4	4	4	4
छत्तीसगढ़ (योग)	1,14,741	85,285	75,010	70,033	73,477	64,411	56,230	48,165	43,701	39,561
सामान्य सेवाएँ	26,240	22,825	21,375	19,586	19,095	15,280	12,870	11,496	10,409	9,042
सामाजिक सेवाएँ	39,412	31,818	27,964	25,066	26,653	23,455	24,372	21,342	16,339	15,389
आर्थिक सेवाएँ	47,791	29,499	24,558	24,255	26,609	24,781	17,623	14,176	16,053	14,152
सहायता अनुदान	1298	1143	1113	1125	1120	895	1365	1151	900	979
गोवा (योग)	16,849	14,884	14,227	12,093	11,623	11,083	10,543	8,866	8,420	7,410
सामान्य सेवाएँ	5,830	5,432	4,964	4,144	3,943	3,793	3,517	2,873	2,564	2,370
सामाजिक सेवाएँ	6,124	5,333	5,559	4,529	4,339	4,223	4,155	3,345	3,183	2,804
आर्थिक सेवाएँ	4,895	4,119	3,704	3,420	3,341	3,066	2,871	2,648	2,673	2,222
सहायता अनुदान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
गुजरात (योग)	1,89,286	1,79,543	1,60,421	1,50,704	1,40,899	1,32,790	1,18,060	1,03,895	95,779	86,652

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
सामान्य सेवाएँ	66,705	61,269	56,423	52,074	49,172	47,564	41,402	35,804	32,876	30,003
सामाजिक सेवाएँ	78,686	75,125	68,254	60,816	59,197	53,285	49,039	44,926	42,120	36,714
आर्थिक सेवाएँ	43,340	42,673	35,332	37,424	32,115	31,576	27,145	22,749	20,224	19,399
सहायता अनुदान	555	477	412	390	415	365	474	416	559	536
हरियाणा (योग)	1,13,196	1,06,406	98,425	89,947	84,848	77,156	73,257	68,403	59,236	49,118
सामान्य सेवाएँ	45,398	42,069	37,948	34,734	31,884	28,169	26,699	21,631	18,713	16,765
सामाजिक सेवाएँ	43,778	43,680	40,928	36,164	33,726	29,743	28,061	25,473	21,539	19,121
आर्थिक सेवाएँ	24,020	20,657	19,549	19,048	19,238	19,022	18,107	20,875	18,690	13,088
सहायता अनुदान	-	-	-	-	-	222	391	424	293	145
हिमाचल प्रदेश (योग)	44,732	44,425	36,195	33,535	30,730	29,442	27,053	25,344	22,303	19,787
सामान्य सेवाएँ	19,146	17,763	13,900	13,454	12,335	11,438	11,010	9,728	8,788	7,604
सामाजिक सेवाएँ	17,323	17,408	13,882	12,844	12,047	11,482	10,337	9,610	7,980	7,452
आर्थिक सेवाएँ	8,262	9,247	8,405	7,227	6,338	6,512	5,697	5,996	5,524	4,723
सहायता अनुदान	-	6	8	9	10	9	10	10	10	9
झारखंड (योग)	76,676	66,682	62,778	59,264	56,457	50,631	50,952	45,089	36,553	31,795
सामान्य सेवाएँ	25,590	23,261	21,555	19,903	18,714	17,656	16,558	13,024	12,002	10,623
सामाजिक सेवाएँ	28,709	27,640	24,639	23,347	21,448	18,786	19,575	18,557	14,844	11,915
आर्थिक सेवाएँ	22,377	15,781	16,583	16,014	16,294	14,189	14,819	13,508	9,707	9,256
सहायता अनुदान	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
कर्नाटक (योग)	2,42,614	2,15,584	2,09,428	1,76,054	1,74,257	1,64,300	1,42,482	1,31,921	1,17,029	1,03,614
सामान्य सेवाएँ	75,700	71,816	62,669	55,018	48,824	42,655	34,484	31,265	30,799	28,265
सामाजिक सेवाएँ	93,723	81,011	79,804	61,726	66,373	67,934	58,652	54,549	46,307	39,366
आर्थिक सेवाएँ	66,962	57,095	60,339	53,629	52,636	48,285	42,856	40,421	33,846	29,971
सहायता अनुदान	6229	5662	6616	5681	6425	5425	6490	5686	6076	6011
केरल (योग)	1,42,626	1,41,951	1,46,180	1,23,446	1,04,720	1,10,316	99,948	91,096	78,689	71,746
सामान्य सेवाएँ	78,185	69,832	70,110	50,361	55,504	50,827	45,524	41,195	36,085	31,433
सामाजिक सेवाएँ	44,005	50,276	50,696	44,832	34,045	38,211	35,876	33,765	27,603	23,718
आर्थिक सेवाएँ	11,415	12,281	15,714	18,761	9,107	12,380	11,351	10,655	11,098	10,198
सहायता अनुदान	9021	9563	9660	9492	6064	8899	7197	5481	3903	6398
मध्य प्रदेश (योग)	2,21,538	1,99,895	1,81,061	1,64,733	1,50,444	1,42,149	1,30,246	1,19,537	99,771	82,373

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
सामान्य सेवाएँ	62,830	54,807	49,461	47,885	39,827	38,113	32,100	27,903	25,700	22,365
सामाजिक सेवाएँ	93,007	82,085	71,643	68,757	64,225	58,707	58,346	47,942	42,651	32,067
आर्थिक सेवाएँ	57,185	55,127	52,831	42,191	40,493	37,658	32,735	36,885	25,529	23,715
सहायता अनुदान	8517	7878	7125	5900	5900	7672	7065	6807	5891	4225
महाराष्ट्र (योग)	4,44,350	4,07,614	3,49,686	3,10,610	3,00,305	2,67,022	2,41,571	2,13,229	1,90,374	1,77,553
सामान्य सेवाएँ	1,39,875	1,30,591	1,21,745	1,03,854	1,00,050	84,765	78,535	71,609	64,370	60,486
सामाजिक सेवाएँ	1,89,224	1,63,329	1,42,523	1,22,023	1,22,947	1,09,391	93,054	90,282	82,317	76,952
आर्थिक सेवाएँ	83,363	80,820	59,455	64,336	56,043	52,759	54,189	43,843	38,052	37,687
सहायता अनुदान	31889	32874	25963	20396	21264	20107	15793	7495	5635	2428
मणिपुर (योग)	13,822	14,159	12,642	12,428	10,239	9,749	9,274	8,185	7,383	7,267
सामान्य सेवाएँ	7,222	6,648	5,899	5,055	4,445	3,981	3,667	3,421	2,951	2,751
सामाजिक सेवाएँ	4,103	4,408	3,557	3,328	2,917	2,661	2,569	2,057	1,974	2,028
आर्थिक सेवाएँ	2,006	2,744	2,635	3,421	2,322	2,533	2,504	2,343	2,110	2,012
सहायता अनुदान	491	359	552	623	555	573	534	364	348	476
मेघालय (योग)	16,584	14,864	13,620	11,499	9,565	10,256	8,423	8,337	6,348	6,252
सामान्य सेवाएँ	5,496	5,091	4,454	4,001	3,668	3,536	2,827	2,480	2,256	2,022
सामाजिक सेवाएँ	6,030	5,612	5,255	4,347	3,724	4,100	3,148	3,099	2,395	2,370
आर्थिक सेवाएँ	5,058	4,161	3,911	3,151	2,173	2,620	2,448	2,757	1,697	1,860
सहायता अनुदान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मिज़ोरम (योग)	10,837	10,092	8,557	8,515	9,454	7,506	6,881	6,230	5,571	5,652
सामान्य सेवाएँ	4,268	3,831	3,142	3,231	3,161	2,695	2,239	2,097	1,917	1,750
सामाजिक सेवाएँ	4,209	3,674	3,338	3,178	3,393	2,934	2,607	2,301	2,220	2,161
आर्थिक सेवाएँ	2,360	2,587	2,078	2,106	2,900	1,876	2,035	1,832	1,434	1,742
सहायता अनुदान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
नागालैंड (योग)	14,820	13,410	11,817	11,052	11,637	10,920	10,191	8,652	7,582	6,762
सामान्य सेवाएँ	7,218	6,821	5,744	5,100	5,429	5,018	4,319	3,896	3,623	3,133
सामाजिक सेवाएँ	4,318	3,746	3,378	3,139	3,030	3,159	2,559	2,295	2,094	1,855
आर्थिक सेवाएँ	3,284	2,844	2,695	2,814	3,178	2,743	3,313	2,460	1,865	1,774
सहायता अनुदान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ओडिशा (योग)	1,48,832	1,31,006	1,09,588	95,311	99,137	85,356	71,837	65,041	58,806	51,136
सामान्य सेवाएँ	41,479	47,321	32,970	28,271	28,601	24,053	20,261	16,714	15,059	14,529
सामाजिक सेवाएँ	63,348	52,498	47,312	39,901	43,517	36,427	29,557	27,600	24,643	20,964

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
आर्थिक सेवाएँ	42,455	29,603	27,792	25,809	25,586	23,514	20,757	19,714	18,188	14,825
सहायता अनुदान	1550	1584	1513	1330	1434	1363	1263	1012	916	817
पंजाब (योग)	1,17,407	1,13,661	96,637	86,345	75,860	75,404	62,465	55,296	50,073	46,613
सामान्य सेवाएँ	57,118	54,003	47,240	43,253	38,614	36,931	34,500	28,488	24,713	23,043
सामाजिक सेवाएँ	31,961	28,849	25,334	21,675	19,484	18,320	15,470	15,672	14,898	13,729
आर्थिक सेवाएँ	25,032	26,996	20,204	15,445	14,551	17,888	11,194	10,218	9,756	9,237
सहायता अनुदान	3296	3812	3859	5971	3210	2265	1301	918	706	604
राजस्थान (योग)	2,42,231	2,26,479	2,09,790	1,78,309	1,76,485	1,66,773	1,45,842	1,27,140	1,06,239	94,542
सामान्य सेवाएँ	77,678	71,875	65,406	60,144	56,186	54,364	43,450	39,203	31,016	27,868
सामाजिक सेवाएँ	1,01,884	90,168	85,054	74,010	68,313	65,687	53,064	49,372	43,348	37,753
आर्थिक सेवाएँ	62,669	64,436	59,330	44,156	51,986	46,722	49,327	38,565	31,874	28,920
सहायता अनुदान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
सिक्किम (योग)	8,221	7,631	6,669	6,369	6,185	5,227	4,152	3,788	3,645	3,731
सामान्य सेवाएँ	3,282	2,983	2,558	2,416	2,420	1,960	1,528	1,421	1,244	1,588
सामाजिक सेवाएँ	2,889	2,814	2,471	2,431	2,254	2,072	1,532	1,335	1,236	1,280
आर्थिक सेवाएँ	1,953	1,735	1,530	1,428	1,428	1,128	1,028	977	1,126	821
सहायता अनुदान	96	99	110	93	84	66	63	56	39	42
तमिलनाडु (योग)	3,09,718	2,79,964	2,54,030	2,36,402	2,10,435	1,97,201	1,67,874	1,53,195	1,40,993	1,28,828
सामान्य सेवाएँ	1,13,336	99,097	84,894	78,993	78,137	72,450	60,451	51,453	45,512	41,655
सामाजिक सेवाएँ	1,01,246	88,968	88,749	89,805	73,999	70,202	59,790	55,297	54,807	50,349
आर्थिक सेवाएँ	71,573	71,975	60,898	51,809	42,610	39,669	36,162	33,980	29,943	26,843
सहायता अनुदान	23564	19926	19489	15796	15688	14880	11470	12466	10732	9980
तेलंगाना (योग)	1,68,514	1,53,407	1,36,803	1,23,212	1,08,798	97,083	85,365	81,432	75,896	50,673
सामान्य सेवाएँ	55,646	50,025	44,433	39,477	36,441	34,199	30,872	25,125	23,247	14,164
सामाजिक सेवाएँ	58,610	57,564	53,181	48,400	45,833	39,721	37,259	35,286	30,466	18,753
आर्थिक सेवाएँ	54,258	45,818	39,190	35,335	26,524	23,157	17,200	20,950	22,043	17,644
सहायता अनुदान	-	-	-	-	-	5	33	72	140	112
त्रिपुरा (योग)	18,342	17,739	16,125	14,368	13,377	11,889	10,357	8,855	7,868	7,443
सामान्य सेवाएँ	7,519	6,961	6,576	5,859	5,680	5,114	4,399	3,503	3,045	2,676
सामाजिक सेवाएँ	7,606	7,718	6,679	5,905	5,478	4,992	4,250	3,683	3,311	3,184
आर्थिक सेवाएँ	2,778	2,734	2,562	2,317	1,951	1,549	1,480	1,471	1,314	1,403

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
सहायता अनुदान	439	326	308	287	268	234	228	198	198	180
उत्तर प्रदेश (योग)	4,29,788	3,79,978	3,37,581	2,98,543	2,98,833	3,01,728	2,66,224	2,36,592	2,12,736	1,71,027
सामान्य सेवाएँ	1,54,819	1,44,688	1,33,521	1,19,058	1,17,675	1,31,057	1,05,782	88,255	72,228	64,306
सामाजिक सेवाएँ	1,50,986	1,38,928	1,20,987	1,09,727	1,03,849	91,312	84,252	91,861	82,486	60,906
आर्थिक सेवाएँ	1,00,269	78,363	66,573	55,551	62,809	67,259	64,635	45,834	47,881	34,885
सहायता अनुदान	23713	18000	16500	14208	14500	12100	11555	10642	10140	10931
उत्तराखण्ड (योग)	47,274	43,773	38,929	37,091	32,859	32,196	29,083	25,272	23,086	21,164
सामान्य सेवाएँ	17,579	16,889	15,668	14,826	13,844	13,525	12,409	9,934	8,410	7,402
सामाजिक सेवाएँ	19,653	18,156	15,573	14,762	12,593	12,209	10,929	10,529	9,927	9,224
आर्थिक सेवाएँ	7,485	6,687	6,148	5,571	4,704	5,002	4,276	3,903	3,983	3,856
सहायता अनुदान	2557	2041	1540	1932	1717	1459	1469	906	767	681
पश्चिम बंगाल (योग)	2,25,959	2,22,839	2,10,160	1,77,921	1,62,575	1,56,374	1,41,077	1,33,918	1,18,827	1,03,652
सामान्य सेवाएँ	84,276	79,254	78,495	70,684	61,931	56,865	52,416	50,131	45,689	42,712
सामाजिक सेवाएँ	1,03,031	1,15,569	1,02,475	78,847	73,089	68,764	59,591	57,067	47,389	40,156
आर्थिक सेवाएँ	37,930	27,608	28,835	27,941	27,105	30,256	28,582	26,156	24,973	20,157
सहायता अनुदान	721	408	354	450	450	489	488	564	776	627
सभी राज्यों का योग	38,96,647	35,95,736	32,13,137	28,57,560	26,94,727	25,39,755	22,59,605	20,47,215	18,01,846	16,08,023

घटक (सभी राज्य)	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
सामान्य सेवाएँ	13,53,580	12,54,668	11,37,417	10,03,720	9,48,613	8,90,371	7,79,809	6,75,934	5,94,937	5,38,538
सामाजिक सेवाएँ	15,24,598	14,31,121	12,73,536	11,22,726	10,65,706	9,90,149	8,78,297	8,23,929	7,28,765	6,24,628
आर्थिक सेवाएँ	9,04,179	8,05,256	7,06,736	6,47,030	6,00,918	5,81,887	5,34,094	4,91,935	4,29,621	3,98,538
सहायता अनुदान	1,14,291	1,04,691	95,448	84,083	79,490	77,348	67,405	55,417	48,523	46,319
योग	38,96,647	35,95,736	32,13,137	28,57,560	26,94,727	25,39,755	22,59,605	20,47,215	18,01,846	16,08,023

अनुलग्नक 7: राज्यों का क्षेत्रीय पूंजीगत व्यय (आंकड़े ₹ करोड़ में)

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
ऑंध्र प्रदेश (योग)	24,061	9,017	18,511	20,690	17,598	21,820	16,271	15,708	14,845	12,616
सामान्य सेवाएँ	692	1,502	2,988	7,498	3,752	275	309	305	180	483
सामाजिक सेवाएँ	12,472	448	6,517	5,358	2,201	4,103	4,799	2,643	2,732	3,062
आर्थिक सेवाएँ	10,888	7,052	8,989	7,803	11,616	17,186	11,102	12,695	11,912	8,975
अन्य (ऋण एवं अग्रिम)	9	16	16	31	29	256	62	64	21	94
अरुणाचल प्रदेश (योग)	8,467	8,111	6,491	5,128	3,709	5,748	3,193	1,554	2,006	1,488
सामान्य सेवाएँ	1,785	1,645	1,618	744	658	1,062	545	113	346	121
सामाजिक सेवाएँ	1,973	1,419	1,350	647	725	1,227	855	580	422	433
आर्थिक सेवाएँ	4,706	5,045	3,520	3,733	2,323	3,453	1,790	859	1,236	930
अन्य (ऋण एवं अग्रिम)	2	2	3	4	3	5	3	2	3	4
असम (योग)	21,509	16,338	20,230	12,487	13,502	11,362	7,947	6,001	2,951	4,543
सामान्य सेवाएँ	3,051	1,922	863	518	507	464	351	200	76	135
सामाजिक सेवाएँ	4,612	2,638	3,001	2,354	1,686	2,167	2,848	1,578	599	573
आर्थिक सेवाएँ	13,845	11,773	16,360	9,614	11,308	8,660	4,737	4,217	2,277	3,835
अन्य (ऋण एवं अग्रिम)	1	5	7	0	1	71	11	7	0	1
बिहार (योग)	38,589	33,577	25,157	19,323	12,970	22,529	29,150	27,322	24,587	18,519
सामान्य सेवाएँ	5,664	3,255	3,507	1,387	2,388	3,311	2,765	2,090	3,617	1,749
सामाजिक सेवाएँ	8,604	7,364	5,836	6,928	3,401	4,553	4,258	3,592	2,741	1,674
आर्थिक सेवाएँ	24,308	22,931	15,785	10,976	7,165	14,642	22,109	21,618	18,206	15,083
अन्य (ऋण एवं अग्रिम)	13	27	29	32	16	22	18	21	23	13
छत्तीसगढ़ (योग)	15,730	13,406	10,828	9,075	8,623	9,144	10,370	9,743	8,110	6,633
सामान्य सेवाएँ	884	755	352	509	194	256	503	188	363	268
सामाजिक सेवाएँ	7,290	5,025	3,419	2,935	1,958	1,864	2,745	2,631	1,851	1,583
आर्थिक सेवाएँ	7,556	7,627	7,058	5,631	6,470	7,024	7,121	6,924	5,895	4,782
अन्य (ऋण एवं अग्रिम)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
गोवा (योग)	3,574	3,430	2,685	1,998	1,674	2,152	2,128	1,642	1,625	1,237
सामान्य सेवाएँ	433	480	394	437	300	515	409	204	270	306
सामाजिक सेवाएँ	1,091	902	928	603	597	763	686	432	343	278
आर्थिक सेवाएँ	2,047	2,045	1,362	958	776	873	1,031	1,003	1,009	650
अन्य (ऋण एवं अग्रिम)	2	2	1	1	1	1	2	3	2	3
गुजरात (योग)	58,346	36,965	29,256	28,014	26,962	29,793	26,944	22,833	24,845	24,508

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
सामान्य सेवाएँ	1,153	820	550	484	691	875	871	623	808	888
सामाजिक सेवाएँ	24,630	13,943	9,298	7,748	7,059	8,620	7,078	6,432	6,563	7,227
आर्थिक सेवाएँ	32,496	22,147	19,376	19,733	19,163	20,247	18,941	15,716	17,417	16,343
अन्य (ऋण एवं अग्रिम)	67	55	33	49	49	51	56	62	56	50
हरियाणा (योग)	19,976	14,127	12,012	6,795	18,975	16,062	14,933	11,378	20,159	4,558
सामान्य सेवाएँ	641	553	562	388	586	715	481	399	461	291
सामाजिक सेवाएँ	6,406	4,610	5,471	2,986	3,234	3,805	3,173	1,586	1,540	1,898
आर्थिक सेवाएँ	12,832	8,880	5,880	3,220	15,087	11,488	11,158	9,323	17,883	2,074
अन्य (ऋण एवं अग्रिम)	97	84	98	202	69	55	121	69	275	296
हिमाचल प्रदेश (योग)	5,737	6,139	6,407	5,629	5,632	5,051	4,258	6,789	3,328	2,947
सामान्य सेवाएँ	357	297	390	170	204	227	192	208	89	83
सामाजिक सेवाएँ	1,744	1,962	1,926	1,738	1,259	1,189	1,143	1,042	792	524
आर्थिक सेवाएँ	3,628	3,873	4,089	3,719	4,163	3,627	2,920	5,531	2,433	2,333
अन्य (ऋण एवं अग्रिम)	9	7	3	3	6	8	3	7	13	7
झारखंड (योग)	24,861	18,227	10,840	11,845	10,044	12,197	13,804	12,196	15,639	6,367
सामान्य सेवाएँ	969	873	734	771	1,239	791	807	590	571	326
सामाजिक सेवाएँ	6,641	5,223	1,612	1,514	1,454	1,639	1,560	1,579	1,066	930
आर्थिक सेवाएँ	17,218	12,090	8,462	9,556	7,299	9,721	11,382	9,975	13,951	5,094
अन्य (ऋण एवं अग्रिम)	33	41	32	4	53	47	56	52	50	17
कर्नाटक (योग)	56,593	60,599	52,084	48,075	39,599	39,147	35,759	30,085	21,369	20,198
सामान्य सेवाएँ	2,972	1,651	940	1,206	779	827	977	1,060	991	618
सामाजिक सेवाएँ	15,104	14,323	15,998	12,940	10,253	12,235	9,855	8,571	5,641	4,551
आर्थिक सेवाएँ	38,503	44,620	35,141	33,924	28,561	26,073	24,922	20,448	14,646	15,017
अन्य (ऋण एवं अग्रिम)	15	4	5	5	6	11	5	6	91	13
केरल (योग)	16,880	16,787	17,046	15,438	9,665	9,753	10,289	11,286	8,342	4,998
सामान्य सेवाएँ	247	307	270	260	157	198	268	211	257	135
सामाजिक सेवाएँ	2,959	3,069	3,418	2,411	1,098	1,960	1,582	1,348	1,122	963
आर्थिक सेवाएँ	13,017	12,758	13,338	12,757	8,396	7,236	8,374	9,286	6,758	3,691
अन्य (ऋण एवं अग्रिम)	657	653	20	10	14	360	65	442	206	209
मध्य प्रदेश (योग)	57,348	46,799	43,962	31,586	30,229	30,514	32,463	32,229	19,993	24,412

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
सामान्य सेवाएँ	1,214	1,214	1,148	1,003	982	788	895	698	563	257
सामाजिक सेवाएँ	21,913	15,883	16,024	8,863	7,280	5,974	5,572	3,362	3,058	2,081
आर्थिक सेवाएँ	34,221	29,701	26,791	21,720	21,967	23,752	25,997	28,168	16,373	22,075
अन्य (ऋण एवं अग्रिम)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
महाराष्ट्र (योग)	77,548	66,308	49,106	32,029	38,385	36,594	27,821	31,826	23,908	20,664
सामान्य सेवाएँ	5,580	3,527	2,681	1,496	1,250	1,533	1,048	1,548	1,259	865
सामाजिक सेवाएँ	17,744	12,180	5,946	5,568	5,730	5,165	2,531	3,457	2,697	2,130
आर्थिक सेवाएँ	53,391	49,893	39,994	24,738	30,892	29,320	23,667	26,104	19,349	17,363
अन्य (ऋण एवं अग्रिम)	833	708	485	227	513	576	576	717	603	306
मणिपुर (योग)	2,749	3,492	3,254	2,449	1,155	1,731	1,432	1,494	1,239	1,333
सामान्य सेवाएँ	141	96	83	61	46	112	106	96	165	209
सामाजिक सेवाएँ	907	1,386	1,303	1,247	570	753	664	413	386	548
आर्थिक सेवाएँ	1,700	2,003	1,866	1,131	539	866	658	985	687	576
अन्य (ऋण एवं अग्रिम)	0	8	2	10	0	0	3	0	2	0
मेघालय (योग)	4,571	2,777	2,837	1,816	983	1,507	1,005	1,321	1,269	1,175
सामान्य सेवाएँ	169	137	172	132	48	85	50	83	97	82
सामाजिक सेवाएँ	1,123	874	1,194	540	293	360	361	459	290	363
आर्थिक सेवाएँ	3,257	1,742	1,449	1,119	614	1,030	579	761	865	712
अन्य (ऋण एवं अग्रिम)	22	24	23	25	29	31	16	17	17	17
मिज़ोरम (योग)	1,279	1,324	1,007	1,129	1,455	1,909	2,041	938	718	930
सामान्य सेवाएँ	118	83	39	43	95	99	120	49	34	74
सामाजिक सेवाएँ	296	306	458	560	601	762	614	313	212	314
आर्थिक सेवाएँ	844	936	510	523	677	1,007	1,267	554	472	541
अन्य (ऋण एवं अग्रिम)	22	0	0	3	82	41	40	22	0	1
नागालैंड (योग)	3,123	2,705	1,896	1,678	1,216	1,601	1,275	1,076	1,059	1,023
सामान्य सेवाएँ	528	447	293	410	166	419	267	133	106	161
सामाजिक सेवाएँ	1,055	1,094	916	508	457	330	486	432	288	351
आर्थिक सेवाएँ	1,540	1,163	686	759	592	851	522	512	666	511
अन्य (ऋण एवं अग्रिम)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ओडिशा (योग)	46,064	35,507	24,411	19,546	21,537	24,652	22,984	18,725	17,427	11,433
सामान्य सेवाएँ	2,812	2,647	1,568	1,568	1,506	1,430	1,865	374	425	390

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
सामाजिक सेवाएँ	9,606	8,563	6,002	4,523	5,264	4,545	4,201	3,003	2,929	2,289
आर्थिक सेवाएँ	32,825	23,791	16,193	13,359	14,659	18,568	16,838	15,257	13,979	8,656
अन्य (ऋण एवं अग्रिम)	820	506	647	95	108	109	80	91	95	98
पंजाब (योग)	4,939	8,049	9,586	5,338	18,612	3,773	3,112	45,710	9,028	3,389
सामान्य सेवाएँ	259	225	264	211	154	169	180	249	253	252
सामाजिक सेवाएँ	2,205	4,041	2,911	2,251	965	1,047	917	1,087	829	795
आर्थिक सेवाएँ	2,450	3,755	6,380	2,852	17,463	2,523	1,978	44,333	7,906	2,258
अन्य (ऋण एवं अग्रिम)	25	28	31	24	30	34	38	41	41	84
राजस्थान (योग)	27,044	19,973	24,773	15,762	16,973	20,751	21,957	29,945	58,588	16,803
सामान्य सेवाएँ	407	542	484	398	463	588	527	437	441	534
सामाजिक सेवाएँ	9,973	8,851	11,065	7,922	5,775	7,149	7,431	6,433	6,182	6,113
आर्थिक सेवाएँ	16,664	10,580	13,224	7,441	10,734	13,014	13,999	23,075	51,965	10,157
अन्य (ऋण एवं अग्रिम)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
सिक्किम (योग)	2,661	2,377	1,317	1,514	738	1,338	1,524	737	661	1,007
सामान्य सेवाएँ	721	273	229	93	129	73	150	71	64	110
सामाजिक सेवाएँ	1,227	1,058	385	506	266	365	539	245	203	281
आर्थिक सेवाएँ	713	1,046	702	915	342	899	835	421	394	616
अन्य (ऋण एवं अग्रिम)	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0
तमिलनाडु (योग)	49,345	46,791	40,651	36,902	29,654	30,789	26,720	46,756	21,326	22,122
सामान्य सेवाएँ	950	1,041	780	937	1,064	858	847	751	1,054	1,064
सामाजिक सेवाएँ	20,674	18,882	17,056	12,418	6,617	9,008	6,967	6,806	5,994	5,209
आर्थिक सेवाएँ	27,373	26,868	22,815	23,548	21,973	20,923	18,905	39,200	14,279	15,850
अन्य (ऋण एवं अग्रिम)	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0
तेलंगाना (योग)	50,778	39,129	37,344	26,790	25,559	31,347	30,111	36,773	18,823	9,856
सामान्य सेवाएँ	865	1,208	962	872	739	743	565	567	275	406
सामाजिक सेवाएँ	11,579	8,935	10,907	7,070	7,208	12,238	8,261	5,972	6,931	2,081
आर्थिक सेवाएँ	38,229	28,953	25,447	18,824	17,538	18,309	21,201	30,132	11,524	7,334
अन्य (ऋण एवं अग्रिम)	106	34	28	25	74	57	84	102	93	35
त्रिपुरा (योग)	2,834	2,135	1,423	835	887	1,482	1,784	3,321	3,210	2,848
सामान्य सेवाएँ	263	503	226	86	85	98	123	205	148	335
सामाजिक सेवाएँ	957	684	487	354	346	813	960	1,433	718	853

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
आर्थिक सेवाएँ	1,614	947	710	394	454	571	701	1,683	2,343	1,660
अन्य (ऋण एवं अग्रिम)	0	1	1	2	2	1	0	1	1	0
उत्तर प्रदेश (योग)	1,18,570	103,237	73,056	53,390	62,118	68,766	40,597	76,530	73,541	55,170
सामान्य सेवाएँ	6,834	4,464	2,359	1,595	2,802	3,497	2,817	5,843	5,346	4,154
सामाजिक सेवाएँ	40,498	35,833	19,241	12,710	10,737	11,050	11,944	18,495	12,432	13,488
आर्थिक सेवाएँ	71,186	62,902	51,421	39,065	48,518	54,123	25,748	52,100	55,656	37,426
अन्य (ऋण एवं अग्रिम)	52	39	36	20	60	96	88	92	107	103
उत्तराखण्ड (योग)	11,106	8,288	7,881	6,576	5,540	6,368	5,991	5,119	4,301	5,090
सामान्य सेवाएँ	2,360	1,608	1,085	755	362	454	804	72	111	214
सामाजिक सेवाएँ	3,496	2,013	2,262	1,938	1,610	1,094	1,086	953	864	1,231
आर्थिक सेवाएँ	5,249	4,666	4,534	3,882	3,567	4,820	4,101	4,093	3,324	3,644
अन्य (ऋण एवं अग्रिम)	1	1	0	0	0	0	1	1	1	2
पश्चिम बंगाल (योग)	29,757	22,573	18,586	15,310	17,237	24,583	19,338	12,534	13,281	10,383
सामान्य सेवाएँ	577	655	545	546	748	927	1,003	854	705	420
सामाजिक सेवाएँ	10,505	10,254	7,731	5,957	5,894	7,698	7,784	4,523	4,700	4,231
आर्थिक सेवाएँ	18,675	11,663	10,308	8,806	10,592	15,955	10,549	7,154	7,873	5,731
अन्य (ऋण एवं अग्रिम)	1	1	2	1	2	2	2	3	3	2
सभी राज्यों का योग	7,84,037	6,48,184	5,52,637	4,37,148	4,41,230	4,72,463	4,15,204	5,01,572	4,16,178	2,96,249

घटक (सभी राज्य)	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
सामान्य सेवाएँ	42,644	32,728	26,086	24,576	22,095	21,390	19,843	18,221	19,073	14,928
सामाजिक सेवाएँ	2,47,285	1,91,764	1,62,661	1,21,098	94,538	1,12,474	1,00,896	89,400	74,125	66,049
आर्थिक सेवाएँ	4,90,973	4,21,447	3,62,389	2,90,701	3,23,449	3,36,765	2,93,135	3,92,127	3,21,277	2,13,916
अन्य (ऋण एवं अग्रिम)	3,136	2,245	1,501	772	1,149	1,834	1,330	1,824	1,703	1,357
योग	7,84,037	6,48,184	5,52,637	4,37,148	4,41,230	4,72,463	4,15,204	5,01,572	4,16,178	2,96,249

अनुलग्नक 8: सभी राज्यों का कुल क्षेत्रीय व्यय (आंकड़े ₹ करोड़ में)

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
आंध्र प्रदेश (योग)	2,36,511	2,10,273	1,77,674	1,73,367	1,55,073	1,50,390	1,37,485	1,31,923	1,10,795	1,27,482
सामान्य सेवाएँ	68,711	65,302	59,112	56,488	48,974	41,065	39,384	33,091	28,753	29,073
सामाजिक सेवाएँ	1,09,868	89,096	75,761	71,346	70,302	68,383	63,958	52,871	49,181	45,321
आर्थिक सेवाएँ	57,902	55,840	42,764	45,482	35,752	40,645	33,996	45,803	32,725	52,865
सहायता अनुदान	21	20	20	20	16	41	86	93	116	126
अन्य (ऋण एवं अग्रिम)	9	16	16	31	29	256	62	64	21	94
अरुणाचल प्रदेश (योग)	29,031	25,529	22,338	18,216	15,928	18,177	14,093	10,949	10,369	8,645
सामान्य सेवाएँ	7,573	6,850	6,452	4,961	4,489	4,885	4,030	2,881	2,864	2,184
सामाजिक सेवाएँ	8,576	7,263	7,110	5,006	4,981	5,699	4,806	3,626	2,979	2,791
आर्थिक सेवाएँ	12,879	11,414	8,773	8,244	6,454	7,587	5,255	4,439	4,524	3,666
सहायता अनुदान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य (ऋण एवं अग्रिम)	2	2	3	4	3	5	3	2	3	4
असम (योग)	1,15,672	1,18,153	1,02,778	77,007	79,319	68,261	63,428	55,364	39,962	43,621
सामान्य सेवाएँ	41,172	36,405	37,232	23,410	22,857	21,523	22,409	17,323	12,732	13,057
सामाजिक सेवाएँ	48,121	54,542	36,183	31,368	30,747	27,501	24,221	24,251	18,339	18,661
आर्थिक सेवाएँ	26,045	26,684	29,051	21,850	25,348	18,892	16,662	13,131	8,517	10,910
सहायता अनुदान	333	516	306	377	366	274	125	652	375	994
अन्य (ऋण एवं अग्रिम)	1	5	7	-	1	71	11	7	-	1
बिहार (योग)	2,29,103	2,17,553	1,84,377	1,58,816	1,38,987	1,47,426	1,31,774	1,22,087	1,08,203	91,089
सामान्य सेवाएँ	64,882	59,284	52,446	47,626	44,016	42,002	36,139	32,697	31,589	28,157
सामाजिक सेवाएँ	91,829	95,712	81,951	70,736	61,217	62,837	50,027	44,329	38,684	33,387
आर्थिक सेवाएँ	72,379	62,529	49,951	40,421	33,736	42,560	45,585	45,035	37,902	29,528
सहायता अनुदान	-	-	-	2	2	4	4	4	4	4
अन्य (ऋण एवं अग्रिम)	13	27	29	32	16	22	18	21	23	13
छत्तीसगढ़ (योग)	1,30,471	98,691	85,838	79,108	82,100	73,555	66,600	57,908	51,811	46,194
सामान्य सेवाएँ	27,124	23,580	21,727	20,095	19,289	15,536	13,373	11,684	10,772	9,310
सामाजिक सेवाएँ	46,702	36,843	31,383	28,001	28,611	25,319	27,117	23,973	18,190	16,972
आर्थिक सेवाएँ	55,347	37,126	31,616	29,886	33,079	31,805	24,744	21,100	21,948	18,934
सहायता अनुदान	1,298	1,143	1,113	1,125	1,120	895	1,365	1,151	900	979

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
अन्य (ऋण एवं अग्रिम)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
गोवा (योग)	20,423	18,314	16,912	14,091	13,297	13,235	12,671	10,508	10,045	8,647
सामान्य सेवाएँ	6,263	5,912	5,358	4,581	4,243	4,308	3,926	3,077	2,834	2,676
सामाजिक सेवाएँ	7,215	6,235	6,487	5,132	4,936	4,986	4,841	3,777	3,526	3,082
आर्थिक सेवाएँ	6,942	6,164	5,066	4,378	4,117	3,939	3,902	3,651	3,682	2,872
सहायता अनुदान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
अन्य (ऋण एवं अग्रिम)	2	2	1	1	1	1	2	3	2	3
गुजरात (योग)	2,47,632	2,16,508	1,89,677	1,78,718	1,67,861	1,62,583	1,45,004	1,26,728	1,20,624	1,11,160
सामान्य सेवाएँ	67,858	62,089	56,973	52,558	49,863	48,439	42,273	36,427	33,684	30,891
सामाजिक सेवाएँ	1,03,316	89,068	77,552	68,564	66,256	61,905	56,117	51,358	48,683	43,941
आर्थिक सेवाएँ	75,836	64,820	54,708	57,157	51,278	51,823	46,086	38,465	37,641	35,742
सहायता अनुदान	555	477	412	390	415	365	474	416	559	536
अन्य (ऋण एवं अग्रिम)	67	55	33	49	49	51	56	62	56	50
हरियाणा (योग)	1,33,172	1,20,533	1,10,437	96,742	1,03,823	93,218	88,190	79,781	79,395	53,676
सामान्य सेवाएँ	46,039	42,622	38,510	35,122	32,470	28,884	27,180	22,030	19,174	17,056
सामाजिक सेवाएँ	50,184	48,290	46,399	39,150	36,960	33,548	31,234	27,059	23,079	21,019
आर्थिक सेवाएँ	36,852	29,537	25,429	22,268	34,325	30,510	29,265	30,198	36,573	15,162
सहायता अनुदान	-	-	-	-	-	222	391	424	293	145
अन्य (ऋण एवं अग्रिम)	97	84	98	202	69	55	121	69	275	296
हिमाचल प्रदेश (योग)	50,469	50,564	42,602	39,164	36,362	34,493	31,311	32,133	25,631	22,734
सामान्य सेवाएँ	19,503	18,060	14,290	13,624	12,539	11,665	11,202	9,936	8,877	7,687
सामाजिक सेवाएँ	19,067	19,370	15,808	14,582	13,306	12,671	11,480	10,652	8,772	7,976
आर्थिक सेवाएँ	11,890	13,120	12,494	10,946	10,501	10,139	8,617	11,527	7,957	7,056
सहायता अनुदान	-	6	8	9	10	9	10	10	10	9
अन्य (ऋण एवं अग्रिम)	9	7	3	3	6	8	3	7	13	7
झारखंड (योग)	1,01,537	84,909	73,618	71,109	66,501	62,828	64,756	57,285	52,192	38,162
सामान्य सेवाएँ	26,559	24,134	22,289	20,674	19,953	18,447	17,365	13,614	12,573	10,949
सामाजिक सेवाएँ	35,350	32,863	26,251	24,861	22,902	20,425	21,135	20,136	15,910	12,845
आर्थिक सेवाएँ	39,595	27,871	25,045	25,570	23,593	23,910	26,201	23,483	23,658	14,350
सहायता अनुदान	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
अन्य (ऋण एवं अग्रिम)	33	41	32	4	53	47	56	52	50	17

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
कर्नाटक (योग)	2,99,207	2,76,183	2,61,512	2,24,129	2,13,856	2,03,447	1,78,241	1,62,006	1,38,398	1,23,812
सामान्य सेवाएँ	78,672	73,467	63,609	56,224	49,603	43,482	35,461	32,325	31,790	28,883
सामाजिक सेवाएँ	1,08,827	95,334	95,802	74,666	76,626	80,169	68,507	63,120	51,948	43,917
आर्थिक सेवाएँ	1,05,465	1,01,715	95,480	87,553	81,197	74,358	67,778	60,869	48,492	44,988
सहायता अनुदान	6,229	5,662	6,616	5,681	6,425	5,425	6,490	5,686	6,076	6,011
अन्य (ऋण एवं अग्रिम)	15	4	5	5	6	11	5	6	91	13
केरल (योग)	1,59,506	1,58,738	1,63,226	1,38,884	1,14,385	1,20,069	1,10,237	1,02,382	87,031	76,744
सामान्य सेवाएँ	78,432	70,139	70,380	50,621	55,661	51,025	45,792	41,406	36,342	31,568
सामाजिक सेवाएँ	46,964	53,345	54,114	47,243	35,143	40,171	37,458	35,113	28,725	24,681
आर्थिक सेवाएँ	24,432	25,039	29,052	31,518	17,503	19,616	19,725	19,941	17,856	13,889
सहायता अनुदान	9,021	9,563	9,660	9,492	6,064	8,899	7,197	5,481	3,903	6,398
अन्य (ऋण एवं अग्रिम)	657	653	20	10	14	360	65	442	206	209
मध्य प्रदेश (योग)	2,78,886	2,46,694	2,25,023	1,96,319	1,80,673	1,72,663	1,62,709	1,51,766	1,19,764	1,06,785
सामान्य सेवाएँ	64,044	56,021	50,609	48,888	40,809	38,901	32,995	28,601	26,263	22,622
सामाजिक सेवाएँ	1,14,920	97,968	87,667	77,620	71,505	64,681	63,918	51,304	45,709	34,148
आर्थिक सेवाएँ	91,406	84,828	79,622	63,911	62,460	61,410	58,732	65,053	41,902	45,790
सहायता अनुदान	8,517	7,878	7,125	5,900	5,900	7,672	7,065	6,807	5,891	4,225
अन्य (ऋण एवं अग्रिम)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
महाराष्ट्र (योग)	5,21,898	4,73,922	3,98,792	3,42,639	3,38,690	3,03,616	2,69,392	2,45,055	2,14,282	1,98,217
सामान्य सेवाएँ	1,45,455	1,34,118	1,24,426	1,05,350	1,01,300	86,298	79,583	73,157	65,629	61,351
सामाजिक सेवाएँ	2,06,968	1,75,509	1,48,469	1,27,591	1,28,677	1,14,556	95,585	93,739	85,014	79,082
आर्थिक सेवाएँ	1,36,754	1,30,713	99,449	89,074	86,935	82,079	77,856	69,947	57,401	55,050
सहायता अनुदान	31,889	32,874	25,963	20,396	21,264	20,107	15,793	7,495	5,635	2,428
अन्य (ऋण एवं अग्रिम)	833	708	485	227	513	576	576	717	603	306
मणिपुर (योग)	16,571	17,651	15,896	14,877	11,394	11,480	10,706	9,679	8,622	8,600
सामान्य सेवाएँ	7,363	6,744	5,982	5,116	4,491	4,093	3,773	3,517	3,116	2,960
सामाजिक सेवाएँ	5,010	5,794	4,860	4,575	3,487	3,414	3,233	2,470	2,360	2,576
आर्थिक सेवाएँ	3,706	4,747	4,501	4,552	2,861	3,399	3,162	3,328	2,797	2,588
सहायता अनुदान	491	359	552	623	555	573	534	364	348	476
अन्य (ऋण एवं अग्रिम)	-	8	2	10	-	-	3	-	2	-
मेघालय (योग)	21,155	17,641	16,457	13,315	10,548	11,763	9,428	9,658	7,617	7,427

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
सामान्य सेवाएँ	5,665	5,228	4,626	4,133	3,716	3,621	2,877	2,563	2,353	2,104
सामाजिक सेवाएँ	7,153	6,486	6,449	4,887	4,017	4,460	3,509	3,558	2,685	2,733
आर्थिक सेवाएँ	8,315	5,903	5,360	4,270	2,787	3,650	3,027	3,518	2,562	2,572
सहायता अनुदान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य (ऋण एवं अग्रिम)	22	24	23	25	29	31	16	17	17	17
मिज़ोरम (योग)	12,116	11,416	9,564	9,644	10,909	9,415	8,922	7,168	6,289	6,582
सामान्य सेवाएँ	4,386	3,914	3,181	3,274	3,256	2,794	2,359	2,146	1,951	1,824
सामाजिक सेवाएँ	4,505	3,980	3,796	3,738	3,994	3,696	3,221	2,614	2,432	2,475
आर्थिक सेवाएँ	3,204	3,523	2,588	2,629	3,577	2,883	3,302	2,386	1,906	2,283
सहायता अनुदान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य (ऋण एवं अग्रिम)	22	-	-	3	82	41	40	22	-	1
नागालैंड (योग)	17,943	16,115	13,713	12,730	12,853	12,521	11,466	9,728	8,641	7,785
सामान्य सेवाएँ	7,746	7,268	6,037	5,510	5,595	5,437	4,586	4,029	3,729	3,294
सामाजिक सेवाएँ	5,373	4,840	4,294	3,647	3,487	3,489	3,045	2,727	2,382	2,206
आर्थिक सेवाएँ	4,824	4,007	3,381	3,573	3,770	3,594	3,835	2,972	2,531	2,285
सहायता अनुदान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य (ऋण एवं अग्रिम)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ओडिशा (योग)	1,94,896	1,66,513	1,33,999	1,14,857	1,20,674	1,10,008	94,821	83,766	76,233	62,569
सामान्य सेवाएँ	44,291	49,968	34,538	29,839	30,107	25,483	22,126	17,088	15,484	14,919
सामाजिक सेवाएँ	72,954	61,061	53,314	44,424	48,781	40,972	33,758	30,603	27,572	23,253
आर्थिक सेवाएँ	75,280	53,394	43,985	39,168	40,245	42,082	37,595	34,971	32,167	23,481
सहायता अनुदान	1,550	1,584	1,513	1,330	1,434	1,363	1,263	1,012	916	817
अन्य (ऋण एवं अग्रिम)	820	506	647	95	108	109	80	91	95	98
पंजाब (योग)	1,22,346	1,21,710	1,06,223	91,683	94,472	79,177	65,577	1,01,006	59,101	50,002
सामान्य सेवाएँ	57,377	54,228	47,504	43,464	38,768	37,100	34,680	28,737	24,966	23,295
सामाजिक सेवाएँ	34,166	32,890	28,245	23,926	20,449	19,367	16,387	16,759	15,727	14,524
आर्थिक सेवाएँ	27,482	30,751	26,584	18,297	32,014	20,411	13,172	54,551	17,662	11,495
सहायता अनुदान	3,296	3,812	3,859	5,971	3,210	2,265	1,301	918	706	604
अन्य (ऋण एवं अग्रिम)	25	28	31	24	30	34	38	41	41	84
राजस्थान (योग)	2,69,275	2,46,452	2,34,563	1,94,071	1,93,458	1,87,524	1,67,799	1,57,085	1,64,827	1,11,345
सामान्य सेवाएँ	78,085	72,417	65,890	60,542	56,649	54,952	43,977	39,640	31,457	28,402

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
सामाजिक सेवाएँ	1,11,857	99,019	96,119	81,932	74,088	72,836	60,495	55,805	49,530	43,866
आर्थिक सेवाएँ	79,333	75,016	72,554	51,597	62,720	59,736	63,326	61,640	83,839	39,077
सहायता अनुदान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य (ऋण एवं अग्रिम)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सिक्किम (योग)	10,882	10,008	7,986	7,883	6,923	6,565	5,676	4,525	4,306	4,738
सामान्य सेवाएँ	4,003	3,256	2,787	2,509	2,549	2,033	1,678	1,492	1,308	1,698
सामाजिक सेवाएँ	4,116	3,872	2,856	2,937	2,520	2,437	2,071	1,580	1,439	1,561
आर्थिक सेवाएँ	2,666	2,781	2,232	2,343	1,770	2,027	1,863	1,398	1,520	1,437
सहायता अनुदान	96	99	110	93	84	66	63	56	39	42
अन्य (ऋण एवं अग्रिम)	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-
तमिलनाडु (योग)	3,59,063	3,26,755	2,94,681	2,73,304	2,40,089	2,27,990	1,94,594	1,99,951	1,62,319	1,50,950
सामान्य सेवाएँ	1,14,286	1,00,138	85,674	79,930	79,201	73,308	61,298	52,204	46,566	42,719
सामाजिक सेवाएँ	1,21,920	1,07,850	1,05,805	1,02,223	80,616	79,210	66,757	62,103	60,801	55,558
आर्थिक सेवाएँ	98,946	98,843	83,713	75,357	64,583	60,592	55,067	73,180	44,222	42,693
सहायता अनुदान	23,564	19,926	19,489	15,796	15,688	14,880	11,470	12,466	10,732	9,980
अन्य (ऋण एवं अग्रिम)	348	-	-	-	-	-	-	-	-	-
तेलंगाना (योग)	2,19,292	1,92,536	1,74,147	1,50,002	1,34,357	1,28,430	1,15,476	1,18,205	94,719	60,529
सामान्य सेवाएँ	56,511	51,233	45,395	40,349	37,180	34,942	31,437	25,692	23,522	14,570
सामाजिक सेवाएँ	70,189	66,499	64,088	55,470	53,041	51,959	45,520	41,258	37,397	20,834
आर्थिक सेवाएँ	92,487	74,771	64,637	54,159	44,062	41,466	38,401	51,082	33,567	24,978
सहायता अनुदान	-	-	-	-	-	5	33	72	140	112
अन्य (ऋण एवं अग्रिम)	106	34	28	25	74	57	84	102	93	35
त्रिपुरा (योग)	21,176	19,874	17,548	15,203	14,264	13,371	12,141	12,176	11,078	10,291
सामान्य सेवाएँ	7,782	7,464	6,802	5,945	5,765	5,212	4,522	3,708	3,193	3,011
सामाजिक सेवाएँ	8,563	8,402	7,166	6,259	5,824	5,805	5,210	5,116	4,029	4,037
आर्थिक सेवाएँ	4,392	3,681	3,272	2,711	2,405	2,120	2,181	3,154	3,657	3,063
सहायता अनुदान	439	326	308	287	268	234	228	198	198	180
अन्य (ऋण एवं अग्रिम)	-	1	1	2	2	1	-	1	1	-
उत्तर प्रदेश (योग)	5,48,358	4,83,215	4,10,637	3,51,933	3,60,951	3,70,494	3,06,821	3,13,122	2,86,277	2,26,197
सामान्य सेवाएँ	1,61,653	1,49,152	1,35,880	1,20,653	1,20,477	1,34,554	1,08,599	94,098	77,574	68,460
सामाजिक सेवाएँ	1,91,484	1,74,761	1,40,228	1,22,437	1,14,586	1,02,362	96,196	1,10,356	94,918	74,394

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
आर्थिक सेवाएँ	1,71,455	1,41,265	1,17,994	94,616	1,11,327	1,21,382	90,383	97,934	1,03,537	72,311
सहायता अनुदान	23,713	18,000	16,500	14,208	14,500	12,100	11,555	10,642	10,140	10,931
अन्य (ऋण एवं अग्रिम)	52	39	36	20	60	96	88	92	107	103
उत्तराखण्ड (योग)	58,380	52,061	46,810	43,667	38,399	38,564	35,074	30,391	27,387	26,254
सामान्य सेवाएँ	19,939	18,497	16,753	15,581	14,206	13,979	13,213	10,006	8,521	7,616
सामाजिक सेवाएँ	23,149	20,169	17,835	16,700	14,203	13,303	12,015	11,482	10,791	10,455
आर्थिक सेवाएँ	12,734	11,353	10,682	9,453	8,271	9,822	8,377	7,996	7,307	7,500
सहायता अनुदान	2,557	2,041	1,540	1,932	1,717	1,459	1,469	906	767	681
अन्य (ऋण एवं अग्रिम)	1	1	-	-	-	-	1	1	1	2
पश्चिम बंगाल (योग)	2,55,716	2,45,412	2,28,746	1,93,231	1,79,812	1,80,957	1,60,415	1,46,452	1,32,108	1,14,035
सामान्य सेवाएँ	84,853	79,909	79,040	71,230	62,679	57,792	53,419	50,985	46,394	43,132
सामाजिक सेवाएँ	1,13,536	1,25,823	1,10,206	84,804	78,983	76,462	67,375	61,590	52,089	44,387
आर्थिक सेवाएँ	56,605	39,271	39,143	36,747	37,697	46,211	39,131	33,310	32,846	25,888
सहायता अनुदान	721	408	354	450	450	489	488	564	776	627
अन्य (ऋण एवं अग्रिम)	1	1	2	1	2	2	2	3	3	2
सभी राज्यों का योग	46,80,684	42,43,920	37,65,774	32,94,708	31,35,958	30,12,219	26,74,809	25,48,787	22,18,024	19,04,273

घटक (सभी राज्य)	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
सामान्य सेवाएँ	13,96,223	12,87,396	11,63,503	10,28,297	9,70,708	9,11,761	7,99,653	6,94,155	6,14,010	5,53,466
सामाजिक सेवाएँ	17,71,883	16,22,885	14,36,197	12,43,824	11,60,244	11,02,624	9,79,192	9,13,330	8,02,891	6,90,678
आर्थिक सेवाएँ	13,95,152	12,26,703	10,69,125	9,37,732	9,24,367	9,18,652	8,27,229	8,84,061	7,50,897	6,12,453
सहायता अनुदान	1,14,291	1,04,691	95,448	84,083	79,490	77,348	67,405	55,417	48,523	46,319
अन्य (ऋण एवं अग्रिम)	3,136	2,245	1,501	772	1,149	1,834	1,330	1,824	1,703	1,357
योग	46,80,684	42,43,920	37,65,774	32,94,708	31,35,958	30,12,219	26,74,809	25,48,787	22,18,024	19,04,273

अनुलग्नक 9: व्यक्तिगत जमा खाता (आंकड़े ₹ करोड़ में)

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
आंध्र प्रदेश										
1 अप्रैल को प्रारम्भिक शेष	11,225	13,467	25,797	7,277	545	138#	561	506	527	218
शुद्ध वृद्धि/कमी	267	-2,242	-12,330	18,520	6,732	407	-286	55	-20	309
31 मार्च को अंतिम शेष	11,492	11,225	13,467	25,797	7,277	545	275	561	506	527
अरुणाचल प्रदेश										
1 अप्रैल को प्रारम्भिक शेष	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
शुद्ध वृद्धि/कमी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 मार्च को अंतिम शेष	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
असम										
1 अप्रैल को प्रारम्भिक शेष	0	0	1	1	1	1	1	1	10	14
शुद्ध वृद्धि/कमी	0	0	0	0	0	0	0	0	-9	-4
31 मार्च को अंतिम शेष	0	0	0	1	1	1	1	1	1	10
बिहार										
1 अप्रैल को प्रारम्भिक शेष	3,866	4,048	3,821	3,300	4,371	5,882	4,459	4,212	3,561	3,320
शुद्ध वृद्धि/कमी	-1,679	-182	227	520	-1,071	-1,511	1,424	247	651	240
31 मार्च को अंतिम शेष	2,187	3,866	4,048	3,821	3,300	4,371	5,882	4,459	4,212	3,561
छत्तीसगढ़										
1 अप्रैल को प्रारम्भिक शेष	1,364	1,404	1,561	1,585	1,891	1,757	1,892	1,696	1,631	1,666
शुद्ध वृद्धि/कमी	-11	-40	-157	-24	-306	134	-135	196	66	-35
31 मार्च को अंतिम शेष	1,353	1,364	1,404	1,561	1,585	1,891	1,757	1,892	1,696	1,631
गोवा										
1 अप्रैल को प्रारम्भिक शेष	103	99	119	123	109	85	67	37	22	9
शुद्ध वृद्धि/कमी	1	4	-20	-4	14	24	18	30	15	12
31 मार्च को अंतिम शेष	104	103	99	119	123	109	85	67	37	22
गुजरात										
1 अप्रैल को प्रारम्भिक शेष	818	990	1,004	795	581	447	395	411	362	284
शुद्ध वृद्धि/कमी	4,223	-172	-14	208	214	134	52	-16	49	78
31 मार्च को अंतिम शेष	5,040	818	990	1,004	795	581	447	395	411	362

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
हरियाणा										
1 अप्रैल को प्रारम्भिक शेष	3,727	3,720	1,871	611	1,327	249	235	233	232	237
शुद्ध वृद्धिकमी	3,182	7	1,849	1,260	-716	1,078	14	2	0	-4
31 मार्च को अंतिम शेष	6,908	3,727	3,720	1,871	611	1,327	249	235	233	232
हिमाचल प्रदेश										
1 अप्रैल को प्रारम्भिक शेष	2	2	2	3	2	3	2	2	2	2
शुद्ध वृद्धिकमी	1	0	0	-1	0	0	0	0	0	0
31 मार्च को अंतिम शेष	3	2	2	2	3	2	3	2	2	2
झारखंड										
1 अप्रैल को प्रारम्भिक शेष	2,369	2,018	1,747	1,156	0	0	0	0	0	0
शुद्ध वृद्धिकमी	841	351	272	591	1,156	0	0	0	0	0
31 मार्च को अंतिम शेष	3,210	2,369	2,018	1,747	1,156	0	0	0	0	0
कर्नाटक										
1 अप्रैल को प्रारम्भिक शेष	29,510	4,106	3,989	4,422	4,085	2,742	2,942	2,736	2,428	2,297
शुद्ध वृद्धिकमी	3,325	25,404	116	-432	336	1,344	-201	207	307	131
31 मार्च को अंतिम शेष	32,835	29,510	4,106	3,989	4,422	4,085	2,742	2,942	2,736	2,428
केरल										
1 अप्रैल को प्रारम्भिक शेष	4	59	68	67	79	98	126	194	115	127
शुद्ध वृद्धिकमी	-33	-55	-9	1	-11	-19	-28	-68	79	-12
31 मार्च को अंतिम शेष	-29	4	59	68	67	79	98	126	194	115
मध्य प्रदेश										
1 अप्रैल को प्रारम्भिक शेष	2,354	2,636	4,963	6,269	3,938	5,370	5,350	3,232	2,704	1,785
शुद्ध वृद्धिकमी	-3,271	-283	-2,326	-1,306	2,330	-1,432	20	2,118	527	920
31 मार्च को अंतिम शेष	-917	2,354	2,636	4,963	6,269	3,938	5,370	5,350	3,232	2,704
महाराष्ट्र										
1 अप्रैल को प्रारम्भिक शेष	11,254	10,523	10,806	10,318	10,954	12,229	13,335	11,160	9,726	9,255
शुद्ध वृद्धिकमी	5,127	732	-283	488	-636	-1,276	-1,105	2,174	1,434	471
31 मार्च को अंतिम शेष	16,382	11,254	10,523	10,806	10,318	10,954	12,229	13,335	11,160	9,726
मणिपुर										
1 अप्रैल को प्रारम्भिक शेष	3	3	3	3	3	3	2	2	2	62

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
शुद्ध वृद्धि/कमी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60
31 मार्च को अंतिम शेष	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2
मेघालय										
1 अप्रैल को प्रारम्भिक शेष	18	18	17	16	16	19	6	6	5	5
शुद्ध वृद्धि/कमी	137	0	1	1	0	-2	12	1	0	1
31 मार्च को अंतिम शेष	155	18	18	17	16	16	19	6	6	5
मिज़ोरम										
1 अप्रैल को प्रारम्भिक शेष	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
शुद्ध वृद्धि/कमी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 मार्च को अंतिम शेष	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
नागालैंड										
1 अप्रैल को प्रारम्भिक शेष	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
शुद्ध वृद्धि/कमी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 मार्च को अंतिम शेष	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ओडिशा										
1 अप्रैल को प्रारम्भिक शेष	7,177	4,357	2,753	18,272	15,654	12,394	456	695	704	669
शुद्ध वृद्धि/कमी	4,349	2,820	1,604	-15,519	2,618	3,260	11,937	-239	-9	35
31 मार्च को अंतिम शेष	11,526	7,177	4,357	2,753	18,272	15,654	12,394	456	695	704
पंजाब										
1 अप्रैल को प्रारम्भिक शेष	50	48	44	44	40	38	34	35	64	35
शुद्ध वृद्धि/कमी	11	2	3	0	4	2	3	0	-30	30
31 मार्च को अंतिम शेष	61	50	48	44	44	40	38	34	35	64
राजस्थान										
1 अप्रैल को प्रारम्भिक शेष	14,114	18,221	14,383	16,289	13,326	9,539	5,196	3,542	2,839	2,862
शुद्ध वृद्धि/कमी	-351	-4,107	3,838	-1,906	2,963	3,787	4,342	1,654	704	-23
31 मार्च को अंतिम शेष	13,763	14,114	18,221	14,383	16,289	13,326	9,539	5,196	3,542	2,839
सिक्किम										
1 अप्रैल को प्रारम्भिक शेष	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
शुद्ध वृद्धि/कमी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 मार्च को अंतिम शेष	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
तमिलनाडु										
1 अप्रैल को प्रारम्भिक शेष	1,564	1,557	1,517	1,571	411	550	-442	-209	231	201
शुद्ध वृद्धिकमी	-1,527	6	40	-54	1,160	-139	992	-233	-441	31
31 मार्च को अंतिम शेष	37	1,564	1,557	1,517	1,571	411	550	-442	-209	231
तेलंगाना										
1 अप्रैल को प्रारम्भिक शेष	142	121	167	32	70	43#	-33	-8	-22	0
शुद्ध वृद्धिकमी	15	21	-46	135	-39	27	12	-25	14	-22
31 मार्च को अंतिम शेष	157	142	121	167	32	70	-22	-33	-8	-22
त्रिपुरा										
1 अप्रैल को प्रारम्भिक शेष	350	416	476	328	117	0	0	0	0	0
शुद्ध वृद्धिकमी	-29	-66	-60	148	211	117	0	0	0	0
31 मार्च को अंतिम शेष	321	350	416	476	328	117	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश										
1 अप्रैल को प्रारम्भिक शेष	7	6	6	5	8	3	4	2	2	2
शुद्ध वृद्धिकमी	2	1	0	0	-3	5	-1	1	1	-1
31 मार्च को अंतिम शेष	9	7	6	6	5	8	3	4	2	2
उत्तराखण्ड										
1 अप्रैल को प्रारम्भिक शेष	129	188	156	200	180	236	185	229	265	200
शुद्ध वृद्धिकमी	-132	-59	33	-45	20	-55	50	-44	-36	65
31 मार्च को अंतिम शेष	-2	129	188	156	200	180	236	185	229	265
पश्चिम बंगाल										
1 अप्रैल को प्रारम्भिक शेष	3,014	3,197	3,465	5,240	5,466	4,282	5,141	4,769	3,721	3,435
शुद्ध वृद्धिकमी	-16	-183	-268	-1,774	-226	1,184	-859	371	1,048	286
31 मार्च को अंतिम शेष	2,998	3,014	3,197	3,465	5,240	5,466	4,282	5,141	4,769	3,721

घटक (सभी राज्य)	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
1 अप्रैल को प्रारम्भिक शेष	93,163	71,203	78,734	77,927	63,175	56,106	39,916	33,484	29,133	26,685
शुद्ध वृद्धिकमी	14,432	21,960	-7,531	807	14,751	7,069	16,262	6,432	4,351	2,447
31 मार्च को अंतिम शेष	1,07,596	93,163	71,203	78,734	77,927	63,175	56,178	39,916	33,484	29,132

नोट: कुछ वित्त वर्षों में, केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तराखण्ड में ऋणात्मक अंतिम शेष इसलिए थे क्योंकि लोक निर्माण खण्ड से संबन्धित पीडी खाते प्रारम्भिक शेष में शामिल नहीं किए गए थे, जिन्हें वित्त वर्ष के दौरान ठीक कर लिया गया था।

अनुलग्नक 10: 31 मार्च को संक्षिप्त आकस्मिक बिल (आंकड़े ₹ करोड़ में)

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
आंध्र प्रदेश	334	1,314	1,531	1,439	1,263	968	226	280	707	1,059
अरुणाचल प्रदेश	0	1	0	0	0	4	3	4	12	19
असम	748	900	958	1,051	870	966	679	567	661	1,227
बिहार	9,206	7,489	7,630	13,460	9,155	5,771	6,163	4,751	12,074	5,381
छत्तीसगढ़	29	307	187	296	202	185	133	25	646	79
गोवा	196	125	93	186	108	142	93	96	166	190
गुजरात	289	444	273	553	366	440	515	495	430	583
हरियाणा	370	306	540	772	687	103	57	39	28	3
हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
झारखंड	4,892	6,115	6,094	6,019	6,444	5,479	5,341	5,651	5,471	4,886
कर्नाटक	46	73	64	126	97	93	84	85	221	218
केरल	121	1,951	1,949	0	0	0	1	1	0	2
मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8
महाराष्ट्र	3,675	4,186	4,317	3,427	2,428	1,964	1,129	951	863	1,001
मणिपुर	7,380	5,294	3,136	2,005	1,677	1,714	1,648	1,709	1,561	1,592
मेघालय	75	98	5	63	94	88	36	5	8	4
मिज़ोरम	472	248	4	85	86	105	12	24	30	64
नागालैंड	613	555	533	562	549	527	396	289	237	186
ओडिशा	103	108	168	82	170	213	37	80	44	64
पंजाब	2,805	5,768	4,082	2,627	1,792	3,083	762	702	2,045	2,629
राजस्थान	81	21	33	31	55	62	429	372	274	289
सिक्किम	63	52	59	75	68	121	78	66	69	73
तमिलनाडु	216	152	318	612	367	426	262	184	233	211
तेलंगाना	411	191	159	273	610	340	280	475	459	509
त्रिपुरा	23	24	33	65	70	89	98	111	0	176
उत्तर प्रदेश	3	9	18	16	17	19	33	139	301	237
उत्तराखंड	18	11	27	3	3	1	1	8	4	9
पश्चिम बंगाल	662	1,238	1,638	3,400	3,077	2,172	3,640	2,357	3,075	1,587
सभी राज्यों का योग	32,829	36,979	33,848	37,229	30,256	25,073	22,135	19,464	29,628	22,285

अनुलग्नक 11: राज्यों का प्रतिबद्ध व्यय (आकड़े ₹ करोड़ में)

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
आंध्र प्रदेश (योग)	89,038	84,659	73,205	67,033	61,541	55,497	52,748	46,012	40,039	39,432
वेतन/वेतन-पत्रक	37,860	36,583	30,713	29,545	26,503	24,864	22,666	21,442	18,941	19,453
पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ	21,696	22,584	20,327	17,470	17,385	15,291	16,236	12,872	11,249	9,972
ब्याज भुगतान	29,481	25,492	22,165	20,018	17,653	15,342	13,847	11,697	9,848	10,007
अरुणाचल प्रदेश (योग)	6,945	8,733	7,708	6,896	6,414	5,793	5,826	4,607	4,069	3,685
वेतन/वेतन-पत्रक	4,112	6,233	5,568	5,058	4,917	4,372	4,435	3,567	3,098	2,853
पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ	1,975	1,665	1,362	1,086	882	894	924	641	555	481
ब्याज भुगतान	858	835	778	752	615	526	467	399	416	351
असम (योग)	55,600	51,311	48,990	39,864	38,379	35,469	35,420	27,716	26,143	24,589
वेतन/वेतन-पत्रक	29,807	28,030	25,715	24,336	24,331	23,512	23,927	18,188	17,539	17,018
पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ	17,654	16,407	17,224	10,329	9,609	8,112	8,287	6,565	5,985	5,237
ब्याज भुगतान	8,139	6,875	6,051	5,199	4,439	3,844	3,205	2,964	2,618	2,334
बिहार (योग)	70,283	63,108	57,604	53,961	48,520	46,067	41,126	36,483	33,872	32,081
वेतन/वेतन-पत्रक	28,386	24,816	23,525	21,842	20,418	19,968	17,779	15,784	14,924	14,607
पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ	24,291	23,108	20,258	19,635	17,110	16,028	14,293	12,508	11,850	11,345
ब्याज भुगतान	17,606	15,184	13,822	12,484	10,991	10,071	9,054	8,191	7,098	6,129
छत्तीसगढ़ (योग)	43,698	39,128	36,654	33,884	32,607	26,256	19,934	17,375	16,279	14,395
वेतन/वेतन-पत्रक	27,788	25,085	23,037	21,115	20,999	17,175	12,912	11,202	10,612	9,419
पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ	9,112	7,661	7,472	7,136	6,638	5,429	3,924	3,486	3,519	3,250
ब्याज भुगतान	6,798	6,382	6,144	5,633	4,970	3,653	3,098	2,687	2,149	1,727
गोवा (योग)	8,209	7,699	6,887	5,925	5,672	5,406	5,206	4,099	3,746	3,447
वेतन/वेतन-पत्रक	4,020	3,764	3,256	2,922	2,894	2,763	2,798	2,107	1,955	1,779
पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ	2,300	2,119	1,848	1,412	1,313	1,299	1,164	844	717	660
ब्याज भुगतान	1,889	1,816	1,783	1,590	1,465	1,344	1,244	1,148	1,075	1,008
गुजरात (योग)	67,283	61,322	57,288	54,369	51,238	49,521	43,418	37,822	34,069	31,664
वेतन/वेतन-पत्रक	15,736	13,533	11,940	11,596	11,126	11,042	10,485	8,722	7,806	7,533
पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ	24,371	22,435	20,160	18,570	17,663	18,295	13,979	11,303	9,963	9,185
ब्याज भुगतान	27,176	25,354	25,188	24,203	22,449	20,183	18,954	17,797	16,300	14,946
हरियाणा (योग)	63,100	58,813	53,464	49,637	46,922	41,675	39,073	33,207	28,723	25,686
वेतन/वेतन-पत्रक	27,999	26,314	24,486	22,809	22,501	19,983	18,329	17,006	15,025	14,156

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ	13,497	12,404	10,617	9,713	8,833	8,140	8,783	5,659	5,413	4,602
ब्याज भुगतान	21,605	20,096	18,362	17,115	15,588	13,551	11,961	10,542	8,284	6,928
हिमाचल प्रदेश (योग)	30,751	29,682	23,030	22,202	21,201	19,952	19,016	16,829	14,942	13,959
वेतन/वेतन-पत्रक	15,047	15,569	11,990	11,641	11,477	10,956	10,519	9,356	7,950	8,195
पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ	10,056	9,284	6,399	6,088	5,490	4,975	4,709	4,114	3,836	2,914
ब्याज भुगतान	5,648	4,829	4,641	4,472	4,234	4,022	3,788	3,359	3,155	2,849
झारखंड (योग)	31,538	28,945	27,880	25,472	24,144	22,981	21,796	17,234	15,529	13,809
वेतन/वेतन-पत्रक	15,684	14,903	13,979	12,885	12,832	12,138	11,221	8,927	8,218	7,417
पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ	9,014	7,803	7,614	6,797	6,005	5,991	5,913	4,135	3,990	3,463
ब्याज भुगतान	6,839	6,238	6,286	5,790	5,308	4,852	4,662	4,172	3,320	2,929
कर्नाटक (योग)	76,093	70,263	62,708	55,640	51,496	43,969	36,174	33,131	31,171	28,437
वेतन/वेतन-पत्रक	20,408	17,817	17,058	14,783	14,573	13,437	10,561	9,803	9,174	8,915
पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ	24,859	24,020	20,666	18,936	18,404	15,109	11,684	11,295	11,251	10,118
ब्याज भुगतान	30,826	28,427	24,984	21,920	18,519	15,423	13,930	12,033	10,746	9,404
केरल (योग)	91,203	89,280	94,827	67,729	70,054	67,270	66,962	55,440	47,698	42,433
वेतन/वेतन-पत्रक	38,573	38,014	44,625	27,811	31,775	31,510	31,904	28,047	23,524	21,411
पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ	25,644	26,090	26,899	18,943	19,064	19,012	19,938	15,277	13,063	11,253
ब्याज भुगतान	26,986	25,176	23,303	20,975	19,215	16,748	15,120	12,117	11,111	9,770
मध्य प्रदेश (योग)	92,618	83,673	74,646	66,505	55,906	50,543	43,009	38,058	35,300	32,633
वेतन/वेतन-पत्रक	47,553	44,529	39,158	35,916	29,636	25,863	22,673	20,186	19,390	18,725
पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ	21,966	19,691	17,042	14,671	12,053	11,984	9,290	8,793	7,819	6,836
ब्याज भुगतान	23,098	19,453	18,446	15,918	14,217	12,696	11,045	9,079	8,091	7,071
महाराष्ट्र (योग)	1,37,005	1,30,751	1,18,635	1,05,852	99,670	83,329	78,967	71,457	65,853	60,466
वेतन/वेतन-पत्रक	48,724	45,953	39,964	36,615	38,368	28,818	27,346	26,067	24,745	22,243
पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ	42,629	43,109	38,513	32,267	27,741	20,490	18,603	16,858	15,336	14,258
ब्याज भुगतान	45,652	41,689	40,158	36,970	33,561	34,021	33,018	28,532	25,771	23,965
मणिपुर (योग)	8,976	9,018	7,892	7,095	6,565	5,774	5,409	4,806	4,380	4,108
वेतन/वेतन-पत्रक ¹⁶	5,423	5,264	4,762	4,525	4,163	3,662	3,521	3,088	2,853	2,700
पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ	2,576	2,880	2,439	1,738	1,738	1,534	1,324	1,174	1,010	934
ब्याज भुगतान	977	874	691	832	664	577	563	544	516	473

¹⁶ वित्त वर्ष 2023-24 के वार्षिक वित्तीय विवरण में वेतन की राशि ₹5,258 करोड़ दर्शायी गई है जिसके परिणाम स्वरूप वित्त लेखे से ₹165 करोड़ का अंतर है।

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
मेधालय (योग)	7,017	6,645	5,982	5,436	5,236	4,943	3,943	3,412	3,186	2,910
वेतन/वेतन-पत्रक	4,089	3,944	3,653	3,384	3,345	3,281	2,601	2,242	2,130	1,990
पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ	1,790	1,673	1,366	1,194	1,132	1,005	751	648	589	515
ब्याज भुगतान	1,138	1,029	963	859	759	657	591	522	466	405
मिज़ोरम (योग)	5,873	5,619	4,854	5,002	4,987	4,079	3,578	3,426	3,187	2,903
वेतन/वेतन-पत्रक	3,296	3,291	3,072	3,118	3,211	2,739	2,401	2,323	2,201	2,051
पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ	1,995	1,834	1,331	1,483	1,433	970	838	761	616	545
ब्याज भुगतान	582	494	451	401	343	369	339	341	369	306
नागालैंड (योग)	10,831	9,922	9,045	8,105	7,874	7,269	6,098	5,479	5,304	4,735
वेतन/वेतन-पत्रक	6,661	6,109	5,954	5,496	5,250	4,945	4,156	3,750	3,689	3,274
पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ	3,102	2,819	2,159	1,752	1,811	1,553	1,264	1,093	1,029	905
ब्याज भुगतान	1,068	993	932	857	814	772	678	636	586	555
ओडिशा (योग)	53,560	50,032	46,420	41,427	41,183	35,887	31,379	26,058	23,877	21,780
वेतन/वेतन-पत्रक	28,271	25,934	23,619	21,154	20,847	19,567	17,697	15,180	14,188	12,553
पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ	20,108	18,596	16,459	13,629	14,273	10,520	8,693	6,843	6,346	6,417
ब्याज भुगतान	5,181	5,502	6,342	6,644	6,063	5,800	4,988	4,035	3,343	2,810
पंजाब (योग)	71,159	65,703	57,476	53,031	48,717	46,695	44,973	38,122	34,778	32,244
वेतन/वेतन-पत्रक	28,516	27,584	23,683	21,198	20,857	20,300	19,430	17,707	17,163	16,034
पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ	20,090	18,214	14,730	13,680	10,294	10,089	10,208	8,773	7,833	7,249
ब्याज भुगतान	22,552	19,905	19,064	18,153	17,567	16,306	15,334	11,642	9,782	8,960
राजस्थान (योग)	1,26,407	1,15,361	1,08,177	98,800	92,982	91,324	70,780	59,524	48,296	43,200
वेतन/वेतन-पत्रक	65,076	59,378	56,686	51,159	48,577	49,233	37,134	29,552	25,424	23,108
पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ	27,203	25,381	23,391	22,440	20,761	20,396	13,925	12,296	10,864	9,629
ब्याज भुगतान	34,128	30,602	28,100	25,202	23,643	21,695	19,720	17,677	12,008	10,463
सिक्किम (योग)	5,228	4,907	4,445	4,087	4,353	3,115	2,346	2,194	2,022	1,809
वेतन/वेतन-पत्रक	3,104	3,039	2,826	2,631	2,933	1,944	1,479	1,423	1,358	1,236
पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ	1,301	1,150	983	908	911	737	505	446	402	333
ब्याज भुगतान	824	718	635	548	510	433	362	324	262	240
तमिलनाडु (योग)	1,62,548	1,42,684	1,21,918	1,14,254	1,12,641	1,03,654	92,385	82,327	73,790	66,991
वेतन/वेतन-पत्रक	71,285	63,596	54,104	50,642	50,459	45,267	44,014	41,821	38,153	35,092
पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ	37,697	32,178	26,250	27,115	30,202	29,630	22,360	19,973	18,246	17,349

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
ब्याज भुगतान	53,566	46,911	41,564	36,497	31,980	28,757	26,012	20,533	17,391	14,550
तेलंगाना (योग)	69,713	63,406	55,336	52,049	47,441	44,263	42,688	36,842	33,840	20,076
वेतन/वेतन-पत्रक	28,524	25,769	22,150	21,608	21,222	20,199	19,920	19,223	18,065	10,639
पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ	16,842	15,816	14,025	13,599	11,834	11,477	11,932	9,011	8,217	4,210
ब्याज भुगतान	24,347	21,821	19,161	16,841	14,386	12,586	10,836	8,609	7,558	5,227
त्रिपुरा (योग)	10,688	9,772	9,343	8,847	9,111	8,455	7,469	5,915	5,383	4,642
वेतन/वेतन-पत्रक	6,290	5,721	5,428	5,241	5,615	5,400	4,977	3,912	3,629	3,123
पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ	3,065	2,678	2,516	2,322	2,371	2,036	1,605	1,209	1,025	837
ब्याज भुगतान	1,333	1,374	1,398	1,285	1,125	1,019	887	794	729	682
उत्तर प्रदेश (योग)	1,74,539	1,61,765	1,48,077	1,35,981	1,37,924	1,26,448	1,12,023	93,534	80,122	73,846
वेतन/वेतन-पत्रक	64,804	60,061	54,727	50,333	53,508	50,382	44,411	38,371	34,525	32,676
पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ	62,457	58,697	50,475	48,219	49,603	44,024	38,476	28,227	24,150	22,305
ब्याज भुगतान	47,277	43,008	42,876	37,428	34,813	32,042	29,136	26,936	21,448	18,865
उत्तराखण्ड (योग)	27,131	25,800	23,721	22,696	21,725	21,396	19,516	15,563	13,447	12,167
वेतन/वेतन-पत्रक	14,341	13,515	12,417	11,755	11,714	11,525	10,496	8,670	7,848	7,309
पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ	7,597	7,181	6,364	6,168	5,507	5,396	5,033	3,170	2,628	2,452
ब्याज भुगतान	5,192	5,104	4,939	4,773	4,504	4,475	3,987	3,723	2,971	2,406
पश्चिम बंगाल (योग)	89,360	85,648	83,976	75,015	66,045	59,889	56,501	52,675	48,164	45,595
वेतन/वेतन-पत्रक	22,379	21,006	20,628	19,840	16,915	14,915	13,839	13,027	12,188	11,879
पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ	24,360	24,624	26,676	21,394	17,462	16,063	14,588	13,945	12,860	12,128
ब्याज भुगतान	42,621	40,018	36,672	33,782	31,668	28,911	28,074	25,703	23,115	21,588
सभी राज्यों का योग	16,86,393	15,63,649	14,30,188	12,86,793	12,20,550	11,16,917	10,07,761	8,69,348	7,77,206	7,03,718

घटक (सभी राज्य)	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
राजस्व व्यय	38,96,647	35,95,736	32,13,137	28,57,560	26,94,727	25,39,755	22,59,605	20,47,215	18,01,846	16,08,023
वेतन/वेतन-पत्रक	7,13,756	6,65,351	6,08,724	5,50,959	5,40,968	4,99,761	4,53,629	4,00,692	3,66,315	3,37,390
राजस्व व्यय के % के रूप में	18.32	18.50	18.94	19.28	20.08	19.68	20.08	19.57	20.33	20.98
पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ	4,79,248	4,52,100	4,05,566	3,58,692	3,37,522	3,06,479	2,69,231	2,21,920	2,00,363	1,79,382
राजस्व व्यय के % के रूप में	12.30	12.57	12.62	12.55	12.53	12.07	11.91	10.84	11.12	11.16
ब्याज भुगतान	4,93,389	4,46,198	4,15,898	3,77,142	3,42,060	3,10,676	2,84,901	2,46,736	2,10,528	1,86,945
राजस्व व्यय के % के रूप में	12.66	12.41	12.94	13.20	12.69	12.23	12.61	12.05	11.68	11.63
कुल प्रतिबद्ध व्यय	16,86,393	15,63,649	14,30,188	12,86,793	12,20,550	11,16,917	10,07,761	8,69,348	7,77,206	7,03,718
राजस्व व्यय के % के रूप में	43.28	43.49	44.51	45.03	45.29	43.98	44.60	42.46	43.13	43.76

अनुलग्नक 12: सहायता अनुदान वेतन (आंकड़े ₹ करोड़ में)

राज्य	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
आंध्र प्रदेश	17,996	17,067	13,108	13,354	11,637	9,952	9,719	9,227	8,096	5,472
अरुणाचल प्रदेश	734	786	671	549	599	575	533	514	476	343
असम	3,694	2,838	2,845	2,468	2,678	2,666	1,825	1,022	946	564
बिहार	26,627	31,829	24,330	17,435	18,242	19,351	15,487	12,192	11,425	7,755
छत्तीसगढ़	227	253	192	140	673	1,593	3,447	2,868	2,305	2,010
गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
गुजरात	28,440	17,917	14,482	13,151	12,235	11,821	10,302	8,559	8,195	8,527
हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
हिमाचल प्रदेश	1,771	1,736	1,688	1,508	1,325	1,204	1,213	1,001	813	701
झारखंड	3,600	3,253	2,915	2,872	1,387	1,877	1,946	1,789	1,917	1,899
कर्नाटक ³⁷	5,194	5,038	4,919	4,883	5,283	4,309	3,940	4,526	5,454	5,623
केरल	1,929	1,872	1,939	1,916	1,958	1,844	1,720	1,506	1,264	1,078
मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
महाराष्ट्र	82,969	76,234	65,812	61,046	60,540	48,137	45,904	43,829	41,254	38,226
मणिपुर	1,175	1,096	1,246	1,332	1,155	1,156	952	731	791	851
मेघालय	1,419	1,173	1,086	1,599	1,498	1,357	1,420	1,645	859	898
मिज़ोरम	1,019	882	798	758	730	635	506	481	468	396
नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ओडिशा	7,155	5,506	5,326	6,051	5,380	5,226	4,153	3,362	2,853	2,504
पंजाब	4,654	3,997	3,899	3,795	3,248	3,491	3,225	3,250	3,113	3,201
राजस्थान	9,009	7,468	6,639	4,684	5,133	5,691	5,116	8,572	8,119	5,378
सिक्किम	133	56	55	38	184	322	279	257	304	270
तमिलनाडु	9,922	9,248	8,416	8,027	8,190	7,792	6,819	6,088	5,712	5,392
तेलंगाना	10,790	9,849	8,533	7,192	6,957	6,563	6,505	5,961	5,387	3,295
त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	61,981	58,408	51,547	44,844	45,323	39,881	40,665	47,045	39,915	29,471

³⁷ कर्नाटक सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 में कुल ₹66,039 करोड़ की सहायता अनुदान दी है। इसमें से ₹22,487 करोड़ जिलों (बेंगलूर, बेलूर, कोलार, मंगलूर, मैसूर, रायचूर आदि) को सहायता अनुदान के रूप में दर्ज किए गए हैं, जिसमें सहायता अनुदान-वेतन और अन्य सम्मिलित हैं। इन उद्देश्य शीर्षों के तहत सहायता अनुदान-वेतन का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। अतः कर्नाटक के मामले में सहायता अनुदान-वेतन पर होने वाला व्यय कम करके दिखाया गया है।

राज्य	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
उत्तरखंड	1,352	1,392	1,182	1,180	1,072	1,028	896	708	657	634
पश्चिम बंगाल	35,476	34,214	33,978	32,592	27,815	23,574	0	0	0	0
सभी राज्यों का योग	3,17,265	2,92,114	2,55,604	2,31,412	2,23,241	2,00,046	1,66,572	1,65,132	1,50,323	1,24,488

अनुलग्नक 13: वर्ष 2023-24 के लिए सब्सिडी पर व्यय (आंकड़े ₹ करोड़ में)

राज्य	सब्सिडी राशि
आंध्र प्रदेश (योग)	19,431
ऊर्जा	13,641
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	4,513
ग्रामीण विकास	498
शहरी विकास	318
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यकों का कल्याण	231
अन्य	230
अरुणाचल प्रदेश (योग)	-
असम (योग)	456
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	456
बिहार (योग)	16,245
ऊर्जा	13,161
उद्योग	1,308
नागरिक आपूर्ति	822
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	815
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यकों का कल्याण	95
अन्य	43
छत्तीसगढ़ (योग)	10,797
ऊर्जा	6,033
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	4,467
उद्योग	273
राजकोषीय सेवाएँ	10
ग्रामीण विकास	6
अन्य	7
गोवा (योग)	620
समाज कल्याण एवं पोषण	344
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	134
परिवहन	130
पेंशन एवं विविध सामान्य सेवाएँ	6
उद्योग	5
अन्य	1
गुजरात (योग)	28,033
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	11,706
उद्योग	5,835
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	2,190
जनजातीय विकास विभाग	1,549
परिवहन	1,307
अन्य	5,446
हरियाणा (योग)	10,718
ऊर्जा	7,947
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	2,236
उद्योग	436
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यकों का कल्याण	91
समाज कल्याण एवं पोषण	8
शहरी विकास	1
हिमाचल प्रदेश (योग)	1,768

राज्य	सब्सिडी राशि
ऊर्जा	933
परिवहन	412
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	400
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यकों का कल्याण	16
उद्योग	6
अन्य	1
झारखंड (योग)	4,831
ऊर्जा	2,300
नागरिक आपूर्ति	1,689
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	840
परिवहन	1
कर्नाटक (योग)	32,390
ऊर्जा	18,615
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	9,839
परिवहन	2,656
उद्योग	580
आवास	435
अन्य	265
केरल (योग)	1,725
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	1,386
ग्रामीण विकास	183
शहरी विकास	62
उद्योग	51
सिंचाई	26
अन्य	16
मध्य प्रदेश (योग)	20,377
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	10,181
ऊर्जा	5,315
शिक्षा	1,606
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	1,482
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	600
अन्य	1,194
महाराष्ट्र (योग)	48,053
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	18,599
उद्योग, ऊर्जा एवं श्रम	17,314
राजकोषीय सेवाएँ	3,960
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	2,607
सहकारिता, विपणन और वस्त्र	2,539
अन्य	3,034
मणिपुर (योग)	358
ऊर्जा	358
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	0
समाज कल्याण एवं पोषण	0
मेघालय (योग)	59
नागरिक आपूर्ति	37
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	18
पर्यटन	4
मिज़ोरम (योग)	117

राज्य	सब्सिडी राशि
ऊर्जा	116
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	1
नागालैंड (योग)	41
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	25
अन्य सामाजिक सेवाएँ	16
ओडिशा (योग)	4,123
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	3,194
समाज कल्याण एवं पोषण	291
उद्योग	292
परिवहन	184
अन्य	162
पंजाब (योग)	18,770
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	9,159
ऊर्जा	6,818
उद्योग	2,603
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यकों का कल्याण	140
शिक्षा	50
राजकोषीय सेवाएँ	0
राजस्थान (योग)	28,402
ऊर्जा	27,038
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	672
नागरिक आपूर्ति	617
समाज कल्याण एवं पोषण	30
सिंचाई	25
अन्य	21
सिक्किम (योग)	33
ऊर्जा	29
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	3
अन्य सामाजिक सेवाएँ	1
उद्योग	0
तमिलनाडु (योग)	37,749
नागरिक आपूर्ति	11,412
समाज कल्याण एवं पोषण	7,937
ऊर्जा	6,922
परिवहन	4,524
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	3,594
अन्य	3,359
तेलंगाना (योग)	9,411
ऊर्जा	7,172
समाज कल्याण	1,153
परिवहन	950
नागरिक आपूर्ति	80
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	46
अन्य	9
त्रिपुरा (योग)	122
ऊर्जा	64
नागरिक आपूर्ति	31
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	21

राज्य	सब्सिडी राशि
उद्योग	6
शिक्षा	0
पर्यटन	0
उत्तर प्रदेश (योग)	24,736
ऊर्जा	15,175
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	5,418
उद्योग	1,639
समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	1,560
सिंचाई	676
अन्य	268
उत्तराखंड (योग)	428
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	201
उद्योग	80
शहरी विकास	75
पर्यटन	27
नागरिक आपूर्ति	27
अन्य	19
पश्चिम बंगाल (योग)	10,476
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	7,671
ऊर्जा	1,754
परिवहन	928
उद्योग	41
शिक्षा	37
अन्य	44
योग	3,30,269

अनुलग्नक 14: राज्यों के प्रकार्यनुसार राजस्व व्यय (प्रमुख प्रकार्य) (आंकड़े ₹ करोड़ में)

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
आंध्र प्रदेश (योग)	2,12,450	2,01,256	1,59,163	1,52,677	1,37,475	1,28,570	1,21,214	1,16,215	95,950	1,14,866
पुलिस	7,137	6,720	5,671	5,829	5,369	5,077	4,505	4,168	3,609	4,080
लोक निर्माण	286	289	251	251	237	239	229	231	202	215
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	26,588	26,094	22,620	20,789	26,303	19,342	19,654	17,213	16,079	16,300
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	13,721	10,972	10,141	8,974	7,334	7,225	6,188	6,044	4,945	4,806
जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	533	562	291	-92	709	1,590	3,173	1,133	1,115	1,471
आवास एवं शहरी विकास	13,861	14,195	6,592	5,547	4,974	7,119	4,515	4,766	3,910	3,575
सामाजिक कल्याण एवं पोषण	4,522	12,123	5,106	4,889	5,260	21,237	13,457	11,364	13,253	8,930
अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों/अल्पसंख्यकों का कल्याण	36,081	22,627	22,173	22,411	21,601	5,447	9,746	7,952	5,603	5,662
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	9,742	11,161	7,432	11,319	6,714	8,489	7,326	7,945	4,924	10,102
ग्रामीण विकास	13,363	10,976	9,218	12,717	7,505	7,460	7,990	9,802	8,255	9,569
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	706	722	1,110	692	594	602	634	596	623	4,972
ऊर्जा	14,720	18,008	10,851	6,017	6,840	1,902	3,417	11,483	3,806	12,417
उद्योग एवं खनिज	534	245	906	1,318	378	1,008	1,536	870	581	2,453
परिवहन	5,164	4,605	4,208	4,300	1,442	1,142	1,475	1,181	1,213	3,330
पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	3	4	2	2	1	2	3	3	1	10
पर्यटन	24	32	-3	23	68	110	191	40	132	46
नागरिक आपूर्ति	208	403	220	85	-61	480	519	192	173	257
सहायता अनुदान (स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन)	21	20	20	20	16	41	86	93	116	126
अन्य	65,234	61,499	52,354	47,586	42,191	40,058	36,572	31,140	27,409	26,546
अरुणाचल प्रदेश (योग)	20,564	17,418	15,847	13,088	12,219	12,429	10,900	9,395	8,363	7,157
पुलिस	1,216	1,191	1,143	940	891	873	878	733	670	584
लोक निर्माण	576	371	317	281	301	279	265	226	176	158
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	2,610	2,748	2,315	1,585	1,847	1,814	1,718	1,409	1,276	1,031
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,591	1,481	1,348	929	944	1,061	894	692	489	546
जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	916	634	960	885	752	733	670	514	365	299
आवास एवं शहरी विकास	340	255	424	277	149	266	149	71	102	58
सामाजिक कल्याण एवं पोषण	509	389	388	260	398	337	324	158	196	173

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों/अल्पसंख्यकों का कल्याण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	1,557	1,634	1,239	832	1,147	800	769	770	666	657
ग्रामीण विकास	1,398	1,100	674	1,124	441	618	576	422	328	185
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	399	363	400	367	212	204	275	180	175	122
ऊर्जा	1,678	1,425	1,380	1,067	918	971	704	797	560	440
उद्योग एवं खनिज	146	150	124	97	103	97	91	79	72	63
परिवहन	2,312	1,106	1,037	772	1,007	1,149	804	877	1,121	865
पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	5	4	3	2	3	3	3	1	1	0
पर्यटन	43	47	34	18	42	43	36	31	25	24
नागरिक आपूर्ति	93	83	84	66	59	51	53	26	32	27
सहायता अनुदान (स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य	5,174	4,436	3,975	3,587	3,005	3,131	2,693	2,406	2,108	1,924
असम (योग)	94,163	1,01,815	82,548	64,520	65,817	56,899	55,481	49,363	37,011	39,078
पुलिस	5,246	4,826	4,315	4,102	4,098	3,871	3,654	2,894	2,459	2,385
लोक निर्माण	435	389	365	297	258	245	267	281	140	402
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	20,474	19,290	17,956	16,338	15,814	15,609	14,090	12,655	10,710	11,164
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	6,032	6,304	6,542	5,728	4,847	4,252	4,212	3,162	2,856	1,909
जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	514	518	549	599	670	643	391	957	634	780
आवास एवं शहरी विकास	7,100	15,385	3,593	2,597	2,516	755	2,428	2,094	1,158	1,100
सामाजिक कल्याण एवं पोषण	6,878	5,519	2,436	2,280	2,339	1,615	1,110	1,125	1,557	1,575
अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों/अल्पसंख्यकों का कल्याण	1,888	3,076	1,216	622	2,077	1,649	643	771	214	567
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	4,203	3,997	4,163	3,603	3,823	2,895	2,905	2,530	1,667	2,088
ग्रामीण विकास	3,711	5,376	3,556	3,630	5,455	1,983	3,114	1,666	1,788	1,655
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	1,038	1,346	928	882	875	855	847	769	669	733
ऊर्जा	733	1,152	1,301	1,352	1,406	1,642	1,563	419	3	114
उद्योग एवं खनिज	560	1,016	815	356	446	566	709	433	320	395
परिवहन	1,387	1,194	1,401	1,426	1,415	1,450	1,737	2,300	1,405	1,477
पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पर्यटन	37	45	35	47	99	78	61	29	9	35
नागरिक आपूर्ति	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
सहायता अनुदान (स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन)	333	516	306	377	366	274	125	652	375	994
अन्य	33,592	31,865	33,070	20,283	19,312	18,516	17,625	16,626	11,045	11,704
बिहार (योग)	1,90,514	1,83,976	1,59,220	1,39,493	1,26,017	1,24,897	1,02,624	94,765	83,616	72,570
पुलिस	10,818	9,236	8,265	7,744	7,318	7,047	5,737	5,344	4,862	4,620
लोक निर्माण	1,038	637	629	389	388	558	494	431	452	394
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	40,890	41,495	33,770	26,611	26,156	27,024	23,315	19,152	18,605	16,267
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	10,839	9,383	10,645	8,504	6,811	6,172	5,617	4,622	3,481	3,288
जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	7,692	2,552	942	1,741	2,072	5,387	2,338	1,202	610	604
आवास एवं शहरी विकास	9,536	17,576	12,370	9,721	8,249	8,534	3,338	6,261	3,084	3,035
सामाजिक कल्याण एवं पोषण	9,470	11,652	9,494	9,079	7,613	6,614	6,216	5,879	5,392	5,508
अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों/अल्पसंख्यकों का कल्याण	975	2,865	4,226	830	2,419	2,164	951	2,227	4,056	2,305
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	5,018	4,563	3,134	3,282	3,995	3,636	3,626	2,287	3,515	3,431
ग्रामीण विकास	18,123	13,311	15,139	12,088	11,607	11,356	11,212	8,352	4,921	4,070
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	1,506	1,294	1,101	1,631	871	1,360	1,301	1,048	1,151	1,020
ऊर्जा	13,974	12,750	8,996	7,499	5,975	6,923	4,305	7,698	6,151	3,773
उद्योग एवं खनिज	1,735	1,314	1,048	419	676	840	756	888	1,201	561
परिवहन	6,335	4,719	3,630	3,523	2,488	2,795	1,402	1,787	1,712	996
पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	3	2	4	10	0	-	-	-	-	-
पर्यटन	187	171	41	15	25	29	64	86	28	17
नागरिक आपूर्ति	973	815	873	720	694	738	586	1,060	795	441
सहायता अनुदान (स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन)	0	0	0	2	2	4	4	4	4	4
अन्य	51,402	49,643	44,913	45,685	38,658	33,715	31,364	26,437	23,594	22,237
छत्तीसगढ़ (योग)	1,14,741	85,285	75,010	70,033	73,477	64,411	56,230	48,165	43,701	39,561
पुलिस	5,173	4,554	4,266	3,910	4,127	3,545	3,069	2,625	2,417	2,185
लोक निर्माण	536	481	499	480	491	468	360	319	274	261
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	19,920	17,725	15,619	14,192	15,983	12,512	11,845	11,079	9,326	9,257
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	6,326	5,894	6,224	5,172	4,310	3,543	3,607	2,967	2,419	2,099
जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	546	403	280	340	616	745	1,379	1,338	806	592
आवास एवं शहरी विकास	5,398	3,887	1,880	1,844	1,996	3,716	4,520	2,766	607	964
सामाजिक कल्याण एवं पोषण	5,040	2,641	2,787	2,528	2,683	1,989	2,161	2,071	1,958	1,843

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों/अल्पसंख्यकों का कल्याण	220	301	180	205	207	143	176	196	173	184
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	33,113	17,329	14,012	13,818	15,195	18,020	8,781	6,769	8,325	7,726
ग्रामीण विकास	4,518	3,885	4,217	3,707	4,362	2,433	3,695	4,299	2,966	3,588
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	588	548	553	546	584	567	534	525	490	452
ऊर्जा	6,545	5,337	3,870	4,444	4,749	2,105	2,635	1,036	2,816	937
उद्योग एवं खनिज	1,108	988	673	561	536	528	856	758	489	625
परिवहन	1,727	1,258	1,066	1,059	1,020	1,016	943	654	781	652
पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पर्यटन	56	46	46	22	22	6	19	23	17	46
नागरिक आपूर्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सहायता अनुदान (स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन)	1,298	1,143	1,113	1,125	1,120	895	1,365	1,151	900	979
अन्य	22,631	18,866	17,725	16,081	15,476	12,182	10,283	9,589	8,936	7,172
गोवा (योग)	16,849	14,884	14,227	12,093	11,623	11,083	10,543	8,866	8,420	7,410
पुलिस	734	635	580	560	535	501	489	358	342	270
लोक निर्माण	149	116	128	109	107	112	117	89	93	87
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	2,978	2,383	2,138	2,052	1,987	2,046	1,792	1,467	1,337	1,226
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,586	1,351	1,309	1,088	975	841	842	611	543	490
जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	468	240	1,022	397	379	298	377	288	329	275
आवास एवं शहरी विकास	100	146	109	121	174	110	223	99	93	79
सामाजिक कल्याण एवं पोषण	740	929	761	677	638	685	701	667	681	566
अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों/अल्पसंख्यकों का कल्याण	55	127	48	67	76	150	110	135	122	113
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	498	447	432	403	334	331	320	293	304	258
ग्रामीण विकास	147	212	304	268	153	131	147	143	133	76
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	176	144	131	144	130	150	168	136	121	101
ऊर्जा	3,410	2,751	2,237	2,046	2,220	1,896	1,671	1,563	1,490	1,320
उद्योग एवं खनिज	79	104	130	65	67	111	87	104	136	112
परिवहन	339	331	330	369	267	316	328	282	295	269
पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	19	4	-6	4	23	18	21	5	2	3
पर्यटन	133	62	38	58	76	65	81	78	146	56
नागरिक आपूर्ति	14	12	14	9	10	8	8	6	6	6

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
सहायता अनुदान (स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
अन्य	5,222	4,889	4,523	3,655	3,473	3,313	3,062	2,541	2,244	2,091
गुजरात (योग)	1,89,286	1,79,543	1,60,421	1,50,704	1,40,899	1,32,790	1,18,060	1,03,895	95,779	86,652
पुलिस	7,071	5,893	5,144	5,080	4,746	4,842	4,428	3,494	3,160	2,928
लोक निर्माण	437	412	347	306	307	323	327	274	279	227
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	34,406	32,192	27,556	26,075	24,642	24,073	21,528	18,560	17,976	16,421
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	13,878	11,479	12,805	10,261	9,216	7,927	6,945	6,242	5,229	4,398
जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	894	760	604	915	661	618	967	1,458	1,017	245
आवास एवं शहरी विकास	10,445	14,587	12,551	10,584	12,976	11,059	9,828	10,418	9,388	8,478
सामाजिक कल्याण एवं पोषण	9,943	8,031	6,545	6,648	4,976	3,604	3,387	3,176	3,427	3,118
अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों/अल्पसंख्यकों का कल्याण	5,711	4,917	4,056	3,419	3,998	3,977	3,511	3,249	2,782	2,360
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	8,892	6,927	6,275	7,525	6,569	8,367	7,802	5,035	4,313	4,069
ग्रामीण विकास	4,657	6,950	3,723	5,582	4,103	3,483	3,200	3,424	3,367	2,039
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	2,313	1,573	1,245	1,232	1,260	1,072	1,088	1,246	982	1,037
ऊर्जा	10,854	12,562	10,898	9,760	8,900	7,655	5,820	5,083	4,482	5,379
उद्योग एवं खनिज	7,530	4,421	5,092	5,959	4,983	4,539	3,085	2,234	1,966	1,504
परिवहन	5,855	6,665	5,478	4,730	5,013	5,090	4,696	4,528	4,104	4,491
पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	600	826	804	674	292	113	151	141	106	51
पर्यटन	248	161	76	96	109	75	84	92	86	25
नागरिक आपूर्ति	1,685	1,790	1,059	1,248	423	691	772	613	379	376
सहायता अनुदान (स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन)	555	477	412	390	415	365	474	416	559	536
अन्य	63,331	58,921	55,751	50,220	47,310	44,917	39,967	34,212	32,177	28,971
हरियाणा (योग)	1,13,196	1,06,406	98,425	89,947	84,848	77,156	73,257	68,403	59,236	49,118
पुलिस	5,804	5,569	5,065	4,619	4,424	3,876	3,576	3,214	2,736	2,625
लोक निर्माण	239	202	282	207	175	183	165	207	224	262
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	16,817	18,039	15,412	14,029	14,479	12,672	11,783	11,060	9,917	9,293
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	6,086	6,298	6,002	5,081	4,472	3,678	3,074	2,800	2,490	2,174
जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	2,709	2,243	1,856	2,230	1,808	1,834	1,704	1,734	1,653	1,359
आवास एवं शहरी विकास	3,719	4,028	4,924	3,685	3,339	2,970	4,067	2,783	1,989	1,662
सामाजिक कल्याण एवं पोषण	11,841	10,391	10,031	8,991	7,784	6,893	5,870	5,043	4,236	3,657

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों/अल्पसंख्यकों का कल्याण	626	558	396	376	287	399	396	565	334	270
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	4,910	4,807	4,791	4,206	3,201	3,392	2,735	2,519	2,295	2,012
ग्रामीण विकास	3,658	2,459	1,985	4,499	3,957	3,418	2,981	2,892	1,851	1,843
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	2,615	2,425	2,045	1,574	1,492	1,471	1,463	1,412	1,405	1,159
ऊर्जा	7,953	7,072	7,130	5,788	7,015	7,447	7,632	10,515	10,220	5,245
उद्योग एवं खनिज	797	690	457	391	392	403	318	350	95	146
परिवहन	3,929	3,072	2,936	2,442	3,079	2,791	2,902	2,820	2,595	2,567
पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	13	7	7	9	12	5	6	7	6	6
पर्यटन	54	35	52	51	23	15	3	2	2	3
नागरिक आपूर्ति	0	0	0	0	0	0	0	149	8	0
सहायता अनुदान (स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन)	-	-	-	-	-	222	391	424	293	145
अन्य	41,425	38,510	35,054	31,768	28,910	25,487	24,194	19,907	16,886	14,689
हिमाचल प्रदेश (योग)	44,732	44,425	36,195	33,535	30,730	29,442	27,053	25,344	22,303	19,787
पुलिस	1,515	1,525	1,208	1,168	1,143	1,093	1,049	970	744	747
लोक निर्माण	378	429	384	581	237	215	310	267	223	225
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	8,100	8,646	6,708	6,344	6,137	5,871	5,699	4,945	4,132	4,144
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2,906	3,161	2,577	2,195	2,075	1,892	1,743	1,501	1,300	1,237
जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	1,304	1,325	1,211	1,096	942	1,141	983	1,137	882	818
आवास एवं शहरी विकास	1,135	1,023	930	865	483	576	356	640	385	244
सामाजिक कल्याण एवं पोषण	2,124	1,934	1,593	1,499	1,271	1,126	948	804	690	630
अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों/अल्पसंख्यकों का कल्याण	53	137	156	121	54	52	56	63	57	55
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	2,545	2,949	2,569	2,388	2,157	2,185	1,800	1,678	1,554	1,527
ग्रामीण विकास	1,283	2,000	1,286	1,398	1,199	1,177	922	1,179	1,005	896
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	450	463	395	396	426	421	450	462	338	360
ऊर्जा	1,151	1,105	1,650	530	411	584	373	822	973	408
उद्योग एवं खनिज	195	264	195	208	147	115	106	122	71	77
परिवहन	2,453	2,341	2,125	2,102	1,909	1,830	1,814	1,546	1,479	1,353
पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	1	1	2	2	1	1	2	0	0	1
पर्यटन	19	27	114	135	20	116	140	115	45	34
नागरिक आपूर्ति	17	37	14	12	12	12	12	14	11	17

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
सहायता अनुदान (स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन)	-	6	8	9	10	9	10	10	10	9
अन्य	19,102	17,052	13,071	12,484	12,094	11,026	10,281	9,069	8,403	7,005
झारखंड (योग)	76,676	66,682	62,778	59,264	56,457	50,631	50,952	45,089	36,553	31,795
पुलिस	6,154	5,933	5,278	4,939	4,901	4,376	3,956	3,052	2,871	2,600
लोक निर्माण	166	136	135	117	133	134	143	109	111	94
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	11,827	11,654	11,174	10,052	9,747	7,844	7,966	7,978	6,542	5,745
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4,875	4,661	4,334	3,484	2,791	3,123	2,549	1,968	1,833	1,358
जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	298	318	730	857	655	1,380	1,762	1,475	1,000	823
आवास एवं शहरी विकास	1,285	1,964	2,443	2,878	2,530	1,920	2,922	2,629	1,390	917
सामाजिक कल्याण एवं पोषण	6,167	5,845	4,488	3,800	3,947	2,637	2,552	2,452	2,150	1,742
अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों/अल्पसंख्यकों का कल्याण	2,032	2,448	1,075	912	1,205	1,146	1,085	1,312	1,169	860
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	2,839	2,758	3,534	2,084	3,006	1,790	2,017	2,206	1,475	1,090
ग्रामीण विकास	6,722	6,239	6,424	8,238	7,873	7,432	6,045	7,247	4,173	3,501
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	397	378	373	367	386	399	398	323	320	330
ऊर्जा	9,549	3,531	3,808	2,022	3,000	2,690	4,530	1,755	2,204	2,344
उद्योग एवं खनिज	329	310	330	246	324	345	265	317	321	237
परिवहन	598	549	443	749	415	387	531	446	348	836
पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पर्यटन	84	65	77	55	71	47	45	37	32	7
नागरिक आपूर्ति	1,766	1,438	1,399	1,358	1,127	1,020	911	1,113	774	839
सहायता अनुदान (स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन)	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
अन्य	21,587	18,458	16,734	17,105	14,346	13,961	13,276	10,671	9,838	8,472
कर्नाटक (योग)	2,42,614	2,15,584	2,09,428	1,76,054	1,74,257	1,64,300	1,42,482	1,31,921	1,17,029	1,03,614
पुलिस	8,478	7,956	6,651	5,940	5,527	5,175	4,222	3,712	3,518	3,362
लोक निर्माण	930	935	780	779	797	843	763	764	801	774
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	32,725	31,263	29,140	24,316	26,518	23,424	21,307	20,084	18,724	18,063
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	12,238	11,309	12,770	9,768	8,339	8,369	6,985	6,139	5,010	5,058
जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	495	5,356	4,822	1,496	1,736	3,075	4,756	4,324	2,734	1,403
आवास एवं शहरी विकास	4,228	7,147	6,385	4,292	5,397	5,536	6,956	6,165	4,640	2,541
सामाजिक कल्याण एवं पोषण	32,677	12,878	12,515	12,189	11,842	16,557	7,544	7,172	6,709	5,857

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों/अल्पसंख्यकों का कल्याण	8,851	8,515	7,574	6,293	7,167	8,488	8,546	6,780	5,562	5,038
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	18,269	16,214	19,918	16,687	21,669	20,305	14,521	11,976	11,149	10,563
ग्रामीण विकास	9,760	11,234	8,121	9,144	7,277	7,001	5,209	5,547	5,222	4,988
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	1,855	1,891	1,979	2,183	2,103	2,059	1,845	1,589	1,258	933
ऊर्जा	23,795	14,103	17,445	14,277	12,264	10,061	9,403	9,237	9,170	6,746
उद्योग एवं खनिज	1,486	1,580	1,682	1,736	1,473	1,486	1,254	1,314	1,219	1,020
परिवहन	6,362	6,347	4,605	4,545	3,567	3,696	4,970	4,844	3,552	3,232
पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	10	11	9	12	10	4	16	17	18	13
पर्यटन	89	195	127	68	98	149	201	152	150	121
नागरिक आपूर्ति	44	37	32	25	23	22	62	19	14	12
सहायता अनुदान (स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन)	6,229	5,662	6,616	5,681	6,425	5,425	6,490	5,686	6,076	6,011
अन्य	74,091	72,950	68,258	56,625	52,027	42,623	37,433	36,400	31,503	27,879
केरल (योग)	1,42,626	1,41,951	1,46,180	1,23,446	1,04,720	1,10,316	99,948	91,096	78,689	71,746
पुलिस	4,324	4,242	4,962	3,246	3,521	3,556	3,490	3,105	2,566	2,340
लोक निर्माण	241	164	211	133	157	134	146	166	161	139
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	21,716	22,038	24,770	16,476	18,460	18,968	18,515	17,061	14,120	12,790
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	9,229	9,851	11,630	8,487	7,295	6,847	6,174	5,731	4,552	4,035
जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	119	245	383	406	334	414	698	931	973	675
आवास एवं शहरी विकास	1,152	1,614	1,015	1,596	1,133	1,165	40	950	362	375
सामाजिक कल्याण एवं पोषण	7,941	12,941	8,662	13,573	3,759	3,664	6,126	5,234	4,311	3,023
अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों/अल्पसंख्यकों का कल्याण	2,492	2,384	2,592	2,657	1,943	2,555	2,804	2,576	2,120	1,773
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	5,928	5,531	8,539	10,379	4,791	6,193	5,528	6,088	4,799	4,322
ग्रामीण विकास	1,514	1,957	1,553	2,290	1,242	1,622	1,445	1,280	2,523	2,305
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	596	580	761	510	516	577	596	508	489	392
ऊर्जा	839	386	381	910	17	23	115	85	75	105
उद्योग एवं खनिज	490	470	512	580	351	608	612	508	345	448
परिवहन	1,138	2,478	2,942	3,219	1,544	2,483	2,255	1,285	2,157	1,937
पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	16	14	13	36	7	26	23	21	21	12
पर्यटन	197	201	163	185	156	176	192	170	138	145
नागरिक आपूर्ति	66	57	73	51	35	42	110	30	27	20

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
सहायता अनुदान (स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन)	9,021	9,563	9,660	9,492	6,064	8,899	7,197	5,481	3,903	6,398
अन्य	75,609	67,233	67,359	49,219	53,396	52,365	43,881	39,886	35,048	30,513
मध्य प्रदेश (योग)	2,21,538	1,99,895	1,81,061	1,64,733	1,50,444	1,42,149	1,30,246	1,19,537	99,771	82,373
पुलिस	7,855	7,197	6,339	6,305	6,257	6,014	5,154	4,503	4,153	3,619
लोक निर्माण	260	242	272	360	401	446	449	429	399	364
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	36,604	32,669	29,504	28,810	28,780	26,174	23,653	21,144	17,055	16,222
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	13,804	12,412	11,706	8,948	8,484	6,521	6,409	5,376	5,228	4,521
जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	1,236	1,202	1,283	1,083	1,157	1,465	3,083	3,017	1,405	916
आवास एवं शहरी विकास	6,944	16,336	10,831	11,526	10,243	12,012	14,235	8,165	4,869	2,361
सामाजिक कल्याण एवं पोषण	24,998	9,750	8,605	8,060	7,483	6,026	5,527	5,236	5,414	3,156
अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों/अल्पसंख्यकों का कल्याण	4,442	5,144	4,838	3,918	3,930	3,257	3,357	3,095	2,968	2,214
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	13,035	13,204	14,879	12,373	13,227	15,603	11,928	10,311	7,476	8,291
ग्रामीण विकास	9,796	6,603	8,216	10,350	8,266	7,374	6,821	8,818	6,108	6,617
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	1,474	1,595	979	999	1,122	1,061	645	688	630	845
ऊर्जा	26,850	27,153	23,447	14,974	14,077	10,071	9,753	12,476	7,219	5,106
उद्योग एवं खनिज	3,839	4,241	3,483	2,087	2,347	2,104	1,960	2,847	2,477	1,286
परिवहन	1,765	1,803	1,425	1,093	1,167	1,027	1,102	1,245	1,209	1,288
पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पर्यटन	74	143	104	51	96	104	156	141	92	66
नागरिक आपूर्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सहायता अनुदान (स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन)	8,517	7,878	7,125	5,900	5,900	7,672	7,065	6,807	5,891	4,225
अन्य	60,067	52,326	48,023	47,895	37,506	35,218	28,949	25,241	27,177	21,273
महाराष्ट्र (योग)	4,44,350	4,07,614	3,49,686	3,10,610	3,00,305	2,67,022	2,41,571	2,13,229	1,90,374	1,77,553
पुलिस	20,958	19,515	17,134	15,156	15,868	12,038	11,233	11,191	9,807	8,700
लोक निर्माण	1,209	1,687	1,293	1,041	1,385	1,137	1,086	1,121	1,137	1,213
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	91,648	81,211	68,554	62,209	62,357	50,922	48,476	45,358	42,867	39,696
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	20,179	18,663	19,455	16,102	13,576	11,969	11,605	10,121	9,357	8,497
जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	8,532	5,167	2,885	2,193	2,177	3,818	3,090	2,993	2,482	1,809
आवास एवं शहरी विकास	20,989	17,085	13,800	10,706	10,027	10,560	9,124	11,875	7,091	5,620
सामाजिक कल्याण एवं पोषण	15,527	12,393	11,732	10,372	9,038	8,069	6,158	6,647	6,918	5,867

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों/अल्पसंख्यकों का कल्याण	22,872	18,746	16,464	10,739	13,655	14,234	12,439	9,187	8,237	8,097
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	31,015	26,826	17,698	31,888	20,666	20,020	26,130	13,245	9,660	8,567
ग्रामीण विकास	14,924	14,352	9,103	9,847	8,240	6,997	6,589	7,018	5,609	6,172
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	2,388	2,312	2,220	2,043	2,170	1,898	2,159	2,544	2,758	2,487
ऊर्जा	13,485	13,885	12,187	9,865	11,221	11,135	8,946	9,611	9,404	10,891
उद्योग एवं खनिज	7,304	6,879	5,874	2,697	3,673	3,580	2,439	3,102	3,279	2,894
परिवहन	10,648	12,092	8,689	5,160	7,185	6,338	5,461	6,106	5,541	5,556
पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	822	705	244	186	165	207	145	152	92	72
पर्यटन	1,263	1,037	839	315	271	457	293	602	412	290
नागरिक आपूर्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सहायता अनुदान (स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन)	31,889	32,874	25,963	20,396	21,264	20,107	15,793	7,495	5,635	2,428
अन्य	1,28,701	1,22,187	1,15,553	99,695	97,367	83,535	70,406	64,860	60,085	58,697
मणिपुर (योग)	13,822	14,159	12,642	12,428	10,239	9,749	9,274	8,185	7,383	7,267
पुलिस	2,791	2,120	2,049	1,872	1,561	1,370	1,221	1,184	1,029	967
लोक निर्माण	22	23	20	27	23	36	57	33	32	35
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	2,364	2,151	1,752	1,578	1,482	1,398	1,304	1,159	1,063	1,111
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	930	1,106	996	826	622	594	561	425	443	418
जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	99	104	90	100	70	52	63	55	52	63
आवास एवं शहरी विकास	116	220	77	196	189	83	100	53	59	53
सामाजिक कल्याण एवं पोषण	404	647	453	339	281	273	290	238	205	188
अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों/अल्पसंख्यकों का कल्याण	127	132	129	168	142	170	167	80	108	158
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	398	447	455	566	432	461	394	336	359	457
ग्रामीण विकास	883	1,555	1,342	1,998	1,101	966	988	811	697	540
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	55	67	60	71	65	66	90	91	75	95
ऊर्जा	425	318	427	410	405	543	566	750	625	453
उद्योग एवं खनिज	64	71	68	80	70	83	80	71	85	78
परिवहन	83	88	79	75	72	113	99	111	99	132
पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	21	12	34	31	24	31	30	15	14	13
पर्यटन	9	40	7	5	21	21	17	20	12	9
नागरिक आपूर्ति	-	45	43	48	47	88	77	21	15	13

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
सहायता अनुदान (स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन)	491	359	552	623	555	573	534	364	348	476
अन्य	4,541	4,656	4,010	3,414	3,077	2,827	2,637	2,366	2,062	2,009
मेधालय (योग)	16,584	14,864	13,620	11,499	9,565	10,256	8,423	8,337	6,348	6,252
पुलिस	1,108	1,052	991	926	864	820	649	578	535	488
लोक निर्माण	287	247	225	225	217	215	182	166	158	154
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	3,064	2,912	2,352	2,016	2,020	2,105	1,735	1,608	1,283	1,297
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,585	1,455	1,601	1,165	816	1,023	668	604	513	483
जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	398	355	381	309	287	255	212	186	179	167
आवास एवं शहरी विकास	304	314	209	178	77	91	65	72	114	50
सामाजिक कल्याण एवं पोषण	542	332	401	431	318	437	300	280	199	238
अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों/अल्पसंख्यकों का कल्याण	0	86	110	71	100	93	82	263	1	51
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	875	888	869	752	521	676	573	565	584	590
ग्रामीण विकास	2,453	1,174	876	1,037	848	781	1,068	1,333	538	570
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	71	71	87	79	43	59	49	42	39	37
ऊर्जा	284	293	685	120	24	167	114	128	67	166
उद्योग एवं खनिज	227	253	294	190	145	199	231	148	148	194
परिवहन	426	387	387	305	258	189	173	186	149	121
पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पर्यटन	50	24	66	21	16	12	14	17	20	16
नागरिक आपूर्ति	63	58	32	85	15	68	52	58	26	19
सहायता अनुदान (स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन)	-	-	-	4	4	11	6	12	9	6
अन्य	4,848	4,962	4,053	3,585	2,991	3,055	2,250	2,090	1,786	1,603
मिज़ोरम (योग)	10,837	10,092	8,557	8,515	9,454	7,506	6,881	6,230	5,571	5,652
पुलिस	713	695	628	631	642	620	486	485	448	413
लोक निर्माण	68	61	61	62	68	55	51	49	42	62
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	1,721	1,703	1,517	1,508	1,619	1,398	1,257	1,162	1,128	1,142
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	560	600	629	550	552	491	469	371	367	328
जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	288	400	250	214	236	212	214	190	155	159
आवास एवं शहरी विकास	824	144	244	193	247	216	113	95	88	96
सामाजिक कल्याण एवं पोषण	211	216	162	176	185	157	151	145	146	103

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों/अल्पसंख्यकों का कल्याण	573	550	497	460	466	424	371	301	287	284
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	604	570	626	550	592	569	544	509	386	722
ग्रामीण विकास	223	310	237	276	258	182	347	345	296	228
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	15	14	13	12	13	15	11	11	11	11
ऊर्जा	775	945	701	806	739	583	511	465	362	338
उद्योग एवं खनिज	72	75	78	77	79	76	86	100	87	149
परिवहन	525	502	267	222	1,028	303	398	289	196	190
पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	2	2	2	1	1	1	1	1	0	0
पर्यटन	12	19	11	11	13	9	9	9	8	6
नागरिक आपूर्ति	24	23	24	23	23	22	18	17	19	15
सहायता अनुदान (स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन)	58	8	8	8	27	42	37	29	18	48
अन्य	3,569	3,252	2,603	2,732	2,666	2,131	1,805	1,661	1,527	1,357
नागालैंड (योग)	14,820	13,410	11,817	11,052	11,637	10,920	10,191	8,652	7,582	6,762
पुलिस	1,828	1,838	1,652	1,532	1,697	1,522	1,313	1,259	1,156	1,069
लोक निर्माण	228	205	189	179	192	174	159	134	130	97
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	2,217	2,089	1,899	1,714	1,595	1,807	1,482	1,292	1,229	1,064
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	815	792	766	684	660	616	537	482	457	394
जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	115	107	114	100	102	97	91	81	79	60
आवास एवं शहरी विकास	467	155	112	163	45	35	50	74	38	68
सामाजिक कल्याण एवं पोषण	486	294	309	266	298	241	237	239	170	145
अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों/अल्पसंख्यकों का कल्याण	41	64	26	56	24	50	46	27	27	25
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	920	782	657	662	783	694	626	480	431	477
ग्रामीण विकास	692	533	619	734	813	622	1,356	811	324	278
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	37	37	33	31	31	31	28	27	28	62
ऊर्जा	779	764	637	619	585	490	451	432	373	344
उद्योग एवं खनिज	173	154	150	146	139	136	122	103	107	78
परिवहन	484	382	387	416	450	438	454	399	411	262
पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-
पर्यटन	21	25	18	16	34	23	17	14	18	14
नागरिक आपूर्ति	103	111	89	79	102	55	70	33	19	17

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
सहायता अनुदान (स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य	5,414	5,078	4,156	3,654	4,086	3,890	3,152	2,766	2,587	2,309
ओडिशा (योग)	1,48,832	1,31,006	1,09,588	95,311	99,137	85,356	71,837	65,041	58,806	51,136
पुलिस	4,498	4,042	3,765	3,359	3,294	3,101	2,972	2,514	2,318	2,182
लोक निर्माण	1,666	1,393	1,005	939	938	922	1,028	988	953	847
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	26,043	22,885	19,044	17,242	17,228	16,196	13,788	11,809	11,056	9,822
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	12,469	10,169	8,743	7,244	5,681	5,084	4,153	4,061	3,155	2,774
जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	3,594	3,262	4,659	2,265	3,974	2,963	1,757	2,328	1,989	1,052
आवास एवं शहरी विकास	4,434	3,517	2,537	2,579	2,871	2,146	2,097	1,227	1,097	841
सामाजिक कल्याण एवं पोषण	9,497	7,160	6,692	5,338	6,571	5,442	4,154	3,884	3,631	3,448
अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों/अल्पसंख्यकों का कल्याण	3,246	2,932	2,486	2,113	2,458	2,747	2,218	1,985	1,857	1,429
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	13,679	10,814	9,713	8,569	10,992	7,843	5,801	6,497	5,802	5,613
ग्रामीण विकास	14,748	10,196	10,543	11,344	9,737	9,933	9,018	7,991	7,400	4,446
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	3,346	2,819	2,356	1,685	1,305	1,679	1,911	1,870	1,813	1,376
ऊर्जा	141	57	27	38	57	268	45	84	53	45
उद्योग एवं खनिज	1,988	1,381	1,154	757	746	785	679	488	486	375
परिवहन	4,192	2,667	2,619	2,257	1,889	1,926	2,224	1,981	1,846	1,896
पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	55	55	32	39	36	37	37	22	16	36
पर्यटन	283	261	145	123	89	85	76	50	40	35
नागरिक आपूर्ति	47	24	34	41	18	19	36	30	31	6
सहायता अनुदान (स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन)	1,550	1,584	1,513	1,330	1,434	1,363	1,263	1,012	916	817
अन्य	43,355	45,787	32,521	28,049	29,820	22,818	18,581	16,219	14,347	14,096
पंजाब (योग)	1,17,407	1,13,661	96,637	86,345	75,860	75,404	62,465	55,296	50,073	46,613
पुलिस	8,002	7,895	7,022	6,138	5,848	5,582	5,248	4,742	4,490	4,238
लोक निर्माण	468	496	561	384	298	354	421	429	368	470
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	15,122	14,465	12,712	11,949	10,860	10,103	9,312	8,813	8,549	7,472
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4,779	4,128	3,860	3,760	3,390	3,143	2,746	2,868	2,604	2,364
जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	931	863	410	511	455	342	360	358	340	316
आवास एवं शहरी विकास	446	456	108	532	346	616	404	410	565	761
सामाजिक कल्याण एवं पोषण	7,629	7,301	5,578	3,350	3,127	2,757	1,771	1,623	1,529	1,426

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों/अल्पसंख्यकों का कल्याण	1,063	616	671	588	451	611	293	521	522	891
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	12,093	12,458	10,232	8,312	8,365	12,343	7,487	5,718	6,205	3,777
ग्रामीण विकास	606	858	561	628	451	436	322	261	469	855
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	1,096	1,067	1,037	1,010	1,175	1,170	1,183	1,262	1,314	1,231
ऊर्जा	6,818	8,226	4,383	2,189	1,597	2,197	1,319	1,655	514	2,506
उद्योग एवं खनिज	2,938	3,450	2,519	2,119	1,850	707	57	63	70	63
परिवहन	631	501	1,055	878	860	741	552	505	633	484
पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	7	14	6	3	1	1	1	1	2	1
पर्यटन	61	7	5	5	3	5	4	101	48	2
नागरिक आपूर्ति	714	341	340	234	187	225	210	591	446	258
सहायता अनुदान (स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन)	3,296	3,812	3,859	5,971	3,210	2,265	1,301	918	706	604
अन्य	50,709	46,706	41,719	37,786	33,385	31,806	29,472	24,458	20,699	18,894
राजस्थान (योग)	2,42,231	2,26,479	2,09,790	1,78,309	1,76,485	1,66,773	1,45,842	1,27,140	1,06,239	94,542
पुलिस	8,438	7,787	7,067	6,284	6,066	6,104	4,660	4,436	3,975	3,682
लोक निर्माण	-213	45	132	124	56	74	59	152	136	75
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	49,277	44,450	40,393	34,910	33,525	34,594	26,668	24,498	21,097	19,363
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	19,270	13,145	14,350	11,988	11,662	11,362	9,342	7,738	7,182	5,973
जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	4,643	4,295	4,072	3,497	3,410	3,416	3,007	2,625	2,408	2,071
आवास एवं शहरी विकास	6,906	7,112	6,544	6,040	4,334	4,200	4,223	4,782	3,290	2,608
सामाजिक कल्याण एवं पोषण	15,831	16,093	14,475	11,842	9,935	7,743	6,275	5,848	5,280	5,485
अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों/अल्पसंख्यकों का कल्याण	1,510	2,115	1,786	1,552	1,755	1,501	1,328	1,100	1,018	965
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	10,946	9,762	12,091	12,050	10,316	8,376	5,114	5,140	4,021	3,989
ग्रामीण विकास	12,014	15,901	16,464	11,747	12,605	11,374	15,015	11,140	12,198	10,405
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	2,344	2,268	2,158	1,997	1,795	1,697	2,057	1,942	1,813	1,719
ऊर्जा	27,040	24,518	22,648	14,267	22,750	21,207	23,456	16,852	11,019	9,118
उद्योग एवं खनिज	555	656	440	268	402	271	348	445	325	242
परिवहन	5,359	5,069	3,774	1,862	2,583	1,827	2,177	1,686	1,506	1,844
पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	3	8	5	3	4	8	2	28	23	36
पर्यटन	88	211	43	27	50	82	135	96	75	24
नागरिक आपूर्ति	1,302	1,116	988	1,277	658	494	319	517	310	833

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
सहायता अनुदान (स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
अन्य	76,916	71,926	62,360	58,575	54,581	52,443	41,657	38,116	30,564	26,109
सिक्किम (योग)	8,221	7,631	6,669	6,369	6,185	5,227	4,152	3,788	3,645	3,731
पुलिस	529	526	478	442	456	358	284	272	260	242
लोक निर्माण	49	46	43	39	79	35	26	26	25	23
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	1,395	1,374	1,285	1,251	1,327	995	844	769	773	729
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	621	592	560	458	386	316	238	209	194	199
जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	73	70	65	63	64	60	38	39	40	28
आवास एवं शहरी विकास	251	143	168	257	195	371	195	129	68	179
सामाजिक कल्याण एवं पोषण	226	216	148	152	135	113	86	68	80	63
अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों/अल्पसंख्यकों का कल्याण	98	234	113	73	59	70	35	29	31	27
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	659	559	494	467	489	428	300	269	309	281
ग्रामीण विकास	277	223	231	195	182	141	176	236	145	166
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	40	38	53	57	41	31	44	30	34	18
ऊर्जा	424	404	287	313	285	205	210	213	217	137
उद्योग एवं खनिज	73	75	59	47	48	38	70	32	33	40
परिवहन	379	347	322	229	320	228	184	142	125	142
पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	3	4	4	4	4	7	1	2	-16	1
पर्यटन	39	48	37	27	32	27	23	19	21	19
नागरिक आपूर्ति	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1
सहायता अनुदान (स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन)	96	99	110	93	84	66	63	56	39	42
अन्य	2,985	2,629	2,209	2,199	1,997	1,737	1,335	1,247	1,266	1,394
तमिलनाडु (योग)	3,09,718	2,79,964	2,54,030	2,36,402	2,10,435	1,97,201	1,67,874	1,53,195	1,40,993	1,28,828
पुलिस	10,300	9,609	8,044	7,457	7,526	6,734	5,731	5,167	4,698	4,532
लोक निर्माण	679	794	473	540	420	385	377	256	252	317
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	46,213	44,560	38,185	38,000	38,239	32,984	28,707	26,034	25,016	24,244
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	16,557	16,245	16,494	14,867	11,512	11,758	10,029	7,954	7,765	6,901
जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	500	473	552	785	646	1,069	1,562	1,337	544	520
आवास एवं शहरी विकास	3,958	4,677	5,493	6,490	4,809	5,009	3,432	2,320	2,476	3,266
सामाजिक कल्याण एवं पोषण	25,768	16,230	14,255	12,430	12,408	11,791	10,841	11,060	12,363	11,784

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों/अल्पसंख्यकों का कल्याण	4,262	3,626	2,997	4,231	4,390	4,343	3,597	3,587	3,102	2,621
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	19,659	22,259	20,623	14,604	14,015	12,362	11,553	9,882	7,825	7,150
ग्रामीण विकास	6,763	8,521	7,071	3,803	3,504	4,243	2,911	5,919	7,359	5,736
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	2,861	2,491	2,178	1,895	1,853	1,601	1,589	1,413	1,398	1,376
ऊर्जा	24,037	17,584	15,141	16,577	8,733	7,675	8,428	6,301	3,920	3,514
उद्योग एवं खनिज	3,300	3,517	3,535	3,164	4,061	3,702	2,837	2,780	2,238	1,622
परिवहन	3,303	3,281	2,274	1,538	1,407	1,409	2,134	1,522	1,227	2,073
पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	36	41	6	8	7	13	4	6	7	6
पर्यटन	37	37	24	28	33	27	25	23	24	24
नागरिक आपूर्ति	11,208	13,768	9,534	9,775	8,517	8,155	6,223	5,699	5,425	5,101
सहायता अनुदान (स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन)	23,564	19,926	19,489	15,796	15,688	14,880	11,470	12,466	10,732	9,980
अन्य	1,06,711	92,324	87,662	84,414	72,668	69,062	56,425	49,472	44,622	38,060
तेलंगाना (योग)	1,68,514	1,53,407	1,36,803	1,23,212	1,08,798	97,083	85,365	81,432	75,896	50,673
पुलिस	8,940	7,994	7,240	5,612	5,595	5,562	4,944	4,506	4,148	2,514
लोक निर्माण	308	283	241	198	194	187	180	172	185	115
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	19,185	17,144	14,357	12,212	12,249	11,504	12,246	11,955	10,469	6,805
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	8,121	7,448	6,421	5,746	5,950	4,913	4,768	4,590	3,655	2,478
जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	1,177	1,281	1,113	746	230	314	897	1,187	874	779
आवास एवं शहरी विकास	3,779	4,584	2,920	4,371	2,626	2,905	2,067	1,343	2,308	1,336
सामाजिक कल्याण एवं पोषण	14,928	14,528	12,501	12,299	12,584	10,411	8,804	8,455	7,260	3,765
अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों/अल्पसंख्यकों का कल्याण	9,672	11,537	15,450	8,824	9,853	8,822	7,862	6,592	4,553	2,947
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	29,559	18,729	19,555	17,591	15,422	12,600	6,560	6,122	6,476	5,826
ग्रामीण विकास	4,733	6,039	4,790	5,393	3,745	2,857	3,790	6,549	4,749	3,536
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	501	433	350	325	345	389	398	2,033	3,158	2,820
ऊर्जा	15,945	17,679	11,162	9,984	5,222	4,983	4,391	4,594	4,440	3,186
उद्योग एवं खनिज	415	1,073	1,271	623	612	751	826	382	865	696
परिवहन	2,478	1,384	1,499	1,058	842	872	595	595	1,362	1,173
पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	1	1	1	1	1	1	1	2	1	3
पर्यटन	58	35	57	22	20	24	31	43	76	59
नागरिक आपूर्ति	157	113	114	53	83	55	79	60	89	119

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
सहायता अनुदान (स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन)	-	-	-	-	-	5	33	72	140	112
अन्य	48,557	43,123	37,761	38,154	33,225	29,928	26,893	22,181	21,088	12,404
त्रिपुरा (योग)	18,342	17,739	16,125	14,368	13,377	11,889	10,357	8,855	7,868	7,443
पुलिस	1,816	1,589	1,452	1,384	1,333	1,254	1,148	927	853	760
लोक निर्माण	377	309	299	279	248	227	200	183	87	62
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	2,472	2,362	2,319	2,387	2,584	2,437	2,183	1,835	1,664	1,503
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,172	1,051	1,083	875	848	799	644	536	498	544
जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	272	218	223	204	204	176	169	155	175	99
आवास एवं शहरी विकास	1,668	2,093	1,494	853	506	123	107	121	81	134
सामाजिक कल्याण एवं पोषण	1,249	1,339	932	945	910	858	692	568	471	493
अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों/अल्पसंख्यकों का कल्याण	571	466	474	467	360	466	334	370	309	315
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	868	808	842	761	706	733	630	620	572	561
ग्रामीण विकास	1,139	998	914	807	702	397	365	314	197	249
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	70	65	72	77	69	58	57	54	50	53
ऊर्जा	99	124	79	80	94	29	65	92	87	76
उद्योग एवं खनिज	90	89	95	83	66	61	71	59	52	65
परिवहन	364	448	315	325	155	116	132	189	242	271
पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1
पर्यटन	12	9	4	4	4	3	3	3	2	2
नागरिक आपूर्ति	75	84	103	45	29	91	99	84	63	79
सहायता अनुदान (स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन)	439	326	308	287	268	234	228	198	198	180
अन्य	5,586	5,360	5,116	4,506	4,291	3,827	3,227	2,543	2,266	1,996
उत्तर प्रदेश (योग)	4,29,788	3,79,978	3,37,581	2,98,543	2,98,833	3,01,728	2,66,224	2,36,592	2,12,736	1,71,027
पुलिस	25,315	23,633	22,639	18,887	19,329	16,350	13,963	12,196	10,792	10,345
लोक निर्माण	344	1,011	1,064	504	964	870	1,455	512	697	670
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	69,172	66,812	58,143	53,485	54,413	47,657	46,141	52,220	45,077	33,949
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	24,541	26,211	20,027	19,483	17,572	15,843	14,792	12,862	11,195	10,076
जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	1,203	962	1,134	1,097	735	1,419	1,155	481	795	191
आवास एवं शहरी विकास	23,856	15,104	14,067	15,731	9,670	7,289	5,349	4,055	3,129	1,857
सामाजिक कल्याण एवं पोषण	21,833	21,778	16,464	13,131	13,152	11,814	10,056	13,897	11,721	11,404

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों/अल्पसंख्यकों का कल्याण	4,071	3,221	3,388	3,947	5,301	5,211	4,687	4,171	4,511	1,765
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	11,436	9,844	8,984	8,104	8,582	12,129	27,265	5,599	5,098	5,627
ग्रामीण विकास	22,022	17,660	17,303	18,084	19,450	25,909	17,086	13,848	7,714	6,292
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	9,902	8,872	9,164	8,580	8,738	6,770	6,981	5,466	5,222	5,349
ऊर्जा	33,563	28,184	20,758	9,085	17,602	15,352	7,162	14,540	22,225	12,340
उद्योग एवं खनिज	11,252	5,121	4,730	1,618	2,683	2,025	1,308	673	3,082	1,001
परिवहन	10,472	5,877	5,173	9,672	5,237	4,532	4,125	4,826	3,573	3,173
पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	14	9	9	11	8	6	5	9	10	10
पर्यटन	204	121	78	54	56	57	41	52	41	32
नागरिक आपूर्ति	995	2,294	59	45	44	69	46	37	33	31
सहायता अनुदान (स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन)	23,713	18,000	16,500	14,208	14,500	12,100	11,555	10,642	10,140	10,931
अन्य	1,35,881	1,25,264	1,17,897	1,02,818	1,00,797	1,16,326	93,050	80,507	67,680	55,985
उत्तराखंड (योग)	47,274	43,773	38,929	37,091	32,859	32,196	29,083	25,272	23,086	21,164
पुलिस	2,265	2,113	1,967	1,811	1,771	1,779	1,613	1,403	1,148	1,070
लोक निर्माण	482	481	467	454	469	480	456	387	362	347
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	9,745	9,354	8,332	8,013	7,588	7,283	6,454	5,366	4,932	4,718
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3,799	3,693	2,706	2,316	2,003	1,909	1,555	1,390	1,323	1,245
जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	813	609	470	400	411	435	443	599	447	786
आवास एवं शहरी विकास	427	312	108	637	116	143	176	231	260	55
सामाजिक कल्याण एवं पोषण	2,811	2,615	1,885	1,740	1,681	1,563	1,341	1,297	1,226	1,127
अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों/अल्पसंख्यकों का कल्याण	174	176	180	237	206	206	246	163	216	336
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	2,795	2,901	3,058	2,716	2,264	2,485	2,132	1,775	1,586	1,550
ग्रामीण विकास	2,456	2,184	1,672	1,581	1,396	1,478	1,266	1,248	1,614	1,502
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	527	501	452	431	424	428	407	360	358	357
ऊर्जा	37	17	14	21	13	12	12	18	19	5
उद्योग एवं खनिज	263	248	223	174	177	155	108	93	68	58
परिवहन	1,066	572	557	497	302	312	236	315	214	274
पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	2	1	1	0	-	-	-	-	-	-
पर्यटन	150	123	81	69	59	65	59	41	49	68
नागरिक आपूर्ति	38	32	9	6	6	7	5	5	4	4

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
सहायता अनुदान (स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन)	2,557	2,041	1,540	1,932	1,717	1,459	1,469	906	767	681
अन्य	16,878	15,799	15,207	14,056	12,255	11,997	11,102	9,673	8,493	6,981
पश्चिम बंगाल (योग)	2,25,959	2,22,839	2,10,160	1,77,921	1,62,575	1,56,374	1,41,077	1,33,918	1,18,827	1,03,652
पुलिस	9,991	9,545	9,375	8,783	7,227	6,223	5,356	5,182	4,886	4,371
लोक निर्माण	758	661	635	643	601	595	652	536	500	463
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	38,628	41,147	37,448	35,649	31,879	28,365	24,614	23,474	20,919	20,607
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	15,880	14,672	15,678	11,928	10,181	8,440	7,925	7,021	6,020	5,310
जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	1,724	1,408	1,492	1,087	1,065	1,285	1,296	2,002	2,041	1,333
आवास एवं शहरी विकास	9,439	10,725	8,208	6,128	5,619	6,606	6,186	5,604	4,806	3,948
सामाजिक कल्याण एवं पोषण	29,776	41,022	32,907	16,199	20,133	20,008	16,086	15,224	10,398	6,692
अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों/अल्पसंख्यकों का कल्याण	4,466	4,400	4,190	3,336	1,770	2,397	2,200	1,638	1,951	1,119
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	16,371	9,368	8,099	4,603	4,586	7,911	3,730	3,265	3,523	2,416
ग्रामीण विकास	13,201	11,211	14,481	17,165	16,739	15,301	18,162	12,838	15,451	12,565
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	1,465	1,299	1,193	1,058	1,143	1,207	1,055	975	945	952
ऊर्जा	2,887	1,980	1,582	1,381	1,037	1,991	2,158	4,620	1,066	354
उद्योग एवं खनिज	392	389	329	290	264	337	304	1,127	990	720
परिवहन	1,818	1,696	1,616	1,725	1,760	1,777	1,714	1,580	1,272	1,406
पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	27	7	19	8	26	41	27	34	38	23
पर्यटन	71	46	54	-3	78	150	102	79	70	43
नागरिक आपूर्ति	73	106	104	139	67	78	68	84	76	62
सहायता अनुदान (स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन)	721	408	354	450	450	489	488	564	776	627
अन्य	78,271	72,749	72,395	67,352	57,949	53,173	48,953	48,071	43,099	40,641
सभी राज्यों का योग	38,96,647	35,95,736	32,13,137	28,57,560	26,94,727	25,39,755	22,59,605	20,47,215	18,01,846	16,08,023

घटक (सभी राज्य)	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
पुलिस	1,78,997	1,65,433	1,50,390	1,34,657	1,31,931	1,19,262	1,05,028	94,210	84,650	77,917
लोक निर्माण	12,403	12,544	11,310	9,928	10,140	9,926	10,423	8,939	8,598	8,553
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	6,53,918	6,20,856	5,46,976	4,91,792	4,95,817	4,47,120	4,08,075	3,81,159	3,42,921	3,11,444
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2,34,379	2,14,526	2,11,403	1,76,608	1,53,305	1,39,710	1,25,271	1,09,088	95,105	83,903
जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	42,087	35,932	32,844	25,526	26,562	35,236	36,634	34,124	26,125	19,692
आवास एवं शहरी विकास	1,43,105	1,64,784	1,20,136	1,10,589	95,834	96,130	87,262	80,197	57,447	46,264
सामाजिक कल्याण एवं पोषण	2,69,570	2,37,187	1,92,305	1,63,482	1,50,749	1,54,662	1,23,166	1,19,854	1,11,571	92,006
अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों/अल्पसंख्यकों का कल्याण	1,16,173	1,02,000	97,492	78,692	85,954	70,772	67,284	58,936	51,890	42,431
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	2,62,426	2,18,535	2,04,912	2,01,093	1,84,558	1,91,633	1,68,898	1,20,429	1,05,298	1,03,736
ग्रामीण विकास	1,75,785	1,64,017	1,50,621	1,59,673	1,43,210	1,37,104	1,31,817	1,25,732	1,07,401	94,871
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	38,829	35,676	33,426	30,875	29,781	27,897	28,266	27,601	27,667	30,399
ऊर्जा	2,48,792	2,22,314	1,84,112	1,36,440	1,38,157	1,20,808	1,09,753	1,23,323	1,03,559	87,806
उद्योग एवं खनिज	47,934	39,223	36,265	26,354	27,238	25,656	21,201	20,487	21,210	17,202
परिवहन	81,575	71,762	60,640	56,548	48,682	46,293	45,617	44,227	40,367	42,290
पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	1,665	1,736	1,201	1,046	627	526	478	469	346	298
पर्यटन	3,602	3,271	2,370	1,548	1,682	2,059	2,122	2,164	1,817	1,269
नागरिक आपूर्ति	19,689	22,790	15,246	15,427	12,120	12,494	10,337	10,460	8,779	8,555
सहायता अनुदान (स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समुद्देशन)	1,14,349	1,04,699	95,456	84,096	79,520	77,401	67,449	55,459	48,550	46,373
अन्य	12,51,389	11,58,450	10,66,033	9,53,186	8,78,859	8,25,067	7,10,523	6,30,356	5,58,544	4,93,014
योग	38,96,647	35,95,736	32,13,137	28,57,560	26,94,727	25,39,755	22,59,605	20,47,215	18,01,846	16,08,023

अनुलग्नक 15: राज्यों के प्रकार्यनुसार पूंजीगत व्यय (प्रमुख प्रकार्य) (अंकड़े ₹ करोड़ में)

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
आंध्र प्रदेश (योग)	24,061	9,017	18,511	20,690	17,598	21,820	16,271	15,708	14,845	12,616
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	4,811	64	3,176	3,417	340	245	363	144	374	553
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,385	516	1,129	537	204	175	201	399	277	746
जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	4,147	-787	1,426	572	545	666	563	532	60	78
आवास एवं शहरी विकास	1,641	349	408	290	563	2,312	2,439	643	1,215	814
लोक निर्माण	166	113	49	43	48	58	36	72	41	237
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	6,112	4,332	5,917	4,024	4,337	13,386	8,243	9,996	8,917	4,290
ऊर्जा	1	0	689	97	4,833	302	345	120	83	2,154
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	322	93	664	87	221	313	289	116	97	37
उद्योग एवं खनिज	373	296	-123	777	446	654	116	0	18	119
परिवहन	1,062	650	628	873	999	863	853	2,258	2,695	2,364
पुलिस	110	-99	269	150	289	166	192	196	130	203
ग्रामीण विकास	784	1,218	699	1,735	822	875	869	-	-	-
अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण	311	197	152	169	163	144	677	530	549	655
समाज कल्याण एवं पोषण	108	17	22	21	18	49	89	82	105	38
पर्यटन	254	54	77	9	6	10	40	26	13	-
अन्य	2,473	2,005	3,329	7,890	3,764	1,602	957	593	270	327
अरुणाचल प्रदेश (योग)	8,467	8,111	6,491	5,128	3,709	5,748	3,193	1,554	2,006	1,488
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	587	286	281	65	108	205	87	94	119	133
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	92	97	25	11	59	57	42	15	26	34
जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	384	430	330	225	253	416	303	131	73	41
आवास एवं शहरी विकास	727	433	385	126	141	394	266	291	150	171
लोक निर्माण	883	533	436	234	164	363	148	93	306	117
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	581	335	148	171	134	165	70	82	121	31
ऊर्जा	664	544	431	173	173	340	251	177	129	107
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	129	67	45	21	35	47	15	15	24	17
उद्योग एवं खनिज	139	29	26	11	12	3	10	7	11	4
परिवहन	3,011	3,817	2,678	3,167	1,848	2,630	1,174	382	811	605
पुलिस	192	154	205	64	54	40	-	1	4	0
ग्रामीण विकास	66	79	37	35	8	35	53	36	20	18

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण	15	11	0	-	-	-	-	-	-	-
समाज कल्याण एवं पोषण	160	153	315	219	158	148	157	48	52	53
पर्यटन	28	13	41	6	1	101	31	53	11	48
अन्य	808	1,130	1,108	601	560	804	588	129	148	110
असम (योग)	21,509	16,338	20,230	12,487	13,502	11,362	7,947	6,001	2,951	4,543
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	1,507	520	601	72	166	67	61	-	-	-
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	660	572	934	521	487	391	229	34	6	13
जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	1,312	863	769	1,546	636	1,379	2,131	1,097	456	481
आवास एवं शहरी विकास	714	303	652	172	330	294	416	445	136	78
लोक निर्माण	2,164	1,302	405	304	247	299	181	171	76	135
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	1,243	1,185	1,111	1,016	1,641	1,594	663	807	925	1,506
ऊर्जा	2,363	837	3,768	330	397	499	992	925	311	783
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	285	141	357	349	195	267	262	55	18	11
उद्योग एवं खनिज	2,787	427	109	65	96	243	130	186	79	133
परिवहन	7,038	8,652	9,168	7,551	8,459	5,544	2,204	1,717	700	994
पुलिस	674	381	142	-5	20	109	157	29	-	-
ग्रामीण विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण	109	106	29	31	49	10	8	1	-	0
समाज कल्याण एवं पोषण	233	19	1	-	-	5	-	-	-	-
पर्यटन	32	50	23	21	18	18	25	24	5	25
अन्य	386	979	2,161	514	759	643	487	510	239	384
बिहार (योग)	38,589	33,577	25,157	19,323	12,970	22,529	29,150	27,322	24,587	18,519
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	4,591	2,712	2,443	1,333	796	1,548	1,519	1,074	550	263
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2,175	2,426	865	648	862	1,146	565	870	1,091	316
जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	1,003	1,310	1,976	4,646	1,454	1,485	1,764	1,164	773	885
आवास एवं शहरी विकास	677	314	329	221	175	231	169	159	50	18
लोक निर्माण	3,271	1,596	1,528	577	1,029	1,782	1,665	1,004	1,038	985
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	5,876	2,652	3,611	2,213	555	2,046	2,665	1,797	1,685	1,424
ऊर्जा	2,005	3,170	1,507	1,369	3,119	5,192	7,155	5,814	2,935	4,419
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	153	667	464	239	71	905	198	128	709	285
उद्योग एवं खनिज	1,137	2,217	650	211	137	98	110	229	47	4

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
परिवहन	7,599	7,569	5,332	3,254	1,514	5,275	5,402	5,601	4,736	4,198
पुलिस	924	574	610	143	419	445	269	278	318	219
ग्रामीण विकास	7,090	6,218	3,956	3,558	1,591	960	6,388	7,892	8,013	4,648
अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण	49	74	68	31	26	27	30	21	19	-21
समाज कल्याण एवं पोषण	3	510	133	30	34	74	104	64	101	30
पर्यटन	273	203	124	57	64	42	76	57	34	67
अन्य	1,763	1,364	1,562	792	1,125	1,273	1,069	1,169	2,489	779
छत्तीसगढ़ (योग)	15,730	13,406	10,828	9,075	8,623	9,144	10,370	9,743	8,110	6,633
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	1,361	505	409	416	315	490	668	517	497	261
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	581	720	325	512	362	214	401	325	290	234
जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	3,127	2,544	1,503	908	405	325	427	397	188	52
आवास एवं शहरी विकास	1,753	727	779	690	598	456	761	870	513	672
लोक निर्माण	617	529	247	400	149	234	228	159	343	220
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	1,488	1,134	1,041	1,133	1,125	1,588	1,679	1,888	1,737	1,539
ऊर्जा	1,249	736	825	552	517	595	825	907	130	33
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	282	248	222	134	108	237	160	194	183	114
उद्योग एवं खनिज	69	54	10	13	9	20	65	111	53	36
परिवहन	3,475	4,310	4,432	3,364	3,942	3,771	3,732	3,423	3,069	2,591
पुलिस	164	217	99	106	43	14	48	29	19	37
ग्रामीण विकास	929	962	271	351	505	589	656	367	721	457
अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण	332	492	381	358	230	340	388	367	241	216
समाज कल्याण एवं पोषण	116	16	4	34	31	10	61	77	49	94
पर्यटन	61	72	58	11	14	14	4	27	-	7
अन्य	127	141	222	93	268	247	269	85	77	68
गोवा (योग)	3,574	3,430	2,685	1,998	1,674	2,152	2,128	1,642	1,625	1,237
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	165	115	133	34	175	238	118	105	158	135
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	113	78	189	119	152	113	80	59	31	17
जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	464	382	369	371	206	300	312	240	141	116
आवास एवं शहरी विकास	321	294	207	60	38	99	167	23	3	0
लोक निर्माण	403	165	131	113	68	133	110	43	60	22
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	333	295	190	170	210	170	152	152	99	139

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
ऊर्जा	562	480	265	224	176	177	169	222	381	169
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	51	24	-3	-7	10	35	65	69	44	21
उद्योग एवं खनिज	15	120	17	9	19	12	16	30	24	17
परिवहन	865	773	543	289	253	352	499	400	381	245
पुलिस	30	8	5	3	1	2	1	2	7	3
ग्रामीण विकास	52	97	51	18	9	-0	-	7	4	0
अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण	24	30	29	18	25	6	7	5	8	10
समाज कल्याण एवं पोषण	0	1	1	0	0	6	2	0	2	1
पर्यटन	102	129	155	72	66	85	93	87	74	57
अन्य	73	439	403	504	265	425	337	198	208	285
गुजरात (योग)	58,346	36,965	29,256	28,014	26,962	29,793	26,944	22,833	24,845	24,508
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	3,495	3,266	606	651	559	915	794	1,167	1,281	1,328
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3,176	1,922	1,436	727	1,067	2,057	1,570	1,458	1,896	1,969
जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	5,464	5,555	4,567	3,888	3,237	3,292	3,159	2,503	1,819	2,182
आवास एवं शहरी विकास	10,928	1,850	1,572	1,287	1,260	1,347	1,071	885	845	799
लोक निर्माण	730	287	203	255	302	565	507	402	531	514
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	9,791	6,229	5,402	5,877	8,544	10,350	9,080	7,424	8,142	7,647
ऊर्जा	4,434	3,876	3,964	3,872	3,511	2,943	3,046	2,747	3,440	2,032
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	1,058	859	849	795	780	845	831	809	957	774
उद्योग एवं खनिज	474	2,418	353	1,349	286	119	113	55	191	948
परिवहन	13,751	6,558	5,988	6,088	4,250	3,561	4,158	3,023	3,000	3,278
पुलिस	349	528	345	228	371	198	359	218	268	338
ग्रामीण विकास	1,481	1,369	1,294	935	1,298	1,299	1,206	1,183	1,204	1,165
अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण	1,138	919	858	755	635	637	245	262	360	407
समाज कल्याण एवं पोषण	217	33	30	20	84	54	22	-110	71	105
पर्यटन	720	834	1,519	813	483	557	464	440	458	465
अन्य	1,141	460	270	475	294	1,054	318	369	383	556
हरियाणा (योग)	19,976	14,127	12,012	6,795	18,975	16,062	14,933	11,378	20,159	4,558
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	1,777	1,048	579	409	388	396	404	142	202	186
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,920	1,404	896	766	510	333	302	244	35	65
जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	1,915	1,050	1,693	944	1,174	1,465	1,169	942	835	960

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
आवास एवं शहरी विकास	674	971	2,119	650	979	1,389	1,053	68	298	458
लोक निर्माण	392	357	415	227	355	459	255	189	232	171
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	2,624	2,171	1,808	1,366	1,401	1,274	974	926	876	965
ऊर्जा	234	11	10	583	5,990	5,553	6,342	5,542	13,864	185
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	4,184	700	149	-1,074	4,741	2,049	1,507	890	450	-830
उद्योग एवं खनिज	403	819	674	485	829	416	232	324	659	206
परिवहन	3,940	4,391	2,824	1,513	1,819	1,767	1,782	1,588	2,011	1,517
पुलिस	248	196	137	160	230	256	226	211	228	120
ग्रामीण विकास	1,232	478	135	187	29	5	0	0	1	1
अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण	6	0	-	0	3	6	4	3	2	1
समाज कल्याण एवं पोषण	38	81	62	65	22	98	65	79	57	57
पर्यटन	74	79	20	28	29	24	17	36	22	30
अन्य	315	370	493	484	476	572	601	193	385	467
हिमाचल प्रदेश (योग)	5,737	6,139	6,407	5,629	5,632	5,051	4,258	6,789	3,328	2,947
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	300	411	489	357	287	329	343	297	299	133
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	296	552	294	302	232	346	263	286	117	62
जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	1,023	812	1,012	1,002	599	418	462	393	318	289
आवास एवं शहरी विकास	86	174	101	65	128	75	62	41	36	21
लोक निर्माण	270	186	274	116	125	139	134	153	61	53
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	385	338	313	387	736	465	251	201	142	506
ऊर्जा	122	199	498	451	678	666	605	3,432	677	712
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	8	96	94	152	96	113	128	90	74	78
उद्योग एवं खनिज	72	198	123	20	34	51	78	69	76	56
परिवहन	2,680	2,664	2,602	2,522	2,435	2,085	1,694	1,584	1,327	893
पुलिस	76	93	99	45	62	66	45	42	23	27
ग्रामीण विकास	25	42	39	10	13	16	2	3	5	1
अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण	1	6	13	6	6	10	5	9	7	10
समाज कल्याण एवं पोषण	36	5	14	3	7	10	8	16	13	8
पर्यटन	64	89	90	30	34	54	3	4	5	2
अन्य	293	274	352	161	162	211	175	169	146	97
झारखंड (योग)	24,861	18,227	10,840	11,845	10,044	12,197	13,804	12,196	15,639	6,367

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	747	1,012	94	95	258	356	360	254	103	83
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	650	625	489	586	348	273	309	512	340	261
जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	3,467	1,840	505	438	539	400	332	221	193	139
आवास एवं शहरी विकास	756	831	101	65	116	190	232	181	97	70
लोक निर्माण	361	483	272	189	366	269	378	364	328	159
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	1,507	1,374	1,204	1,046	1,329	1,476	1,689	1,511	1,157	379
ऊर्जा	5,834	4,212	1,500	3,974	89	1,413	1,761	1,229	7,375	779
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	907	654	354	76	154	390	608	573	124	98
उद्योग एवं खनिज	163	111	1,002	8	4	7	16	5	1	1
परिवहन	5,260	3,438	3,202	3,120	3,687	3,871	5,142	4,505	3,476	2,460
पुलिस	577	373	449	571	807	463	372	189	210	154
ग्रामीण विकास	3,518	2,222	1,145	1,288	1,991	2,463	2,096	2,078	1,755	1,364
अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण	878	848	364	269	165	395	265	264	234	173
समाज कल्याण एवं पोषण	131	43	12	5	1	-	17	117	89	160
पर्यटन	30	78	55	44	44	99	71	74	61	14
अन्य	74	84	91	71	146	131	157	120	95	75
कुल (योग)	56,593	60,599	52,084	48,075	39,599	39,147	35,759	30,085	21,369	20,198
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	1,201	1,590	1,634	1,168	1,203	1,107	1,143	1,108	718	317
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,114	1,230	2,575	2,099	822	1,108	1,132	744	820	790
जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	6,794	1,921	3,146	3,662	2,882	2,075	885	735	727	1,495
आवास एवं शहरी विकास	2,901	6,940	6,464	4,536	2,419	4,385	3,409	3,487	1,235	538
लोक निर्माण	2,339	1,037	778	839	421	536	606	533	484	422
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	17,436	21,221	19,076	17,785	13,343	12,096	10,392	8,635	6,955	7,779
ऊर्जा	613	1,121	350	650	3,358	2,128	840	916	78	310
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	1,137	1,304	871	746	334	219	3,631	550	198	270
उद्योग एवं खनिज	1,082	1,552	1,410	1,647	939	1,147	1,222	501	783	370
परिवहन	9,645	14,128	10,143	11,017	8,897	8,859	7,379	7,624	5,399	5,147
पुलिस	570	582	150	366	356	288	369	524	503	193
ग्रामीण विकास	224	264	306	87	65	67	114	49	7	14
अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण	2,764	2,315	1,953	1,164	2,783	3,422	2,993	2,243	2,014	1,326
समाज कल्याण एवं पोषण	74	155	76	193	80	71	175	140	77	71

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
पर्यटन	167	155	124	70	283	266	259	257	215	194
अन्य	8,532	5,083	3,028	2,047	1,412	1,373	1,210	2,038	1,157	962
केरल (योग)	16,880	16,787	17,046	15,438	9,665	9,753	10,289	11,286	8,342	4,998
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	657	590	530	386	311	473	528	345	441	307
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	348	359	310	416	244	415	424	256	220	193
जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	1,351	1,752	2,149	1,146	272	539	320	265	160	128
आवास एवं शहरी विकास	162	54	59	147	20	88	145	38	64	88
लोक निर्माण	145	260	196	177	133	154	217	186	249	102
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	341	403	441	302	283	272	544	675	526	270
ऊर्जा	59	42	58	29	14	111	69	52	16	21
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	506	852	665	666	438	964	786	716	613	486
उद्योग एवं खनिज	833	888	833	916	379	500	881	755	575	328
परिवहन	5,272	5,015	6,507	5,637	4,066	3,330	4,280	3,896	3,548	2,174
पुलिस	99	42	70	75	22	34	48	24	4	30
ग्रामीण विकास	1,190	1,447	1,194	1,712	916	317	515	616	438	218
अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण	301	175	200	130	117	177	100	190	57	40
समाज कल्याण एवं पोषण	33	20	17	35	30	121	40	95	22	50
पर्यटन	128	107	153	240	82	123	179	175	127	134
अन्य	5,455	4,783	3,665	3,423	2,339	2,138	1,213	3,003	1,283	426
मध्य प्रदेश (योग)	57,348	46,799	43,962	31,586	30,229	30,514	32,463	32,229	19,993	24,412
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	3,912	2,170	1,552	1,356	1,537	1,000	728	782	783	327
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2,506	1,610	963	739	1,096	1,218	1,040	565	226	240
जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	10,524	6,739	8,929	3,951	2,400	2,006	1,826	724	915	947
आवास एवं शहरी विकास	3,416	3,594	3,502	1,939	1,152	923	711	420	612	149
लोक निर्माण	589	527	342	367	406	348	329	330	334	136
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	14,695	12,396	10,157	10,016	8,996	8,378	7,973	8,470	6,373	4,127
ऊर्जा	1,369	1,943	2,185	711	891	2,658	8,186	7,829	3,145	12,750
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	2,289	1,390	2,272	956	660	1,992	529	1,880	374	564
उद्योग एवं खनिज	1,952	1,756	660	701	753	545	604	2,029	507	429
परिवहन	11,343	7,549	7,093	5,471	6,156	6,892	6,400	4,672	3,377	2,875
पुलिस	607	617	634	595	554	370	405	363	190	97

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
ग्रामीण विकास	2,355	4,204	4,232	3,782	4,452	3,218	2,187	3,169	2,419	1,249
अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण	1,343	1,114	571	822	982	738	1,061	550	418	295
समाज कल्याण एवं पोषण	139	178	99	36	70	29	118	204	58	101
पर्यटन	144	128	107	50	59	67	114	112	177	60
अन्य	165	884	666	95	65	132	251	130	86	66
महाराष्ट्र (योग)	77,548	66,308	49,106	32,029	38,385	36,594	27,821	31,826	23,908	20,664
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	468	349	216	113	216	364	107	52	114	96
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3,961	1,724	1,612	990	1,116	1,037	570	602	651	470
जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	-	177	357	-	-	33	20	23	463	161
आवास एवं शहरी विकास	10,850	8,352	2,593	3,719	3,554	2,911	1,144	774	567	345
लोक निर्माण	2,002	1,535	1,372	823	487	666	555	618	556	531
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	14,921	11,119	10,207	7,626	11,002	11,912	9,368	8,765	8,067	7,011
ऊर्जा	2,479	1,253	1,347	209	81	619	808	5,783	1,576	1,932
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	5,620	7,258	5,287	3,402	5,270	5,134	5,472	3,650	3,313	3,527
उद्योग एवं खनिज	57	218	20	32	9	27	25	123	82	119
परिवहन	27,189	26,693	21,080	11,816	12,853	10,057	6,639	5,461	4,725	3,700
पुलिस	798	557	292	205	279	283	166	548	109	214
ग्रामीण विकास	2,744	2,356	1,749	1,526	1,502	1,336	1,258	1,687	1,464	935
अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण	1,754	1,331	855	694	777	679	597	437	724	869
समाज कल्याण एवं पोषण	227	92	63	18	33	29	45	27	78	55
पर्यटन	190	47	100	47	94	137	24	10	1	11
अन्य	4,289	3,247	1,957	809	1,113	1,369	1,025	3,265	1,418	689
मणिपुर (योग)	2,749	3,492	3,254	2,449	1,155	1,731	1,432	1,494	1,239	1,333
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	62	73	106	53	55	82	57	52	73	129
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	9	195	73	134	41	16	19	54	43	159
जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	692	778	784	609	267	305	241	217	164	178
आवास एवं शहरी विकास	99	150	149	122	132	192	216	59	38	50
लोक निर्माण	28	68	53	44	31	107	33	84	146	190
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	271	227	183	366	144	282	170	405	171	181
ऊर्जा	-	-	-	-	-	-	-	-	44	39
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	3	17	13	34	7	5	4	2	9	7

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
उद्योग एवं खनिज	3	9	5	21	10	13	10	13	4	17
परिवहन	715	652	443	419	252	405	315	465	259	217
पुलिस	111	27	28	7	15	5	74	11	19	19
ग्रामीण विकास	335	497	840	-	-	-	-	-	-	-
अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण	30	178	175	280	74	153	99	28	45	30
समाज कल्याण एवं पोषण	17	11	9	43	1	3	20	2	23	0
पर्यटन	15	18	74	90	11	29	12	32	63	44
अन्य	362	592	319	228	115	134	162	70	139	73
मैदालय (योग)	4,571	2,777	2,837	1,816	983	1,507	1,005	1,321	1,269	1,175
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	193	173	38	5	0	3	2	11	5	4
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	60	32	81	47	49	43	34	83	92	88
जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	287	355	543	443	187	222	284	185	143	191
आवास एवं शहरी विकास	549	295	516	39	55	64	28	121	47	64
लोक निर्माण	128	131	149	116	47	75	36	67	80	63
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	62	68	102	74	4	95	26	46	4	42
ऊर्जा	934	575	50	57	25	36	33	8	46	39
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	30	17	32	-20	27	35	5	9	7	10
उद्योग एवं खनिज	4	11	13	27	0	4	15	78	103	69
परिवहन	1,211	999	1,223	946	518	807	449	567	660	500
पुलिस	37	-	13	15	1	9	13	15	17	18
ग्रामीण विकास	165	11	3	1	2	1	1	4	0	0
अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समाज कल्याण एवं पोषण	34	17	15	7	2	29	12	60	3	16
पर्यटन	19	10	12	6	2	11	10	8	-	1
अन्य	858	82	47	54	64	74	57	59	64	69
मिजोरम (योग)	1,279	1,324	1,007	1,129	1,455	1,909	2,041	938	718	930
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	18	25	28	40	27	71	55	21	29	22
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	84	134	81	25	31	91	85	28	11	18
जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	101	104	174	247	151	151	76	63	42	60
आवास एवं शहरी विकास	69	26	52	100	321	409	371	172	96	169
लोक निर्माण	70	42	31	36	87	56	59	22	16	45

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	10	23	8	27	16	10	19	6	8	1
ऊर्जा	65	46	64	54	129	110	213	43	67	142
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	167	150	66	60	128	182	265	50	134	157
उद्योग एवं खनिज	-	2	2	0	0	1	1	-	-	-
परिवहन	445	323	353	377	391	629	630	374	201	184
पुलिस	25	10	9	-	6	9	23	27	15	24
ग्रामीण विकास	1	3	9	3	10	10	12	6	2	3
अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण	12	3	105	104	-	1	1	0	-	-
समाज कल्याण एवं पोषण	12	11	15	43	58	38	23	29	33	45
पर्यटन	2	9	6	2	0	23	77	29	21	6
अन्य	198	413	5	11	98	121	131	68	42	55
नागालैंड (योग)	3,123	2,705	1,896	1,678	1,216	1,601	1,275	1,076	1,059	1,023
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	249	233	147	64	66	40	30	27	49	48
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	62	438	156	27	8	7	71	13	8	21
जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	91	81	216	150	77	106	121	159	103	105
आवास एवं शहरी विकास	638	326	283	206	239	173	255	227	111	156
लोक निर्माण	414	321	217	184	104	124	123	114	87	130
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	118	13	47	54	31	36	17	40	98	15
ऊर्जा	130	60	115	88	53	96	22	33	63	51
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	154	92	37	31	34	22	30	15	18	20
उद्योग एवं खनिज	3	33	4	5	7	4	16	13	15	26
परिवहन	891	825	405	410	275	486	221	175	254	278
पुलिस	114	125	75	219	61	295	143	18	17	31
ग्रामीण विकास	30	16	2	1	1	1	-	-	-	-
अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण	3	4	77	39	42	-	-	-	-	-
समाज कल्याण एवं पोषण	10	6	8	20	24	-	5	3	14	20
पर्यटन	13	1	2	6	2	0	3	3	3	19
अन्य	204	130	106	174	192	211	219	236	218	104
ओडिशा (योग)	46,064	35,507	24,411	19,546	21,537	24,652	22,984	18,725	17,427	11,433
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	1,242	2,192	676	581	759	824	746	360	502	361
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3,445	2,149	1,690	631	504	620	774	668	526	414

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	1,911	2,527	2,335	2,215	3,126	2,133	1,580	903	677	535
आवास एवं शहरी विकास	1,773	1,063	713	515	466	494	426	468	325	304
लोक निर्माण	2,098	1,938	868	864	805	725	462	370	420	384
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	10,426	7,414	4,757	3,108	4,748	5,707	6,841	5,799	4,173	2,851
ऊर्जा	3,126	3,773	3,555	1,821	2,386	1,886	2,275	2,220	1,517	727
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	609	624	597	558	415	445	295	208	483	270
उद्योग एवं खनिज	502	332	51	32	2	-2	-2	-2	-1	-2
परिवहन	14,122	10,848	6,655	6,671	6,466	8,962	7,148	6,767	7,555	4,558
पुलिस	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग्रामीण विकास	3,302	-	-4	17	348	1,250	-	-	-	-
अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण	875	414	432	269	153	373	527	462	560	436
समाज कल्याण एवं पोषण	99	36	33	101	24	21	61	4	220	144
पर्यटन	350	275	349	241	114	105	87	77	102	101
अन्य	2,184	1,922	1,705	1,923	1,220	1,110	1,765	420	369	351
पंजाब (योग)	4,939	8,049	9,586	5,338	18,612	3,773	3,112	45,710	9,028	3,389
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	521	183	196	200	227	179	70	220	243	154
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	231	655	83	94	128	100	1	22	2	0
जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	309	600	661	585	275	258	542	486	331	296
आवास एवं शहरी विकास	1,107	2,304	1,919	1,303	324	496	281	292	216	270
लोक निर्माण	42	40	79	97	82	67	73	66	107	137
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	931	1,003	935	753	441	253	315	1,264	752	659
ऊर्जा	22	66	154	20	15,628	-	2	10,031	5,597	-
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	171	1,497	1,546	930	753	1,407	831	31,378	410	277
उद्योग एवं खनिज	52	60	17	13	1	-	-	-	16	-
परिवहन	969	682	1,016	588	316	515	675	1,352	891	967
पुलिस	212	108	180	95	60	91	100	146	133	90
ग्रामीण विकास	172	298	356	214	133	201	67	134	88	92
अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण	1	194	36	55	7	-	5	47	17	54
समाज कल्याण एवं पोषण	14	53	16	15	-	9	-	11	8	19
पर्यटन	-	1	37	130	58	62	50	48	50	30
अन्य	186	308	2,356	248	179	136	101	213	165	343

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
राजस्थान (योग)	27,044	19,973	24,773	15,762	16,973	20,751	21,957	29,945	58,588	16,803
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	1,966	1,447	631	1,284	766	825	515	119	155	56
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2,003	2,300	1,962	632	482	499	658	514	576	489
जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	3,176	2,373	4,918	3,833	3,184	3,870	4,590	4,194	4,376	4,495
आवास एवं शहरी विकास	2,091	2,002	3,121	1,646	878	1,499	1,059	1,058	664	793
लोक निर्माण	317	387	250	229	248	306	352	322	338	431
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	5,086	3,429	3,578	2,586	2,290	2,412	2,188	1,959	1,308	1,271
ऊर्जा	1,854	1,977	2,175	636	4,207	4,146	4,258	16,596	45,582	4,486
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	1,007	764	746	481	286	994	1,036	578	461	697
उद्योग एवं खनिज	6	11	5	50	28	22	13	10	94	-19
परिवहन	7,180	2,621	5,054	3,076	3,246	4,262	4,677	2,571	3,235	2,811
पुलिस	77	141	228	164	209	274	160	97	103	104
ग्रामीण विकास	842	1,033	1,001	239	375	232	653	547	504	456
अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण	460	559	187	253	223	283	279	303	272	197
समाज कल्याण एवं पोषण	160	34	105	169	172	87	109	92	67	25
पर्यटन	213	77	124	34	11	36	31	27	62	26
अन्य	607	820	690	448	367	1,005	1,380	956	792	486
सिक्किम (योग)	2,661	2,377	1,317	1,514	738	1,338	1,524	737	661	1,007
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	468	215	157	151	42	72	102	48	21	43
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	112	37	41	179	39	91	224	73	66	61
जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	169	120	111	109	83	88	110	71	56	85
आवास एवं शहरी विकास	460	674	54	52	92	97	87	44	45	87
लोक निर्माण	453	272	223	90	129	68	139	64	59	89
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	66	100	28	41	1	52	2	1	1	4
ऊर्जा	78	225	103	162	20	64	76	58	38	32
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	8	8	8	12	5	13	14	8	11	12
उद्योग एवं खनिज	1	69	-	0	7	1	2	2	1	7
परिवहन	430	334	343	535	240	629	626	257	210	240
पुलिस	7	1	5	2	-	1	7	7	5	20
ग्रामीण विकास	27	34	5	9	0	5	13	10	0	16
अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण	6	8	9	6	5	10	14	7	4	1

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
समाज कल्याण एवं पोषण	11	3	13	9	6	7	2	3	11	2
पर्यटन	96	211	170	97	30	55	65	40	88	267
अन्य	269	65	46	59	39	85	42	46	46	40
तमिलनाडु (योग)	49,345	46,791	40,651	36,902	29,654	30,789	26,720	46,756	21,326	22,122
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	1,010	586	494	580	648	863	891	989	1,201	598
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,216	1,376	2,518	2,527	809	730	407	687	580	568
जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	4,493	2,478	3,009	2,627	1,418	1,773	890	1,306	1,679	1,472
आवास एवं शहरी विकास	12,703	12,824	10,573	6,176	3,489	5,590	4,601	3,671	2,299	2,228
लोक निर्माण	496	822	603	616	437	384	392	256	378	370
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	3,746	3,806	2,517	4,423	2,670	1,738	1,205	1,063	744	1,240
ऊर्जा	1,085	437	1,223	711	2,012	669	1,290	28,329	3,837	6,374
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	2,115	2,052	1,070	1,342	1,493	1,314	918	1,338	1,287	1,078
उद्योग एवं खनिज	522	862	233	338	274	2,061	507	645	247	398
परिवहन	17,542	17,227	15,257	14,109	11,552	11,011	12,749	6,173	6,331	5,125
पुलिस	190	73	7	253	404	410	291	404	547	643
ग्रामीण विकास	2,159	2,006	1,746	1,319	1,863	2,503	1,772	1,242	1,416	1,047
अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण	770	752	272	343	96	95	118	99	144	163
समाज कल्याण एवं पोषण	209	185	128	68	69	-120	34	25	34	83
पर्यटन	81	53	30	131	55	13	30	25	23	13
अन्य	1,008	1,253	972	1,337	2,364	1,755	625	503	580	723
तेलंगाना (योग)	50,778	39,129	37,344	26,790	25,559	31,347	30,111	36,773	18,823	9,856
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	580	585	49	531	282	279	248	246	134	196
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,413	1,356	869	619	952	1,085	539	878	104	94
जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	6,616	3,665	7,743	4,634	4,380	6,678	3,919	3,407	3,692	521
आवास एवं शहरी विकास	2,223	3,026	1,832	1,016	1,099	1,171	788	1,084	2,612	826
लोक निर्माण	344	698	447	288	217	273	80	82	40	37
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	29,265	18,916	15,420	11,033	10,176	9,118	12,596	13,665	7,776	5,194
ऊर्जा	201	771	443	628	2,345	2,650	3,015	10,673	798	348
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	1,143	2,458	1,342	1,542	1,399	1,587	595	777	152	46
उद्योग एवं खनिज	147	378	894	285	288	87	105	88	5	9
परिवहन	2,323	2,570	2,854	2,115	1,529	1,777	2,480	3,398	1,819	1,406
पुलिस	363	433	419	428	289	285	388	376	214	339

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
ग्रामीण विकास	2,508	1,946	2,600	2,479	1,008	1,996	858	103	350	51
अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण	709	245	399	254	481	3,018	2,708	318	346	418
समाज कल्याण एवं पोषण	38	57	9	7	5	7	40	32	37	25
पर्यटन	-	-	-	-	-	-	6	2	7	5
अन्य	2,906	2,027	2,022	932	1,109	1,337	1,747	1,644	738	342
त्रिपुरा (योग)	2,834	2,135	1,423	835	887	1,482	1,784	3,321	3,210	2,848
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	218	74	46	19	19	17	169	148	116	138
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	64	79	88	25	51	131	146	158	132	118
जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	149	128	240	293	157	242	154	211	178	199
आवास एवं शहरी विकास	427	261	77	1	97	381	429	678	241	279
लोक निर्माण	199	475	213	73	58	46	54	76	32	143
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	98	67	62	32	26	20	21	20	34	32
ऊर्जा	364	176	109	-	28	43	6	26	77	46
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	171	191	50	62	62	31	27	113	104	84
उद्योग एवं खनिज	80	19	6	9	-	34	43	42	35	34
परिवहन	770	362	375	221	157	265	354	857	605	567
पुलिस	34	10	7	7	12	7	11	13	12	23
ग्रामीण विकास	50	32	20	0	117	132	196	557	1,429	769
अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण	88	104	27	13	19	41	61	233	41	99
समाज कल्याण एवं पोषण	9	31	9	3	1	-	0	0	0	11
पर्यटन	18	4	23	7	-	-	-	3	4	4
अन्य	95	121	73	70	81	92	114	184	169	302
उत्तर प्रदेश (योग)	1,18,570	1,03,237	73,056	53,390	62,118	68,766	40,597	76,530	73,541	55,170
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	4,028	3,196	1,632	1,359	1,365	992	938	2,018	1,130	1,385
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4,371	4,960	3,333	2,067	2,385	2,260	2,112	2,922	2,256	1,901
जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	19,039	12,345	4,105	2,473	2,527	2,481	1,975	3,439	2,803	3,211
आवास एवं शहरी विकास	11,029	12,854	8,988	5,959	2,976	4,117	5,915	8,563	5,204	6,003
लोक निर्माण	771	635	579	378	871	876	1,010	1,114	1,285	972
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	4,521	3,438	3,336	5,037	5,933	5,531	3,107	5,201	5,052	4,093
ऊर्जा	15,987	10,240	10,885	10,562	8,249	14,027	8,313	15,435	24,892	10,960
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	5,496	4,601	8,679	-2,034	5,471	2,978	1,819	4,736	3,172	1,482

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
उद्योग एवं खनिज	8,229	10,660	880	720	1,239	5,061	926	775	1,308	871
परिवहन	28,216	24,759	22,863	18,567	22,743	22,000	8,325	22,703	15,715	14,338
पुलिस	3,446	3,138	1,600	903	961	641	606	1,265	1,015	749
ग्रामीण विकास	6,249	7,211	3,752	5,164	3,706	3,407	2,313	2,249	4,757	4,443
अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण	256	694	195	298	168	133	280	85	120	64
समाज कल्याण एवं पोषण	606	944	354	302	726	414	422	1,110	663	602
पर्यटन	1,407	853	389	427	426	422	354	298	204	147
अन्य	4,921	2,710	1,486	1,208	2,372	3,427	2,182	4,616	3,964	3,949
उत्तराखंड (योग)	11,106	8,288	7,881	6,576	5,540	6,368	5,991	5,119	4,301	5,090
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	524	477	361	398	290	154	215	435	254	427
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	808	299	313	173	98	187	64	116	141	260
जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	918	550	1,060	648	639	486	489	213	45	96
आवास एवं शहरी विकास	982	578	460	617	486	196	266	150	381	288
लोक निर्माण	2,297	1,555	1,050	734	339	439	790	70	104	165
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	648	375	269	268	346	357	315	465	707	764
ऊर्जा	747	151	391	181	149	264	150	187	136	183
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	903	470	554	130	740	1,111	801	952	105	324
उद्योग एवं खनिज	50	120	14	10	27	26	6	139	61	13
परिवहन	1,507	1,439	1,489	1,170	947	1,379	1,534	1,390	1,401	1,570
पुलिस	58	36	35	21	23	15	14	2	7	48
ग्रामीण विकास	1,257	1,918	1,706	2,000	1,270	1,625	1,236	842	821	701
अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण	95	57	60	95	28	31	25	8	26	64
समाज कल्याण एवं पोषण	168	44	6	7	40	4	4	18	5	79
पर्यटन	136	193	111	124	89	58	58	118	94	88
अन्य	8	26	2	0	31	34	24	15	14	18
पश्चिम बंगाल (योग)	29,757	22,573	18,586	15,310	17,237	24,583	19,338	12,534	13,281	10,383
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	512	369	234	224	430	998	454	388	610	572
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,346	2,186	1,091	904	653	1,238	932	1,242	1,841	1,068
जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	6,316	2,399	3,643	656	1,384	1,952	2,095	116	167	125
आवास एवं शहरी विकास	1,667	4,390	2,268	1,770	2,168	2,385	3,485	2,207	1,607	1,693
लोक निर्माण	423	492	375	402	578	781	765	638	509	305

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	2,650	2,282	2,031	1,666	1,718	1,798	1,562	1,615	1,601	1,374
ऊर्जा	2,522	1,346	1,816	606	2,050	2,268	863	1,101	2,126	1,206
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	608	421	454	408	576	632	583	843	847	805
उद्योग एवं खनिज	555	1,107	611	285	338	1,411	1,075	341	214	316
परिवहन	6,341	4,803	4,349	3,263	4,503	5,292	3,351	2,409	2,304	1,470
पुलिस	144	161	166	140	164	140	177	166	100	99
ग्रामीण विकास	4,965	853	482	1,915	356	2,576	1,776	7	30	1
अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण	481	504	196	795	336	73	32	33	24	19
समाज कल्याण एवं पोषण	140	381	261	1,574	870	988	700	452	359	626
पर्यटन	44	69	59	55	56	91	60	65	54	62
अन्य	1,043	812	550	648	1,056	1,959	1,430	911	890	643
सभी राज्यों का योग	7,84,037	6,48,184	5,52,637	4,37,148	4,41,230	4,72,463	4,15,204	5,01,572	4,16,178	2,96,249

घटक (सभी राज्य)	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	37,169	24,467	17,538	15,364	11,636	13,133	11,713	11,163	10,162	8,256
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	34,200	30,032	24,418	17,057	13,794	15,979	13,195	13,829	12,403	10,670
जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	85,241	53,093	58,274	42,819	32,455	35,545	30,738	24,337	21,580	19,522
आवास एवं शहरी विकास	71,422	65,956	50,276	33,487	24,297	32,358	30,253	27,117	19,708	17,431
लोक निर्माण	22,410	16,785	11,785	8,813	8,335	10,331	9,715	7,663	8,239	7,264
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	1,35,230	1,06,341	93,896	82,601	82,180	92,580	82,128	82,878	68,149	55,334
ऊर्जा	49,102	38,265	38,479	28,749	61,108	49,453	51,907	1,20,437	1,18,959	51,018
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	29,516	27,714	27,481	10,078	24,511	24,266	21,702	50,744	14,378	10,719
उद्योग एवं खनिज	19,710	24,775	8,500	8,039	6,174	12,563	6,337	6,567	5,206	4,508
परिवहन	1,84,792	1,64,650	1,44,900	1,18,148	1,14,314	1,17,274	94,872	95,591	80,697	67,273
पुलिस	10,236	8,488	6,277	4,962	5,710	4,916	4,664	5,201	4,215	3,844
ग्रामीण विकास	43,752	36,814	27,625	28,587	22,391	25,118	24,242	22,785	25,448	17,649
अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण	12,809	11,334	7,643	7,253	7,593	10,804	10,529	6,504	6,233	5,526
समाज कल्याण एवं पोषण	3,043	3,134	1,830	3,045	2,566	2,190	2,333	2,683	2,252	2,521
पर्यटन	4,660	3,813	4,030	2,847	2,130	2,502	2,242	2,161	1,978	1,925
अन्य	40,744	32,523	29,686	25,299	22,036	23,453	18,636	21,914	16,571	12,789
योग	7,84,037	6,48,184	5,52,637	4,37,148	4,41,230	4,72,463	4,15,204	5,01,572	4,16,178	2,96,249

अनुलमनक 16: आर्थिक श्रेणियों के अनुसार राज्यों का व्यय (प्रमुख व्यय उद्देश्य शीर्ष) (आंकड़े ₹ करोड़ में)

घटक (पीयू)	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
वैतन	7,13,756	6,65,351	6,08,724	5,50,959	5,40,968	4,99,761	4,53,629	4,00,692	3,66,315	3,37,390
चिकित्सा उपचार	5,091	3,406	2,958	2,353	2,208	2,211	2,032	1,829	1,734	1,500
यात्रा भत्ता (घरेलू / अंतर्राष्ट्रीय)	4,803	4,051	3,763	3,475	4,372	3,832	3,292	3,286	3,141	3,631
मजदूरी	25,955	24,473	21,728	19,783	18,127	15,780	12,724	12,452	11,226	9,914
पेंशन लाभ	4,79,248	4,52,100	4,05,566	3,58,692	3,37,522	3,06,479	2,69,231	2,21,920	2,00,363	1,79,382
ब्याज	4,93,399	4,46,198	4,15,898	3,77,142	3,42,060	3,10,676	2,84,901	2,46,736	2,10,528	1,86,945
प्रशिक्षण व्यय	880	727	547	449	644	735	682	577	533	415
कार्यालय व्यय	17,878	15,215	13,828	13,698	12,712	12,112	9,861	9,626	9,214	9,119
क्रियाया, दें और कर	2,895	2,654	2,379	1,739	1,494	1,645	1,546	1,359	1,233	1,110
विज्ञापन, मुद्रण और प्रकाशन	7,609	5,511	4,314	2,863	3,266	3,450	2,948	3,245	2,193	1,627
सामग्री एवं आपूर्तियाँ	41,196	38,092	45,179	30,057	35,364	31,525	25,923	30,829	27,661	24,403
सब्सिडी	3,30,269	3,09,625	2,71,516	2,33,082	2,10,860	2,22,834	1,91,841	1,65,487	1,39,119	1,15,729
राशन की लागत / आहार शुल्क	10,570	11,396	10,827	8,326	8,813	8,345	7,662	7,136	7,368	6,864
छात्रवृत्ति, वृत्तिका एवं व्यावसायिक सेवाएँ	58,268	54,573	53,636	39,018	53,274	44,968	40,538	38,575	37,610	27,464
सहायता अनुदान (सामान्य एवं वैतन)	11,41,811	10,55,918	9,42,580	8,60,342	7,87,572	7,46,538	6,86,176	6,26,342	5,44,045	4,83,608
सहायता अनुदान (पूँजीगत पूजन)	80,611	70,568	51,486	50,187	50,804	44,125	38,844	38,486	26,704	18,191
हथियार और गोला-बारूद	598	223	174	173	226	211	191	256	243	262
ईंधन और स्नेहक	3,881	3,457	3,042	2,186	1,897	1,894	1,481	1,336	1,262	1,327
लघु कार्य	36,982	30,538	27,610	19,076	22,277	21,284	21,462	19,450	19,441	18,999
मरम्मत और रख-रखाव	31,996	24,881	21,648	18,922	18,328	17,429	18,539	17,018	15,211	16,274
मोटर यान	3,620	2,650	2,251	1,744	2,412	2,767	2,418	2,516	2,594	2,806
उपस्कर और औजार	11,815	10,510	8,456	8,773	6,868	7,300	6,946	6,505	5,731	4,916
वृहत कार्य	4,53,816	3,47,277	3,05,913	2,44,000	2,26,308	2,56,254	2,18,176	2,25,031	1,92,459	1,57,779
निवेश	1,24,886	90,471	97,333	69,215	89,752	90,205	81,370	95,805	89,255	53,978
सरकार द्वारा ऋण और अग्रिम	56,111	68,823	39,860	38,940	38,594	44,155	35,574	1,17,631	90,125	29,552
अन्य आर्थिक श्रेणियाँ	6,37,350	5,96,855	5,03,789	4,37,007	3,98,636	3,79,213	3,30,179	3,03,559	2,65,764	2,44,563
कुल समंस्कृत व्यय	47,75,286	43,35,543	38,65,005	33,92,201	32,15,358	30,75,728	27,48,166	25,97,684	22,71,072	19,37,748
वसूलियाँ घटाएँ	-94,602	-91,623	-99,231	-97,493	-79,402	-63,510	-73,357	-48,896	-53,048	-33,476
कुल व्यय (शुद्ध)	46,80,684	42,43,920	37,65,774	32,94,708	31,35,956	30,12,218	26,74,809	25,48,788	22,18,024	19,04,272
लोक ऋण का पुनर्भुगतान	9,60,146	7,80,621	5,84,746	5,81,478	4,48,312	3,83,514	2,76,146	2,07,044	1,78,589	1,62,984

अनुलग्नक 17: लोक ऋण देयता एवं लोक लेखा देयता
प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को (आंकड़े ₹ करोड़ में)

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
आंध्र प्रदेश (योग)	4,91,734	4,29,526	3,78,087	3,50,557	3,01,802	2,57,510	2,23,706	2,01,314	1,73,854	1,48,743
आंतरिक ऋण	3,93,063	3,37,530	2,91,951	2,56,088	2,15,617	1,83,274	1,59,813	1,40,783	1,15,704	99,924
केंद्र से ऋण एवं अग्रिम	28,138	24,508	17,672	14,171	10,943	10,223	8,977	9,025	8,958	9,500
लोक लेखा देयता	70,533	67,488	68,463	80,297	75,243	64,013	54,915	51,506	49,192	39,319
अरुणाचल प्रदेश (योग)	19,610	15,647	13,737	13,697	12,131	8,588	7,208	5,625	5,895	6,122
आंतरिक ऋण	9,392	8,521	8,131	7,348	6,299	4,835	3,884	2,522	2,067	2,706
केंद्र से ऋण एवं अग्रिम	4,581	2,243	705	360	152	179	205	232	258	284
लोक लेखा देयता	5,636	4,882	4,901	5,989	5,680	3,574	3,120	2,871	3,570	3,131
असम (योग)	1,47,503	1,24,891	1,02,686	88,402	72,257	59,426	49,275	43,981	39,055	35,403
आंतरिक ऋण	1,11,973	94,444	77,780	67,014	52,630	41,511	33,294	26,737	24,799	21,187
केंद्र से ऋण एवं अग्रिम	15,171	9,332	5,056	2,679	1,270	1,309	1,361	1,430	1,508	1,592
लोक लेखा देयता	20,359	21,116	19,850	18,709	18,356	16,605	14,620	15,814	12,747	12,625
बिहार (योग)	3,32,741	2,93,307	2,57,510	2,27,196	1,93,382	1,68,921	1,56,777	1,38,722	1,16,578	99,056
आंतरिक ऋण	2,36,205	2,08,098	1,82,855	1,59,558	1,36,082	1,14,360	1,04,525	96,595	79,990	65,848
केंद्र से ऋण एवं अग्रिम	43,879	34,748	26,058	17,657	12,098	11,785	10,182	9,596	8,838	8,722
लोक लेखा देयता	52,657	50,461	48,597	49,981	45,202	42,776	42,070	32,531	27,749	24,485
छत्तीसगढ़ (योग)	1,34,179	1,01,696	99,173	92,714	78,712	66,750	52,907	43,431	37,817	31,181
आंतरिक ऋण	95,140	68,755	71,187	70,539	60,383	49,554	36,690	28,330	24,215	18,195
केंद्र से ऋण एवं अग्रिम	18,747	15,196	11,726	6,169	2,764	2,700	2,340	2,047	1,836	1,854
लोक लेखा देयता	20,292	17,746	16,260	16,006	15,566	14,495	13,877	13,053	11,766	11,132
गोवा (योग)	32,867	30,304	29,118	26,521	22,554	20,412	18,552	16,824	15,575	13,877
आंतरिक ऋण	23,316	21,174	20,321	18,697	15,746	14,019	12,388	11,162	10,176	8,852
केंद्र से ऋण एवं अग्रिम	4,066	3,446	2,950	2,033	1,148	1,201	1,223	1,233	1,168	1,084
लोक लेखा देयता	5,484	5,684	5,847	5,791	5,660	5,192	4,941	4,429	4,231	3,941
गुजरात (योग)	4,36,907	4,12,378	3,80,802	3,57,893	3,15,455	2,85,844	2,56,366	2,43,146	2,21,090	2,02,313
आंतरिक ऋण	3,35,209	3,25,273	2,99,806	2,90,031	2,59,661	2,32,875	2,06,644	1,92,772	1,73,681	1,55,981
केंद्र से ऋण एवं अग्रिम	39,772	35,458	30,756	17,999	7,433	7,430	5,947	6,566	7,062	7,470
लोक लेखा देयता	61,926	51,647	50,240	49,863	48,360	45,539	43,776	43,808	40,347	38,863
हरियाणा (योग)	3,38,368	3,04,868	2,75,696	2,43,060	2,15,562	1,84,216	1,64,076	1,46,371	1,20,718	88,446

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
आंतरिक ऋण	2,80,772	2,52,781	2,26,208	2,03,958	1,83,786	1,54,968	1,37,812	1,22,617	99,660	68,797
केंद्र से ऋण एवं अग्रिम	15,825	14,290	13,235	5,852	1,705	1,867	1,941	1,986	2,049	2,128
लोक लेखा देयता	41,771	37,798	36,254	33,250	30,071	27,381	24,322	21,768	19,009	17,521
हिमाचल प्रदेश (योग)	95,633	86,589	73,535	68,882	62,212	54,299	51,031	47,244	41,197	38,192
आंतरिक ऋण	61,439	55,975	44,376	42,918	39,528	35,363	33,591	31,494	26,861	24,658
केंद्र से ऋण एवं अग्रिम	8,930	7,388	6,751	3,262	1,044	1,062	1,079	1,076	1,049	1,071
लोक लेखा देयता	25,264	23,226	22,407	22,702	21,640	17,874	16,360	14,674	13,287	12,463
झारखंड (योग)	1,27,609	1,18,448	1,13,482	1,09,185	94,407	83,783	77,095	66,827	56,530	43,569
आंतरिक ऋण	70,659	73,580	74,538	71,957	63,545	58,436	53,799	48,682	43,756	32,755
केंद्र से ऋण एवं अग्रिम	16,149	11,364	7,993	4,982	2,592	2,339	2,233	2,162	2,086	2,087
लोक लेखा देयता	40,801	33,504	30,951	32,246	28,270	23,008	21,063	15,982	10,689	8,727
कर्नाटक (योग)	6,20,052	5,36,057	4,73,573	3,97,506	3,19,417	2,70,376	2,33,058	2,11,071	1,75,623	1,58,553
आंतरिक ऋण	4,17,455	3,53,894	3,29,042	2,81,140	2,20,337	1,79,309	1,48,581	1,32,489	1,09,545	92,904
केंद्र से ऋण एवं अग्रिम	53,406	49,139	45,385	26,617	13,909	14,657	14,555	13,794	13,002	12,681
लोक लेखा देयता	1,49,192	1,33,024	99,147	89,748	85,172	76,410	69,923	64,788	53,076	52,968
केरल (योग)	4,15,221	3,85,030	3,57,393	3,08,386	2,65,362	2,41,615	2,14,518	1,89,769	1,60,539	1,41,947
आंतरिक ऋण	2,57,158	2,27,137	2,10,792	1,90,474	1,65,960	1,50,991	1,35,501	1,18,269	1,02,496	89,068
केंद्र से ऋण एवं अग्रिम	25,337	25,369	23,688	14,974	8,680	7,243	7,484	7,614	7,235	7,065
लोक लेखा देयता	1,32,726	1,32,524	1,22,913	1,02,938	90,722	83,380	71,534	63,886	50,808	45,814
मध्य प्रदेश (योग)	4,08,888	3,63,952	3,23,218	2,89,298	2,30,572	1,94,309	1,72,363	1,55,800	1,27,144	1,08,688
आंतरिक ऋण	2,82,516	2,51,428	2,23,013	2,02,719	1,59,793	1,40,009	1,23,683	1,08,391	83,718	69,008
केंद्र से ऋण एवं अग्रिम	62,254	49,798	41,351	30,523	21,036	17,389	14,741	13,917	13,668	13,254
लोक लेखा देयता	64,118	62,727	58,854	56,056	49,743	36,911	33,939	33,492	29,758	26,426
महाराष्ट्र (योग)	7,58,261	6,60,754	6,06,295	5,48,176	4,79,895	4,36,783	4,32,433	3,95,858	3,51,341	3,19,746
आंतरिक ऋण	5,62,854	4,85,782	4,45,080	4,08,036	3,61,132	3,28,522	3,27,026	2,93,952	2,57,159	2,28,905
केंद्र से ऋण एवं अग्रिम	55,259	47,160	37,956	20,446	6,416	6,500	7,105	7,886	8,229	8,549
लोक लेखा देयता	1,40,148	1,27,811	1,23,260	1,19,695	1,12,347	1,01,761	98,302	94,020	85,953	82,291
मणिपुर (योग)	18,872	17,146	15,354	13,184	11,407	10,464	9,566	8,808	8,125	7,357
आंतरिक ऋण	12,160	11,150	9,967	8,431	7,004	6,426	5,554	4,899	4,465	3,941
केंद्र से ऋण एवं अग्रिम	1,855	1,313	785	571	252	288	332	367	395	439
लोक लेखा देयता	4,857	4,683	4,602	4,182	4,152	3,750	3,680	3,542	3,266	2,978

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
महालय (योग)	21,773	18,695	15,734	13,731	11,534	10,624	9,485	8,984	7,155	6,751
आंतरिक ऋण	14,009	12,635	11,245	9,932	8,301	7,214	6,287	5,378	4,566	4,049
केंद्र से ऋण एवं अग्रिम	3,339	2,003	921	430	107	116	114	128	144	161
लोक लेखा देयता	4,426	4,058	3,568	3,369	3,126	3,293	3,083	3,477	2,444	2,541
मिज़ोरम (योग)	12,082	10,972	10,571	9,881	8,678	7,316	7,300	6,725	6,407	6,550
आंतरिक ऋण	6,929	6,142	5,003	4,527	3,759	2,958	3,057	2,622	2,165	2,135
केंद्र से ऋण एवं अग्रिम	1,774	1,048	771	484	259	266	277	291	305	322
लोक लेखा देयता	3,379	3,782	4,797	4,870	4,660	4,091	3,966	3,812	3,937	4,093
नागालैंड (योग)	18,187	15,587	13,922	13,472	12,179	11,650	10,409	9,557	8,932	7,954
आंतरिक ऋण	13,864	12,133	10,795	10,331	8,987	7,969	7,640	6,930	6,529	5,667
केंद्र से ऋण एवं अग्रिम	2,080	1,108	613	318	131	146	164	186	207	228
लोक लेखा देयता	2,243	2,346	2,515	2,823	3,061	3,534	2,605	2,442	2,195	2,058
ओडिशा (योग)	1,33,089	1,11,952	1,20,140	1,22,774	1,26,084	1,08,258	97,164	71,623	59,753	50,493
आंतरिक ऋण	50,985	45,532	53,977	67,521	60,595	50,421	44,584	34,553	26,525	19,728
केंद्र से ऋण एवं अग्रिम	21,808	18,373	18,508	11,982	7,843	7,832	7,606	7,465	7,232	7,121
लोक लेखा देयता	60,296	48,047	47,655	43,270	57,646	50,005	44,974	29,605	25,996	23,645
पंजाब (योग)	3,46,185	3,14,221	2,81,773	2,58,032	2,29,354	2,11,917	1,95,152	1,82,526	1,29,441	1,12,366
आंतरिक ऋण	2,80,966	2,50,972	2,20,196	2,10,394	1,89,662	1,74,172	1,60,785	1,49,880	99,629	83,203
केंद्र से ऋण एवं अग्रिम	25,075	25,487	25,094	13,000	4,671	4,959	4,018	3,893	3,566	3,615
लोक लेखा देयता	40,144	37,762	36,482	34,638	35,021	32,787	30,349	28,753	26,246	25,548
राजस्थान (योग)	5,71,639	5,05,574	4,62,845	4,10,499	3,52,702	3,11,374	2,81,182	2,55,002	2,09,386	1,47,609
आंतरिक ऋण	3,99,858	3,50,962	3,21,807	2,84,789	2,42,077	2,19,311	2,00,244	1,84,285	1,48,292	93,476
केंद्र से ऋण एवं अग्रिम	46,794	37,422	31,749	23,532	17,303	13,927	12,063	11,139	8,258	7,034
लोक लेखा देयता	1,24,987	1,17,190	1,09,289	1,02,179	93,322	78,135	68,875	59,578	52,836	47,098
सिक्किम (योग)	15,168	12,697	10,863	9,059	7,401	6,335	5,451	4,671	3,961	3,481
आंतरिक ऋण	11,095	9,396	8,068	6,598	5,305	4,889	4,114	3,396	2,855	2,389
केंद्र से ऋण एवं अग्रिम	1,917	1,127	586	293	101	98	103	110	114	121
लोक लेखा देयता	2,156	2,174	2,209	2,168	1,995	1,349	1,234	1,165	992	971
तमिलनाडु (योग)	7,72,423	6,91,591	6,10,667	5,18,796	4,23,743	3,68,736	3,26,518	2,83,394	2,23,030	1,91,847
आंतरिक ऋण	6,42,594	5,67,635	5,02,205	4,29,748	3,52,625	3,04,350	2,72,634	2,37,701	1,80,693	1,51,736
केंद्र से ऋण एवं अग्रिम	61,332	48,258	39,731	27,440	17,925	17,292	16,135	14,338	13,403	12,898

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
लोक लेखा देयता	68,497	75,698	68,731	61,608	53,193	47,094	37,749	31,355	28,934	27,213
तेलंगाना (योग)	4,03,664	3,56,486	3,21,612	2,78,018	2,32,181	1,96,963	1,65,849	1,34,738	97,992	79,880
आंतरिक ऋण	3,32,463	2,93,129	2,63,041	2,24,379	1,86,959	1,56,934	1,34,287	1,12,830	83,772	69,889
केंद्र से ऋण एवं अग्रिम	18,057	16,434	14,448	10,175	7,999	8,231	8,631	8,406	8,213	7,444
लोक लेखा देयता	53,144	46,923	44,122	43,464	37,223	31,799	22,931	13,503	6,007	2,547
त्रिपुरा (योग)	22,506	21,687	21,732	21,083	17,846	14,780	12,904	11,259	10,395	9,320
आंतरिक ऋण	11,929	12,098	12,537	12,640	11,028	8,627	7,398	6,336	5,681	4,983
केंद्र से ऋण एवं अग्रिम	2,163	1,498	1,173	680	185	217	237	268	296	308
लोक लेखा देयता	8,414	8,091	8,023	7,764	6,634	5,936	5,268	4,656	4,419	4,029
उत्तर प्रदेश (योग)	7,67,872	6,62,316	6,12,956	5,64,972	5,02,412	5,18,096	4,67,842	4,23,224	3,67,252	3,07,859
आंतरिक ऋण	6,14,779	5,33,477	4,96,423	4,58,552	4,05,049	3,53,190	3,21,479	2,88,627	2,40,836	1,83,192
केंद्र से ऋण एवं अग्रिम	52,327	34,364	27,261	18,107	11,529	11,980	12,812	13,250	13,658	14,462
लोक लेखा देयता	1,00,766	94,476	89,272	88,313	85,834	1,52,926	1,33,551	1,21,347	1,12,758	1,10,206
उत्तराखंड (योग)	85,915	78,509	77,024	73,751	65,982	58,039	51,831	44,583	39,032	33,480
आंतरिक ऋण	57,379	53,558	53,759	53,302	49,437	45,443	40,286	34,555	29,292	24,557
केंद्र से ऋण एवं अग्रिम	10,582	8,600	7,443	3,813	813	790	729	655	544	478
लोक लेखा देयता	17,954	16,350	15,821	16,636	15,733	11,807	10,816	9,373	9,196	8,446
पश्चिम बंगाल (योग)	6,44,817	5,85,169	5,36,478	4,86,430	4,33,475	3,93,300	3,60,961	3,37,682	3,06,043	2,77,579
आंतरिक ऋण	5,23,402	4,79,797	4,42,866	4,04,018	3,60,464	3,26,064	3,01,778	2,82,069	2,56,393	2,30,667
केंद्र से ऋण एवं अग्रिम	37,181	30,966	27,423	20,230	15,244	14,358	14,233	13,209	13,666	13,824
लोक लेखा देयता	84,234	74,406	66,190	62,182	57,767	52,878	44,950	42,404	35,984	33,089
सभी राज्यों का योग	81,93,766	72,66,052	65,95,977	59,15,152	50,98,698	45,60,681	41,10,981	36,88,757	31,19,859	26,78,363

घटक (सभी राज्य)	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
आंतरिक ऋण	61,09,564	54,02,986	49,16,969	44,55,639	38,31,750	33,55,994	30,27,361	27,08,855	22,45,521	18,58,401
केंद्र से ऋण एवं अग्रिम *	6,77,799	5,57,442	4,67,789	2,98,776	1,75,549	1,66,383	1,56,827	1,52,269	1,46,945	1,45,796
लोक लेखा देयता	14,06,402	13,05,623	12,11,220	11,60,736	10,91,399	10,38,304	9,26,793	8,27,633	7,27,393	6,74,166
योग	81,93,766	72,66,052	65,95,977	59,15,152	50,98,698	45,60,681	41,10,981	36,88,757	31,19,859	26,78,363

*जीएसटी क्षतिपूर्ति में कमी की पूर्ति हेतु राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को प्रदान किए गए बैंक-टू-बैंक ऋणों की निर्माण राशि को, वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित राज्यों की वार्षिक शुद्ध उधारी सीमा से अतिरिक्त माना गया है तथा इसे वित्त आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों के अंतर्गत नहीं गिना गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में, केंद्रीय सरकार द्वारा जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर से ₹72,054 करोड़ के ऋण का पुनर्भुलान किया गया है, किंतु उक्त ऋण राशि को वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार की देयता से समायोजित/घटाया गया है।

अनुलम्बक 18: राज्यों के अर्थोपाय अग्रिम (आंकड़े ₹ करोड़ में)

राज्य	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
आंध्र प्रदेश										
उपयोग की गयी अर्थोपाय अग्रिम की कुल राशि (ओवरड्राफ्ट सहित)	1,18,027	1,18,039	1,06,326	1,04,539	60,371	59,868	45,861	29,154	31,307	5,514
अर्थोपाय अग्रिम - ओवरड्राफ्ट	49,960	57,066	46,855	31,812	17,632	19,655	8,636	1,295	95	4,313
दिनों की कुल संख्या जिनमें अर्थोपाय अग्रिम का उपयोग किया गया (ओवरड्राफ्ट सहित)	335	341	322	331	221	250	231	338	267	15
दिनों की संख्या जिनमें अर्थोपाय अग्रिम - ओवरड्राफ्ट	144	152	164	103	57	107	43	9	8	6
अरुणाचल प्रदेश										
उपयोग की गयी अर्थोपाय अग्रिम की कुल राशि (ओवरड्राफ्ट सहित)	-	-	-	-	39	-	517	254	333	1,133
अर्थोपाय अग्रिम - ओवरड्राफ्ट	-	-	-	-	-	-	-	-	233	487
दिनों की कुल संख्या जिनमें अर्थोपाय अग्रिम का उपयोग किया गया (ओवरड्राफ्ट सहित)	-	-	-	-	7	-	-	12	26	61
दिनों की संख्या जिनमें अर्थोपाय अग्रिम - ओवरड्राफ्ट	-	-	-	-	-	-	-	-	14	28
असम										
उपयोग की गयी अर्थोपाय अग्रिम की कुल राशि (ओवरड्राफ्ट सहित)	16,242	4,609	-	-	-	-	-	-	-	1,563
अर्थोपाय अग्रिम - ओवरड्राफ्ट	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
दिनों की कुल संख्या जिनमें अर्थोपाय अग्रिम का उपयोग किया गया (ओवरड्राफ्ट सहित)	88	60	-	-	-	-	-	-	-	31
दिनों की संख्या जिनमें अर्थोपाय अग्रिम - ओवरड्राफ्ट	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
बिहार										
उपयोग की गयी अर्थोपाय अग्रिम की कुल राशि (ओवरड्राफ्ट सहित)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अर्थोपाय अग्रिम - ओवरड्राफ्ट	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
दिनों की कुल संख्या जिनमें अर्थोपाय अग्रिम का उपयोग किया गया (ओवरड्राफ्ट सहित)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
दिनों की संख्या जिनमें अर्थोपाय अग्रिम - ओवरड्राफ्ट	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
छत्तीसगढ़										
उपयोग की गयी अर्थोपाय अग्रिम की कुल राशि (ओवरड्राफ्ट सहित)	16,671	3,728	4,218	4,027	6,659	-	-	-	-	776
अर्थोपाय अग्रिम - ओवरड्राफ्ट	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
दिनों की कुल संख्या जिनमें अर्थोपाय अग्रिम का उपयोग किया गया (ओवरड्राफ्ट सहित)	99	15	38	30	36	-	-	-	-	11

राज्य	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
दिनों की संख्या जिनमें अर्थोपाय अग्रिम - ओवरड्राफ्ट	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
गोवा										
उपयोग की गयी अर्थोपाय अग्रिम की कुल राशि (ओवरड्राफ्ट सहित)										
अर्थोपाय अग्रिम - ओवरड्राफ्ट	133	52	1,647	3,068	1,112	2,460	1,155	1,785	2,324	1,067
दिनों की कुल संख्या जिनमें अर्थोपाय अग्रिम का उपयोग किया गया (ओवरड्राफ्ट सहित)	11	3	83	167	96	320	88	188	240	121
दिनों की संख्या जिनमें अर्थोपाय अग्रिम - ओवरड्राफ्ट	-	-	-	-	-	24	-	14	63	12
गुजरात										
उपयोग की गयी अर्थोपाय अग्रिम की कुल राशि (ओवरड्राफ्ट सहित)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अर्थोपाय अग्रिम - ओवरड्राफ्ट	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
दिनों की कुल संख्या जिनमें अर्थोपाय अग्रिम का उपयोग किया गया (ओवरड्राफ्ट सहित)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
दिनों की संख्या जिनमें अर्थोपाय अग्रिम - ओवरड्राफ्ट	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
हरियाणा										
उपयोग की गयी अर्थोपाय अग्रिम की कुल राशि (ओवरड्राफ्ट सहित)	25,994	21,134	2,776	4,977	1,262	505	79	-	-	-
अर्थोपाय अग्रिम - ओवरड्राफ्ट	-	66	23	-	-	-	-	-	-	-
दिनों की कुल संख्या जिनमें अर्थोपाय अग्रिम का उपयोग किया गया (ओवरड्राफ्ट सहित)	163	188	19	42	11	4	2	-	-	-
दिनों की संख्या जिनमें अर्थोपाय अग्रिम - ओवरड्राफ्ट	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-
हिमाचल प्रदेश										
उपयोग की गयी अर्थोपाय अग्रिम की कुल राशि (ओवरड्राफ्ट सहित)	4,380	6,787	1,043	7,744	3,444	1,496	400	1,671	1,785	6,860
अर्थोपाय अग्रिम - ओवरड्राफ्ट	876	2,744	-	1,300	928	-	-	-	901	2,668
दिनों की कुल संख्या जिनमें अर्थोपाय अग्रिम का उपयोग किया गया (ओवरड्राफ्ट सहित)	41	70	16	63	38	19	2	23	31	125
दिनों की संख्या जिनमें अर्थोपाय अग्रिम - ओवरड्राफ्ट	5	19	-	12	13	-	-	-	6	48
झारखंड										
उपयोग की गयी अर्थोपाय अग्रिम की कुल राशि (ओवरड्राफ्ट सहित)	-	-	1,218	-	1,472	10,853	8	282	-	-
अर्थोपाय अग्रिम - ओवरड्राफ्ट	-	-	-	-	-	2,030	-	-	-	-
दिनों की कुल संख्या जिनमें अर्थोपाय अग्रिम का उपयोग किया गया (ओवरड्राफ्ट सहित)	-	-	16	-	16	62	7	3	-	-

राज्य	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
दिनों की संख्या जिनमें अर्थोपाय अग्रिम - ओवरड्राफ्ट	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-
कर्नाटक										
उपयोग की गयी अर्थोपाय अग्रिम की कुल राशि (ओवरड्राफ्ट सहित)	-	1,798	-	-	310	-	-	-	-	-
अर्थोपाय अग्रिम - ओवरड्राफ्ट	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
दिनों की कुल संख्या जिनमें अर्थोपाय अग्रिम का उपयोग किया गया (ओवरड्राफ्ट सहित)	-	5	-	-	2	-	-	-	-	-
दिनों की संख्या जिनमें अर्थोपाय अग्रिम - ओवरड्राफ्ट	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
केरल										
उपयोग की गयी अर्थोपाय अग्रिम की कुल राशि (ओवरड्राफ्ट सहित)	53,287	15,743	22,865	29,209	35,729	9,698	6,336	2,931	1,986	2,649
अर्थोपाय अग्रिम - ओवरड्राफ्ट	17,500	227	3,251	5,356	7,703	-	-	-	-	725
दिनों की कुल संख्या जिनमें अर्थोपाय अग्रिम का उपयोग किया गया (ओवरड्राफ्ट सहित)	192	55	124	230	291	67	50	25	23	30
दिनों की संख्या जिनमें अर्थोपाय अग्रिम - ओवरड्राफ्ट	67	1	14	35	57	-	-	-	-	7
मध्य प्रदेश										
उपयोग की गयी अर्थोपाय अग्रिम की कुल राशि (ओवरड्राफ्ट सहित)	-	-	-	-	-	3,376	-	-	-	-
अर्थोपाय अग्रिम - ओवरड्राफ्ट	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
दिनों की कुल संख्या जिनमें अर्थोपाय अग्रिम का उपयोग किया गया (ओवरड्राफ्ट सहित)	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-
दिनों की संख्या जिनमें अर्थोपाय अग्रिम - ओवरड्राफ्ट	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
महाराष्ट्र										
उपयोग की गयी अर्थोपाय अग्रिम की कुल राशि (ओवरड्राफ्ट सहित)	167	7,129	98	31,159	1,758	-	1,594	-	-	6,353
अर्थोपाय अग्रिम - ओवरड्राफ्ट	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
दिनों की कुल संख्या जिनमें अर्थोपाय अग्रिम का उपयोग किया गया (ओवरड्राफ्ट सहित)	1	18	1	68	3	-	7	-	-	3
दिनों की संख्या जिनमें अर्थोपाय अग्रिम - ओवरड्राफ्ट	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मणिपुर										
उपयोग की गयी अर्थोपाय अग्रिम की कुल राशि (ओवरड्राफ्ट सहित)	7,592	8,918	10,741	7,483	4,487	2,777	663	805	185	-
अर्थोपाय अग्रिम - ओवरड्राफ्ट	3,269	6,576	6,670	1,824	1,308	1,330	-	-	-	-
दिनों की कुल संख्या जिनमें अर्थोपाय अग्रिम का उपयोग किया गया (ओवरड्राफ्ट सहित)	146	162	173	142	263	64	12	41	1	-

राज्य	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
दिनों की संख्या जिनमें अर्थोपाय अग्रिम - ओवरड्राफ्ट						34	-	-	-	-
मेघालय										
उपयोग की गयी अर्थोपाय अग्रिम की कुल राशि (ओवरड्राफ्ट सहित)				141	-	-	-	-	-	-
अर्थोपाय अग्रिम - ओवरड्राफ्ट	4,589	3,164	1,727	-	-	-	-	-	-	-
दिनों की कुल संख्या जिनमें अर्थोपाय अग्रिम का उपयोग किया गया (ओवरड्राफ्ट सहित)	273	310	131	3	-	-	-	-	-	-
दिनों की संख्या जिनमें अर्थोपाय अग्रिम - ओवरड्राफ्ट	14	-	25	-	-	-	-	-	-	-
मिज़ोरम										
उपयोग की गयी अर्थोपाय अग्रिम की कुल राशि (ओवरड्राफ्ट सहित)	4,449	2,254	3,352	1,220	72	-	235	-	263	1,067
अर्थोपाय अग्रिम - ओवरड्राफ्ट	589	271	64	-	-	-	32	-	45	53
दिनों की कुल संख्या जिनमें अर्थोपाय अग्रिम का उपयोग किया गया (ओवरड्राफ्ट सहित)	176	93	105	82	2	-	-	-	10	73
दिनों की संख्या जिनमें अर्थोपाय अग्रिम - ओवरड्राफ्ट	32	8	4	-	-	-	-	-	1	2
नागालैंड										
उपयोग की गयी अर्थोपाय अग्रिम की कुल राशि (ओवरड्राफ्ट सहित)	2,479	4,743	6,600	9,418	6,784	1,959	3,906	4,262	2,478	1,690
अर्थोपाय अग्रिम - ओवरड्राफ्ट	-	777	700	1,652	156	49	259	158	187	360
दिनों की कुल संख्या जिनमें अर्थोपाय अग्रिम का उपयोग किया गया (ओवरड्राफ्ट सहित)	70	93	164	211	139	48	104	145	110	126
दिनों की संख्या जिनमें अर्थोपाय अग्रिम - ओवरड्राफ्ट	-	4	25	34	6	2	9	7	9	30
ओडिशा										
उपयोग की गयी अर्थोपाय अग्रिम की कुल राशि (ओवरड्राफ्ट सहित)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,082
अर्थोपाय अग्रिम - ओवरड्राफ्ट	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
दिनों की कुल संख्या जिनमें अर्थोपाय अग्रिम का उपयोग किया गया (ओवरड्राफ्ट सहित)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
दिनों की संख्या जिनमें अर्थोपाय अग्रिम - ओवरड्राफ्ट	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पंजाब										
उपयोग की गयी अर्थोपाय अग्रिम की कुल राशि (ओवरड्राफ्ट सहित)	59,751	42,282	2,006	21,309	26,957	28,456	27,917	28,661	18,221	19,268
अर्थोपाय अग्रिम - ओवरड्राफ्ट	1,941	-	-	-	4,223	5,188	8,389	13,429	4,306	8,996
दिनों की कुल संख्या जिनमें अर्थोपाय अग्रिम का उपयोग किया गया (ओवरड्राफ्ट सहित)	323	221	12	145	227	233	313	344	275	315

राज्य	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
दिनों की संख्या जिनमें अर्थोपाय अग्रिम - ओवरड्राफ्ट	16	-	-	-	44	63	100	179	57	138
राजस्थान										
उपयोग की गयी अर्थोपाय अग्रिम की कुल राशि (ओवरड्राफ्ट सहित)	1,35,112	1,04,918	38,542	23,484	1,416	-	-	-	-	-
अर्थोपाय अग्रिम - ओवरड्राफ्ट	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
दिनों की कुल संख्या जिनमें अर्थोपाय अग्रिम का उपयोग किया गया (ओवरड्राफ्ट सहित)	329	273	143	99	4	-	-	-	-	-
दिनों की संख्या जिनमें अर्थोपाय अग्रिम - ओवरड्राफ्ट	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सिक्किम										
उपयोग की गयी अर्थोपाय अग्रिम की कुल राशि (ओवरड्राफ्ट सहित)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अर्थोपाय अग्रिम - ओवरड्राफ्ट	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
दिनों की कुल संख्या जिनमें अर्थोपाय अग्रिम का उपयोग किया गया (ओवरड्राफ्ट सहित)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
दिनों की संख्या जिनमें अर्थोपाय अग्रिम - ओवरड्राफ्ट	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
तमिलनाडु										
उपयोग की गयी अर्थोपाय अग्रिम की कुल राशि (ओवरड्राफ्ट सहित)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अर्थोपाय अग्रिम - ओवरड्राफ्ट	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
दिनों की कुल संख्या जिनमें अर्थोपाय अग्रिम का उपयोग किया गया (ओवरड्राफ्ट सहित)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
दिनों की संख्या जिनमें अर्थोपाय अग्रिम - ओवरड्राफ्ट	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
तेलंगाना										
उपयोग की गयी अर्थोपाय अग्रिम की कुल राशि (ओवरड्राफ्ट सहित)	98,097	82,823	67,274	69,454	37,248	21,823	22,922	12,088	112	-
अर्थोपाय अग्रिम - ओवरड्राफ्ट	35,425	26,765	22,669	21,288	1,579	2,600	765	-	-	-
दिनों की कुल संख्या जिनमें अर्थोपाय अग्रिम का उपयोग किया गया (ओवरड्राफ्ट सहित)	349	341	289	315	130	335	338	172	4	-
दिनों की संख्या जिनमें अर्थोपाय अग्रिम - ओवरड्राफ्ट	145	118	100	158	8	32	7	-	-	-
त्रिपुरा										
उपयोग की गयी अर्थोपाय अग्रिम की कुल राशि (ओवरड्राफ्ट सहित)	-	-	-	96	177	-	-	-	-	-
अर्थोपाय अग्रिम - ओवरड्राफ्ट	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
दिनों की कुल संख्या जिनमें अर्थोपाय अग्रिम का उपयोग किया गया (ओवरड्राफ्ट सहित)	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-

राज्य	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
दिनों की संख्या जिनमें अर्थोपाय अग्रिम - ओवरड्राफ्ट	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उत्तर प्रदेश										
उपयोग की गयी अर्थोपाय अग्रिम की कुल राशि (ओवरड्राफ्ट सहित)	-	-	-	-	-	-	2,933	8,695	4,499	1,732
अर्थोपाय अग्रिम - ओवरड्राफ्ट	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
दिनों की कुल संख्या जिनमें अर्थोपाय अग्रिम का उपयोग किया गया (ओवरड्राफ्ट सहित)	-	-	-	-	-	-	5	26	23	3
दिनों की संख्या जिनमें अर्थोपाय अग्रिम - ओवरड्राफ्ट	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
उत्तराखंड										
उपयोग की गयी अर्थोपाय अग्रिम की कुल राशि (ओवरड्राफ्ट सहित)	19,527	4,395	445	5,348	7,279	8,173	5,931	4,091	200	180
अर्थोपाय अग्रिम - ओवरड्राफ्ट	3,957	576	-	234	201	1,245	-	-	-	-
दिनों की कुल संख्या जिनमें अर्थोपाय अग्रिम का उपयोग किया गया (ओवरड्राफ्ट सहित)	137	39	6	96	140	167	90	90	9	12
दिनों की संख्या जिनमें अर्थोपाय अग्रिम - ओवरड्राफ्ट	28	3	-	4	2	18	-	-	-	-
पश्चिम बंगाल										
उपयोग की गयी अर्थोपाय अग्रिम की कुल राशि (ओवरड्राफ्ट सहित)	-	-	193	8,155	15,860	25,005	5,395	1,208	11,139	19,381
अर्थोपाय अग्रिम - ओवरड्राफ्ट	-	-	-	-	933	2824	-	-	493	-
दिनों की कुल संख्या जिनमें अर्थोपाय अग्रिम का उपयोग किया गया (ओवरड्राफ्ट सहित)	-	-	1	42	107	149	22	3	78	164
दिनों की संख्या जिनमें अर्थोपाय अग्रिम - ओवरड्राफ्ट	-	-	-	-	6	20	-	-	4	-

सभी राज्यों का योग	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
उपयोग की गयी अर्थोपाय अग्रिम की कुल राशि (ओवरड्राफ्ट सहित)	5,66,497	4,32,518	2,71,072	3,30,830	2,12,435	1,76,448	1,25,852	95,887	74,832	70,316
अर्थोपाय अग्रिम - ओवरड्राफ्ट	1,14,253	95,068	80,732	63,467	34,663	35,062	18,081	14,929	6,731	17,667
दिनों की कुल संख्या जिनमें अर्थोपाय अग्रिम का उपयोग किया गया (ओवरड्राफ्ट सहित)	2,733	2,287	1,643	2,070	1,737	1,743	1,271	1,410	1,097	1,093
दिनों की संख्या जिनमें अर्थोपाय अग्रिम - ओवरड्राफ्ट	526	402	445	375	249	310	160	209	162	272

अनुलग्नक 19: राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) मापदंड (आंकड़े ₹ करोड़ में)

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
आंध्र प्रदेश										
राजस्व अधिशेष(+)घाटा(-)	-38,683	-43,488	-8,611	-35,540	-26,441	-13,899	-16,152	-17,231	-7,302	-24,193
राजकोषीय अधिशेष(+)घाटा(-)	-62,720	-52,508	-25,013	-55,168	-39,687	-35,467	-32,381	-30,909	-22,057	-31,717
बकाया लोक ऋण	4,21,201	3,62,038	3,09,623	2,70,259	2,26,559	1,93,497	1,68,791	1,49,808	1,24,662	1,09,425
बकाया प्रतिभूतियाँ	1,54,797	1,38,875	1,18,003	91,330	67,171	49,442	35,964	9,665	7,059	10,675
अरुणाचल प्रदेश										
राजस्व अधिशेष(+)घाटा(-)	6,877	6,370	5,385	4,036	2,670	3,766	2,874	2,385	2,190	1,979
राजकोषीय अधिशेष(+)घाटा(-)	-1,584	-1,735	-1,099	-1,086	-1,032	-1,976	-313	834	190	519
बकाया लोक ऋण	13,974	10,764	8,836	7,708	6,451	5,014	4,089	2,754	2,325	2,991
बकाया प्रतिभूतियाँ	30	13	9	1	1	1	1	1	1	1
असम										
राजस्व अधिशेष(+)घाटा(-)	-2,628	-12,072	-2,733	383	-1,322	6,580	-1,350	-143	5,446	-897
राजकोषीय अधिशेष(+)घाटा(-)	-20,855	-30,205	-19,863	-12,102	-14,916	-4,779	-9,342	-6,126	3,005	-5,430
बकाया लोक ऋण	1,27,144	1,03,775	82,836	69,693	53,901	42,820	34,655	28,166	26,307	22,778
बकाया प्रतिभूतियाँ	2,241	1,166	312	78	83	85	90	130	143	143
बिहार										
राजस्व अधिशेष(+)घाटा(-)	2,833	-11,288	-422	-11,325	-1,784	6,897	14,823	10,820	12,507	5,848
राजकोषीय अधिशेष(+)घाटा(-)	-35,660	-44,823	-25,551	-29,827	-14,724	-13,807	-14,305	-16,479	-12,062	-11,179
बकाया लोक ऋण	2,80,084	2,42,846	2,08,913	1,77,215	1,48,180	1,26,145	1,14,707	1,06,191	88,829	74,570
बकाया प्रतिभूतियाँ	28,041	25,939	25,070	16,408	5,485	5,502	5,272	4,638	4,839	2,149
छत्तीसगढ़										
राजस्व अधिशेष(+)घाटा(-)	-11,233	8,592	4,642	-6,857	-9,609	684	3,417	5,521	2,367	-1,573
राजकोषीय अधिशेष(+)घाटा(-)	-26,933	-4,691	-6,093	-15,822	-17,970	-8,293	-6,810	-4,047	-4,574	-8,008
बकाया लोक ऋण	1,13,888	83,951	82,913	76,708	63,147	52,254	39,030	30,377	26,050	20,049
बकाया प्रतिभूतियाँ	21,891	20,958	19,524	19,836	18,459	10,769	3,882	3,983	1,988	2,314
गोवा										
राजस्व अधिशेष(+)घाटा(-)	1,423	2,399	59	-1,652	-325	355	511	699	133	278
राजकोषीय अधिशेष(+)घाटा(-)	-2,147	-1,028	-2,623	-3,648	-1,995	-1,792	-1,610	-935	-1,482	-949
बकाया लोक ऋण	27,383	24,620	23,272	20,730	16,894	15,220	13,611	12,395	11,344	9,936
बकाया प्रतिभूतियाँ	298	405	662	967	883	1,093	741	842	623	337

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
गुजरात										
राजस्व अधिशेष(+)/घाटा(-)	33,477	19,865	6,408	-22,548	1,945	3,212	5,232	5,947	1,704	5,326
राजकोषीय अधिशेष(+)/घाटा(-)	-23,493	-16,845	-22,692	-40,438	-24,581	-26,365	-21,366	-16,480	-23,015	-18,319
बकाया लोक ऋण	3,74,980	3,60,731	3,30,562	3,08,030	2,67,094	2,40,305	2,12,590	1,99,338	1,80,743	1,63,451
बकाया प्रतिभूतियाँ	1,463	1,473	3,044	3,656	4,462	4,699	4,834	4,804	5,236	5,984
हरियाणा										
राजस्व अधिशेष(+)/घाटा(-)	-11,881	-17,212	-20,333	-22,386	-16,990	-11,270	-10,562	-15,907	-11,679	-8,319
राजकोषीय अधिशेष(+)/घाटा(-)	-31,441	-31,027	-31,778	-29,486	-30,519	-21,912	-19,114	-26,285	-31,480	-12,586
बकाया लोक ऋण	2,96,597	2,67,071	2,39,443	2,09,810	1,85,491	1,56,835	1,39,754	1,24,603	1,01,709	70,925
बकाया प्रतिभूतियाँ	24,215	23,058	24,343	23,053	20,738	18,220	14,138	8,244	16,876	30,388
हिमाचल प्रदेश										
राजस्व अधिशेष(+)/घाटा(-)	-5,559	-6,336	1,115	-97	12	1,508	314	920	1,138	-1,944
राजकोषीय अधिशेष(+)/घाटा(-)	-11,266	-12,380	-5,245	-5,700	-5,597	-3,513	-3,870	-2,949	-2,164	-4,200
बकाया लोक ऋण	70,369	63,363	51,127	46,180	40,572	36,425	34,671	32,570	27,910	25,729
बकाया प्रतिभूतियाँ	1,745	1,781	1,885	2,142	1,947	4,309	4,394	4,550	3,714	4,281
झारखंड										
राजस्व अधिशेष(+)/घाटा(-)	11,252	13,564	6,944	-3,114	1,961	5,521	1,804	1,965	4,086	-230
राजकोषीय अधिशेष(+)/घाटा(-)	-6,332	-4,617	-2,604	-14,911	-8,034	-6,629	-11,933	-10,192	-11,523	-6,564
बकाया लोक ऋण	86,807	84,944	82,532	76,939	66,137	60,775	56,032	50,845	45,841	34,842
बकाया प्रतिभूतियाँ	4,998	4,998	607	607	607	607	157	157	157	157
कर्नाटक										
राजस्व अधिशेष(+)/घाटा(-)	-9,272	13,496	-13,666	-19,338	1,185	679	4,517	1,293	1,789	528
राजकोषीय अधिशेष(+)/घाटा(-)	-65,522	-46,622	-66,036	-67,098	-38,166	-38,442	-31,101	-28,665	-19,169	-19,577
बकाया लोक ऋण	4,70,860	4,03,033	3,74,427	3,07,758	2,34,245	1,93,967	1,63,135	1,46,283	1,22,547	1,05,585
बकाया प्रतिभूतियाँ	44,247	38,356	33,192	32,733	26,830	24,091	18,416	15,392	13,324	11,033
केरल										
राजस्व अधिशेष(+)/घाटा(-)	-18,140	-9,226	-29,539	-25,830	-14,495	-17,462	-16,928	-15,485	-9,657	-13,796
राजकोषीय अधिशेष(+)/घाटा(-)	-34,258	-25,555	-46,046	-40,970	-23,837	-26,958	-26,837	-26,448	-17,818	-18,642
बकाया लोक ऋण	2,82,495	2,52,506	2,34,480	2,05,448	1,74,640	1,58,234	1,42,985	1,25,883	1,09,731	96,133
बकाया प्रतिभूतियाँ	62,868	50,374	44,370	36,601	27,757	26,835	17,356	16,246	12,439	11,127

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
मध्य प्रदेश										
राजस्व अधिशेष(+)घाटा(-)	12,488	4,091	4,815	-18,356	-2,801	6,744	4,629	3,769	5,740	6,268
राजकोषीय अधिशेष(+)घाटा(-)	-44,485	-41,203	-37,487	-49,870	-32,970	-23,687	-22,745	-27,664	-14,065	-11,352
बकाया लोक ऋण	3,44,770	3,01,226	2,64,364	2,33,242	1,80,829	1,57,398	1,38,424	1,22,308	97,386	82,262
बकाया प्रतिभूतियाँ	45,551	39,788	35,006	37,010	30,930	30,763	14,003	33,397	27,530	20,124
महाराष्ट्र										
राजस्व अधिशेष(+)घाटा(-)	-13,754	-1,936	-16,374	-41,142	-17,116	11,975	2,082	-8,536	-5,338	-12,138
राजकोषीय अधिशेष(+)घाटा(-)	-90,559	-67,602	-64,302	-71,558	-53,886	-23,015	-23,961	-33,657	-28,364	-31,827
बकाया लोक ऋण	6,18,113	5,32,942	4,83,035	4,28,482	3,67,548	3,35,022	3,34,131	3,01,838	2,65,388	2,37,455
बकाया प्रतिभूतियाँ	85,897	49,633	51,263	41,775	41,279	25,135	26,658	7,306	7,807	7,999
मणिपुर										
राजस्व अधिशेष(+)घाटा(-)	884	1,734	1,449	554	446	813	1,084	944	898	731
राजकोषीय अधिशेष(+)घाटा(-)	-1,863	-1,757	-1,803	-1,892	-709	-917	-340	-548	-341	-601
बकाया लोक ऋण	14,015	12,463	10,752	9,002	7,256	6,714	5,886	5,266	4,860	4,380
बकाया प्रतिभूतियाँ	1,483	1,177	861	667	478	475	514	403	340	193
मेघालय										
राजस्व अधिशेष(+)घाटा(-)	1,394	-44	654	-815	-152	-537	851	602	695	176
राजकोषीय अधिशेष(+)घाटा(-)	-3,152	-2,796	-2,159	-2,604	-1,104	-2,026	-237	-699	-555	-978
बकाया लोक ऋण	17,348	14,637	12,166	10,362	8,408	7,331	6,402	5,506	4,710	4,211
बकाया प्रतिभूतियाँ	2,908	2,978	2,980	3,061	1,120	1,163	821	983	1,042	1,174
मिज़ोरम										
राजस्व अधिशेष(+)घाटा(-)	577	190	602	-774	204	1,534	1,699	1,168	1,106	-141
राजकोषीय अधिशेष(+)घाटा(-)	-678	-1,108	-373	-1,869	-1,224	-353	-320	252	413	-1,040
बकाया लोक ऋण	8,703	7,190	5,774	5,011	4,018	3,224	3,334	2,913	2,471	2,458
बकाया प्रतिभूतियाँ	63	120	125	139	142	98	134	124	100	97
नागालैंड										
राजस्व अधिशेष(+)घाटा(-)	1,335	689	1,634	375	-214	517	828	790	462	889
राजकोषीय अधिशेष(+)घाटा(-)	-1,784	-1,563	-261	-1,301	-1,428	-1,082	-446	-285	-597	-134
बकाया लोक ऋण	15,944	13,242	11,407	10,649	9,118	8,116	7,805	7,116	6,736	5,896
बकाया प्रतिभूतियाँ	229	190	190	175	175	121	110	81	70	70
ओडिशा										
राजस्व अधिशेष(+)घाटा(-)	30,761	19,456	43,472	9,076	2,430	14,190	13,367	9,259	10,136	5,862

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
राजकोषीय अधिशेष(+)/घाटा(-)	-14,743	-15,219	20,627	-9,786	-18,819	-10,157	-9,359	-9,377	-7,064	-5,479
बकाया लोक ऋण	72,793	63,905	72,485	79,503	68,438	58,253	52,190	42,018	33,757	26,849
बकाया प्रतिभूतियाँ	3,435	5,111	6,160	7,086	3,532	4,170	1,711	2,256	1,290	1,672
पंजाब										
राजस्व अधिशेष(+)/घाटा(-)	-28,215	-26,045	-18,468	-17,296	-14,285	-13,135	-9,455	-7,311	-8,550	-7,591
राजकोषीय अधिशेष(+)/घाटा(-)	-33,115	-33,930	-27,847	-22,584	-16,826	-16,059	-12,494	-52,840	-17,359	-10,842
बकाया लोक ऋण	3,06,041	2,76,459	2,45,291	2,23,394	1,94,333	1,79,130	1,64,803	1,53,773	1,03,195	86,818
बकाया प्रतिभूतियाँ	22,691	20,208	20,165	23,552	25,352	23,816	20,617	20,608	56,752	66,893
राजस्थान										
राजस्व अधिशेष(+)/घाटा(-)	-38,955	-31,491	-25,870	-44,002	-36,371	-28,900	-18,534	-18,114	-5,954	-3,215
राजकोषीय अधिशेष(+)/घाटा(-)	-65,580	-51,029	-48,238	-59,375	-37,654	-34,473	-25,342	-46,318	-63,070	-19,000
बकाया लोक ऋण	4,46,652	3,88,384	3,53,556	3,08,321	2,59,380	2,33,239	2,12,307	1,95,424	1,56,550	1,00,511
बकाया प्रतिभूतियाँ	1,10,918	1,04,832	95,868	82,612	80,631	70,430	61,761	51,159	53,620	94,578
सिक्किम										
राजस्व अधिशेष(+)/घाटा(-)	131	473	412	-761	-1,344	694	1,061	822	140	731
राजकोषीय अधिशेष(+)/घाटा(-)	-2,530	-1,903	-904	-2,274	-2,081	-642	-462	86	-520	-275
बकाया लोक ऋण	13,012	10,523	8,654	6,891	5,406	4,986	4,217	3,506	2,969	2,510
बकाया प्रतिभूतियाँ	4,665	4,786	4,503	4,107	3,749	3,455	565	441	89	112
तमिलनाडु										
राजस्व अधिशेष(+)/घाटा(-)	-45,121	-36,215	-46,538	-62,326	-35,909	-23,459	-21,594	-12,964	-11,985	-6,408
राजकोषीय अधिशेष(+)/घाटा(-)	-90,430	-81,886	-81,835	-93,983	-60,179	-47,335	-39,840	-56,170	-32,628	-27,162
बकाया लोक ऋण	7,03,926	6,15,893	5,41,936	4,57,188	3,70,550	3,21,642	2,88,769	2,52,039	1,94,096	1,64,634
बकाया प्रतिभूतियाँ	1,22,270	90,709	91,975	65,659	47,319	43,661	36,131	29,145	51,586	53,698
तेलंगाना										
राजस्व अधिशेष(+)/घाटा(-)	779	5,944	-9,335	-22,298	-6,254	4,337	3,459	1,386	238	369
राजकोषीय अधिशेष(+)/घाटा(-)	-49,963	-32,557	-46,638	-49,038	-31,759	-26,949	-26,700	-35,281	-18,856	-9,410
बकाया लोक ऋण	3,50,520	3,09,563	2,77,489	2,34,553	1,94,958	1,65,164	1,42,918	1,21,236	91,985	77,333
बकाया प्रतिभूतियाँ	2,20,607	1,98,244	1,35,283	1,05,007	89,601	77,713	41,892	29,965	26,619	18,265
त्रिपुरा										
राजस्व अधिशेष(+)/घाटा(-)	2,196	570	1,489	-1,075	-2,375	142	-289	790	1,558	1,797
राजकोषीय अधिशेष(+)/घाटा(-)	-638	-1,513	67	-1,909	-3,262	-1,340	-2,072	-2,530	-1,650	-1,049

घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
बकाया लोक ऋण	14,092	13,596	13,710	13,319	11,212	8,844	7,636	6,603	5,976	5,290
बकाया प्रतिभूतियाँ	602	570	634	771	735	524	328	313	288	241
उत्तर प्रदेश										
राजस्व अधिशेष(+)घाटा(-)	36,013	37,263	33,430	-2,367	67,560	28,250	12,552	20,283	14,340	22,394
राजकोषीय अधिशेष(+)घाटा(-)	-80,723	-64,636	-39,286	-54,622	11,083	-35,203	-27,810	-55,989	-58,475	-32,513
बकाया लोक ऋण	6,67,106	5,67,841	5,23,684	4,76,659	4,16,578	3,65,170	3,34,291	3,01,876	2,54,494	1,97,653
बकाया प्रतिभूतियाँ	1,63,400	1,70,781	1,74,218	1,50,554	1,18,696	1,10,032	74,841	55,825	57,618	70,740
उत्तराखंड										
राजस्व अधिशेष(+)घाटा(-)	3,341	5,310	4,128	1,113	-2,136	-980	-1,978	-383	-1,852	-917
राजकोषीय अधिशेष(+)घाटा(-)	-7,749	-2,949	-3,736	-5,439	-7,657	-7,321	-7,935	-5,467	-6,125	-5,826
बकाया लोक ऋण	67,961	62,159	61,202	57,115	50,250	46,233	41,015	35,210	29,836	25,035
बकाया प्रतिभूतियाँ	119	117	374	729	582	1,311	1,173	1,258	1,743	1,832
पश्चिम बंगाल										
राजस्व अधिशेष(+)घाटा(-)	-25,692	-27,295	-32,000	-29,527	-19,661	-10,399	-9,807	-16,085	-9,095	-17,137
राजकोषीय अधिशेष(+)घाटा(-)	-53,993	-49,966	-50,528	-44,688	-36,831	-33,486	-28,931	-25,385	-20,891	-27,345
बकाया लोक ऋण	5,60,583	5,10,763	4,70,288	4,24,247	3,75,708	3,40,422	3,16,011	2,95,278	2,70,059	2,44,490
बकाया प्रतिभूतियाँ	16,445	17,677	16,885	7,821	8,212	6,623	8,570	7,817	8,858	9,386
घटक	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
राजस्व अधिशेष(+)घाटा(-)	-1,03,369	-82,641	-1,07,253	-3,73,888	-1,31,170	-21,645	-31,545	-42,793	-4,742	-45,323
राजकोषीय अधिशेष(+)घाटा(-)	-8,64,196	-7,23,652	-6,39,347	-7,89,046	-5,16,365	-4,53,978	-4,07,978	-5,20,552	-4,12,296	-3,21,484
बकाया लोक ऋण	67,87,363	59,60,428	53,84,757	47,54,415	40,07,299	35,22,377	31,84,188	28,61,124	23,92,466	20,04,197
बकाया प्रतिभूतियाँ ^{^*}	11,48,116	10,14,319	9,07,511	7,58,137	6,26,959	5,45,143	3,95,073	3,09,734	3,61,751	4,25,664

[^] प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को

* प्रतिभूतियों के आंकड़े राज्यों के वित्त खातों से लिए गए हैं, जो राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं।

अनुलग्नक 20: विनियोग की प्राथमिक इकाई/उद्देश्य शीर्षों के सामंजस्य एवं युक्तिकरण पर कार्यालय ज्ञापन

No.GA-87/2025/1606

Office of the Comptroller and Auditor General of India
10, Bahadur Shah Zafar Marg
New Delhi
(Government Accounts Wing)

Date: 11th November, 2025

OFFICE MEMORANDUM

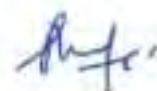
Subject: Harmonisation of Primary Unit of Appropriation (Object Heads) in the Union Government and all the State Governments.

The wide variation amongst States in the operation of expenditure at the disaggregate sixth tier of expenditure, viz. Primary Unit of Appropriation/Object Head, has been engaging the attention of this office as well as other stakeholders, including Finance Commission. Such wide variation in the depiction of expenditure of economic nature at the disaggregate level impacts inter-temporal and inter-State comparisons as well as those with the Union Government. Accordingly, a need for standardisation of classification of expenditure of the Union Government and the State Government at the disaggregate sixth tier level of expenditure was felt.

2. As part of the exercise initiated by the office of the Comptroller and Auditor General of India, a Working Group consisting of officers from the CAG, some State Governments, Controller General of Accounts and Controller General of Defence Accounts was constituted. Based on the recommendations of the Working Group and engagement with the Ministry of Finance, Department of Expenditure, Government of India on the issue, it has been decided that a uniform object head structure applicable to both the Union Government and all the State Governments may be implemented. The Object Heads, together with description of the nature of expenditure that each object head will capture, are enclosed for notification appropriately by the Union Government and the State Governments.

3. The revised list of common Object Heads, to be implemented by the Union Government and the State Governments, may be adopted keeping in view the level of preparedness but preferably effective from Financial Year 2027-28.

4. For transparency and uniform representation, the States' specific practices, e.g., hooking of State specific allowances, payment and decretal charges, etc., may be captured at sub-Object Head level below the relevant Object Head.



5. The above may be treated as advice under Article 150 of the Constitution. This advice will supersede the advice given by the CAO, as contained in Note 1 to Rule 26 of the Government Accounting Rules 1990.

Encl: As above.


(Shefali S. Andaleeb)
Director General

To:

- 1) Secretary, Department of Expenditure, Ministry of Finance, Government of India, New Delhi.
- 2) Chief Secretary of all the State Governments and Union Territory Governments (with Legislature).
- 3) Finance Secretary of all the State Governments and Union Territory Governments (with Legislature).

Statement on Object Heads

SL No.	Object Head Code	Object Head Name	Description/Definitions
(1)	(2)	(3)	(4)
(A) Revenue Expenditure			
Object Class I – Compensation to Employees			
1.	01	Salaries	It will include pay of the Government employees as defined under FR 9(21)/relevant rules, honorarium to Government Servant and stipend to interns. It will also include expenditure on emoluments and allowances of Heads of States and other high dignitaries including sumptuary allowance, salary payable to the staff of departmental canteens and leave encashment on LTC.
2.	02	Wages	It will include wages of labourers and of staff at present paid out of contingencies.
3.	03	Dearness Allowance (DA) ¹	It will include Dearness Allowance (DA) on pay and salaries.
4.	05	Rewards	It will include rewards under a scheme given to the government employees in addition to their pay and allowances. It will also include payment of bonus and cash awards for Hindi Pratiyogita, etc.
5.	06	Medical Treatment	It will include amount paid towards medical reimbursements/ treatment of the government employees / pensioners.
6.	07	Allowances	It will include as applicable the House Rent Allowance, Transport Allowance, Foreign Allowance, Non Practicing Allowance, Deputation (Duty) Allowance, Personal Pay, Family Planning Allowance, Special Compensatory (Hill Areas) Allowance, Tribal Area Allowance, Hard Area Allowance, Headquarter Allowance, Overtime Allowance, Children Education Allowance, Reimbursement of Tuition Fee, Ration Allowance, Cost of Ration given in cash, Constituency Allowance, Uniform and Clothing Allowance, Entertainment Allowance, Project Allowance, Special Compensatory (Remote Locality) Allowance, Bad Climate Allowance, Washing Allowance, Special (Duty) Allowance, Night Duty Allowance, Risk Allowance, Sundarban Allowance, Cash Handling Allowance, Caretaking Allowance, Split Duty Allowance. Any other allowances, in addition to the above, which is payable to the Government employees in addition to their pay

¹ The States may exercise the option of operating a separate Object Head for 'Dearness Allowance'. Optionally, 'Dearness Allowance' may be included under Object Head Salaries.

Shruti

Sl. No.	Object Head Code	Object Head Name	Description/Definitions
(1)	(2)	(3)	(4)
			or is specific to the State.
7.	08	Leave Travel Concession (LTC)	It will include air/rail/bus fare/fare of any other mode of transport entitled under LTC Rule.
8.	09	Training Expenses	It will include expenditure on cost of training such as fees paid, contingencies, materials, etc. for participating in the training, workshops but exclude expenditure on domestic or foreign travel expenses
Object Class II – Social Security of Employees			
9.	04	Pensionary Charges	It will include all pensionary benefits including payment of pensions and gratuity in all forms to the Government employees, Members of Parliament/Assembly, etc. It will also include contributions to service funds and contributory provident funds and payment of leave encashment at the time of retirement or death, termination of service, etc. It will also include Government's contribution payable under National Pension System (NPS) / Unified Pension Scheme (UPS) for Government employees. This will, however, not include social security expenditure such as old age pension and other such transfers and benefits to non-government persons.
Object Class III – Goods and Services			
10.	10	Outsourcing/ Contractual Services	It will include all the expenses related to outsourced security, office attendants, office assistants / data entry operators (DEO), housekeeping and non-staff personnel, deployed for specific purpose on contract other than those included in the Object Head - "Professional Services".
11.	11	Domestic Travel Expenses	It will include travel expenses on official tours and transfers of the Government employees within India. This will also include expenditure on TA/ DA to non- official members on account of travel in India. It will also include transfer TA payable to pensioners at the time of retirement.
12.	12	Foreign Travel Expenses	It will include expenses on official tours and transfers of the Government employees outside India. This will also include expenditure on TA/ DA to non- official members going on official tour abroad.
13.	13	Office Expenses	It will include all recurring and non-recurring contingent expenses incurred for the maintenance of office establishment such as, stationery, postage charges, courier charges, telephone charges, internet charges, cable connection charges, electricity charges for Administrative building/Secretariats, water charges, service agreements, liveries/uniforms, hot and cold weather charges, pest control, refreshment, books and periodicals, hospitality expenses including entertainment of

Shruti

SL No.	Object Head Code	Object Head Name	Description/Definitions
(1)	(2)	(3)	(4)
			foreign delegates, gifts and souvenirs and conferences/seminars/workshops/meetings convened by office including all related expenses on study material/ kits, refreshments, study tours, etc. It will also include purchase of office equipment, furniture and fixtures not exceeding the threshold limit of one lakh rupees or three years of useful life, either of the two, as decided by the Government from time to time. The office equipment and furniture and fixtures exceeding the threshold limit as decided by the Government from time to time should be classified as 'capital' expenditure under the relevant Object Head 'Machinery and Equipment' and 'Furniture and Fixtures'. Purchase of vehicles, however, irrespective of its usage (office or otherwise) should be classified as 'capital' expenditure under the relevant capital Object Head 'Motor Vehicles'.
14.	14	Rent, Rates and Taxes for Land and Buildings	It will include expenditure on rent for buildings (non-residential or residential or structures other than buildings), municipal rates and taxes and lease charges for rented land and buildings, the ownership of which is not transferable to Government. However, lease charges for land and buildings, the ownership of which is transferable to Government, will be classified as 'capital' expenditure under the relevant Object Heads 'Land' and 'Buildings and Structures'.
15.	15	Royalty	It will include expenses on royalties on patents, designs, trademarks, print, publishing, music, etc.
16.	16	Printing and Publication	It will include expenses on printing of valuables, printing of audit and accounts reports, forms, stationery, office codes, manuals and other documents, newspaper and magazines including e-books, e-magazines, digital printing, pen drive, CD, any other storage media for dissemination of digital documents, etc., but exclude expenses on printing of publicity material which shall be classified under Advertising and Publicity.
17.	18	Rent for others	It will include expenses on rent for equipment and other various items like office equipment, transport, computer and ancillary equipment, communication equipment, air-conditioning, heating and refrigerating equipment, security equipment, broadcasting and recording equipment, construction equipment, agricultural equipment, horticultural equipment, medical equipment, furniture and fixtures. It will also include lease charges for equipment and other items, the ownership of which is not transferable to Government. However, lease charges for equipment and other items, the ownership of which is transferable to Government will be classified as 'capital' expenditure under the relevant Object Heads.

Handwritten signature

SL No.	Object Head Code	Object Head Name	Description/Definitions
(1)	(2)	(3)	(4)
			This will also include rent to be borne by the office on venue for conferences/workshops/seminars/conclaves/meetings, etc other than those included in the object heads domestic travel and foreign travel expenses.
18.	19	Digital Equipment	It will include expenses to be classified as revenue expenditure on procurement or development of hardware and software where the cost of individual item does not exceed the threshold limit of one lakh rupees or three years of useful life, either of the two as decided by the Government from time to time. The threshold limit will, however, not apply to the consumables like toner and cartridge for printer. They shall be classified under revenue expenditure under this head.
19.	21	Materials and Supplies	It will include expenses on various kinds of supplies, materials and stores etc., such as, medical supplies, educational supplies, agricultural supplies, livestock supplies, cleaning materials, hospital drugs and medicines, veterinary drugs, chemicals and fertilizers, lab supplies, spare parts, clothing and tentage.
20.	22	Arms and Ammunition	It will include revenue expenditure on arms and ammunitions on police and other para-establishments.
21.	23	Cost of Ration	It will include expenditure on procurement of ration / diet provided to police, central armed police forces, mid-day meal, ICDS, PM Poshan etc.
22.	24	Fuels and Lubricants	It will include expenditure on petrol, oil, lubricants and other fuels like CNG, diesel, etc.
23.	26	Advertising and Publicity	It will include expenses including commission to agents for sale and printing of publicity material on advertising and publicity through various media such as print media, TV media or outdoor media or Internet or mobile network or other audio-visual publicity or fairs and exhibition.
24.	27	Minor civil and electric Works	It will include expenditure on repairs and maintenance of minor civil and electrical works of office buildings, residential buildings, other buildings and expenditure on running, operation and maintenance (ROM) of diesel genset, etc., maintained by the Central PWD/State PWD.
25.	28	Professional Services	It will include expenses on engagement of professionals, consultants including hiring of retired Government Servants on short term contract basis, artists, banks, etc., for providing services to the Government which include legal services, consultancy fees, audit fees, teaching and training Fees, payments to artists, remunerations to question setters or invigilators or guest speakers, payments to other departments for services rendered, payment or expenses to agencies for conducting departmental examination.
26.	29	Repair and	It will include expenses on repair and maintenance (including

Amr

Sl. No.	Object Head Code	Object Head Name	Description/Definitions
(1)	(2)	(3)	(4)
		Maintenance	all maintenance contract) of equipment such as machinery and equipment, office equipment, equipment for other functional use, digital equipment for office use, digital equipment for functional use, furniture and fixtures for office, furniture and fixtures for other functional use, vehicles (including motor vehicles and non-motor vehicles like bicycle, rickshaw, carts, trolleys and boat, etc., for office or functional use), infrastructural assets (It will include expenses on preventive, operating maintenance of Infrastructural assets other than minor civil and electrical works like lines, bridges, rolling stocks of railways, roads, highways, ports, ships, aircrafts, helicopters, radars, hovercrafts, airports or other infrastructures), tools and plants, arms and ammunitions, etc., but exclude expenditure on upgradation, midlife rehabilitation, retrofitting and/or reconditioning.
27.	39	Bank and Agency charges	It will include bank service charges, agency charges, MDR (Merchant Discount Rate) charges, direct benefit transfer (DBT) charges to banks / NPCI (National Payments Corporation of India) and any other charges for convenience fee performing monetary transactions.
28.	40	Awards and Prizes	It will include expenses on awards and prizes given by the Government to the eminent persons and organizations.
Object Class IV- Aid and Assistance			
29.	31	Grants-in-aid - General	It will include Grants-in-aid released for payments other than salaries and creation of capital assets. It will also include expenditure on welfare activities.
30.	32	Contribution	It will include the contributions made to international or national organizations related to membership. This will not include transfers made to autonomous bodies or PSUs or PSBs for corpus funds.
31.	33	Subsidies	It will include subsidies released under various schemes of the Government.
32.	34	Scholarships	It will include the amount of scholarship released to various institutions or organizations or beneficiaries or individuals.
33.	35	Grants for creation of Capital Assets	It will include Grants-in-aid released for payment for creation of capital assets. It will also include Viability Gap Funding (Expenditure on the projects run under Viability Gap Funding Scheme).
34.	36	Grants-in-aid - Salaries	It will include grants-in-aid released for payment of salaries.
35.	37	Aid Material and Equipment	It will include value of aid material and equipment transferred to Ministries or Departments or other Governments or organisations. It will also include grants given in kind to grantee bodies.
36.	42	Social	It will include social security benefits to people (excluding

dufe

Sl. No.	Object Head Code	Object Head Name	Description/Definitions
(1)	(2)	(3)	(4)
		Security Expenditure	government servant(s), such as social pension (pension and gratuity), old age pensions, Widow pensions, pension to freedom fighters, Unemployment allowances, girl / women related benefits, Cash payments, etc. from budget.
Object Class V-Miscellaneous Revenue Expenditure			
37.	41	Secret Service Expenditure	It will include expenses on secret services.
38.	44	Loss in Exchange	It will include the loss due to difference in the rate of exchange of foreign currency in Indian rupees. The loss due to difference in the rate of exchange at the time of receipts loans from foreign resources and repayment thereof shall also be debited under this Object Head.
39.	45	Interest Payments	It will include payment of interest on capital and discount on loans.
40.	49	Other Revenue expenditure	It will include payment out of discretionary grant, other discounts, fees and fines, custom duty compensation, commitment charges, premium, decretal charges, Electricity charges for Projects, notional value of gifts, re-imbursement of newspapers purchased or supplied to officer's residence and purchase or re-imbursement of briefcase / office bag or ladies purse to Government servants", etc. Any other expenditure which cannot be classified under any of these specified object heads will be debited to this head. It will also include expenditure in respect of schemes, sub-schemes or organisations not elsewhere classified.
(B) Capital Expenditure (Assets)			
Object Class-VI-Non-Financial Assets (Fixed and Intangible Assets)			
41.	51	Motor Vehicles	It will include procurement of motor vehicles on road like buses, cars, trucks, motorcycles, irrespective of their usage.
42.	52	Machinery and Equipment	It will include procurement of machinery and equipment (other than motor vehicles and ICT equipment), electrical and electronic equipment, medical appliances, precision and optical instruments, watches and clocks, musical instruments and sports goods etc., cost of which exceeds one lakh rupees or three years of useful life, either of the two, need to be booked under this head.
43.	71	Information Computer Telecommunications (ICT) equipment	It will include procurement of information, computer, telecommunications (ICT) equipment such as computer hardware and telecommunications devices (computer/laptops, projectors, etc.) and computer software exceeding the threshold limit of one lakh rupees or 3 years of useful life, either of the two, electromagnetic spectrum which is used in the transmission of sound, data and television.
44.	72	Buildings and	It will include office buildings, residential buildings, other

Signature

SL No.	Object Head Code	Object Head Name	Description/Definitions
(1)	(2)	(3)	(4)
		Structures	buildings and structures like hospitals, laboratories, auditorium, light houses, shelters etc., public monuments like statues, fountains established at public places, and land improvement.
45.	73	Infrastructural Assets	It will include procurement/ creation/ Improvement of infrastructural assets such as roads, bridges, tunnels, irrigation projects, power projects, sports infrastructure, water and sewage projects, railway assets, ships, ports, satellites, satellite launch vehicles, airports, aircrafts, motor boats, railway locomotives and rolling stock, other infrastructural projects (include cable lines, sewage systems, rain water harvesting, solar systems, telecom towers, transmission lines and electricity towers, etc.).
46.	74	Furniture & Fixtures	It will include expenditure on purchase of furniture and fixture exceeding threshold limit of one lakh rupees or three years of useful life, either of the two, for office use and functional use.
47.	75	Arms and Ammunitions (Capital)	It will include procurement of arms and ammunitions of capital nature.
48.	76	Upgradation Procurement of Heritage Assets and not elsewhere classified	It will include rehabilitation, overhaul, retrofitting of heritage asset recognised and recorded in the asset register at the nominal value of ₹1/- and up-gradation 'not elsewhere classified'. It will also include expenditure on procurement of items of fine art and of cultural and archaeological importance.
49.	77	Other Fixed Assets	It will include procurement of other fixed assets like library books and publications, trees, crops and plants/plantations, whose natural growth and regeneration is under the direct control, responsibility and management of institutional units, non-motor vehicles like bicycle, rickshaw, cart, trolleys, boat, etc.
50.	78	Land	It will include land consisting of the ground, land for office and residential building, including the soil covering and any associated surface waters (reservoirs, lakes, rivers and other inland waters over which ownership rights can be exercised).
51.	79	Non-produced assets other than land	It will include mineral and energy reserves located on or below the surface of earth including deposits under the sea like oil, natural gas, coal, metallic ores including ferrous, non-ferrous and precious metal ores), non-metallic mineral reserves (including stone quarries, clay and sand pits, chemical and fertilizer mineral deposits, and deposits of salt, quartz, gypsum, natural gem stones, asphalts, bitumen, and peat), water resources, plants that yield both once-only and repeat products over which ownership rights are enforced but for which natural growth or regeneration is not under the

Handwritten signature

Sl. No.	Object Head Code	Object Head Name	Description/Definitions
(1)	(2)	(3)	(4)
			direct control, responsibility, and management of any institutional units such as virgin forests and fisheries that are commercially exploitable.
52.	80	Intangible Assets	It will include expenditure on copy right, patents, goodwill, intellectual property, etc.
Object Class VI - Financial Assets			
53.	54	Investment	It will include investments made by the Government on purchase of shares and equity, investment in securities, investment in fixed and term deposits, and other investment.
54.	55	Loans and Advances	It will include loans and advances given by the Government.
55.	56	Repayment of Borrowings	It will include repayment of borrowings by the Government.
56.	57	Subscription	It will include subscriptions made by the Government of capital nature.
57.	60	Other Capital expenditure	It will include all other capital expenditure which cannot be classified in any of the above capital object head.
(C) Accounting Adjustments			
Object Class VIII-Accounting Adjustments			
58.	43	Suspense	It will include the amount kept under suspense heads for want of complete details for adjustment under final head of account.
59.	61	Depreciation	It will include depreciation charged on the assets by commercial departments.
60.	62	Reserves	It will include the provisions of reserves.
61.	63	Inter Account Transfers	It will be used for transfer of amount from one head to another
62.	64	Writes Off of Losses	It will include write off of irrecoverable loans, trading losses.
63.	70	Deduct Recoveries	It will be operated to adjust the overpayments in reduction of expenditure.

Note: For transparency and uniform representation, the States' specific practices, e.g. booking of State specific allowances, payment and decretal charges, etc. in the States may be captured at sub-Object Head level below the relevant Object Head.

Amfer

संक्षिप्ताक्षरों की सूची

एसी	संक्षिप्त आकस्मिक
एजी	महालेखाकार
सीएजी	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
सीएफएस	राज्य की समेकित निधि
सीओएफओजी	सरकार के कार्यों का वर्गीकरण
सीआरआईएफ	केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि
सीएसएस	केंद्र प्रायोजित योजनाएं
डीसी	विस्तृत आकस्मिक
डीसीसी	विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक
डीडीओ	आहरण एवं संवितरण अधिकारी
एफसी	वित्त आयोग
एफआरबीएम	राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन
एफवाई	वित्त वर्ष
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
जीआईए	सहायता अनुदान
जीएसडीपी	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
जीएसटी	वस्तु एवं सेवा कर
एचडीएफसी	हाउसिंग डेवलपमेंट फ़ाइनेंस कॉर्पोरेशन
हुडको	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
आईएफएमएस	एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली
जेआईटी	सही समय पर
जेजेएम	जल जीवन मिशन
एलआईसी	भारतीय जीवन बीमा निगम
एमसीआर	विविध पूंजीगत प्राप्ति
एमटीएफपी	मध्यावधिक राजकोषीय योजना
नाबार्ड	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
एनसीडीसी	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
एनईआर	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र
एनएचबी	राष्ट्रीय आवास बैंक
एनपीएस	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली
एनएसएपी	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम
एनएसएसएफ	राष्ट्रीय लघु बचत कोष
एनटीएफए	वित्त लेखे की टिप्पणी
पीडी	व्यक्तिगत जमा
पीएफएमएस	सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली

पीआरआई	पंचायती राज संस्थान
पीएसयू	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
पीयूए	विनियोग की प्राथमिक इकाई
आरबीआई	भारतीय रिजर्व बैंक
एसडीएफ	विशेष आहरण सुविधा
एसडीजी	सतत विकास लक्ष्य
एसडीएमएफ	राज्य आपदा शमन निधि
एसडीआरएफ	राज्य आपदा मोचन निधि
एसएफएआर	राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
एसजीएसटी	राज्य वस्तु एवं सेवा कर
एसओटीआर	राज्यों का स्व-कर राजस्व
एसएनए	एकल नोडल एजेंसी
एसएनटीआर	राज्यों का कर-रहित राजस्व
टीएसए	ट्रेजरी एकल खाता
यूएलबी	शहरी स्थानीय निकाय
यूएन	संयुक्त राष्ट्र
यूपीएस	एकीकृत पेंशन योजना
वीएटी	मूल्य वर्धित कर
वीएलसी	वाउचर स्तर का कम्प्यूटरीकरण
डब्ल्यूएमए	अर्थोपाय अग्रिम
वाई-ओ-वाई	वर्ष-दर-वर्ष



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
<http://www.cag.gov.in>

